खण्ड-293, अंक-3
मंगलवार, 14 पौष, शक संवत् 1893
(4 जनवरी, 1972 ई0)

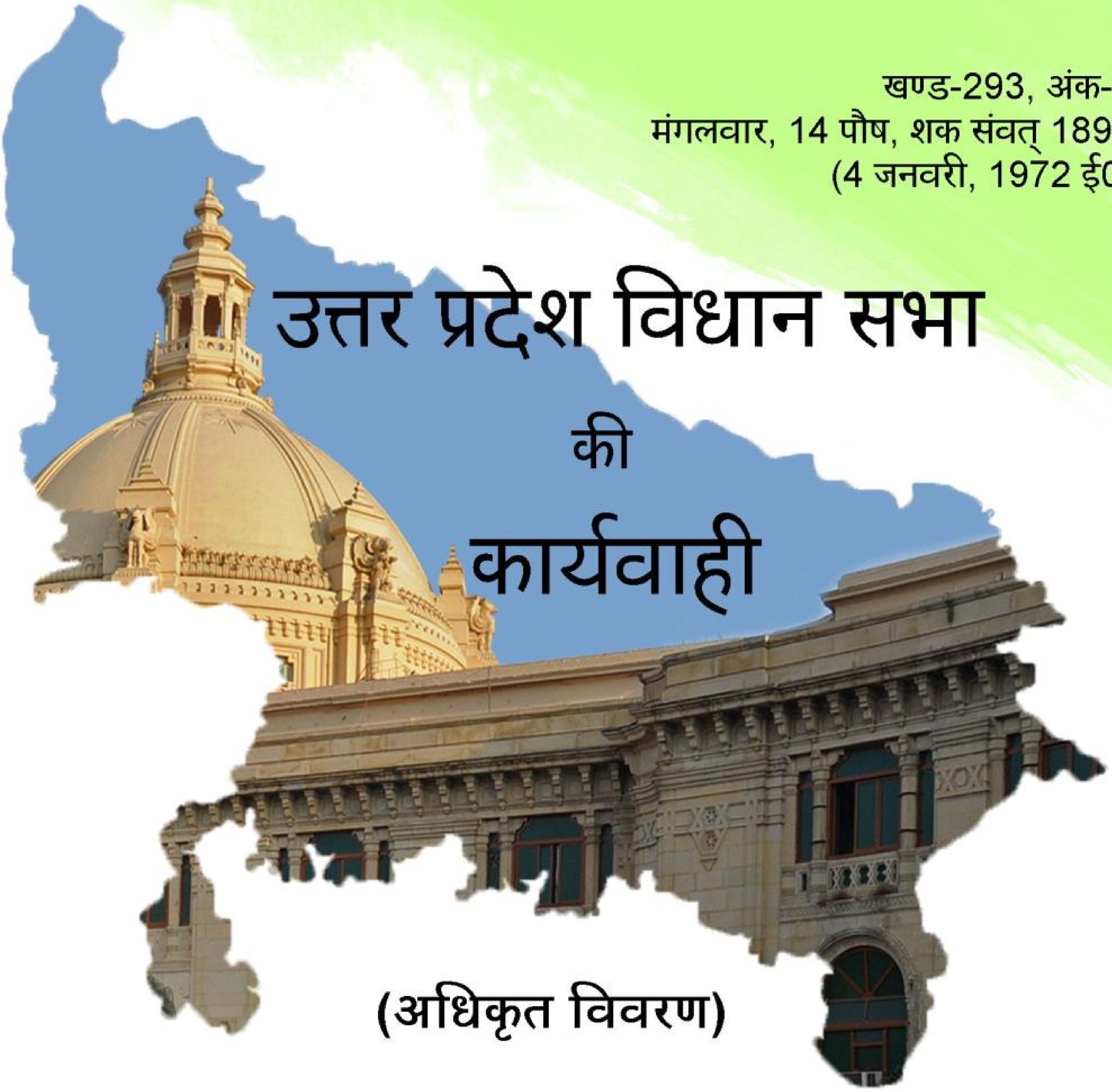

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 293 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	315-319
व्यवस्था का प्रश्न उठाने का आग्रह	319-321
प्रश्नोत्तर	321-382
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	382-388
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, 1972 (पुरःस्थापित किया गया)	388
उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 (पुरःस्थापित किया गया)	388-391
उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 (पुरःस्थापित किया गया)	392
नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	392-393
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971 (खंडशः विचार जारी)	393-405
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 (विचार जारी)	405-444
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाओं के सम्बन्ध में पूछतांछ ..	444-445
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 (पारित)	445-448
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1971 (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय, जारी)	449-450
अपराध निरोध समिति की केन्द्रीय समिति तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन के संबंध में सूचना	450-451
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	451-452
नत्थियां	453-514

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 4 जनवरी, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री वासदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—380

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी

गप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटब, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाव राव, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल, सिंह 'कृष्ण, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणीराय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दलसिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपालसिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण, गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसीराम, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातमप्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबीखां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दूबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथसिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरनसिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवरसिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला आगरा)

रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबचन, श्री
(जिला आजमअढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रायविलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामहरख मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री

शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री ((उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सुबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा, श्री)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोटः—राज्य सूचना मन्त्री श्री पुरुषोत्तमदास टन्डन तथा पंचायत राज मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

व्यवस्था का प्रश्न उठाने का आग्रह

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

यह एक बड़ा अहम सवाल है,मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि विवरण पढ़ दें ।

श्री छांगुर राम—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का समय नहीं है, आप कृपा करके आसन ग्रहण करें। माननीय मुख्य मंत्री, इसे पढ़ दें।

(श्री रामकृष्ण द्विवेदी ने नत्थी "क" को पढ़ना आरंभ किया।)

श्री छांगुर राम—

आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नहीं देता हूं, व्यवस्था। यही व्यवस्था देता हूं कि आप बैठ जायं।

श्री छांगुर राम—

यह आपकी तानाशाही है कि आप व्यवस्था नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

आप व्यवस्था सचमुच कर दें, हमें कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आपकी सम्वेत जो गौरव गरिमा है उस को न समझें तो मैं क्या करूं... (व्यवधान) आप आसन ग्रहण करें।

श्री छांगुर राम—

आप हुक्म देने के लिये नहीं हैं, हमारे अन्दर जो शंका है उसका भी निवारण करें। आपके तानाशाही रवैये से बड़ा क्षोभ हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह वापस लें, यह आक्षेप है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इनसे कहिये कि क्षमा प्रार्थना करें।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि आप इस तरह से अव्यवस्था पैदा करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि सख्ती की जायेगी।

श्री छांगुर राम—

जो आप कहेंगे वह हम करेंगे लेकिन मेरी बात तो सुनी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन से कहना चाहता हूं कि यह अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं तो सभी माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य है कि वे मेरा साथ दें। बार-बार मना करने पर भी अगर वह नहीं मानेंगे तो हमें सजा देनी होगी।

श्री छांगुर राम—

अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कहने के लिये मजबूर हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं। आप कृपा करके आसन ग्रहण करें।

श्री छांगुर राम—

उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप अव्यवस्था कर रहे हैं।

श्री छांगुर राम—

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय जायसवाल जी को 40 मिनट दिये जिनके दल की संख्या 18 है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं। आप कृपा करके आसन ग्रहण करें।

श्री छांगुर राम—

मैं बैठ जाता हूं अगर आप यह रुख अख्तियार करेंगे तो कैसे काम चलेगा।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 4 जनवरी, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

निगोहा स्टेशन पर लड़कियों के प्रति अभद्र व्यवहार

**1—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी), श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर) तथा श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि जिला रायबरेली में निगोहा स्टेशन पर 20 तथा 30 नवम्बर, 1971 के बीच गाड़ी रोककर कई लड़कियों के साथ कुछ गुन्डों द्वारा बलात्कार किया गया जिनमें एक बारात भी थी जो कि मध्य प्रदेश से इलाहाबाद–बरेली पैसेंजर पर आ रही थी उसमें एक लड़की के साथ उसके पिता के सामने वह जघन्य अपराध किया गया जिस पर पिता का हार्ट फेल हो गया और प्रदेश की पुलिस मूक दर्शकों की तरह यह काण्ड देखती रही? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

गृह उप मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

दिनांक 22–11–71 को निगोहा स्टेशन पर गाड़ी में जाती हुई बारात में से एक लड़की के प्रति अभद्र व्यवहार करने की घटना हुई है। इस घटना तथा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है। बलात्कार की किसी घटना की सूचना नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 453 पर)

श्री बंशीधर पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ट्रेन आ रही थी तो उस पर आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० के कितने सिपाही थे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, जी० आर० पी० के सिपाही रात्रि में चलते हैं और चूंकि रायबरेली में दिन निकल जाता है, इसलिये वहां उतर गये थे। दिन में ट्रेन में कोई सिपाही नहीं रहता।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें लड़की से छेड़-छाड़ वाली दफाओं को क्यों नहीं लगाया गया, जिनमे दफा 509 आदि आती हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

लड़की के परिवार के किसी व्यक्ति ने अथवा मैरेज पार्टी के किसी आदमी ने किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट थाने में नहीं लिखाई थी। पायोनियर समाचार-पत्र के माध्यम से जब पता लगा तब रेलवे पुलिस अधीक्षक ने उस समाचार-पत्र को आधार मान कर रिपोर्ट लिखी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

ट्रेन को जंजीर खींच कर रोक गया था और रेलवे वालों ने उसका कारण तो लिखा होगा कि 9 मिनट तक गाड़ी क्यों रुकी रही। क्या ट्रेन के कर्मचारियों ने ट्रेन के रुकने के कारण की कोई रिपोर्ट की या नहीं की ? अगर नहीं की तो क्या उत्तर प्रदेश शासन रेलवे अधिकारियों को लिखेगा कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाय ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

ट्रेन के गार्ड वगैरा ने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं की। इस बात की भी इंक्वायरी की जायगी और उसके बाद रेलवे के अधिकारियों को लिखा जायगा।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

स्वर्गीय खन्ना जी का हार्ट फेल हो गया तथा उसके बारे में समाचार-पत्रों में उनकी पुत्री के के साथ बलात्कार की घटना में छपी, यह एक बहुत गंभीर घटना है। क्या इस विषय में सरकार कोई उच्चस्तरीय सी० आई० डी० की जांच करायेगी जिससे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटना न होने पाये ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

लड़की के भाई से पूछतांछ करने पर ऐसी कोई बात नहीं बतायी। इसके अलावा शव को मांगने के समय उन्होंने जो बात लिखी है उसमें भी किसी किस्म का कोई संदेह व्यक्त नहीं किया है। हो सकता है वे बलात्कार की बात को छिपाने की कोशिश कर सकते थे लज्जा के कारण, लेकिन पिता के मरने के कारण में लिखा सकते थे कि और भी कारण थे। किसी ने इस प्रकार की कोई बात नहीं लिखायी। पुनरपि अगर आप और छानबीन को कहते हैं तो और गहराई से छानबीन कर ली जायगी।

श्री बंशीधर पांडेय—

जी० आर० पी०, जिसके बारे में आप कहते हैं कि रायबरेली उतर गयी थी, वह तो ट्रेन के साथ चलती है, उसको लखनऊ तक आना चाहिये था। इसके अलावा आर० पी० एफ० के लोग भी चलते हैं और उनको गवर्नमेंट आफ इंडिया न पुलिस की पावर्स दी हैं, तो क्या वह भी मौजूद नहीं थी ? क्या सरकार इस विषय में जांच करायेगी कि जी० आर० पी० क्या वाकई

रायबरेली उतर गयी थी और क्या आर० पी० एफ० का भी कोई आदमी उसमें नहीं था ? और यह भी मालूम कर लिया जाय कि किसी जी० आर० पी० वाले को लखनऊ तक आना चाहिये था या नहीं, आना चाहिये था, और अगर कोई दोषी पाया जाय तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखेंगे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मैंने डी० आई० जी० से कुछ और तथ्यों की जांच करने के लिये कहा है। हम स्वयं अनुभव करते हैं कि इस प्रकार की घटनायें नहीं होनी चाहिये और दिन में भी जनता के प्रोटेक्शन के लिये अवश्य ही कोई कार्यवाही होनी चाहिये और उसके लिये पुलिस की व्यवस्था की जाय।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि समाचार-पत्रों के आधार पर कार्यवाही की गयी थी तो क्या समाचार-पत्रों में छपी इस खबर, कि घटनास्थल पर छः सिपाही और एक दरोगा जी बावर्दी थे और प्लेटफार्म पर खड़े इस कांड को देख रहे थे, तिस पर भी कोई कार्यवाही की गयी ?

रामकृष्ण द्विवेदी—

इन तथ्यों की भी जांच करा लेंगे।

भूमि संरक्षण अधिकारी, कुंडा, जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सतर्कता विभाग द्वारा जांच

**2—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ के वर्ष 1970-71 के कार्य एवं अनुदान की राजकीय धनराशि में गड़बड़ी करने के सम्बन्ध में सरकार को सितम्बर, 1971 में कितनी शिकायती-पत्र मिले हैं और पत्रों में अंकित शिकायतों की क्या जांच कराई है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा और दोषी पाये गये अधिकारी को दण्ड दिया गया ?

कृषि मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

माह सितम्बर, 1971 भूमि संरक्षण अधिकारी, कुन्डा (प्रतापगढ़) के विरुद्ध श्रीमती दुलारी देवी का एक दिनांक रहित शिकायती-पत्र उनकी दिनांक 18-9-71 को प्राप्त हुआ था। इस पर विचार कर शासन ने भूमि संरक्षण अधिकारी कुन्डा (प्रतापगढ़) के विरुद्ध लगाये अपराधों के संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराने का निर्देश किया है।

जनपद, गोंडा के कृषि अधिकारी का सेवाकाल

**3—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोन्डा जनपद के जिला कृषि अधिकारी का 58 वर्ष की आयु तक का सेवाकाल अक्तूबर, सन् 1971 में ही समाप्त हो गया है और उन्हें अब तक सरकार द्वारा सेवा प्रसार (एक्सटेंशन) भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो वे उक्त पद पर दिसम्बर, 1971 तक क्यों और कैसे कार्यरत हैं ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

श्री श्याम मनोहर त्रिपाठी, जिला कृषि अधिकारी, गोन्डा की जन्म तिथि 10 अक्तूबर, 1916 है। उनकी आयु अभी 58 वर्ष की नहीं हुयी है। अतः उन्हें सेवा वृद्धि स्वीकार करन का प्रश्न नहीं उठता। राज्य सरकार न उन्हें 58 वर्ष की आयु के पूर्व सेवा-निवृत्त करन के आदेश नहीं दिये हैं।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्याम मनोहर त्रिपाठी गोंडा में कितने वर्षों से हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यह तो प्रश्न नहीं है लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है लगभग दो वर्षों से वहां पर हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या श्याम मनोहर के खिलाफ बहुत सी शिकायतें सरकार के पास आयी हैं ? यदि हां, भी उनकी जांच हुई या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सवाल नहीं है।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी—

क्या शासन को ज्ञात है कि श्री त्रिपाठी जी जिले के कृषि अधिकारी हैं उन्होंने अपनी उम्र को बाद में ठीक करा के अपने सेवा काल को बढ़वा लिया या पहले से ही यही थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप की कल्पना है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

क्या शासन को ज्ञात है कि उनकी जन्मतिथि जो पहले थी उसके बाद में उन्होंने परिवर्तित करा लिया ताकि सेवा काल अधिक मिल जाय ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मुझे तो कोई सूचना नहीं है। आप लिख कर दे देंगे तो पता करा लूंगा।

श्री रियायत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जो जन्मतिथि त्रिपाठी जी की माननीय मंत्री जी ने बतायी वह हाई स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर बतलाई है या कोई और आधार है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जब कोई एम्प्लाईज्वाइन करता है तो सर्विस बुक में इन्दराज रहता है उसी के आधार पर बतलाया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

सर्विस बुक में जो इन्दराज उम्र का है वह सर्टिफिकेट के हिसाब से है या सिविल सर्जन के हिसाब से है या किस हिसाब से है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर दे दिया है कि सर्विस बुक के हिसाब से है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

सर्विस बुक में इन्दराज किस हिसाब से है ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह इनको क्या मालूम।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इसमें हुआ है हेर फेर। या तो मंत्री जी कहें कि वह इसकी छानबीन करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

खुद अपनी उम्र बताना बड़ा मुश्किल काम है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अगर माननीय सदस्य निश्चित रूप से कोई गड़बड़ी की सूचना देंगे तो जांच करा लेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नगरपालिका, कानपुर में 5 वर्ष की अवधि से अधिक रहने वाले इन्जीनियर अधिकारी

*1—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका, कानपुर में कितने इंजीनियर अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें 5 वर्ष से अधिक कानपुर में रहते हो गये और उनके स्थानान्तरण कब-कब हुये और उन्हें कब-कब स्थगित व रद्द किया गया और क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

नगर महापलिका, कानपुर में 1 जुलाई, 1971 तक पालिका केन्द्रीयित सेवाओं के विभिन्न पदों पर ऐसे कुल 110 अधिकारी थे जिन्हें कानपुर में रहते हुये 5 वर्ष से अधिक हो गये थे उनमें से 2 अधिशासी अभियन्ता तथा 7 अन्य अधिकारियों का स्थानान्तरण कानपुर से किया गया था जो प्रशासनिक तथा व्यक्तिगत कारणों से स्थगित किया गया था। अगस्त, 1971 में एक अधिशासी अभियन्ता का फिर स्थानान्तरण कर दिया गया है।

*2—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान अधिशासी अभियन्ता नियोजन, नगरमहापालिका, कानपुर की पदोन्नति किस आधार पर की गई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य —

श्री युधिष्ठिर कुमार रहेजा ज्येष्ठता के आधार पर तदर्थ स्थानापन्न रूप से अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

कानपुर महापालिका के जो यह 110 ऐसे अधिकारी हैं जो वहां 5 साल से लगातार सेवारत ह क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनका स्थानान्तरण वहां से कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य —

जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार स्थानान्तरण किये जाते हैं, इन सेवाओं का केन्द्रीयकरण सन् 66 में हुआ था और उसके बाद अभी उनको केवल 5 साल हुये हैं और वह कोई आवश्यक भी नहीं है, इनमें अल्पवेतन भोगी कर्मचारी भी हैं, जिनका स्थानान्तरण आवश्यक नहीं है जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार स्थानान्तरण किये जाते हैं या किसी की शिकायत पर किये जात ह। अगले वर्ष हम पुनः विचार करेंग कि किन का वहां से हटाना उचित होगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिल देवरिया)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से प्रशासनिक कारण थे और कौन-कौन से वैयक्तिक कारण थ जिनकी वजह से यह रोके गये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

वैयक्तिक तो यह थे कि दो व्यक्तियों का स्थानान्तरण किया गया, उन्होंने मेडिकल छुट्टी ले ली और फिर उनका वहां केवल 2 वर्ष ही सेवा का कार्य काल बाकी था इसलिये उनकी 2 वष क लिय हटाना उचित नहीं समझा गया ।

इलाहाबाद स्थित सिविल लाइन की जमीनों के लिए लीज रिन्यू करने पर विचार

*3—श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में सिविल लाइन्स की जमीनों के लीज रिन्यू करन का मामला कब से विचाराधीन है तथा इस पर कब तक निर्णय लिया जायगा और इससे सरकार को कितने रुपयों की हानि हो रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य —

इलाहाबाद में सिविल लाइन्स की जमीनों के लीज रिन्यू करने का मामला सन् 1968 से शासन क विचाराधीन है। इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का प्रयास किया जा रहा है । निर्णय क पश्चात् समाप्त पट्टों के रिनूवल (renewal) की तारीख से ही अधिशुल्क तथा वार्षिक किराया वसूल किया जायगा । अतः सरकार को हानि होने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के सेनेटरी इन्स्पेक्टरों की सेवा पुस्तिका में वेतन-क्रम में दक्षता रोक पार करने की प्रविष्टि

*4—श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि अगस्त, 1965 ई० में गोरखपुर जिले से कितने सिनीटरी इन्स्पेक्टरों क सेवा पुस्तिक वतन-क्रम में दक्षता पार करन के लिय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के पास भेजी गई और अब तक वापिस नहीं की गई तथा क्यों ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री छांगुर राम—

एक जिले का केवल एक मास का विवरण पूछा गया था अगस्त में यह पूछा गया था 6–7 मास हो गये, आज तक इतनी सी सूचना एकत्रित न हो सकने का कारण क्या है कि वह सूचना नहीं आ सकी ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, यह सन् 65 के सम्बन्ध में सूचना सेनिटरी इन्स्पेक्टर, गोरखपुर के विषय में मांगी गई है, वह ट्रान्सफर हो गये और जिले-जिले से पूछा जा रहा है, आशा है वह जल्द ही आ जायगी ।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह 12 अगस्त को सरकार को भेजा गया था और वह दफ्तर तो कहीं नहीं गया है, रिकार्ड्स को भेजने में जिन अधिकारियों ने देर की उनके विरुद्ध क्या मंत्री जी कोई कदम उठाने की बात सोचेंगे ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

अगर किसी कर्मचारी को इसका दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री छांगुर राम—

यह जो उत्तर आया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है भविष्य के लिये क्या मंत्री जी यह विश्वास दिलायेंगे सदन को कि बिना सूचना एकत्र किये सवाल सदन में न आये, इस तरह से हम अपने सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं और उनके एजेंडे पर आने से भी कोई लाभ नहीं होता ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

एक ऐसा नियम है कि हमें विधान सभा को सूचना देना होता है कि अभी सूचना एकत्रित नहीं हो सकी है और एकत्र की जा रही है । यही नियमानुसार किया गया है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अगस्त, सन् 1965 में सेवा पुस्तिका डायरेक्ट्रेट ने मंगाई और केवल इसलिए मंगायी कि वेतन-क्रम के सिलसिले में दक्षता पार करने वाले कौन-कौन व्यक्ति हैं । तो इसका सम्बन्ध उनके स्थानान्तरण से नहीं है । केवल नामों से है । सन् 1965 से आज तक शासन ने निर्णय क्यों नहीं लिया ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

अभी यही पता नहीं लगा कि सन् 1965 में कौन से सेनीटरी इन्स्पेक्टर थे और कहां पहुंच गये हैं । इसमें देरी हो रही है शीघ्र ही सूचना उपलब्ध की जायेगी ।

विकास खण्ड, घोसी व दोहरीघाट में पेयजल योजनान्तर्गत किसानों द्वारा जमा धनराशि की वापसी

* 5—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1969-70 में आजमगढ़ जनपद के विकास खण्ड घोसी व दोहरीघाट में ग्राम जल पेय योजना के अन्तर्गत कूप निर्माण के अनुदान हेतु किन-किन किसानों ने लागत का 10 प्रतिशत जमा किया था उनमें किन-किन किसानों का अनुदान स्वीकृत हुआ और किन-किन किसानों का अनुदान नहीं स्वीकृत हुआ ? क्या यह भी सही है कि जिन किसानों का उक्त अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ, उनका अभी तक लागत का 10 प्रतिशत जमा किया हुआ पैसा वापस नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

आजमगढ़ जनपद के विकास खंड घोसी व दोहरीघाट में वर्ष 1969–70 में ग्राम पेयजल योजना क अन्तगत किसी भी किसान से अनुदान हेतु लागत का 105 रु० जमा नहीं किया था और न किसी किसान को अनुदान ही स्वीकृत हुआ । अतः किसी किसान को जमा वापस करन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री छांगुर राम—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किसानों का पैसा इसमें गांव सभाओं के द्वारा जमा होता रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी ग्राम सभाओं द्वारा जमा किया गया है और वापिस नहीं किया गया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

ये तीन ग्राम सभायें हैं। उन्होंने जो प्रार्थना-पत्र दिये थे उसमें पहली है विकास खंड घोसी जिसकी पतालीस ग्राम सभाओं से 122 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे नलकूपों के लिये और दूसरा विकास खंड घोसी है वहां के लिये भी 182 नलकूप प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे और तीसरी ग्राम सभा.....

श्री लालसा—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो विकास खंड घोसी और दोहरीघाट के किसानों का पैसा ग्राम सभाओं द्वारा जमा किया गया है वह कितनी ग्राम सभाओं का जमा हुआ है और उन्हें अनुदान भी नहीं दिया गया और पैसा भी वापस नहीं किया गया। मंत्री जी से यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सभी ग्राम सभाओं का जो पैसा जमा किया गया था उनको वापिस कर दिया गया है। केवल ग्राम सभा सूरजपुर का अंशदान सौ रुपये और परसरामपुर है जिसका 106 रुपया वापिस नहीं हुआ है जिसका कारण है कि सूरजपुर के ग्राम सभा के प्रधान ने उप प्रधान को चार्ज नहीं दिया है। परसरामपुर के कागजात सील हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, जैसा कि मैंने सुना है उसके अनुसार किसी भी ग्राम सभा ने दस प्रतिशत जमा नहीं किया इसीलिये वापिस करने का सवाल ही नहीं उठता है। पूरक प्रश्नों के उत्तर में जवाब आया वह विरोधाभास मालूम होता है। इसको स्पष्ट किया जाय।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था उसमें किसानों के लिये किया गया है। व्यक्तिगत किसी किसान का दस प्रतिशत अंशदान का जमा नहीं किया गया था।

श्री छांगुर राम—

मेरी सूचना सही मानकर कि अभी ग्राम सभाओं द्वारा किसानों का पैसा नहीं मिला है इसकी जांच करायेंगे कि वे कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने ये रोक रक्खा है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, कोई भी सूचना होगी तो उसकी जरूर जांच करायेंगे।

गोरखपुर ब्लाक, के गांवों को हैण्ड पम्प व कुओं के लिए अनुदान

*6—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव बेलघाट कौड़ीराम ब्लाक में 1 जनवरी, 1969 से 10 जुलाई, 1971 तक कितने गांव सभाओं में हैन्ड पाइप, कुएं तथा घरेलू उद्योगों के लिये अनुदान एवं पानी पीने की व्यवस्था की गई है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जिला गोरखपुर के ब्लाक बांसगांव की 102 गांव सभाओं, बेलघाट ब्लाक की 87 गांव सभाओं एवं कौडी राम ब्लाक की 49 गांव सभांओं में पानी पीने की व्यवस्था हेतु 1 जनवरी, 1969 से 10 जुलाई 1971 तक हैण्ड पम्प एवं कुओं के लिये अनुदान स्वीकृत किया। घरेलू उद्योग के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया।

हैण्ड पाइप, कुयें एवं घरेलू उद्योगों के लिए प्रार्थना-पत्र

*7—श्रीमती मसाली देवी (अनुपस्थित)—

क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि 1 जनवरी, 1970 से 10 जुलाई, 1971 तक हैन्ड पाइप कुयें एवं घरेलू उद्योगों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र इन विकास खण्डों के विचाराधीन हैं तथा क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इन विकास खंडों में प्रश्नगत अवधि के कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है।

*8—श्री नौनिहाल सिंह—

[विस्तृत होने के कारण निरस्त]

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्तर्गत आयोजनेतर पदों का स्थायीकरण

*9—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तथा उसके अधीन कार्यालय में ऐसे आयोजनेतर पद हैं जो पिछले दस वर्षों से अधिक समय से अस्थायी चले आ रहे हैं ? क्या सरकार उन सारे पदों को जो तीन वर्ष से अधिक समय से विद्यमान हैं स्थायी किये जाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जी हां। शासन की वर्तमान नीति के अनुरूप तीन वर्ष से अधिक समय से विद्यमान आयोजनेतर अस्थायी पदों के 66 प्रतिशत को स्थायी करने के संबंध में प्रतिवर्ष कारवाई की जाती है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह से अस्थाई काम कर रहे लोगों की संख्या कितनी है और अब तक कितने स्थाई किये जा चुके हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

डाइरेक्टोरेट में जो काम कर रहे हैं, उनकी संख्या 37 है और उसके अधीन कार्यालय में जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या 124 है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

संख्या कितनी है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

संख्या बतला तो दी गयी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया है कि जो अस्थायी कर्मचारी 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनका स्थायीकरण कर रही है। इसका आधार क्या है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

जिनकी सेवा 3 वर्ष से अधिक की होती है, उनमें से 66 प्रतिशत को प्रतिवर्ष स्थायी करने का आधार है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

66 प्रतिशत ही क्यों लेते हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

जिनकी सेवा 3 वर्ष से अधिक होती है, प्रायः उन्हीं को लेते हैं।

जिला परिषद्, गोरखपुर की जीप पर तांबे के तार की बरामदगी की गुतचर विभाग द्वारा जांच

*10--श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)--

दिनांक 6 सितम्बर, 1971 को जिला परिषद् की जीप पर तांबे का तार लदा हुआ गौरी बाजार, थाना देवरिया के पुलिस कप्तान देवरिया ने पकड़ा, जिसमें ड्राइवर ने बयान दिया कि इस प्रकार इस जीप का जिसका नं० बी० एस० बी० 3314 है लगातार यह कार्य करती है तथा पिछले 2 माह से टैक्सी में चलती है ? यदि हां, तो अध्यक्ष जिला परिषद् अर्थात् जिलाधीश, गोरखपुर एवं कार्याधिकारी जिला परिषद् के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

संबंधित कार्याधिकारी जिला परिषद्, गोरखपुर का स्थानान्तरण जिला परिषद् बस्ती कर दिया गया है।

मामले को आगे जांच के लिये गुप्तचर विभाग को सौंप दिया गया है। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री रामकरन सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 6 नवम्बर को जो जीप पकड़ी गयी, उसमें संबंधित अधिकारी और ड्राइवर के बयान हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

इसका नहीं पता चल सका।

श्री रामधारी शास्त्री--

देवरिया के कप्तान ने जिस अधिकारी को जीप में पकड़ा था, उस अधिकारी को निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर निश्चय यह किया गया है कि सी० आई० डी० द्वारा जांच करायी जाय और फिर उचित कार्यवाही की जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

सदन में पिछले सत्र में यह सवाल उठा था और सरकार से मांग की गई थी कि क्या सरकार किसी उच्च अधिकारी को वहां भेजकर जांच करायेगी। उत्तर यह दिया गया था कि जिलाधीश इस मामले की जांच करा रहे हैं और जो मुनासिब कार्यवाही होगी, की जायगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिलाधीश ने कोई जांच की और जांच की तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर पिछले सत्र में यह प्रश्न उठाया गया था। उत्तर में यह कहा गया था कि हम उसकी जांच करा रहे हैं। तो जिलाधीश ने उस समय जो रिपोर्ट हमको दी उसमें उन्होंने कहा कि यह जीप यहां पकड़ी गई है, उसका नम्बर यह है। बाद में पता चला कि वह जीप जिला परिषद् गोरखपुर की है। हमने यह समझकर कि इस मामले में पूरी छानबीन हो जाय, इसलिये यह मामला गुप्तचर विभाग को उसी माह सौंप दिया। अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई। हमने उनसे पूछ रखा है कि वह रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सरकार के पास भेज दें जिससे आगे कार्यवाही की जाय। इस बीच उस कार्याधिकारी को वहां से दूसरे जिले को बदल दिया गया है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

गत सत्र में भी मंत्री जी ने यही उत्तर दिया था। मान्यवर, वहां दो जीप हैं एक तो कलेक्टर, गोरखपुर के पास और दूसरी कार्याधिकारी के पास। जब यह जीप पकड़ी गई तो मालूम हुआ कि यह कार्याधिकारी की थी। जब यह स्पष्ट हो गया तो उस कार्याधिकारी को निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, निलम्बन तो तभी होगा जब यह स्पष्ट हो जायेगा कि कार्याधिकारी की वजह से यह जीप वहां गई और जैसा माननीय सदस्य बताते हैं, उन्होंने तांबे का तार लेकर उसका अवैध व्यापार किया। जब यह साबित हो जायेगा तभी निलम्बन का प्रश्न उठता है। उनका निलम्बन कैसे किया जा सकता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि कार्याधिकारी का ट्रांस्फर गोरखपुर से बस्ती कर दिया गया है। क्या यह ट्रांस्फर इतने पास इस नियत से किया गया है कि वह सहादत को टेम्पर कर सके और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सके ? यह ट्रांस्फर दूर क्यों नहीं किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जिस कार्याधिकारी को गोरखपुर से बस्ती स्थानान्तरित किया गया है, उसके बच्चे वहां पढ़ रहे थे गोरखपुर में। इस बात को देखते हुये कि बच्चों की एजूकेशन खराब न हो और यह गोरखपुर में न रह सके, इस कारण से उसको बस्ती किया था।

(व्यवधान)

श्री राम करन सिंह—

माननीय, मंत्री के उत्तर से संबंधित। मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी से यह स्पष्ट जानना चाहूंगा कि जीप 6-9-1971 को पकड़ी गई। जब यह जीप पकड़ी गई तो यह स्वाभाविक है कि उसका चालक भी पकड़ा गया होगा और उस ड्राइवर का बयान भी हुआ होगा। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि उस ड्राइवर का बयान क्या है ? आज 3 महीने हो गये, क्यों नहीं ड्राइवर का बयान बताया गया ? गुप्तचर विभाग जांच कर रहा है यह दूसरी बात है, उस ड्राइवर का बयान क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

अभी मेरे पास ड्राइवर का बयान उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट अभी तक वहां से नहीं आई। रिपोर्ट के आने पर पता चलेगा कि ड्राइवर का बयान क्या था? अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उस समय उन्हें ड्राइवर के बयान से अवगत करा दिया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, इस प्रश्न के महत्व को देखते हुये और इस बात से आप इंनकार नहीं करेंगे कि इसमें शासन की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है, क्या माननीय मंत्रीजी इसको उचित समझेंगे कि क्योंकि इसमें एक उच्च अधिकारी इन्वोल्व्ड है, इसकी जांच सी० बी० आई० के सुपुर्द कर देंगे? सी० बी० आई० एक केन्द्रीय ऐजेन्सी है और इसमें प्रदेश का एक अधिकारी इन्वोल्व्ड है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, सी० आई० डी० की रिपोर्ट मिलने के बाद ही अगर उसमें यह गुंजायश होगी तो उस पर दूसरी जांच बैठाने का प्रश्न होगा। अभी तक सी०आ ०डी० की ही रिपोर्ट नहीं मिली है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, डी० एम० की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वह जीप जिला परिषद् के उस अधिकारी की थी और यह नेग्लीजेन्स हो गई। उस रिपोर्ट के आधार पर ही क्या उस अधिकारी का निलम्बन करेंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया कि जब तक पूरी रिपोर्ट शासन के सामने आ नहीं जाती है उस समय तक ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगर रिपोर्ट आ जाती है और उसमें यह बात पाई जाती है तब उनका निश्चित रूप से निलम्बन कर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको रिपोर्ट जल्दी ही मंगवानी चाहिये। माननीय सदस्य इस प्रश्न पर एक बार चर्चा कर चुके हैं?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं इस प्रकार का विलम्ब जानबूझ कर ही किया जा रहा है। क्या वह इसकी जांच के लिये 10 वर्ष का अवसर चाहते हैं? मैं उपाध्यक्ष जी आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आज भी सरकार उसका स्पष्ट उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि इसको जल्दी ही मंगवायें।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैं जल्दी से जल्दी इस प्रयास में हूं कि रिपोर्ट आ जाय और इसकी मैं कोशिश कर रहा हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सेक्रेटरी जिला परिषद् का ट्रांस्फर किया गया। उसके बाद जो ए० डी० एम० (पी०) थे उनका भी ट्रांस्फर किया गया और उनके स्थान पर दूसरे आफिसर गोरखपुर में पहुंच गये हैं और उस ए० डी० एम० को वहीं पर रोक दिया गया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इसकी मुझको जानकारी नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

वह जीप जिला परिषद् की है या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जो उत्तर उन्होंने दिया है वही 4 माह पूर्व भी दिया था। माननीय सदस्य इस प्रश्न में अधिक दिलचस्पी रखते हैं और वह एक गम्भीर मामला है। किन कारणों से इस में इतना अधिक विलम्ब हो रहा है क्या इसको बताने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, सी० आई० डी० को जब कोई मामला दिया जाता है तो उसमें हर तरीके से जांच की जाती है और उसमें कुछ टाइम भी लग जाता है। हम अपनी ओर से बराबर उनको स्मरण कराते रहते हैं कि जल्दी ही रिपोर्ट आनी चाहिये। अगर उसकी पूरी जांच नहीं हो पायगी और जल्दी रिपोर्ट आयगी तो उससे हमारा काम नहीं चल पायेगा। यही कारण है कि इसमें इतना विलम्ब हुआ है। रिपोर्ट के प्राप्त होते ही हम इसकी कार्यवाही तुरन्त ही कर देंगे।

श्री रामधारी शास्त्री--

यह कार्याधिकारी गोरखपुर में पहले लगातार 10 वर्षों तक बस्ती में रह चुका है। वह एक भूतपूर्व पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का दामाद भी है। तो क्या उसमें जो विलम्ब किया जा रहा है वह पूरे तथ्यों को दबाने की नियत से किया जा रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह ठीक है कि वह अधिकारी बस्ती में रहा है। उसके बच्चों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुये यह किया गया है और परीक्षाओं के बाद ही उसका स्थानान्तरण अन्यत्र स्थान में कर दिया जायगा। उनको वहीं रखा गया है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं यह प्रश्न करना चाहता था कि अभी मंत्री जी ने कहा मैं समझता हूं कि सरकार की नीति ऐसी है कि किसी भी सरकारी अधिकारी का एजूकेशन सेशन के बीच में ट्रांस्फर नहीं होगा यदि उसके बाल बच्चे किसी विद्यालय में पढ़ते हैं। अगर राजनैतिक कारणों से हो गया है वह कैंसिल किया जायगा। इसलिये कृपया सरकार की नीति स्पष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं यह कह रहा हूं कि ट्रांस्फर के बारे में मंत्री जी ने जवाब दिया है कि यह सुविधा प्रदान की गई है कि उनके बाल बच्चे पढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं कहना है। हम यह जानना चाहते थे कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ? किसी अधिकारी का ट्रांस्फर यदि उसके बाल बच्चे कहीं पढ़ते हैं तो एजूकेशन सैशन में दूसरी जगह नहीं होगा। अगर किसी राजनैतिक कारण से या दूसरे कारण से हो गया है तो इस सिद्धान्त को मानते हुये उसका ट्रांस्फर कैंसिल कर दिया जायगा ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मायवर, साधारणतः नीति यह है कि शिक्षा सत्र में यदि चलता है तो यथा सम्भव तबादला न किया जाय किसी अधिकारी का लेकिन यदि कोई प्रशासनिक कारण उत्पन्न होता है या किसी वजह से कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो उसके लिय ट्रांसफर किया जाता है अन्यथा ट्रांसफर मई जून में ही किया जाय। यह साधारणतः नीति है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, क्या इस सम्बन्ध में कोई इन्टरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बलदेव सिह आर्य--

मान्यवर, कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

श्री रामधारी शास्त्री--

श्रीमन्, कृपा कर प्रश्न को टाल दें इसी सत्र में किसी अन्य दिन के लिये। श्रीमन्, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

नोटिस आया है आधे घंट की चर्चा का। उसे देखा जायगा।

श्री शिवकुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, साधारण नियम यह है कि जिस तरफ आपकी निगाह जाय कोई मेम्बर अगर खड़ा हो तो उसे बोलने की इजाजत दी जाय।

लोक सेवा आयोग द्वारा भूमि संरक्षण निरीक्षकों की नियुक्ति

*11--सर्वश्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया), कृष्णस्वरूप वैद्य, राम प्यारे शुक्ला, (जिला सुल्तानपुर), राम वचन यादव, (जिला आजमगढ़), श्री ब्रजनाथ तथा सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, प्रयाग द्वारा सन् 1968 ई0 के जून-जुलाई, में भूमि-संरक्षण निरीक्षकों का जो चयन हुआ था एवं कृषि विभाग को चुने हुए व्यक्तियों की जो सूची दिसम्बर, 1968 ई0 में उपलब्ध कराई गई थी वह रद्द कर दी गई है, और भूमि-संरक्षण विभाग में मनमानी ढंग से उक्त सूची के रहते हुए अनियमित नियुक्तियां हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त आयोग द्वारा कितने व्यक्तियों की नियुक्तियां भूमि-संरक्षण निरीक्षक पद पर हो चुकी हैं, और अब कितने शेष रह गये हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

वर्ष 1968 में भूमि संरक्षण निरीक्षकों के पदों के लिये आयोग द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों की सूची रद्द नहीं की गई है। भूमि संरक्षण विभाग में मनमाने ढंग से अनियमित नियुक्तियां भी नहीं की गई है। आयोग से प्राप्त सूची में से 153 व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई है शेष 22 व्यक्ति वह लोग हैं जिन्होंने आयोग को चयन के समय अपने सभी प्रमाण-पत्र नहीं दिखाए थे। अतः आयोग ने उन्हें इस अनुबन्ध के साथ अनुमोदित किया था कि नियुक्त करने के पूर्व उनके सभी मूल प्रमाण-पत्र अवश्य देख लिए जाएं। उनमें से 4 अभ्यर्थियों ने अपने प्रमाण-पत्र दिखाए हैं और उनकी नियुक्ति के लिए कृषि निदेशक को शासन द्वारा आदेश दे दिए गये हैं।

चूंकि निदेशालय स्तर पर इस मामले में नियमित रूप से कार्यवाही नहीं की गई इसलिये शासन द्वारा कृषि निदेशक को यह आदेश दे दिये गये हैं कि वह बाकी 18 अभ्यर्थियों

को फिर से पत्र लिखें और उनमें से जो लोग अपने प्रमाण-पत्र दिखाते हैं उनको उक्त पद पर नियुक्त किया जाय ।

इस मामले में हुई अनियमितता एवं विलम्ब के लिये निदेशालय के दो सहायकों को निलम्बित कर दिया गया है तथा आवश्यक छानबीन की जा रही है ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् 68 से 71 के बीच कब-कब इन 22 व्यक्तियों को नोटिस दी गई और रजिस्टर्ड दी गयी या किस तरह से दी गई ? और दूसरे यह कि जो चार आदमी रह गये हैं वे कौन-कौन हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

नोटिस देने का जहां तक प्रश्न है, 18 फरवरी, 1969 को पहली नोटिस दी गयी, दूसरी नोटिस पहली जून, 1969 को दी गयी । ये आर्डीनरी थीं । इसके बाद तीसरी नोटिस 31 जुलाई को रजिस्टर्ड दी गयी । चार नाम की जो बात है, वे चार नाम हैं—नोखे सिंह, अमरनाथ प्रसाद लाल, रामरूप सिंह और राधे श्याम कटियार ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग ने इन 22 लोगों के बारे में जिन्होंने प्रमाण-पत्र पेश नहीं किये थे, किस तारीख को आपको यह सूचना दी कि इन लोगों ने प्रमाण-पत्र पेश नहीं किये और पेश करें तो इन्हें नियुक्त किया जाय ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

तीनों जो पत्र दिये गए हैं उन्हीं में उनको सूचित किया गया कि मूल प्रमाण-पत्र दिखा दें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मेरा प्रश्न यह नहीं था । मैंने यह पूछा कि किस तिथि को लोक सेवा आयोग ने यह सूचना दी कि इन लोगों ने प्रमाण-पत्र पेश नहीं किये हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

लोक सेवा आयोग से सारी लिस्ट 11 दिसम्बर, 1968 को आ गयी थी ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि चार वर्ष तक जानबूझकर कर्मचारियों द्वारा यह लिस्ट छिपाई गई और जाब्ते से उन्हें नोटिस नहीं दिया गया और इसलिए नहीं दिया गया कि गलत ढंग से पैसा लेकर एडहाक नियुक्ति का नाम लेते थे ? और यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही तत्काल करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो उन्होंने कहा कि दो को मुअत्तल किया है ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

उसमें और भी लोगों का हाथ है । उसमें जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

एडहाक एप्वाइन्टमेन्ट तो कुछ हुआ नहीं । इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की थी एप्वाइन्टमेन्ट करने में । उसकी छानबीन की गयी और दो कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया । जो

अधिकारी उस समय थे वह अब उस पद पर हैं नहीं। जितनी कार्यवाही संभव थी वह करती गयी है।

इन चार एप्वाइंटमेन्ट्स के लिए कार्यवाही हो रही है। उनको एप्वाइन्टमेन्ट दिया जायगा। बाकी जो 18 बचे हैं उनको फिर चिट्ठी जायेगी कि मूल प्रमाण-पत्र दिखा दें। अगर समय के अन्दर दिखा देते हैं तो नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

कृषि-विभाग द्वारा दवा के साथ कपड़े की बोरी में धान के बीज का विक्रय

*12—सर्वश्री शम्भूनाथ चौधरी, चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) तथा सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार बतायेगी कि इस वर्ष (1971-72) में धान का बीज दवा के साथ कपड़े के थैलों में कृषि विभाग द्वारा बेचा जा रहा है जिससे गत वर्ष की अपेक्षा, धान के बीजों के भाव में फी क्विन्टल काफी अन्तर पड़ रहा है? यदि हां, तो कितना और सरकार ने ऐसी व्यवस्था पर व्यय करने के लिये प्रत्येक कमिश्नरी को कितनी धनराशि दी है?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जी हां। बीज अधिनियम, 1966 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु कृषि विभाग ने धान की अभिसूचित जातियों के बीजों को प्रोसेसिंग, शोधन तथा बीज परीक्षण के पश्चात् कपड़े/बोरे की थैलियों में वर्ष 1970-71 से बांटने की व्यवस्था की। इसी प्रकार अधिसूचित जातियों के बीच तराई विकास निगम, पन्तनगर तथा राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली भी बांटते हैं। इससे बीज की विक्रय दर में 15 रु0 से 26 रु0 प्रति कुन्तल का अन्तर आता है।

इस व्यवस्था के लिए अलग से कोई धनराशि विभिन्न थैलों को आबंटित नहीं की गई क्योंकि यह खर्चा भी बीज व बोरा की कीमत में सम्मिलित रहता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो कपड़ा बोरे बनाने में खर्च हो रहा है उसकी लागत क्या है और क्या यह सही है कि कपड़े की लागत से जो भाव बढ़ जायेगा वह अधिक है?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

यह तो जवाब में ही बता दिया है। 15 रु० लेकर 26 रु० तक प्रति क्विन्टल दाम बढ़ जाता है। यह दाम कपड़े के बोरे की वजह से बढ़ जाता है और यह काश्तकार से ले लिया जाता है। इसका अलग से कोई प्राविधान नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

बीज का दाम 15 रु0 प्रति क्विन्टल बढ़ रहा है जबकि कपड़े की कीमत 3 रु0 से अधिक नहीं है। कपड़ा सरकार लगाये और बीज का दाम 15-16 रु0 अधिक ले। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कपड़े की लागत क्या है और 1 क्विन्टल बीज का बोरा तैयार करने में कितना कपड़ा लगता है?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

कपड़े की लागत की वजह से बीज का दाम नहीं बढ़ रहा है। कपड़े की जो लागत आती है उसको और जोड़ दिया जाता है। कपड़े के थैले का जो दाम है सिर्फ उतना ही लिया जाता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

तो क्या हम यह मान लें कि कपड़े की कीमत 15 रु0 से 26 रु0 तक है ? जो कपड़ा ये दे रहे हैं उसकी कीमत 4-5 रु0 से अधिक नहीं आ सकती। आप जो कहते हैं तो यह मान लिया जाय कि कपड़े की कीमत 15 रु0 से 26 रु0 तक है। हमारी यह सूचना है कि कपड़े की कीमत हर्गिज 5 रु0 से अधिक नहीं हो सकती है। ऐसी सूरत में किसानों से उतना ही दाम लें जितनी कि कपड़े की कीमत आती है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो जवाब दे दिया।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

कपड़े का जितना मूल्य है उतना ही लिया जाता है। अगर कोई शिकायत हो जहां अधिक दाम लिया गया हो तो बता दीजिए, दिखवा लेंगे।

श्री मोहम्मदअसरार अहमद--

इस कपड़े का मूल्य उन्होंने कितना तय कर रखा है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

इस सिलसिले में मान्यवर, हर मण्डल में आदेश दे दिए गए हैं कि कपड़े के बोरे बनवा लें। मण्डलों में अधिकारी कपड़ा कोटेशन व टेंडर के द्वारा खरीदते हैं। इसलिए उसके दाम भिन्न-भिन्न रहते हैं। जैसा वे कपड़ा खरीदेंगे वैसा ही दाम रहेगा।

श्री शिवकुमार पांडेय--

मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर कपड़े के थैले न बनाए जाएं और बीज वैसे ही दिया जाय तो क्या बीज पर असर पड़ेगा ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

बीज का शोधन किया जाता है और दवाएं छिड़क कर उसको भिगो दिया जाता है। अगर बोरे में बीज न दें तो बीज पर असर पड़ सकता है। इसलिए उसको कपड़े के बोरे में रख कर दिया जाता है।

जिला नियोजन अधिकारी बरेली के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*13--श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 31 मार्च, 1971 को जिला नियोजन अधिकारी, बरेली के द्वारा 18 हजार रुपये किसी को भुगतान किया गया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी को 2 माह पहले कार्य अधिकारी जिला परिषद्, बरेली ने शिकायती-पत्र भेजा था कि यह भुगतान उचित नहीं हुआ ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जिला नियोजन अधिकारी, बरेली ने दिनांक 31 मार्च, 1971 को न तो इस प्रकार का कोई भुगतान ही किया और न कार्याधिकारी, जिला परिषद्, बरेली का इस संबंध में जिलाधिकारी को कोई शिकायती-पत्र ही प्राप्त हुआ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

जो उत्तर उन्होंने दिया है उसके संबंध में एक प्रश्न करना चाहता हूं और वह यह है कि जिला परिषद् के कार्याधिकारी ए० डी० एम० (पी०) के मातहत होते हैं। इसलिए उन पर प्रेशर डाल कर ऐसा उत्तर दे दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी इसकी जांच किसी और उचित माध्यम से करायेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिलाधिकारी द्वारा इसकी जांच कराई गई थी और जिलाधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है वह यह है कि कोई शिकायती-पत्र नहीं दिया गया था।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इसकी जांच जिलाधीश से कराई गई थी और उसमें प्रेशर का कोई सवाल नहीं उठता है। अब तो जिला परिषद् भंग हो गई है और जिलाधीश ही इसके अध्यक्ष हैं। सारे के सारे भुगतान और बेईमानी में वही शरीक होते हैं। तो इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए क्या मंत्री जी इस गबन की जांच किसी और एजेन्सी के द्वारा करायेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

गबन तो हुआ नहीं है, किस बात की जांच कराएंगे।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

बेईमानी हुई है।

श्री रामधारी शास्त्री—

वहां 31 मार्च, 1971 को 18,000 रु० का कोई पेमेन्ट हुआ था या नहीं और अगर हुआ था तो किस को हुआ था ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

21 तारीख को 18 हजार का कोई पेमेन्ट नहीं हुआ।

जिला फैजाबाद के मिल्कीपुर विकास खंड में उर्वरक वितरण

*14—श्री सच्चिदानन्द एवं श्री श्रीकृष्ण वाजपेयी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले के अन्तर्गत विकास खण्ड मिल्कीपुर में वर्ष 1969-70 में डिमान्सट्रेशन का उर्वरक वितरित किया गया या नहीं ? उक्त उर्वरक विकास खण्ड कार्यालय में अंकित है या सीड स्टोर में ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। डिमान्स्ट्रेशन का उर्वरक वितरित किया गया। उक्त उर्वरक खण्ड विकास अधिकारी के आदेश से सीड स्टोर के अभिलेखों में अंकित है।

*15—श्री सच्चिदानन्द तथा श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त उर्वरक विकास खण्ड के ग्राम सेवकों के माध्यम से वितरित की गई या खण्ड विकास अधिकारी ने सीधे किसानों में वितरित किया ?

डाक्टर सीताराम—

उक्त उर्वरक ग्राम सेवकों के माध्यम से वितरित किया गया।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बोरिंग मैकेनिक तथा गोताखोरों का वेतन-क्रम

*16—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बोरिंग मैकेनिक, सहायक बोरिंग मैकनिक तथा गोताखोरों के वेतन-क्रम क्रमशः क्या-क्या हैं ? और क्या सरकार इन श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों पर विचार करने के लिए वेतन आयोग के सम्मुख प्रस्तुत करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

बोरिंग मैकेनिक, सहायक बोरिंग मेकेनिक तथा गोताखोरों के वेतन-क्रम निम्न प्रकार हैं :—

1—बोरिंग मेकेनिक रु० 100-4-120-द०रो०-4-140-द०रो०-4-160 ।

2—सहायक बोरिंग मेकेनिक रु० 80-3-95-द०रो०-3-110-द०रो०-3-125-द०रो०-3-140।

3—गोताखोर रु० 80-3-95-द०रो०-3-110-द०रो०-3-125-द० रो०-3-140।

लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सभी पदों के वेतन-क्रमों का विषय वेतन आयोग के विचाराधीन है।

मिर्जापुर के विकास, खण्ड मझवा में किसानों को निजी पम्पिंग सेट हेतु ऋण

*17—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मझवा विकास खण्ड में सन् 1969 से जून, 1971 तक कितने तथा किन काश्तकारों को निजी पंपिंग सेट लगाने के लिये ऋण दिया गया ? और क्या यह सही है कि कुछ ऐसे काश्तकार भी हैं जिन्होंने ऋण लेकर पंपिंग सेट न लगा कर धन का दुरुपयोग किया है ?

डाक्टर सीताराम—

मिर्जापुर जनपद के विकास खण्ड मझवा में वर्ष 1969 से जून 71 तक 177 कृषकों को निजी पंपिंग सेट लगाने हेतु ऋण दिया गया जिसकी पृथकवार सूची* संलग्न है। उक्त कृषकों में से 19 कृषकों ने प्राप्त ऋण का उपयोग नहीं किया।

जनपद, मिर्जापुर के ग्राम-सेवकों का वेतन

*18—श्री रामनिहोर राय—

क्या सामुदायिक विकास-मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के कितने ग्राम सेवकों व बोरिंग मेकेनिकों को इधर 5 माह से वेतन नहीं दिया गया इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

मिर्जापुर जनपद के किसी भी विकास खण्ड में इधर 5 माह से किसी भी बोरिंग मेकेनिक का वेतन अवशेष नहीं है। 6 ग्राम सेवकों का वेतन स्थानान्तरण अथवा अवकाश के कारण नहीं दिया जा सका है।

---

*छापी नही गयी ।

जनपद आजमगढ़ में अनुसूचित जाति के पंचायत मंत्री

*19--श्री लालसा तथा श्री छांगुर राम--

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ में पंचायत मंत्रियों की कुल संख्या क्या है और उनमें अनुसूचित जाति के पंचायत मंत्रियों की संख्या व प्रतिशत क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

आजमगढ़ जनपद में कुल पंचायत मंत्रियों की संख्या 361 है। इनमें अनुसूचित जाति के पंचायत मंत्रियों की संख्या 19 है जो कुल पंचायत मंत्रियों की संख्या का 5 प्रतिशत है।

*20--श्री लालसा तथा श्री छांगुर राम--

क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 में जिला आजमगढ़ में कुल कितने नये पंचायत मंत्रियों की भर्ती की गई ? उनमें अनुसूचित जाति के कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र दिया था ? क्या मंत्री जी इस चुनाव में भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के पंचायत मंत्रियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह भी सही है कि उक्त भर्ती में शासन के आदेश संख्या 65-3-69 रा० एकी० (एम० आर०-१३), दिनांक ९ जून, १९६९ के विपरीत भर्ती की गई है? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

वर्ष 1970-71 में आजमगढ़ जनपद में कुल 23 नये पंचायत मंत्रियों की भर्ती की गयी। कुल 60 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र दिया था। भर्ती किये गये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है। पंचायत मंत्री पद में उम्मीदवारों का चयन और नियुक्तियां पंचायत राज नियमावली की अनुसूची 6 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार की जाती रही है। इस प्रश्न में उल्लिखित शासन के आदेश संख्या 65-3-69/रा0 एकी0 (एम0 आर0-13) दिनांक 9 जून, 1969 के विपरित भर्ती किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 454 पर)

नगरपालिका व नगर महापालिका में पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति का प्रतिशत

*21--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वायत्त शासन विभाग में पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जातियों के लिये दिसम्बर, 1970 तथा जनवरी, 1971 में तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री ने निर्णय लिया था कि राज्याधीन एवं नगरमहापालिका तथा नगरपालिका आदि की सेवा में 60 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये जाएं। यदि हां, तो उक्त आदेश क्या है और उसकी प्रतिलिपियां क्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

प्रश्न विचाराधीन है।

खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर द्वारा सरकारी ऋण का न दिया जाना

*22—श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर), आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री को मालूम है कि बी० डी० ओ० ब्लाक, फतेहपुर, बाराबंकी ने श्री ब्रह्मदत्त, ग्राम मेहसी मुडेरी का कुंआ, बोरिंग व रहट बनाने का कारण दिखला कर, बिना उपरोक्त कार्यों के हुए ही उनकी पूर्ति का प्रमाण-पत्र लगाकर पिछले वर्ष सरकारी कर्जे का भुगतान करवाकर जनता के धन का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त बी० डी० ओ० के विरुद्ध तत्काल क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कोई भी सरकारी खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर द्वारा श्री ब्रह्मदत्त, ग्राम महसी मुडेरी को कूप, बोरिंग व रहट बनवाने हेतु नहीं दिया गया है। अतः सरकारी धन का दुरुपयोग तथा खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ के बीज भंडारों में धान के बीज की दर

*23—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के कृषि बीज भण्डारों में 1970 तथा 1971 में धान आई० आर० 8 का बीज कृषकों को एक रुपया 30 पैसा प्रति किलो की दर से दिया गया है जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में कृषि बीज भण्डारों पर 72 नया पैसा प्रति किलो के रेट से बेचा गया है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार इस पर क्या कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

प्रतापगढ़ जनपद के कृषि बीज भण्डारों से वर्ष 1970 तथा 1971 में धान आई० आर० 8 का बीज क्रमशः रु० 0.86 तथा रु० 1.30 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। प्रदेश के अन्य जिलों में वर्ष 1971 में यह बीज रु० 1.00 से रु० 1.18 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया न कि 72 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से। प्रतापगढ़ जनपद में वर्ष 1971 में इस बीज की दर में वृद्धि का मुख्य कारण यह बताया गया है कि इसी बीज की विक्रय दर तराई विकास निगम, पन्तनगर के अधिकृत बीज विक्रेताओं के यहां रु० 1.25 प्रति किलोग्राम थी। वृद्धि का अन्य कारण बीज को कपड़े की थैलियों में दर कर बेचना भी है।

नैनीताल के ग्राम चापड़ में पेय-जल योजना

*24—श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़) तथा श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल जिले के ग्राम चापड़ में पेय जल की योजना कार्यान्वित हुई है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में ग्राम सभा के नाम पर कितने व्यक्तियों ने अपने घरों में नल लगाये हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। ग्राम सभा के नाम पर किसी व्यक्ति ने अपने घर में नल नहीं लगाया है।

*25—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री भाभी यादव—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

भुवाली सेनीटोरियम की परामर्शदात्री समिति की बैठकें

*26—श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि भुवाली सेनीटोरियम की वर्तमान परामर्शदात्री समिति की बैठकें गत दो वर्षों में कब-कब हुई ? यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भुवाली सेनीटोरियम परामर्शदात्री समिति की बैठक गत दो वर्षों में नहीं हुई। सेनीटोरियम के ज्येष्ठतम चिकित्साधिकारी, जो कि समिति के सचिव हैं, से कहा जा रहा है कि मीटिंग सरकारी आदेशानुसार होनी चाहिए ।

लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत बरसाती पानी सीवर योजना

*27—श्री श्यामलाल कनौजिया—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि लखनऊ नगरमहापालिका के अन्तर्गत आलमबाग एरिया के चित्र गुप्त नगर के पानी के निकास के लिये एवं नाला निर्माण हेतु कोई धनराशि शासन ने स्वीकृत की है ? यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है और पानी निकासी के लिये नाले का निर्माण कब से आरम्भ किया जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

लखनऊ नगर महापालिका ने आलमबाग बरसाती पानी सीवर योजना बनाई थी, जिसकी अनुमानित लागत 7.50 लाख रु० थी। इस योजना के कार्यान्वियन हेतु केवल 3.00 लाख रुपये का ऋण नगर महापालिका को 29 जून, 1971 को दिया गया था। इस योजना के प्रथम चरण में केवल टेढ़ी पुलिया से रेलवे पुलिया 797 तक सीवर डालने का प्रस्ताव है ।

माननीय सदस्य का तात्पर्य कदाचित् आलमबाग क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर से है। महापालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत चित्रगुप्त नगर को तुरन्त लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है।

बरेली तथा मेरठ डिवीजन में आयुर्वेदिक व एलोपैथिक अस्पताल

*28—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1971-72 में बरेली तथा मेरठ डिवीजन में किन-किन स्थानों पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी अस्पताल खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस वर्ष एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी अस्पताल स्वीकृत किये जा चुके हैं। बरेली तथा मेरठ डिवीजन की सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 455 पर)

*29—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार अस्पताल खोलते समय ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की कृपा करेगी जो शहरों तथा अन्य अस्पतालों से दूर हैं और भौगोलिक दृष्टि से भी नदियों वगैरा से घिरे हुये हैं और वहां कोई चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

औषधालयों के स्थापनार्थ स्थानों का चयन करते समय इन सब बातों पर ध्यान जाता है ।

शोहरतगढ़, जिला बस्ती में जनाना अस्पताल के लिए भवन निर्माण

*30—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के शोहरतगढ़ कस्बे में कोई जानाना अस्पताल खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां भवन का निर्माण कराया जा रहा है । इस निर्माण कार्य के पूरा हो जाने के उपरान्त ही महिला अस्पताल की स्थापना सम्भव हो सकेगी ।

गोंडा नगरपालिका पर सरकार का बकाया

*31—श्री त्रिवेणी सहाय (गोंडा)—

क्या सरकार को पता है कि गोंडा नगरपालिका पर सरकार का लगभग 20 लाख रुपया बकाया है ? यदि हां तो सरकार क्या उक्त नगरपालिका को जब्त करने पर विचार कर रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

नगरपालिका, गोंडा पर सरकार का 31-3-61 को रुपये 10,76,000.00 मूलधन के रूप में और रु० 5,43,359.17 साधारण ब्याज के रूप में बकाया था। इस प्रकार कुल रु० 16,19,359.17 बकाया था । नगरपालिका को जब्त करने का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

महमूदाबाद, जिला सीतापुर के राजकीय महिला अस्पताल का स्टाफ तथा औषधि बजट

*32—श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के कस्बे महमूदाबाद में जो एक राजकीय महिला चिकित्सालय है उसमें 1969-70 वर्ष में कितने रोगी आये तथा कितनी औषधियों का बजट है और कितना स्टाफ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

औषधियों का बजट 5,500 रु० है । अस्पताल में स्टाफ का विवरण इस प्रकार है :—

चिकित्साधिकारी	.. 1
स्टाफ नर्स	.. 2
वार्ड आया	.. 4
कम्पाउन्डर	.. 1
स्वीपर्स	.. 4
चौकीदार	.. 1
माली	.. 1
भिश्ती	.. 1
कुक	.. 1
कहार	.. 1

महमूदाबाद, जिला सीतापुर का पुरुष चिकित्सालय

*33—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त—

स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के कस्बा महमूदाबाद में एक जिला परिषद् का पुरुष चिकित्सालय है जिसकी हालत सोचनीय है ? कस्बा महमूदाबाद की जन-संख्या सोलह हजार होते हुये इस जिला परिषद् के पुरुष चिकित्सालय को क्या सरकार अपने द्वारा चलाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। जिला सीतापुर के कस्बा महमूदाबाद में जिला परिषद् का पुरुष चिकित्सालय है। इसकी सोचननीय दशा की सूचना सरकार को नहीं है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि यदि जिला परिषद् प्रान्तीयकरण के लिये तैयार हुए तथा प्रान्तीयकरण के उपरान्त अस्पताल पर हो रहे व्यय के बराबर अंशदान शासन को प्रतिवर्ष देने अथवा उतनी ही धनराशि जिले के किसी दूसरे भाग में चिकित्सा सुविधा पर व्यय करने को भी तैयार हुए तो अस्पताल के प्रान्तीय-करण पर विचार किया जा सकता है।

बदायूं टाउन एरिया कमेटियों के लिये अनुदानों के उपयोग की अवधि बढ़ाया जाना

*34—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुक्त, रुहेलखंड मंडल, बरेली द्वारा चालू तथा पिछले 2 वित्तीय वर्षों में बदायूं की टाउन एरिया कमेटियों के लिये कितने शासकीय अनुदानों की उपयोग अवधि बढ़ाई गयी और आयुक्त महोदय द्वारा अनुदान के उपयोग के लिये आदेश तथा शर्तें निश्चित किये गये थे उनका पूर्ण पालन हुआ या नहीं ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

आयुक्त रुहेलखंड मण्डल, बरेली द्वारा पिछले 2 वित्तीय वर्षों 1969–70 तथा 1970–71 में बदायूं के टाउन एरिया कमटियों के लिये 21 शासकीय अनुदानों के उपयोग की अवधि समय पर पर बढ़ाई गई। उक्त अनुदानों के उपयोग के लिए आयुक्त द्वारा जो आदेश तथा शर्तें निश्चित किये गये थे उनका पालन केवल 3 अनुदानों को छोड़कर शेष सभी में हो गया है।

बदायूं टाउन एरिया कमेटियों के निर्माण के कार्य हेतु सरकारी अनुदान का भुगतान

*35—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान जिला मैजिस्ट्रेट बदायूं ने टाउन एरिया कमेटियों में निर्माण कार्यों के लिये सरकारी अनुदान के कितने भुगतान कराये और क्या वे शासकीय अनुदान की उपयोग नियमावली टाउन एरिया ऐक्ट की निर्माण सम्बन्धी धारा 7 (स) तथा एकाउन्ट्स की धारा 60 के प्राविधानों के अनुसार सही थे ? यदि नहीं, तो अनियमित भुगतानों के लिये कौन व्यक्ति दोषी थे और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट बदायूं के कार्यकाल में टाउन एरिया कमेटियों को स्वीकृत सरकारी सड़क अनुदान से कराये गये निर्माण कार्यों के लिये कुल 2,91,939 रु० 6 पैसे के भुगतान किये गये। टाउन एरिया ऐक्ट की निर्माण सम्बन्धी धारा 7 (ख) तथा एकाउन्ट्स रूल्स के नियम 60 के प्राविधानों का अनुपालन, कार्य कराते समय, संबंधित टाउन एरियाओं द्वारा किया जाता है किन्तु भुगतानों के सम्बन्ध में कुछ अनियमितताओं की शिकायतें आई है जिनके विषय में जांच की जा रही है।

कैराना सरकारी बीज व खाद गोदाम से खाद की चोरी

*36—श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ब्लाक कैराना जिला मुजफ्फरनगर के सरकारी बीज व खाद गोदाम से एक ट्रक खाद की चोरी गई जिसे एक वर्ष से ज्यादा हो गया है ? क्या सरकार इस विषय में कोई इन्क्वायरी कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । जिला मुजफ्फरनगर के कैराना बीज गोदाम पर 25/26 दिसम्बर, 1969 की रात में 8,660 रुपये के मूल्य के खाद की चोरी हुई थी । इसकी रिपोर्ट उसी दिन पुलिस थाना कैराना में कर दी गयी थी । पुलिस ने तफतीश की परन्तु माल और चोर का पता न लग सका और पुलिस ने इस केस में अन्तिम रिपोर्ट दे दी है।

पट्टी बीज भंडार, प्रतापगढ़ में गबन

*37—श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में पट्टी सीड स्टोर (कृषि) में लगभग 50 हजार रुपयों का गबन है ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ? गबन में किन कर्मचारियों का हाथ है ?

डाक्टर सीताराम—

पट्टी बीज भण्डार जनपद, प्रतापगढ़ में 91,991 रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया है । इस गबन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी श्री जे० पी० द्विवेदी, बीज भण्डार प्रभारी हैं । उन्हें इस संबंध में दिनांक 7-1-1971 में निलम्बित कर दिया गया और इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में भी दर्ज करा दी गयी है ।

*38—श्री रामदेव दुबे (प्रतापगढ़)—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

खटीमा राजकीय कृषि फार्म में हानि

*39—श्री गोपालदत्त ओझा तथा श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी (जिला अलीगढ़)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कृषि फार्म, खटीमा, जिला नैनीताल में सन् 1969–70 में शासन का कितना नुकसान हुआ और इसके जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष 1969–70 में राजकीय कृषि फार्म, खटीमा में रु० 23,874 की हानि हुई। सम्बन्धित फार्म अधीक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

चूहा निवारण कार्य के लिये अल्युमिनियम फासफाइड के ट्यूब

*40—श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1969–70 में कुल कितनी धनराशि की गिफ्ट के रूप में प्राप्त चूहा मारने की दवा वितरित की गयी और किस-किस जिले में कितनी-कितनी धनराशि की दवा बांटी गयी ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष 1969–70 में केन्द्रीय सरकार के कृषि रक्षा निदेशालय से 2448 किलो अल्मूमिनियम फासफाइड के टियूब उपहार के रूप में चूहा निवारण कार्य के लिये निर्मूल्य प्राप्त हुये थे जिसका अनुमानित मूल्य रु० 2,48,566.32 पैसे था और इनका वितरण मुख्यालय से मंडलों को किया गया था वहां से उनका वितरण जनपदों में हुआ। किस-किस जिले में कितनी दवा बांटी गयी उसका ब्योरा संलग्न किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 456 पर)

*41—श्री राजितराम पांडेय—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त चूहा मारने की दवा गिफ्ट में न देकर काश्तकारों को 7 रु० 20 पैसे मूल्य पर दी गयी ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। कृषि रक्षा सेवा उत्तर प्रदेश मुख्यालय को इस बात की सूचना थी कि चूहा नियंत्रण प्रयोजन के लिये यह दवा गिफ्ट स्वरूप ही बांटी गयी थी। केवल कुछ जिलों में, (जैसा संलग्न विवरण के स्तम्भ 6 से विदित है) यह दवा अन्य प्रयोजन के लिये पूरे शुल्क पर भेजी भी गयी थी।

किठौर में अन्तरिम जिला परिषद् की डिस्पेंसरी में डाक्टर न होना

*42—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कस्बा किठौर (मेरठ) में अन्तरिम जिला परिषद् की डिस्पेन्सरी चल रही है और इस डिस्पेन्सरी में लगभग 1 वर्ष से कोई डाक्टर नहीं है ? क्या यह भी सही है कि जनता की मांग पर जिलाधिकारी, मेरठ इस डिस्पेन्सरी को सरकारी प्रबन्ध में लेने की संस्तुति कर चुके हैं ? यदि हां, तो इसमें क्यों देर की जा रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिलाधिकारी, मेरठ से सूचना प्राप्त की जा रही है।

खण्ड विकास अधिकारी, पथरदेवा, जिला देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार व गबन का आरोप

*43—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन को खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पथरदेवा, जिला देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं गबन की गम्भीर शिकायतें माह मई, 71 से 30 जून, 71 के मध्य प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं ? तथा क्या यह सच है कि उपरोक्त आरोपों के आधार जांच के दौरान जिलाधिकारी, देवरिया ने उक्त खण्ड विकास अधिकारी को उपरोक्त विकास खंड से जिला देवरिया के ही विकास खंड भलुहनी के लिये माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्थानान्तरित किया था और विकास खंड पथरदेवा में नये खंड विकास अधिकारी ने कार्यभार भी सम्भाल लिया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि जिलाधिकारी देवरिया द्वारा निर्मित उपरोक्त खण्ड विकास अधिकारी के उक्त स्थानान्तरण आदेश को दिनांक 20 जुलाई, 1971 से 24 जुलाई, 1971 के मध्य राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां, शिकायती पत्रों में उनके विरुद्ध निम्न आरोप हैं:--

1---पशुपालन केन्द्र के निर्माण से सम्बन्धित भुगतान में अनियमिततायें ।

2---सबसीडी के भुगतान में अनियमितायें।

3---कर्मचारियों के सी० टी० डी० एकाउन्ट तथा जमानत के कटौती ये धन को तत्काल न जमा करना ।

4---वस्तुओं के क्रय में अनियमिततायें ।

जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा जारी किये गये स्थानान्तरण, आदेश निरस्त नहीं हुए हैं ?

*44--श्री कल्याण सिंह--

क्या यह सच है कि उक्त बी० डी० ओ० जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश की तिथि से अब तक कैश चाबी अपने साथ लेकर अवकाश पर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां, जिलाधीश द्वारा स्थानान्तरण आदेश के समय से दिनांक 3-8-71 तक कैश की चाभी श्री सुरेन्द्र प्रताप चन्द्र अपने साथ लेकर अनाधिकृत अवकाश पर रहे हैं। अन्य अभियोगों के साथ इस पर भी कार्यवाही की जा रही है।

विवेकानन्द अनुसंधानशाला अल्मोड़ा वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा वेतन निर्धारण

*45--श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--

क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृष्ट करेंगे कि विवेकानन्द अनुसन्धानशाला, अल्मोड़ा के कतिपय कर्मचारियों का वेतन निर्धारण वेतन अभिनवीकरण समिति 1965 की सिफारिशों के अनुसार, पांच वर्ष की दीर्घ अवधि बीत जाने पर भी, अभी तक नहीं हो पाया है ?

डाक्टर सीताराम--

विवेकानन्द अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा के केवल 8 कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, वेतन अभिनवीकरण समिति, 1965 की सिफारिशों के अनुसार, कुछ आवश्यक सूचना प्राप्त न होने के कारण अभी तक न हो पाया है। आशा है कि उनका वेतन शीघ्र ही निर्धारित कर दिया जायेगा ।

जौनपुर जनपद में डाक्टरों की कमी

*46--श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि जौनपुर जनपद में 25 मील के क्षेत्र मछली शहर, बादशाहपुर, सुजानगंज, अस्पतालों में कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इन अस्पतालों में डाक्टर भेजने की व्यवस्था करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं इन तीनों, अस्पतालों में डाक्टरों की तैनाती क्रमशः 28 जुलाई, 1971-22 जुलाई, 1970 तथा 24 अक्तूबर, 1971 से कर दी गई है।

सिविल सर्जन, इलाहाबाद के विरुद्ध भष्टाचार का आरोप

*47—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायें कि क्या यह सही है कि नवम्बर–दिसम्बर सन् 70 में सिविल सर्जन, इलाहाबाद के विरुद्ध तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् के एक सदस्य ने भ्रष्टाचार व चरित्रहीनता के आरोप लिखित रूप में लगाये थे ? यदि हां, तो अब तक उस पर कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

तत्कालीन एक मंत्री जी ने दिनांक 24 नवम्बर, 1970 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी को सम्बोधित एक नोट भेजा था जिसमें सिविल सर्जन, डा०जी०पी० श्रीवास्तव, के विरुद्ध भ्रष्टाचार व व्यक्तिगत आचरण की शिकायत की थी । इस नोट में यह संस्तुति की गयी थी कि डा० श्रीवास्तव के विरुद्ध आरोपों की जांच करवायी जाय और फिलहाल उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाय ।

2—तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी का विचार था कि शिकायतें पार्टी बन्दी के कारण की गयी हैं । उन्होंने आदेश दिये थे कि फिलहाल स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता । उनके बाद आने वाले स्वास्थ्य मंत्री जी का भी यही विचार था ।

3—उपर्युक्त स्थिति में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद, गोरखपुर में राजकीय चिकित्सालय

*48—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कुल कितने राजकीय चिकित्सालय हैं ? इनमें कितने में एम० बी० बी० एस० डाक्टर सेवा हेतु भेजे जाते हैं ? क्या इसी श्रेणी में गवर्नमेंट हास्पिटल बरही भी है ? यदि हां तो वहां एम०बी०बी०एस० डाक्टरी क्यों नहीं भेजे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, लिपिक सेवा संघ की मांगें

*49—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक 27 जुलाई, 1971 को लखनऊ स्थित कृषि निदेशालय के कर्मचारियों ने कलमबन्द हड़ताल करके कृषि निदेशक के समक्ष अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है ? यदि हां, तो उन कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं और उनको पूरा करने के लिये शासन की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—

दिनांक 27–7–1971 को कृषि निदेशालय के कर्मचारियों ने कलम बन्द हड़ताल नहीं की थी बल्कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, लिपिक सेवा संघ, लखनऊ ने अपनी बैठक में पारित एक प्रस्ताव के अनुपालन में दिनांक 27–7–71 को कृषि निदेशक के सम्मुख कुछ कर्मचारियों न एकत्र होकर अपनी मांगें रखी थी । प्रमुख मांगों व उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 459 पर।)

खीरी जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तथा स्थानान्तरण

*50—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को कोई ऐसी सूचना है कि खीरी जिले में स्वास्थ्य विभाग में करीब 10-12 वर्षों से कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें तैयार नहीं हुई हैं जिसके कारण वेतन-वृद्धि या भत्ता वृद्धि आदि लागू नहीं हुई है, यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह कथन सही नहीं है ।

*51—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगी कि उक्त विभाग में खीरी जिले में कुल कितने कर्मचारियों का स्वास्थ्य निरीक्षकों के स्थानान्तरण आदेश हुये और उनमें से कितने के निरस्त कर दिये गये हैं और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

खीरी जिले के स्वास्थ्य विभाग के 7 स्वास्थ्य निरीक्षकों (सैनेटरी इन्सपेक्टरों) के स्थानान्तरण आदेश प्रसारित किये गये हैं और उनमें से केवल एक के आदेश प्रशासनिक आधार पर निरस्त किये गये हैं ।

कृषि निदेशालय के अन्तर्गत कृषि विभाग के लिपिकों का ज्येष्ठता के आधार पर केन्द्रीयकरण करके सूचीबद्ध करना

*52—श्री सच्चिदानन्द—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय तथा उसके अन्तर्गत जनपदों के कृषि विभाग में कार्यरत ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ लिपिकों की सेवा को निदेशालय से लेकर जनपदों तक वरिष्ठता के आधार पर केन्द्रीयकरण करके सूचीबद्ध करने का विषय सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं ।

*53—श्री सच्चिदानन्द—

कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1960 से 1970 तक लिपिकों की वरिष्ठता तथा केडर से सम्बन्धित कितने विवाद कृषि निदेशालय में उत्पन्न हुये और उनमें से कितने न्यायालय में चले या चल रहे हैं ? यदि हां, तो कृषि विभाग को उक्त काल में न्यायालय या विवादग्रस्त व्यक्तियों के विवादों को सुनने में कितनी आर्थिक क्षति हुई है ? और इन विवादों को सुलझाने के लिये क्या सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न नहीं उठता । वर्ष 1969 से 1970 तक लिपिकों के 157 प्रत्यावेदन कृषि निदेशालय में प्राप्त हुये । इनमें से 5 मामले उच्च न्यायालय में रिट में गये जिसमें से तीन का निर्णय न्यायालय से हो चुका है और शेष दो मामले अभी उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं । प्रत्येक मामले में 50 रु० चीफ स्टेन्डिग कौंसिल, हाई कोर्ट के कार्यालय में खर्च के लिये जमा किया गया ।

शासन द्वारा एक समिति गठित की गयी थी जिसने सबके प्रतिवेदनों पर विचार करने के पश्चात् अपना निर्णय दिया और उसी के आधार पर लिपिकों की ज्येष्ठता सूची बनाकर निदेशालय के सभी अनुभागों में घुमा दी गयी ।

प्रतापगढ़ जिले में पशु संक्रामक रोग

*54—श्री जयराम यादव—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ में इस साल बरसात का मौसम शुरू होते ही पशुओं में महामारी की बीमारी उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो इससे कितने पशु अभी तक मर चुके हैं ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ में 1-4-71 से अब तक पशुओं के संक्रामक रोग के 6 प्रकोप हुए जिसमें से एक लंगड़ी बुखार, एक गलघोंटू बीमारी तथा चार खुरपका, मुंहपका बीमारी के थे। इन बीमारियों के फलस्वरूप एक पशु को लंगड़ी बुखार से तथा एक को गलघोंटू बीमारी से मरने की सूचना है। खुरपका, मुंहपका बीमारी से किसी भी पशु के मरने की सूचना नहीं मिली है।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर होम्योपैथिक चिकित्सालयों को अनुदान

*55—श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित (जिला कानपुर) तथा, श्री राम गोपाल संड—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सहायता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सालयों की संख्या कानपुर जिले में कितनी है ? उनका अनुदान समय पर प्राप्त न होकर 2 या 3 वर्ष बाद होता है ? और वह केवल एक वर्ष का न कि पूर्ण समय का ? यदि हां, तो क्या बकाया अनुदान समय पर प्रति वर्ष मिलने की व्यवस्था करेंगे ? तथा बकाया अनुदान कब तक दे दिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

केवल एक। अनुदान के समय से स्वीकृत न करने का एक मात्र कारण संस्था द्वारा पिछले अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र न प्रस्तुत किया जाना है । भविष्य में भी अनुदान केवल उसी स्थिति में स्वीकार किया जा सकेगा यदि संस्था नियमित रूप से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

मलिहाबाद विकास खण्ड में गबन

*56—श्री शिवलाल (जिला कानपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बतायेंगे कि मलिहाबाद विकास खण्ड, जिला लखनऊ में वर्ष 1964 में कोई गबन हुआ था ? और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई तथा कुल कितने कर्मचारी दंडित किये गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। विकास खंड महिलाबाद-जिला लखनऊ में वर्ष 1964 में रु० 2,944.87 पैसे का गबन हुआ था। इस संबंध में विकास खंड के स्टोर कीपर कम कैशियर तथा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी मुअत्तल कर दिये गये हैं और मामला पुलिस की जांच के लिये सौंप दिया गया। स्टोर कीपर कम कैशियर अब भी मुअत्तल हैं और उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी चल रही है। विकास खंड अधिकारी बाद में उप विकास आयुक्त, लखनऊ की रिपोर्ट के आधार पर अपने पद पर पदारूढ़ कर दिये गये हैं।

*57—श्री शिवलाल—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बतायेंगे कि विकास खंड में गबन का केस चल रहा है तब भी राम लखन शुक्ला, भूतपूर्व बी० डी० ओ० का त्याग-पत्र क्यों स्वीकृत किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विकास खंड मलिहाबाद में वर्ष 1964 में हुये गबन के संबंध में श्री रामलखन शुक्ल, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, मुअत्तल कर दिये गये थे किन्तु बाद में पदारूढ़ कर दिये गये थे और उनका स्थानान्तरण विकास खंड रमिया खेड़ा, लखीमपुर खीरी को कर दिया था जहां उन्होंने दिनांक 18-8-1966 को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर-खीरी न श्री शुक्ल को दिनांक 18-6-1968 से अपने पद के कार्यभार से मुक्त कर दिया था। इस अनियमितता के लिए जिला मजिस्ट्रेट को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी गई।

नैनी, इलाहाबाद के अन्तर्गत खरकौनी तथा गजिया वार्ड की कृषि योग्य भूमि का काश्तकारों में वितरण

*58—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि खरकौना और गजिया वार्ड, 27, नैनी, इलाहाबाद नगर महापालिका के अन्तर्गत लगभग 500 एकड़ भूमि खेती योग्य है जो कि वहां के हरिजनों के कब्जे में है और उसे उनके पक्ष में पट्टा न देकर के धनी लोगों को उठा दी गई ? यदि हां, तो वह जमीन किस शर्त के साथ किन-किन लोगों को दी गई है ? क्या मंत्री जी उसकी सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

*59—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नगरपालिका के उक्त अनियमितता बरतने से महापालिका को आर्थिक क्षति हुई और जिसकी शिकायत ग्राम उद्धार समाज खरकौनी के अध्यक्ष, सत्यनारायण भारती ने कई बार सन् 67 से अब तक दिया ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही ई और कितनी क्षति हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

अभी इस संबंध में नगर महापालिका इलाहाबाद से पूर्ण सूचना नहीं प्राप्त हो सकी है। परन्तु उपलब्ध सूचना से पता लगता है कि खरकौनी और गजिया वार्ड संख्या 27, नैनी इलाहाबाद के अन्तर्गत कुल 307 एकड़ भूमि खेती योग्य है तथा इस भूमि को भूमि की हैसियत के अनुसार 300 रु० बीघा, 200 रु० बीघा और 100 रु० बीघा पर काश्तकारों को दिया गया है। इन काश्तकारों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 460 पर)

देवरिया सदर अस्पताल में पुरुष तथा महिला डाक्टर

*60—श्री श्रीकृष्ण बाजपेई, श्री किसनलाल (जिला पीलीभीत) तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करगे कि देवरिया सदर अस्पताल में इस समय कितने ऐसे डाक्टर (पुरुष व स्त्री) हैं, जो इसी जिले के रहने वाले हैं तथा, वे लोग कितने वर्षों से अस्पताल में सेवा कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

देवरिया शहर अस्पताल में इस समय 6 डाक्टर (4 पुरुष एवं 2 महिला) हैं जो उसी जिले के रहने वाले हैं। उन डाक्टरों का नाम तथा जिन तिथियों से इस अस्पताल में सेवा कर रहे हैं, संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 465 पर)

*61—श्री श्रीकृष्ण बाजपेई, श्री किशन लाल तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या शासन को इन डाक्टरों के सम्बन्ध में शिकायतें आईं हैं कि ये लोग स्थानीय औषधालय खोलकर अपना निजी व्यापार चलाते हैं तथा अस्पताल की दवाओं, यन्त्रों का उपयोग निजी पेशे में करते हैं तथा साधारण जनता को अस्पताल में उचित दवा न देकर अपनी निजी प्रेक्टिस चलाने में व्यस्त हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

गोरखपुर ब्लाक, खोराबार के विद्यालयों में बोरिंग युनिसेस योजना

*62—श्री फिरंगी प्रसाद विशार श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद),—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री जांच कर बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोराबार के कितने विद्यालयों में वर्ष 1969–70 व 1970–71 में बोरिंग कराकर कितने को पम्पिग सेट इंजन दिये गये ? क्या इन विद्यालयों में इण्टर कालेज बरही सोनबरसा भी है। यदि हां, तो इस विद्यालय को कोई पुराने एवं कुछ पुर्जे विहीन इंजन दिये गये हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ इससे सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

गोरखपुर जनपद के खोराबार ब्लाक में वर्ष 1969–70 में 18 स्कूल बाटिकाओं की बोरिंग यूनिसेफ योजना के अन्तर्गत कराई गई तथा इनमें से केवल एक स्कूल बाटिका हेतु उसी वर्ष एक पम्पिग सेट दिया गया। वर्ष 1970–71 में इसी योजना के अन्तर्गत 6 स्कूल बाटिकाओं में बोरिंग कराई गई किन्तु इनमे से किसी को भी अभी तक पम्पिग सेट नहीं दिया गया।

उपर्युक्त विद्यालयों में बरही सोनबरसा का विद्यालय भी है जिसकी बोरिंग वर्ष 1969–70 में कराई गई थी तथा एक डीजल चालित पम्पिग सेट दिनांक 18–1–1970 को दिया गया। उक्त पम्पिग सेट से (उस विद्यालय को देने के पूर्व) दयानन्द जूनियर हाई स्कूल, खोराबार की बोरिंग को टेस्ट कराने का कार्य लिया गया था। तदुपरान्त इसे बरही सोनबरसा विद्यालय को दिया गया। पम्पिग सेट देते समय इसमें कोई पुर्जा कम नहीं था।

आजमगढ़ के विकास खण्ड, फूलपुर में मिडवाइफ

*63—श्री रामवचन यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ में विकास खण्ड फूलपुर में कितनी मिडवाइफ हैं तथा उनमें से कितनी ऐसी हैं जो 3 वर्ष से अधिक समय से काम कर रही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद आजमगढ़ में विकास खंड फूलपुर में कुल तीन मिडवाइफ हैं। उनमें से दो हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रही हैं।

जिला एटा में हरे चारे के लिये लोबिया

*64—श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरे चारे के लिये जो लोबिया (रोसा) जिला एटा में जून, 1971 में कृषकों को दिया गया है वह किस किस्म का तथा किस भाव का है ?

डाक्टर सीताराम--

हरे चारे के लिये जो लोबिया (रोसा) बीज जिला एटा में जून, 1971 में कृषकों को दिया गया था, वह देशी किस्म का था तथा उसका भाव 137 रु० प्रति क्विंटल था।

*65--श्री सतीश चन्द्र--

क्या यह सच है कि यह लोबिया आमतौर पर 1.37 रु० प्रति किलो से बांटने के लिये दिया गया है, जब कि यही किस्म बाजार में 50 पैसे किलो सरलता से उपलब्ध है? यदि हां, तो क्या मंत्री भाव के इस अन्तर का कारण स्पष्ट करेंगे?

डा० सीताराम--

यह सच है कि लोबिया का बीज 1.37 रु० प्रति किलो की दर से किसानों को वितरित करने के लिये दिया गया था, लेकिन यह सही नहीं है कि उसी किस्म का बीज बाजार में 50 पैसे प्रति किलो की दर से सरलता से उपलब्ध था। प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद की करछना तहसील में राजकीय चिकित्सालय

*66--श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद की करछना तहसील के केन्द्र पर कोई राजकीय चिकित्सालय है? यदि नहीं, तो क्या सरकार नया चिकित्सालय खोलने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*67--श्री रामकिशोर शुक्ल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय चिकित्सालय सिरसा (इलाहाबाद) में भवन की दशा अच्छी हालत में नहीं है? तो क्या सरकार भवन निर्माण करने तथा चिकित्सालय को उच्च श्रेणी में बदलने तथा महिला विभाग खोलने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*68--श्री शिवप्रसाद पांडिया--

[पहले शुक्रवार में नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*69--श्री सजीवन लाल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]।

जिला परिषदों के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

*70--श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की जिला परिषदों ने सेवा नियमावली, 1970 लागू होने के पश्चात् कर्मचारियों की ज्येष्ठता क्रम-सूची बना ली है? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?

*श्री बलदेव सिंह आर्य—

(क) 29 जिला परिषदों में कर्मचारियों की ज्येष्ठता क्रम-सूची बनी हुयी है।

(ख) शेष जिला परिषदों में इस सूची को बनाने का कार्य चल रहा है। प्रभावित होने वाले कर्मचारियों से आपत्तियां मांगी गयी हैं, जिससे सूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

*71—श्री दल सिंगार यादव—

[विस्तृत होने के कारण निरस्त]।

चिकित्सा एवं परिवार नियोजन विभाग के सेवारत अधिकारी

*72—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार नियोजन विभागों में अलग-अलग ऐसे राजपत्रित अधिकारियों की क्या-क्या संख्या है जो विभाग में एक वर्ष से अधिक से सेवा कर रहे हैं और नियमानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कराया गया, उनके नाम व पद भी बताये जावें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना †संलग्न है।

कानपुर जनपद, के विकास क्षेत्र, बिल्हौर की इमारत को असामयिक वर्षा से क्षति

*73—श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के विकास क्षेत्र बिल्हौर की इस वर्ष बनी नवीन इमारत , ठेकेदार द्वारा निर्धारित सामग्री प्रयोग न करने के कारण बारिश में टपकती है तथा उसका प्लास्टर भी गिर रहा है? क्या यह सही है कि जिस समय इस भवन का सार्वजनिक निर्माण विभाग से पंचायत राज विभाग को हस्तान्तरण हो रहा था उस समय ब्लाक प्रमुख एवं विकास अधिकारी के विरोध के बावजूद भी विभागीय अधिकारियों द्वारा भवन के हस्तान्तारण की कार्यवाही सम्पन्न करा दी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कानपुर जनपद के विकास क्षेत्र, बिल्हौर की नवीन इमारत की छतों एवं दीवारों में इस वर्ष असामायिक एवं निरन्तर वर्षा होने के कारण अधिक सीलन आ गई थी और उसका असर प्लास्टर वगैरह पर भी पड़ा था। इन भवनों का अभी तक विधिवत् अधिग्रहण नहीं किया गया है। केवल किराये के कार्यालय में स्थान की कमी और मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुये विकास खंड कार्यालय नव निर्मित भवन में स्थानान्तरित किया गया है। शेष भवन अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के कब्जे में है। संबंधित ओवरसियर को भवनों की कमियां दिखा दी गई हैं और इस समय तक इन कमियों को काफी हद तक दूर किया जा चुका है। भवनों के विधिवत् अधिग्रहण की कार्यवाही समस्त कमियां दूर होने पर की जायेगी। कार्यालय को नये निर्मित भवन में स्थानान्तरित करने के पूर्व किसी प्रकार की विरोधात्मक रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई थी।

---

†छापी नहीं गई।

जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत का यात्रा भत्ता

*74—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मलहौत्रा, जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत ने तिथि 6–8–70, 16–8–70, 25–8–70, 6–12–70 और 17–12–70 को पीलीभीत से लखनऊ तक की गई यात्रा के सम्बन्ध में शासन से सेकेन्ड क्लास का यात्रा भत्ता लिया है जब कि इन तारीखों में उन्होंने वास्तव में कोई यात्रा सेकेन्ड क्लास में नहीं की ? यदि हां, तो सरकार इस अनियमित कार्य के लिये उक्त जिला गन्ना अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। गन्ना आयुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री पी० एन० मेहरोत्रा, जिला गन्ना अधिकारी पीलीभीत ने प्रश्न में कही गई तिथियों को पीलीभीत से लखनऊ तक सेकेन्ड क्लास में यात्रायें कीं और उसी क्लास का यात्रा भत्ता लिया।

स्टाफ और नर्सों द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी की धनराशि की वापसी

*75—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल), श्री रामगोपाल सण्ड तथा श्री सेवाराम (जिला खीरी)—

द्वितीय सत्र 1971 के पहले मंगल के तारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, इलाहाबाद से किन नर्सों एवं स्टाफ नर्सों ने सेवा से त्याग-पत्र सिविल सर्जन, इलाहाबाद को दिया ? तथा कितने प्रार्थना-पत्र 1969–70 तथा 1970–71 में प्रशिक्षण एवं सेवा अवधि में जमा की गई सिक्योरिटी की धन-राशि वापस करने हेतु प्राप्त हुये ? क्या सरकार उन नर्सों तथा स्टाफ नर्सों को सिक्योरिटी वापस करने हेतु शीघ्र आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1969–70 तथा 1970–71 में तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, इलाहाबाद की नर्सों और स्टाफ नर्सों में से केवल स्टाफ नर्स कु० अविनाश सक्सेना ने सेवा से त्याग-पत्र दिया था।

उक्त अवधि में सिक्योरिटी की वापसी के लिये निम्नलिखित स्टाफ नर्सों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे तथा उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित उनकी सिक्योरिटी की धनराशि उन्हें वापस कर दी गयी है :—

1—कु० अविनाश सक्सेना	प्रशिक्षणकाल तथा सेवाकाल सिक्योरिटी
2—कु० एस० डेविड 3—कु० पी० दास	प्रशिक्षणकाल सिक्योरिटी।

ग्राम पनेर गांव, जिला अल्मोड़ा के लिये पेयजल योजना

*76—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 1970 के दूसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के सन्दर्भ में ग्राम पनेरगांव, जिला अल्मोड़ा के लिये पेयजल योजना को बनाने का कार्य जनता के कष्टों के निवारणार्थ कब से प्रारम्भ करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

योजना बन चुकी है और अब उसकी जांच की जा रही है।

स्वास्थ्य निदेशालय में पांच वर्ष से अधिक से एक स्थान पर रहने वाले लिपिक व प्रधान

*77—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में कितने लिपिक या विभाग के प्रधान 5 वर्ष से अधिक से एक स्थान तथा एक सेक्शन पर कार्य कर रहे हैं? उनका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में 27 लिपिक ऐसे हैं जो पांच वर्ष से अधिक से एक स्थान तथा एक सेक्शन पर कार्य कर रहे हैं। उनके पूरे विवरण की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

विभाग के प्रधान एक भी ऐसे नहीं हैं जो एक ही अनुभाग में पांच वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हों।

[4 जनवरी, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सासनी कैलोरा रोड के स्थान पर अतरौली रोड स्टेशन सड़क का प्रस्ताव

*1—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि दिनांक 28 अगस्त, 1971 को जिलाधिकारी, अलीगढ़ की अध्यक्षता में अलीगढ़ जिले के "क्रैश प्रोग्राम" के निमित्त आयोजित बैठक में सासनी-कैलोरा रोड के स्थान पर अतरौली से अतरौली रोड स्टेशन तक की सड़क को सम्मिलित किये जाने की अनुशंसायुक्त प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है? सासनी-कैलोरा तक की पूर्व प्रस्तावित रोड की लम्बाई क्या है और अतरौली से अतरौली रोड स्टेशन तक की सड़क की लम्बाई क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

अलीगढ़ जिले की सासनी से कैलोरा रोड के स्थान पर अतरौली से अतरौली रोड स्टेशन तक की सड़क का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है परन्तु जिले की पुनरीक्षित योजना प्रतीक्षित है। पूर्व प्रस्तावित सासनी-कैलोरा रोड की लम्बाई 9.63 कि० मी० तथा अतरौली से अतरौली रोड स्टेशन तक की लम्बाई 9 कि० मी० है।

*2—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि जिला अलीगढ़ के सासनी विधान सभाई क्षेत्र तथा अतरौली विधान सभाई क्षेत्र में दिनांक 28 अगस्त, 1971 तक पृथक-पृथक कुल कितनी-कितनी लम्बाई की पक्की (डामर) रोड थी? क्या सरकार ने जिला अलीगढ़ के अतरौली विधान सभाई क्षेत्र की अतरौली से अतरौली रोड स्टेशन तक की सड़क को "क्रैस प्रोग्राम" में सम्मिलित किये जाने का प्रश्न सरकार शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेंगे और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सासनी और अतरौली दोनों विधान सभाई क्षेत्रों की सड़कों की वांछित सूचना संलग्न है।

जिलाधीश अलीगढ़ से पुनरीक्षित योजना अभी प्रतीक्षित है। अतः शासन ने अभी अतरौली से अतरौली रोड स्टेशन की सड़क के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(देखिय नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 466 पर)

*3—श्री मोहनलाल कपूर—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

विकास खण्ड बलहा व मिहिन में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना

*4—श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच), श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद), श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ) तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में विकास खंड मिहिन पुरवा तथा बलह में किन स्थानों पर वर्ष 1971–72 में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खोलने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

विकास खन्ड मिहिन पुरवा का प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम भोतीपुर में कार्य कर रहा है। विकास खन्ड बलहा हतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है किन्तु उपयुक्त भवन उपलब्ध न हो पाने के कारण अस्पताल का चिकित्सालय विंग कार्य नहीं कर रहा है। उपयुक्त भवन मिलते ही यह विंग भी कार्य करने लगेगा।

क्षेत्र समिति, भोजीपुरा, जिला बरेली के प्रमुख के विरुद्ध फर्जी टी० ए०, डी० ए० वसूल करने का आरोप

*5—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बरेली में भोजीपुरा विकास क्षेत्र के प्रमुख श्री लालता प्रसाद के विरुद्ध फर्जी टी० ए०, डी०ए० वसूल करने की जो जांच जिलाधिकारी बरेली इस समय कर रहे हैं उससे क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

क्षेत्र समिति भोजीपुरा जिला बरेली के प्रमुख को गवाहों से जिरह करने का अन्तिम अवसर जिलाधिकारी बरेली न प्रदान किया है। आयुक्त रुहलखंड मंडल तथा जिलाधिकारी बरेली को निदेश दिये गये हैं कि मामले के अन्तिम निस्तारण में और अधिक समय न लगायें।

बरेली नगरपालिका के सेन्ट्रलाइज सर्विसेज के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी

*6—श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगरपालिका के सेन्ट्रलाइज सर्विसेज के अन्तगत 1966–67 में आने वाले कौन-कौन से कर्मचारी ऐसे हैं, जो उक्त कानून के लागू होने के समय बरेली नगरपालिका में थे और अब भी ह ?

श्री धर्मदत्त वद्य—

बरेली नगरपालिका में एक मुख्य सफाई निरीक्षक, तीन सफाई निरीक्षक, तथा एक शिक्षा अधीक्षक (महिला), ऐसे हैं, जो बरेली नगरपालिका में वर्ष 1966–67 में थ और उनका

स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया था पर वे अब पुनः नगरपालिका, बरेली में स्थानान्तरित हो गये हैं। इनके अतिरिक्त एक ओवरसियर तथा एक शिक्षा अधीक्षक (पुरुष) ऐसे हैं, जो 1966–67 से अब तक नगरपालिका बरेली में ही हैं।

बरेली कृषि मंडी समिति द्वारा मंडी स्थल बनाने हेतु धन लेना

*7—श्री रामसिंह खन्ना—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली कृषि मन्डी समिति ने सरकार से 14 लाख रुपये की भूमि खरीदने के लिये ऋण लिया है ? उस धनराशि को इस समय मन्डी समिति के किस प्रयोग में लाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो किन का ऋणों से अब तक जमीन नहीं खरीदी जा सकी है ?

डाक्टर सीताराम—

बरेली कृषि उत्पादन मंडी समिति ने सरकार से मंडी स्थल बनाने के लिये भूमि क्रय के हेतु केवल 6 लाख 25 हजार रुपये का ऋण लिया है। इस धनराशि को इस मंडी समिति ने फिक्सड डिपाजिट में सेन्ट्रल बैंक, श्यामगंज, बरेली में जमा कर रखा है। मंडी समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि के मूल्य के संबंध में शासन को शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसकी जांच के पश्चात् भूमि क्रय करने की सहमति दी जा चुकी है। मंडी समिति को भूमि क्रय के संबंध में कोर्ट फीस से मुक्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन था। दिनांक 11–12–71 को वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार कृषि निदेशक को यह सूचित किया जा चुका है कि मंडी समिति को कोर्ट फीस के व्यय भार से मुक्त नहीं किया जा सकता है। अतएव, अब मंडी समिति द्वारा इस विषय में आगे कार्यवाही की जा रही है।

मिर्जापुर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*8—श्री श्याम लाल कनौजिया—

क्या स्वास्थय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिलान्तर्गत कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और किन-किन केन्द्रों पर कितने दिनों से हेल्थ विजीटर्स सेवारत हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बीस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। केन्द्रों में हेल्थ विजिटर्स की तैनाती की तिथि का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 467 पर)

सरेनी लेबोरेटरीज़ के विरुद्ध कार्यवाही

*9—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री, कृपया जांच करा कर बतायेंगे कि लखनऊ की सरेनो लेबोरेटरी नामक एक दवा की कम्पनी घटिया दवायें बनाकर प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर के अस्पतालों व बाजारों में बच रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी के मामले की तुरन्त कायवाही करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। सरेनी लेबोरेटरीज के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर के फार्मों का क्षेत्रफल तथा सिंचाई सुविधायें

*10—श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर कृषि संस्थान के पास कितने एकड़ का फार्म है और उस पर सिंचाई की क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हैं ? क्या सिंचाई की न्यूनता को देखते हुए सरकार और नलकूप बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

कृषि विज्ञान संस्थान के अन्तर्गत 49 फार्म हैं। फार्मों का कुल क्षेत्रफल, जिस पर खेती होती है, 2941.49 एकड़ है। 23 फार्मों पर ट्यूबवेल, पक्का कुआं और नहर आदि के द्वारा सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। 13 फार्म ऐसे हैं जिन पर ट्यूबवेल उपलब्ध हैं। परन्तु वे या तो पुराने हो जाने के कारण कम पानी देते हैं या पूरे क्षेत्रफल के लिये अपर्याप्त हैं। इन फार्मों पर सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

विकास खंड, फतेहगंज में भवन निर्माण योजना

*11—श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र फतेहगंज (प) जिला बरेली के भवन बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ करा दिया जावेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विकास खंड फतेहगंज (प) जिला बरेली, भवन बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है। इस वर्ष धनाभाव के कारण अगले वित्तीय वर्ष में ही उक्त भवन के निर्माण का कार्य सम्भव हो सकेगा।

ग्रामीण जनशक्ति योजनान्तर्गत, धानी क्षेत्र समिति द्वारा सड़क निर्माण का प्रस्ताव

*12—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में धानी क्षेत्र समिति ने दिनांक 30 अगस्त, 1968 ई० को सर्वसम्मति से कितने एकड़ सड़कों को बनाने का प्रस्ताव किया था ? तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

निम्नलिखित 14 सड़कों (योजनाओं) को ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत निर्माण करने के लिये प्रस्ताव किया गया था :—

1—सड़क कहरौती से परमैनी घाट तक।
2—धानी गांव से हनुमान गंज वाली सड़क को मिला दिया जाय।
3—दोड घाट से छेइका से लेहड़ा होते हुये दुर्गा जी के स्थान तक।
4—बेलसड़ से चीरहट नाला तक।
5—बलरामपुर से बम्बइया बांध तक।
6—घोसापुर से गोपालपुर होते हुये भैसापुर के स्थान तक।
7—मिश्रोलिया के बहुलामी दुबोलिया होते हुये लैहड़ा स्टेशन तक।
8—करमैनीघाट से सोनिरा बु० महुवा बिहारी कुनचार बन्दोह होते हुये मरठा तक।
9—हाताबेला डेरवा से पृथवीपाल गढ़ होते हुये बनाये खम्भुआ तक।
10—धानी से सिकन्दरा होते हुये सन्तघाट तक।

11—धानी से कुड़ी तक ।
12—बरई पार से चकमा से गोपालपुर तक ।
13—मिरिरिया से मदराघाट तक ।
14—नगवां बांध पर फाटक की मरम्मत ।

उपरोक्त सड़कों में से केवल धानी बृजमनागंज सड़क का 5 मील का भाग ग्रामीण जनशक्ति योजना में स्वीकृत हुआ था, यद्यपि धानी तथा वृजमानगंज का फैसला 6 मील है। प्रस्ताव इस बचे हुये । मील भाग के लिये था, किन्तु यह ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया था। यह सड़क 25-9-1970 से सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हो चुकी है। शेष सड़कें ग्रामीण जनशक्ति योजन में शामिल नहीं हैं, तथा वर्तमान शासकीय नियमों के अन्तर्गत नये कार्य लिये भी नहीं जा सकते हैं।

गोरखपुर जिले में महिला अस्पताल खोलने की मांग

*13—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक 11 जनवरी, 1968 को गोरखपुर जिले में धानी क्षेत्र समिति ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया था कि बृजमनगंज में महिला अस्पताल खोला जाय ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वृजमानगंज में महिला अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) का स्थायीकरण

*14—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मार्च, 1957 के पश्चात् नियुक्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का स्थायीकरण अभी तक क्यों नहीं किया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

स्थायी पदों पर स्थायी नियुक्तियां करने के हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा वांछित अनेक जटिल एवं महत्वपूर्ण सूचनायें अपूर्ण रहने के कारणवश मार्च, 1957 के पश्चात् नियुक्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का स्थायीकरण अभी तक नहीं किया जा सका है।

निदेशालय तथा आयोग के मध्य पत्र व्यवहार रहा है।

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड की बैठकें

*15—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या कृषि मन्त्री यह बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई और सन् 1970-71 में (15 जून, 1971 तक) इसकी कितनी बैठकें हुई और उनमें क्या कार्य हुआ ?

डाक्टर सीताराम—

वर्तमान उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड की स्थापना 8-2-71 को हुई।

सन् 1970-71 में (15 जून, 1971 तक) इसकी कोई बैठक न हो सकी।

बस्ती जनपद के बांसी व नौगढ़ तहसीलों में धान की फसल में व्यापक रोग

*16—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष धान की जड़हन फसल में जो व्यापक रूप से खैरा, झुलसा, हिस्टा, कपटी की बीमारियों की सूचनायें मिली थीं ? उसे समाप्त करने के लिये सरकार की ओर से बंसी एवं नवगढ़ तहसील के किन-किन गांवों में दवा का छिड़काव किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—

इस वर्ष बस्ती जनपद के बांसी एवं भवनवगढ़ तहसीलों में धान की फसल में जो व्यापक रूप से फैले कीटों एवं रोगों के प्रकोप का नियंत्रण कार्य क्रमशः 43 एवं 42 ग्रामों के लगभग 279 एवं 412 हैक्टर क्षेत्रफल पर किया गया। ग्रामों और वहां उपचारित क्षेत्रफल की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ञा" आगे पृष्ठ 468 पर।)

*17—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह भी सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 23 सितम्बर, 1971 को नवगढ़ में हुई एक बैठक में (जिसकी अध्यक्षता परगनाधिकारी महोदय नवगढ़ कर रहे थे) प्रतिनिधियों ने उक्त प्रकार के रोगों से अधिकारियों को अवगत कराया तथा सरकार से मुफ्त दवा छिड़काने का आग्रह किया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई।

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। कथित बैठक की सूचना कृषि निदेशक के मुख्यालय एवं शासन को प्राप्त नहीं हुई थीं। वैसे धान की फसल में रोग लगने की सामान्य सूचना शासन को थी और अन्य जिलों के साथ बस्ती को भी, रोग निवारण के लिये उ० प्र० कृषि रोगों एवं नाशक कीटों के अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था।

जुग्गौर कोआपरेटिव डेवलपमेंट यूनियन लिमि० लखनऊ में गबन

*18—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि गन्ना विकास सहकारी संघ जुग्गौर लखनऊ के हिसाब-किताब में इस वर्ष लगभग 3,00,000 रु० (तीन लाख रुपयों) के गबन का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर निर्धारित की गई और इसके खिलाफ क्या कार्यवाही अमल में लाई गई ?

डाक्टर सीताराम—

कि जुग्गौर कोआपरेटिव डेवलपमेंट यूनियन लिमिटेड जुग्गौर, जिला लखनऊ 1,84,035 रु० (एक लाख चौरासी हजार पैंतीस रुपयों) के गोलमाल का मामला प्रकाश में आया है। इसकी जिम्मेदारी जुग्गौर यूनियन तथा उसके उप सभापति श्री तारिक मोहसिन किदवई एवं लेखाकर श्री कैलाश नारायण बाजपेई की है। इस मामले मे संचालक मंडल, जिसमें समिति के उपाध्यक्ष श्री किदवई भी शामिल हैं, तथा लेखाकार श्री बाजपेई को निलम्बित किया जा चुका है तथा उनके विरुद्ध पुलिस में एफ० आई० आर० भी दर्ज कराई जा चुकी है।

*19—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त गबन की घटना से प्रकाश में आपके बाद क्या शासन ने इस मामले की जांच के लिये स्पेशल आडीट बिठाने की कार्यवाही की ? यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। आडिट दल दिनांक 9–11–71 से जुग्गौर यूनियन के लेखे की जांच कर रहा है। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

गोरखपुर जिले में तीन वर्ष से अधिक विकास खन्ड अधिकारी

*20—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में कितने खण्ड विकास अधिकारी ऐसे हैं, जिनको एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय तक रखा गया उनके नाम क्या और उनका स्थानान्तरण न करने का कारण क्या है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

21—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

गोरखपुर जनपद की राजधानी मटियारी सड़क का टूटना

*22—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, गोरखपुर में तहसील सदर के अन्तर्गत कौन-कौन सड़क आर० एम० पी० योजनान्तर्गत वर्ष 1970–71 से बन रही हैं? क्या इन सड़कों में राजधानी मटियारा सड़क भी है? यदि हां, तो क्या यह सड़क उक्त वर्ष में पूरा पानी पुलिया से न निकलने के कारण सन्डी नाले में दो स्थानों पर टूट गई है? यदि हां, तो क्या इन स्थानों पर बड़ी पुलिया बनवायी जायगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष 1970–71 में गोरखपुर जनपद की तहसील सदर में कोई भी सड़क ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु नहीं ली गई है, किन्तु संलग्न तालिका (क) में दिखायी गई सड़कें उनके सामने अंकित वर्ष से बन रही है। इनमें राजधानी-मटियारा सड़क भी शामिल है। यह सड़क वर्ष 1970–71 में वर्षा के कारण मामूली तौर से क्षतिग्रस्त हुई थी जिसकी मरम्मत समयानुसार करा दी गई थी, परन्तु वर्ष 1971–72 के अगस्त माह में वर्षा का पूरा पानी पुलियों से न निकल पाने के कारण यह सड़क दो स्थानों पर टूट (कट) गई है। जिले के संबंधित अधिकारियों को उक्त दोनों स्थानों पर पुलों के बनवाने के संबंध में आदेश दिये जा चुके हैं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 470 पर)

प्रतापगढ़ जिला परिषद् द्वारा मांगे गये टेण्डर

*23—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिला परिषद् में 1969–70 तथा 1970–71 में कितने-कितने रुपये का कौन-कौन सामान कहां-कहां से टेन्डर मंगा कर स्वीकार किया? कब-कब सामान क्या–क्या परिषद् के स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया गया?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्न के उत्तर देने के लिये सूचना एकत्रित की जा रही है।

एटा जिला की नगरपालिकाओं में साठ वर्ष से अधिक आयु वाले इक्जीक्यूटिव आफिसर

*24—श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा की नगरपालिकाओं में कौन-कौन से इक्जीक्यूटिव आफिसर की आयु 60 वर्ष की हो चुकी है ? क्या शासन ने उन्हें सेवा मुक्त कर दिया है या कोई एक्सटेंशन दिया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

एटा जिले में नगरपालिका, गंजडुंडवारा के अधिशासी अधिकारी श्री ई० यू० दानिशमन्द की आयु दिनांक 2 जुलाई, 1971 को 60 वर्ष की हो चुकी है। उनको कार्यभार से तुरन्त मुक्त करने के आदेश दिनांक 13 दिसम्बर, 1971 को सरकार द्वारा भेज दिये गये हैं।

स्वायत्त शासन की सेंट्रलाइज सर्विस रूल्स के अन्तर्गत ग्रेडेशन लिस्ट

*25—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वायत्त शासन की सेन्ट्रलाइज्ड सर्विसेज के सम्बन्ध में रूल्स तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट तैयार हो गई है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यू० पी० पालिका (केन्द्रीयिता) सेवाओं के रूल्स जुलाई, 1966 में बने थे। इन सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अन्तिम ग्रेडेशन लिस्ट भी तैयार की जा चुकी है।

यू० पी० एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ का फर्मों पर बकाया

*26—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि यू० पी० एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का 30 लाख रुपया सन् 1968 से 1969 तक विभिन्न फर्मों पर बाकी पड़ा रहा ? यदि हां, तो इसका क्या वितरण है और क्या इस धन को वसूल करने का प्रयत्न किया गया या नहीं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष 1968 से 1969 तक यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का रु० 12,40,810.14 पैसे विभिन्न फर्मों पर बाकी पड़ा रहा जिसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। उक्त धनराशि में से रु० 7,13,810.14 पैसे वसूल किया जा चुका है। मेसर्स अरोरा सहगल प्रा० लि० कलकत्ता से रु० 5,27,000.00 की वसूली का मामला आरबीट्रेशन में चल रहा है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 471 पर)

बलिया जिले के परिवार नियोजन विभाग में दाइयों की नियुक्ति

*27—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायगी कि बलिया जिला परिवार नियोजन विभाग द्वारा सितम्बर सन् 1970 में कुछ दाइयों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन और जिला रोजगार कार्यालय बलिया ने इसके लिये किन-किन लोगों का नाम भेजा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

*28—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त पद के लिये विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था ? यदि हां, तो कब और किस समाचार-पत्र में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*29—श्री चन्द्रभान शर्मा, तथा श्री सच्चिदानन्द—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किया गया]

गांव सभा सैदाबाद जिला इलाहाबाद की सालाना आमदनी

*30—श्री रियासत हुसैन—

क्या पंचायत मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सैदाबाद, गांव सभा सैदाबाद, जिला इलाहाबाद की आमदनी सालाना क्या है तथा प्रधान उस रुपये का हिसाब-किताब किस बैंक में रखते हैं और उसकी जांच-परताल किस तरह से होती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

गांव सभा सैदाबाद की सालाना आमदनी निश्चित नहीं है । गत 3 वर्षों की आय के औसत से ज्ञात होता है उसकी वार्षिक आय लगभग डेढ़ हजार से 2 हजार तक होती है । गांव सभा का हिसाब पोस्ट आफिस के सेविंग बैंक में रखा जाता है । गांव सभा की आय के हिसाब की जांच परताल माल विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा पंचायत सेवक तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा की जाती है ।

रबी की फसल बोने के लिए बीज

*31—श्री रामकुमार दीक्षित, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्रीमती सौभाग्यवती (जिला मुरादाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष रबी में बोने के लिये कितना गेहूं का बीज अन्य प्रदेशों से मंगाया गया और प्रदेश के कृषकों को किस भाव पर यह गेहूं दिया गया तथा दिया जा रहा है और यह गेहूं किस किस्म का है ?

डाक्टर सीताराम—

इस वर्ष रबी में बोने के लिये भारतीय खाद्य निगम, लुधियाना तथा दिल्ली और राष्ट्रीय बीज निगम, दिल्ली से 1,25,101 कुन्तल गेहूं मंगाया गया । भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं की दर पहले रु० 93.70 प्रति कुन्तल निर्धारित की थी और इस पर भाड़ा आदि जोड़ कर कृषकों को रु० 100 से रु० 110 प्रति कुन्तल पर वितरित किया गया । बाद में निगम ने दर घटा कर रु० 78 प्रति कुन्तल कर दी । तब इसके अनुसार कृषकों को रु० 90 से 95 प्रति कुन्तल की दर से दिया गया । राष्ट्रीय बीज निगम का हीरा गेहूं रु० 550 से रु० 650 प्रति कुन्तल की दर से दिया गया । यह बीज गेहूं की बौनी जाति क हैं ।

*32—श्री राम बिलास पांडेय तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, आजमगढ़ के अधीन कर्मचारियों को यात्रा भत्ते का भुगतान न होना

*33—श्री लालसा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी आजमगढ़ के अधीनस्थ कर्मचारियों का गत कई वर्षों से अवशेष यात्रा भत्ता का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जबकि इसके बाद वाले यात्रा भत्ता का भुगतान कर दिया गया और क्या यह भी सही है कि उक्त यात्रा भत्ता भुगतान का कार्य कार्यालय के एकाउन्टेन्ट के बजाय किसी अन्य कर्मचारी को सौंपा गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोंडा जिला परिषद् के भूतपूर्व कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जाना

*34—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिला परिषद् के भूतपूर्व चेयरमैन तथा वहां के कुछ कर्मचारियों पर धारा 120—बी, 409—पी० सी०, 420, 465 के अन्तर्गत सन् 1966 में मुकदमे दायर हुये थे ? यदि हां, तो क्या उस मुकदमे से चेयरमैन महोदय को निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त मुकदमों में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के ऊपर से भी मुकदमा उठाने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद्, गोंडा के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध दायर मुकदमे को उठा लिया गया है क्योंकि उनके विरुद्ध प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य संदेहात्मक था । शेष चार अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है । दो अभियुक्तों ने मुकदमा उठाने के लिए प्रार्थनापत्र दिये हैं ।

*35—श्री राम गोपाल सण्ड—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जिला प्रसार शिक्षिका का पद स्वीकृत न होना

*36—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रसार शिक्षिका (महिला) का पद सरकार ने समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— —

जिला प्रसार शिक्षक (महिला) का कोई पद जिलों में स्वीकृत नहीं किया गया है । अतः उसके समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*37—श्री राम गोपाल सण्ड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा की गई नियुक्ति में सवर्ण तथा परिगणित जाति के व्यक्ति

*38—श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त कृषि निदेशक प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 26 सितम्बर, 1971 के अनुसार कृषि रक्षा पर्यवेक्षक पद पर जिन 75 व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई हैं उनमें कितने परिगणित जाति के हैं तथा कितने सवर्ण हैं तथा क्या यह भी बतायेंगे कि इन सवर्ण एवं परिगणित उम्मीदवारों में से कितनों को पहाड़ी क्षेत्र में नियुक्त किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रशासन) के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 1971 द्वारा नियुक्त किये 75 व्यक्तियों में 10 परिगणित जाति तथा 65 सवर्ण जाति के हैं। इनमें से क्रमशः 5 तथा 18 व्यक्तियों को पहाड़ी क्षत्र में नियुक्त किया गया है।

जिला सीतापुर के कस्बा महमूदाबाद में राजकीय महिला चिकित्सालय में रोगी तथा स्टाफ

*39—श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के कस्बा महमूदाबाद कस्बा में जो राजकीय महिला चिकित्सालय है उसमें 1970–71 वर्ष में कितने रोगी आये तथा कितनी औषधियों का बजट है और कितना स्टाफ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

रोगी संख्या—26,76।

औषधियों का बजट—5,500 रु० है।

अस्पताल में स्टाफ का विवरण इस प्रकार है :

चिकित्सा अधिकारी	1
स्टाफ नर्स	2
कम्पाउन्डर	1
वार्ड ब्वाय	4
स्वीपर्स	4
चौकीदार	1
माली	1
भिश्ती	1
कुक	1
कहार	1

*40—श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के कस्बा महमूदाबाद में एक जिला परिषद् का पुरुष चिकित्सालय है जिसकी हालत सोचनीय है ? कस्बा महमूदाबाद की जन संख्या को देखते हुए क्या इस जिला परिषद् के पुरुष चिकित्सालय को सरकार अपने द्वारा चलान की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। जिला सीतापुर के कस्बा महमूदाबाद में जिला परिषद् का पुरुष चिकित्सालय है। इसकी सोचनीय दशा की सूचना सरकार को नहीं है। इस संबंध में स्थिति यह है कि यदि जिला परिषद् प्रान्तीयकरण के लिये तैयार हुए तथा प्रान्तीयकरण के उपरान्त अस्पताल पर हो रहे व्यय के बराबर अंशदान शासन को प्रतिवर्ष देने अथवा उतनी ही धनराशि जिले के किसी दूसरे भाग में चिकित्सा सुविधा पर व्यय करने को भी तैयार हुए तो अस्पताल के प्रान्तीयकरण पर विचार किया जा सकता है।

पन्तनगर फार्म के अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण

*41—श्री इन्द्र लाल—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्टेट एग्रीकल्चर फार्म, पन्तनगर, तहसील किच्छा, जिला नैनीताल के जिन अस्थायी कर्मचारियों के लिए शासन ने शासनादेश संख्या ए-3495/12-जी। 151-54, दिनांक 10 अक्तूबर, 1961 द्वारा जिस कमेटी को नियुक्त किया था इस कमेटी की संस्तुति क्या थी और इसके आधार पर अब तक स्टेट एग्रीकल्चर फार्म के कितने कर्मचारी स्थायी किए गए ?

डाक्टर सीताराम—

कथित समिति ने पन्तनगर फार्म के स्थायी अराजपत्रित पदों पर कर्मचारियों के स्थायीकरण के संबंध में अपनी संस्तुति दी थी। उसके आधार पर पन्तनगर फार्म के जितने अस्थायी कर्मचारी स्थायी किये गए हैं उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिए नत्थी "ड" आगे पृष्ठ 472 पर।)

श्री चन्दी प्रसाद अभियुक्त का गोंडा न्यायालय की सुपुर्दगी से भाग जाना

*42—श्री सूरजलाल (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 को श्री चन्दीप्रसाद अभियुक्त श्रीमान् ए० डी० एम० (जे०), गोंडा के न्यायालय की सुपुर्दगी से भाग गया था वह दिनांक 3 अक्तूबर, 1971 को सदर अस्पताल गोंडा में भर्ती हुआ था और जिसको अधिकारियों ने दिनांक 5 अक्तूबर, 1971 को गोंडा जेल भेजा ? मगर पुनः श्री चन्दी प्रसाद को दिनांक 13-10-71 को सदर अस्पताल लाया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से उन्हें सदर अस्पताल गोंडा से जेल और जेल से सदर अस्पताल गोंडा लाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चन्दी प्रसाद नामक व्यक्ति को प्राइवेट प्रैक्टीशनर द्वारा रिफर किये जाने पर 3 अक्तूबर, 1971 को सदर अस्पताल गोंडा में भर्ती किया गया था। अस्पताल के अधिकारियों को मालूम नहीं था कि चन्दी प्रसाद 1 अक्तूबर, 1971 को न्यायालय की सुपुर्दगी से भागे हैं। 4 अक्तूबर, 1971 को पुलिस अधिकारियों ने चंदी प्रसाद को अभियुक्त होना बतलाया, अतः उन्हें 5 अक्तूबर, 1971 को जेल अस्पताल, गोंडा भेज दिया गया। 13 अक्तूबर, 1971 को पुनः चन्दीप्रसाद को जेल अस्पताल के सहायक चिकित्साधिकारी द्वारा रिफर किये जाने पर सदर अस्पताल में भर्ती किया गया।

जिला सदर अस्पताल, देवरिया में भ्रष्टाचार

*43—श्री हरिवंश सहाय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सदर अस्पताल, देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में दिनांक 30 मार्च, 1971, 3 अप्रैल, 1971, 29 जून, 1971 एवं 6 सितम्बर,

1971 को श्री हंसराज, संयुक्त मंत्री, जिला समाजवादी युवजन सभा, देवरिया ने शिकायती-पत्रों को राज्य सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या है और अब तक कौनसी कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । शिकायती पत्रों में भ्रष्टाचार, गुटबन्दी तथा शिकायत कर्त्ता को अपमानित करने के आरोप लगाए गए हैं । अब तक अतिरिक्त सिविल सर्जन एवं अधीक्षक सदर अस्पताल देवरिया तथा लेडी डाक्टर का स्थानान्तरण कर दिया गया है और अतिरिक्त सिविल सर्जन के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*44–45—श्री इन्द्रजीत—

[4थे शुक्रवार में प्रश्न सं० 21–22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गन्दे नालों का पानी गंगा में गिराया जाना

*46—चौधरी रामपाल सिंह यादव तथा श्री शिव लाल (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर के किन-किन गन्दे नालों का पानी गंगा में गिराया जा रहा है ? क्या यह सही है कि भैरोघाट स्थित जल आपूर्ति के कृत्रिम जल क्षेत्र के पास ही गन्दे नाले का पानी गिरता है और इस गन्दे पानी को साफ करके जनता को पिलाया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

कानपुर नगर के निम्नलिखित नालों का गन्दा पानी गंगा नदी में गिरता है :—

(1) नवाबगंज का बरसाती नाला,
(2) आजाद नगर का बरसाती नाला,
(3) सीसामऊ का नाला,
(4) परमटघाट का नाला,
(5) गुप्तार घाट का नाला, तथा
(6) गोल्फ मैदान के पास का नाला ।

नवाबगंज और आजाद नगर के बरसाती नाले भैरोंघाट स्थित पंपिंग स्टेशन के पहले गंगा नदी में गिरते हैं और शेष चार नाले पंपिंग स्टेशन के नीचे गंगा की धारा में मिलते हैं ।

नगर में जो जल जलकल द्वारा वितरित किया जा रहा है वह शुद्ध और दोष रहित है ।

*47—श्री भगवती सिंह विशारद—

[पहले गुरुवार में प्रश्न संख्या 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रधान ग्राम सभा गटियारंगी, जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

*48—श्री बंशीधर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रधान ग्राम सभा गटिया रंगी, तहसील तिलहर जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध अनियमितताओं के विषय में जांच के उपरान्त तहसीलदार तिलहर ने दिनांक 17 मार्च, 1971 को परगनाधिकारी तिलहर, जिला शाहजहांपुर को यह सिफारिश की कि प्रधान गटिया रंगी को तुरन्त निलम्बित किया जाय ? यदि हां, तो आज तक इस संबंध में क्या कायवाही हुई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

तहसीलदार तिलहर शाहजहांपुर ने परगनाधिकारी तिलहर शाहजहांपुर को यह संस्तुति दी थी कि चूंकि प्रधान ग्राम सभा गड़िया रंगीन ने जांच के दौरान भूमि प्रबन्धक समिति तथा गांव सभा के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये अतएव उन्हें निलम्बित कर दिया जाये। न्यायालय की रूलिंग के अनुसार जांच के दौरान किसी प्रधान को निलम्बित नहीं किया जा सकता है। प्रधान के विरुद्ध आरोप-पत्र लगाया गया है और कार्यवाही जारी है।

*49—श्री बंशीधर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 1 मार्च, 1971 से 31 अक्तूबर, 1971 तक तहसीलदार तिलहर, जिला शाहजहांपुर द्वारा विकास क्षेत्र जैतीपुर के कितने प्रधानों के विरुद्ध परगनाधिकारी तिलहर को निलम्बन की सिफारिश की है? और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आलोच्य अवधि में केवल एक प्रधान को निलम्बित करने की सिफारिश की गई थी जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या 48 के उत्तर में किया जा चुका है। प्रधान को निलम्बित नहीं किया गया है। वैधानिक कार्यवाही जारी है।

बी०डी०ओ० दानपुर, जिला बुलन्दशहर के यहां से तांबे के तार की बरामदगी

*50—श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि वर्ष 1971 के पूर्वार्ध में बी० डी० ओ०, दानपुर, जिला बुलन्दशहर के यहां से चोरी के तांबे के तारों की बरामदगी हुई थी ? यदि हां, तो तार कितना था तथा उस संबंध में शासन ने और क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

एस० डी० ओ०, हाईडिल ने थाना डिबाई में यह रिपोर्ट की थी कि बी० डी० ओ०, दानपुर अपने क्वार्टर में बिजली के खंभे से डाइरेक्ट लाइन तार द्वारा लेकर बिजली जला रहे थे तथा उन्होंने 44 के०जी० तांबे का तार अपने क्वार्टर से निकाल कर दिया। इस संबंध में पुलिस द्वारा तफतीश की जा रही है।

जिला परिषद्, कानपुर की रसायनशाला की समाप्ति

*51—श्री राम कुमार दीक्षित—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिला परिषद् द्वारा संचालित आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण की स्थापनशाला सरकार द्वारा तोड़ दी गई है, जिससे परिषद् द्वारा संचालित लगभग 33 आयुर्वेदिक औषधालयों में विगत दो वर्ष से औषधियों का अभाव हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद्, कानपुर द्वारा संचालित रसायन शाला को अध्यक्ष, जिला परिषद्, कानपुर के आदेश दिनांक 2 जुलाई, 1970 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अध्यक्ष को शिकायत मिली थी कि औषधियों के निर्माण में गड़बड़ी हो रही थी। रसायन शाला पर प्रतिवर्ष 40,000 रु० व्यय होता था जबकि उत्पादन 23,000 रु० प्रति वर्ष होता था। अब राजकीय फार्मेसी, लखनऊ से दवायें मांग कर सप्लाई की जा रही है और सप्लाई में कोई अभाव नहीं है।

लाला लाजपतराय मेडिकल कालेज, मेरठ में श्रीमती शीला देवी की मृत्यु

*52—श्री आशाराम (जिला मेरठ)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लाला लाजपतराय मेडिकल कालेज, मेरठ में दिनांक 15 जून, 1971 को श्रीमती शीला देवी, पत्नी गजपाल सिंह एस० आई०, 12 बज कर 10 मिनट पर भर्ती की गई थी और 3 घन्टे बाद आपरेशन बिना खून चढ़ाए कर दिया गया जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई? यदि हां, तो जिम्मेदार लेडी डाक्टर के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मरीज दिनांक 15 जून, 1971 को 2.45 बजे अपराह्न में भर्ती किया गया था। उस समय उसकी हालत बहुत खराब थी और उसे जोरों का रक्तस्राव हो रहा था। उसको खून चढ़ाने के लिए रक्त की व्यवस्था की जा रही थी,लेकिन उसकी बिगड़ती हुई हालत के कारण तुरन्त आपरेशन आवश्यक हो गया जिसे किया गया। आपरेशन ठीक तौर से ही हुआ, लेकिन मरीज की मृत्यु सदमे के कारण हो गयी।

इस मामले में लेडी डाक्टर द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गयी, अतएव उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

वाराणसी जिले के गजाधरपुर के पंचायत मंत्री को बहाल न करना

*53—श्री उदय नाथ (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि वाराणसी जिले के गजाधरपुर न्याय पंचायत में कार्यरत पंचायत मन्त्री को सन 1961 में निलम्बित किया गया था किन्तु दिनांक 25 अक्तूबर, 1964 को जिला जज, वाराणसी ने उन्हें निर्दोष घोषित करते हुए रिहा कर दिया ? और उक्त पंचायत मन्त्री ने निर्दोष घोषित हो जान के पश्चात् विभाग को दिनांक 25 फरवरी, 1965 से आज तक कई बार अपनी बहाली के लिये आवेदन-पत्र प्रेषित किया है किन्तु उक्त पंचायत मन्त्री को न्यायालय के निर्णय के बावजूद अब तक बहाल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और उक्त पंचायत मन्त्री की बहाली अपने पद पर कब तक हो जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी सिसवा बाजार, गोरखपुर का अधिशासी अभियन्ता को पत्र

*54—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अगस्त-सितम्बर, 1971 में टाउन एरिया कमेटी, सिसवा बाजार (जिला गोरखपुर) के अध्यक्ष द्वारा अधिशासी अभियन्ता स्व० शा० अभि० विभाग (दशम शाखा) को प्रेषित एक पत्र, जिसमें उक्त निकाय में हुई कतिपय गड़बड़ियों का उल्लेख किया था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी, सिसवा बाजार द्वारा प्रेषित दिनांक 16-8-71 का पत्र अधिशासी अभियंता दशम शाखा, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग को प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि कम्प्लीशन प्लान में बताई कुछ पाइप लाइनें मौके पर नहीं पड़ी हैं।

अधिशासी अभियंता द्वारा जांच किये जाने पर यह मालूम हुआ कि जो योजना आरम्भ में तैयार की गयी थी वह 3,21,350.00 रु० की थी परन्तु मुख्य अभियन्ता द्वारा योजना केवल 2,19,000.00 रु० की ही स्वीकृति की गयी थी और उसी के अनुसार पाइप लाइन डाली गयी थी। ऐसा मालूम होता है कि अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी, सिसवाबाजार ने जो शिकायत की थी वह पूर्व में तैयार की गयी योजना के नक्शे के आधार पर थी। अधिशासी अभियंता द्वारा कम्प्लीशन प्लान तैयार किया जा रहा है और आशा की जाती है कि उसकी प्राप्ति पर अध्यक्ष टाउन एरिया कमेटी की शंका का निराकरण हो जायेगा।

*55—श्री जयराम यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

कुंडा, जिला प्रतापगढ़ को टाउन एरिया का दर्जा देने की मांग

*56—श्री हिम्मत सिंह, तथा श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार यह बतायेगी कि कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ को टाउन एरिया दर्जा देने का निर्णय मार्च, सन् 1971 में सरकार द्वारा किया गया था? यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं। प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा विभाग के कम्पाउन्डर

*57—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा विभाग के कितने कम्पाउन्डर नौकरी पर हैं? इनमें से कितने स्थायी हो गये हैं और कितने अभी तक अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*58—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त अस्थाई कम्पाउन्डरों को एक भी रिफरेशर कोर्स नहीं कराया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? क्या सरकार के समक्ष उक्त कोर्स कराने जाने की कोई योजना विचाराधीन है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मझवा, विकास खंड में पेयजल योजना हेतु स्वीकृत धनराशि

*59—श्री राम निहोर राय—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मझवा विकास खण्ड में पानी की व्यवस्था हेतु कुल कितना धन सरकार द्वारा दिया गया है, और अब तक कुल कितना धन खर्च हुआ है और कुल कितना कार्य हुआ है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मझवा विकास खंड के लिए वर्ष 1971 में पेयजल व्यवस्था हेतु 2.50 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था। इसमें से अब तक 1,71,400 रुपये खर्च किये जा चुके हैं जिससे 33 ग्रामों में पेय जल की सुविधा उपलब्ध की गयी है।

सूचना विभाग के छटनीशुदा कर्मचारी

*60—श्री राम लाल भाई (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने सूचना विभाग के छटनी शुदा कर्मचारी जन-स्वास्थ्य विभाग में खपाये गये? क्या उन सभी कर्मचारियों का वेतन निर्गत राज्यादेश संख्या 88 (1) ओ० एम०, दिनांक मार्च 2, 1967 एवं संख्या 2-3060/दस—6—67, दिनांक 30 जनवरी, 1968 के अनुसार निर्धारित कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार सारा ब्यौरा सदन की पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिलों से वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

तहसील बाह, जिला आगरा के महिला चिकित्सालय में स्टाफ न होना

*61—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार को मालूम है कि तहसील बाह, जिला आगरा में महिला चिकित्सालय की इमारत बने कई वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक चिकित्सालय के लिये किसी स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त चिकित्सालय में शीघ्र ही स्टाफ की नियुक्ति करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भवन 10 जून, 1970 को बन कर तैयार हो गया है किन्तु बिजली और पानी की व्यवस्था की जानी है। यथाशीघ्र कर्मचारीवर्ग की तैनाती कर दी जायगी।

नजूल की भूमि पट्टा पर न देने का आदेश

*62—श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसने सन् 1968 या 1969 में प्रदेश की नगरपालिकाओं को कोई ऐसा आदेश भेजा था कि वह नगरपालिकायें नजूल लैन्ड किसी व्यक्ति को देना स्वीकार न करें? यदि हां, तो वह क्या था और क्या उसकी एक कापी सदन के मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सन् 1968 या 1969 में इस प्रकार का कोई आदेश नगरपालिकाओं को नहीं भेजा गया था बल्कि शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 1970 द्वारा यह आदेश भेजा गया था कि जब तक अन्य आदेश न दिये जायें तब तथा स्थानीय निकायों, जिलाधिकारियों अथवा मंडलायुक्तों द्वारा नजूल भूमि का कोई पट्टा न दिया जाये। संबंधित शासनादेश सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 474 पर)

*63—श्री शफीक अहमद खां—

क्या सरकार कृपा करके यह भी बतायेगी कि दिनांक 1 जनवरी, 1965 से 1 नवम्बर, 1971 तक नगरपालिका बरेली के हद्दूद में कितनी नजूल लैन्ड लोगों को लीज पर दी गई है है और सरकार ने उन पर मन्जूरी दे दी है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सहायक अधीक्षक, सामान्य अनुभाग के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*64—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेगी कि जनवरी, 1971 में आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास कार्यालय के एक सहायक अधीक्षक सामान्य अनुभाग के विरुद्ध, इसी कार्यालय के लगभग 25–30 कर्मचारियों ने आयुक्त को एक शिकायती-पत्र दिया था इस सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य ने भी मुख्य मन्त्री को लिखा था ? यदि हां, तो वह शिकायती पत्र क्या थे और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जनवरी, 1971 में आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास कार्यालय में सामान्य अनुभाग के सहायक अधीक्षक के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र नहीं प्राप्त हुआ था किन्तु अगस्त, 1971 से इन्हीं सहायक अधीक्षक के विरुद्ध एक शिकायती पत्र श्री सुखलाल कोरी, सदस्य, विधान सभा के नाम से दिया गया था और मुख्य मन्त्री जी को संबोधित था, प्राप्त हुआ था। इस शिकायती पत्र में सहायक अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाये गये थे। जांच से पता चला कि शिकायती-पत्र फर्जी नाम से दिया गया था और उस पर माननीय सदस्य के यहीं हस्ताक्षर बनाये गये थे। शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये थे।

तोड़े गये विकास खण्ड

*65—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने हाल ही में यह निश्चय किया है कि प्रदेश में जो विकास खण्ड तो दिये गये थे उनको पुनः स्थापित किया जायेगा ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्यवाही होगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं।

बांसगांव, जिला गोरखपुर में महिला चिकित्सालय के लिए भवन

*66—श्रीमती मसाली देवी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1 जनवरी, 1971 से 30 अक्तूबर, 1971 तक कितने प्रार्थना-पत्र गोरखपुर जिले में स्थित बांसगांव में महिला चिकित्सालय की स्थापना के लिये सरकार को प्राप्त हुये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

एक पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 1970 का प्राप्त हुआ है। जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि बांसगांव में महिला अस्पताल की स्थापना हेतु कोई उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं है। जब तक उपयुक्त भवन उपलब्ध न हो जाय, महिला अस्पताल की स्थापना सम्भव नहीं है।

आवासिक प्लाटों के साथ कामर्शियल प्लाट

*67—श्री मन्जूर अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि गाजियाबाद सुधार मण्डल ने सरकारी आदेश के विपरीत लैन्ड पालिसी के अन्तर्गत आवासिक प्लाटों के साथ कामर्शियल प्लाट भी दिये हैं ? यदि हां, तो उन कामर्शियल प्लाटों का कितना-कितना क्षेत्रफल किस-किस व्यक्ति को दिया गया है तथा क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बी० एम० बी० एस० डाक्टरों का स्थायीकरण

*68—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी० एम० बी० एस० डाक्टर दस सल से अधिक सरकारी पदों पर कार्य कर रहे हैं उन्हें स्थायी करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, इन डाक्टरों का स्थायीकरण शासन के विचाराधीन है ।

गाजियाबाद, सुधार मंडल के प्लाटों पर लगे प्रतिबन्ध हटाने पर विचार

*69—श्री मन्जूर अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार गाजियाबाद सुधार मण्डल की कविनगर व राजनगर कालोनियों के प्लाटों को बेचने पर लगे हुए प्रबन्धों को हटाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में निर्णय कब तक करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। सरकार इस बारे में यथाशीघ्र निर्णय लेगी ।

पीपुल्स कालेज, हल्द्वानी को अनुदान न दिया जाना

*70—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने वर्ष 1971–72 में पीपुल्स कालेज, हल्द्वानी को कितनी धनराशि अनुदान के रूप में दी है और उसका क्या आधार है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

शिक्षा विभाग से वित्तीय वर्ष 1971–72 में पीपुल्स कालेज, हल्द्वानी को कोई अनुदान या सहायता नहीं प्राप्त हुई है ।

प्रिंसिपल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*71—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वर्तमान प्रिंसिपल आयुर्वेदिक कालेज (राजकीय) लखनऊ के विरुद्ध किन्हीं नागरिकों की शिकायतों पर जांच कराई गई थीं ? यदि हां, तो शिकायतों एवं जांच रिपोर्ट का क्या विवरण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। शिकायतों तथा जांच रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ 475 पर)

कानपुर जिले के स्वास्थ्य निरीक्षक की सेवा समाप्ति

*72—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—

विधान सभा के वित्तीय सत्र 1971 के दिनांक 13 जुलाई, 1971 के प्रश्न संख्या 49 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मास दिसम्बर, 1969 में जिस स्वास्थ्य निरीक्षक की सेवायें डी० डी० टी० के हिसाब में गड़बड़ करने के आरोप में कानपुर जिले में समाप्त की गई थी उनका क्या नाम है और इनके विरुद्ध डी० डी० टी० के किस प्रकार की गड़बड़ी का आरोप है? तथा कब प्रकाश में आया एवं उस सम्बन्ध में उन्हें क्या और सब आरोप-पत्र दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री हरविलास सिंह भदौरिया, स्वास्थ्य निरीक्षक, कानपुर के विरुद्ध डी० डी० टी० के हिसाब में गड़बड़ी का मामला १९६९ में प्रकाश में आया और अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही न करके अस्थाई कर्मचारियों की सेवा शर्तों के अनुसार उनकी सेवायें समाप्त कर दी गईं।

कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर में हिल कैम्पस

*73—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर में हिल कैम्पस खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो किस पर्वतीय जिले में?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं।

जिला फर्रुखाबाद में राजेपुर जिला परिषद् के प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र

*74—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में राजेपुर जिला परिषद् के एलोपैथिक अस्पताल के प्राइमरी हेल्थ सेन्टर बनाये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है और क्या यह सही है कि फर्रुखाबाद के अधिकारियों ने भी प्राइमरी हेल्थ सेन्टर बनाने की संस्तुति की है? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूरा हो जायेगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। कथित अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का ही अंग है।

फर्रुखाबाद जिले के पिछड़े क्षेत्रों के लिये आयुर्वेदिक अस्पताल

*75—श्री महराम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के पिछड़े साधनहीन क्षेत्रों के लिये कुछ आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की योजना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो किस प्रकार और कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर की सीवर योजना के लिये आवेदन-पत्र का परीक्षण

*76—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर नगर में नगरपालिका भंग होने के पूर्व बोर्ड ने सीवर लाइन की योजना बनाई थी जो एल० एस० जी० डी० विभाग में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां।

नगरपालिका जौनपुर के प्रशासक ने सीवरेज योजना को कार्यान्वित करने के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन-पत्र शासन को भेजा है, उसका परीक्षण किया जा रहा है ।

*77—श्री राम प्यारे—

[3रे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

राजकीय कृषि फार्म पचपेड़वा, जिला गोंडा में हानि के लिये अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध जांच

*78—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय कृषि फार्म पचपेड़वा, जिला गो डा पर सन् 1968–69 में 15 हजार रुपये की लागत का गन्ना बोया गया और कुल एक हजार रुपये की पदावर हुई तथा उसी अधिकारी के नवागंज में स्थित कल्याणपुर फार्म पर स्थानान्तरित होने पर उसने 60 हजार रुपये खर्च कर 30 हजार रुपये का घाटा करा दिया ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की और क्या सरकार उक्त फार्म को तोड़ने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—

राजकीय कृषि फार्म, पचपेड़वा, जिला गोंडा पर सन् 1968–69 में केवल रु० 8,199.02 पैसे की लागत का गन्ना बोया गया जिससे रु० 1,390.57 पैसे की आमदनी हुयी थी। सम्बन्धित कर्मचारी का स्थानान्तरण अक्तूबर 1969 में पचपेड़वा से कल्याणपुर फार्म पर किया गया ।

वर्ष 1969–70 में कल्याणपुर फार्म पर 54,288 रु० का खर्च हुआ और 23,393 रु० का घाटा हुआ है। उक्त हानि के लिए सम्बन्धित कर्मचारी तथा अधिकारियों क वि आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

यह फार्म उन्नतिशील बीज सम्बर्धन हेतु स्थापित किया गया है । अतः फार्म को तोड़ने का विचार नहीं है ।

*79—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी तथा श्री सच्चिदानन्द—

[पहले शुक्रवार में प्रश्न संख्या 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पश्चिमी जर्मनी के राजदूत द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना के लिये विचार करने का आश्वासन

*80—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कृषि आधारित उद्योग खोलने के लिए पश्चिमी जर्मनी के राजदूत ने दिनांक 26 अक्तूबर, 1971 को लखनऊ मे उनसे भेंट के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया ? यदि हां, तो सरकार किस पर्वतीय जिले में और कौन-सा उद्योग खोलने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—

पश्चिमी जर्मनी के राजदूत से इण्डो-जर्मन प्रोजेक्ट अल्मोड़ा के प्रसंग में बात हुई थी और अल्मोड़ा जिले के औद्योगीकरण के लिए कृषि पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना में सहायता देने के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन उन्होंने दिया था। किसी उद्योग विशेष के बारे में निश्चय नहीं हुआ है।

अतारांकित प्रश्न

शाहजहांपुर के जिला कृषि अधिकारी द्वारा गेहूं, मक्का तथा आलू का बीज खरीदा जाना

1—श्री सुरन्द्र विक्रम—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के जिला कृषि अधिकारी द्वारा 1 जून, 1970 से 31 मई, 1971 तक कृषकों को देने हेतु कितना बीज गेहूं, मक्का तथा आलू का खरीदा गया और किस जगह से खरीदा गया तथा बीज को प्रमाणित किस अधिकारी ने किया?

डाक्टर सीता राम—

निम्नलिखित बीज खरीदा गया :—

नाम बीज		मात्रा (टन में)	खरीदने का स्थान
आलू	..	7.200	राजकीय कृषि फार्म धौमरपुरा।
गेहूं	..	147.507	संलग्न सूची में दिये गये हैं।
मक्का	..	9.156	

गेहूं का बीज द्रुधफुल लेबिलिंग के साथ बेचा गया।

मक्का का बीज राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रमाणित था, जिसे उसी प्रकार बेचा गया।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ 477 पर)

स्वास्थ्य अधिकारी को कमला मेटरनिटी सेन्टर, मुरादाबाद में निवास के लिये अनुमति

2—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मुरादाबाद ने कमला मैटरनिटी सेन्टर, मुरादाबाद को अपना निवास स्थान बना रक्खा है और मरीजों के लिये केवल वहां पर एक ही कमरा शेष रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अपने निवास के लिये कोई मकान न मिल सकने के कारण जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मुरादाबाद ने रेडक्रास कमला मेटरनिटी सेन्टर मुरादाबाद के केवल उसी भाग को, जोकि चिकित्सा अधिकारी रेडक्रास के निवास के लिये है और कई वर्षों से खाली पड़ा हुआ था, अस्थायी रूप से अपना निवास स्थान बना रखा। इसके लिये जिलाधीश एवं एडमिनिस्ट्रेटर, नगरपालिका मुरादाबाद ने अनुमति प्रदान कर रखी है।

उक्त सेन्टर के किसी भी ऐसे भाग को, जो मरीजों के उपयोग के लिये है, निवास स्थान के रूप में जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। अतः मरीजों के लिये अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मड़ाई यंत्र तकावी पर देना

3--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार ने किसानों को फसल मड़ाई यन्त्र (थ्रेसर) लगाने को प्रोत्साहन देने का विचार किया है? यदि हां, तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये सरकार क्या-क्या रियायत देने जा रही है?

डाक्टर सीताराम--

जी हां। इस वर्ष कृषकों को 3,000 मड़ाई यन्त्र तकावी पर तथा 6,000 मड़ाई यंत्र निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये जाने का निर्णय किया गया है।

महिला चिकित्सालय, श्रीनगर गढ़वाल में डाक्टर न होना

4--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय, श्रीनगर (गढ़वाल) में महिला डाक्टर नहीं है? यदि हां, तो कब से महिला डाक्टर की वहां नियुक्ति नहीं हुई है और अब कब तक नियुक्ति होने की सम्भावना है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। दिनांक 8 सितम्बर, 1968 से महिला चिकित्सालय, श्रीनगर (गढ़वाल) में महिला डाक्टर नहीं है। प्रदेश में लेडी डाक्टरों की अत्यधिक कमी है। जैसे ही कोई महिला डाक्टर उपलब्ध होगी, वहां भेज दी जायेंगी।

गढ़वाल जिले में मातृ-शिशु केन्द्र

5--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले में इस समय कुल कितने मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र हैं और कितने और केन्द्र खोलने की योजना है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इस समय गढ़वाल जिले में 62 मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र हैं और इस प्रकार के 3 केन्द्र और खुलने हैं।

जनपद गोंडा की केन यूनियन, नवाबगंज में कोषाधिकारी की नियुक्ति ।

6—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री दीपनारायण बन (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में केन यूनियन नवाबगंज में कब से कोषाधिकारी (कैशियर) की जगह खाली है ? यदि हां, तो जगह की पूर्ति करने में क्या अड़चन है ?

डाक्टर सीताराम—

जन पद गोंडा के केन यूनियन नबावगंज में दिनांक 18 जनवरी, 1970 से रिक्त कैशियर के पद पर दिनांक 23 दिसम्बर, 1971 को नियुक्ति की जा चुकी है ।

बैलोन ग्राम सभा ब्लाक, डिबाई के प्रधान का पद

7—श्री हिम्मत सिंह, श्री राम वचन यादव तथा श्री उमानाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बैलोन ग्राम सभा ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत प्रधान की मृत्यु दो साल हुए हो गयी ? यदि हां, तो अभी तक ग्राम सभा का चार्ज क्यों नहीं हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां गांव सभा बैलौन के प्रधान की मृत्यु अक्तूबर, 1969 में हुई थी । प्रधान के उत्तराधिकारी से जिला स्तर के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एवं लिखित नोटिस द्वारा चार्ज लेने का प्रयत्न किया गया, परन्तु कोई सफलता नहीं मिली। इसके उपरान्त अब पुलिस द्वारा चार्ज लेने की कार्यवाही की जा रही है । चूंकि प्रधान के पुत्र उत्तराधिकारी के प्रायः घर से बाहर रहने के कारण कागजात प्राप्त नहीं हो रहे हैं ।

2—उप प्रधान को दिनांक 3 जून, 1970 को आदेश दे दिया गया है कि वे गांव सभा का कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु प्रधान पद का भार संभाल लें तथा नियमानुसार प्रधान पद के सभी कार्य सम्पन्न करें ।

8—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला गढ़वाल में फल पट्टी योजना

9—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या कृषि मंत्री बतलायेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल में अब तक कौन-कौन फल पट्टी योजनायें स्वीकार की गई हैं और उनमें से प्रत्येक में 15 जून, 1971 तक क्या प्रगति हुई है ?

डाक्टर सीताराम—

जिला पौड़ी गढ़वाल में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में चार फल पट्टियों का चयन किया गया है जिनमें प्रत्येक की 15 जून, 1971 तक हुई प्रगति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ 479 पर)

10—श्री गंगा प्रसाद—

[पहले शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सड़क पक्की करान की मांग

11—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली में सेताराम गंज जिला बदायूं को एक कच्ची सड़क जिला परिषद् की जाती है जो कि बहुत पुरानी है और बदायूं शाहजहांपुर व बरेली जिले को जोड़ती है ? यदि हां तो सरकार इसे कब तक पक्की करा देगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां । यह सड़क जिला परिषदों की है । अतएव शासन द्वारा इसे पक्का कराने का प्रश्न नहीं उठता । जिला परिषदें आर्थिक भाव के कारण इसे पक्का नहीं करा पा रही है।

पर्वतीय विकास निगम का रजिस्ट्रेशन तथा पदाधिकारी

12—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय विकास निगम कब रजिस्टर्ड हुआ है कौन-कौन इसके पदाधिकारी हैं तथा इसकी कुल पूंजी क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

पर्वतीय विकास निगम 30 मार्च, 1971 को रजिस्टर्ड हुआ है । इसके संचालक मंडल के निम्नलिखित सदस्य हैं:—

(1)	श्री एम० लाल, मुख्य सचिव	.. अध्यक्ष
(2)	श्री भैरव दत्त सनवाल, कृषि उत्पादन आयुक्त	.. सदस्य
(3)	श्री भरत नरायन आयुक्त एवं वित्त सचिव	.. सदस्य
(4)	श्री राम कृष्ण, कृषि निदेशक	.. सदस्य
(5)	श्री वृहस्पति शर्मा, संयुक्त विकास आयुक्त नैनीताल	प्रबन्ध निदेशक

निगम की अधिकृत पूंजी 2 करोड़ रुपये है।

13—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या कृषि मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त पूंजी से जिला नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल में कौन-कौन सी योजनायें कितने-कितने लागत से आरम्भ की गई हैं और उनमें क्या-क्या प्रगति हुई है ?

डाक्टर सीताराम—

निगम के द्वारा योजना जिले के आधार पर नहीं ली गई हैं, अपितु विषय तथा कार्यक्रम के आधार पर ली गई हैं । अतः जिलेवार लागत या प्रगति के ब्योरे का प्रश्न नहीं उठता ।

निलम्बित बोरिंग मैकेनिक, श्री यशवन्त कुमार को भत्ता न मिलना

14—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि श्री यशवन्त कुमार, बोरिंग मैकेनिक, जिला देवरिया सन् 1958 से अपने पद से निलम्बित है और उनके मामले में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया और उनको लगभग 7 वर्ष से सब्सटेंस एलाउन्स भी नहीं दिया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम--

यह सत्य है कि श्री यशवंत कुमार गुप्ता बोरिंग मेकेनिक, दिनांक 24 नवम्बर 1958 से अपने पद से निलंबित हैं तथा उनके मामले में अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है और संबद्ध कार्यालय में पूर्णतः अनुपस्थित रहने के परिणाम स्वरूप इन्हें दिनांक 1 जनवरी, 1964 से जीवन निर्वाह भत्ता नहीं प्रदान किया जा रहा ।

इलाहाबाद जिले में स्वास्थ्य निरीक्षक

15--श्री रामगोपाल संड--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के विकास क्षेत्रों में कुल कितने स्वास्थ्य निरीक्षक हैं और इनमें से कितने ऐसे स्वास्थ्य निरीक्षक गत पांच या दस वर्ष की अवधि से उसी जिले में हैं ? क्या उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इलाहाबाद जिले में कुल 59 स्वास्थ्य निरीक्षक (27 सेनेटरी इंस्पेक्टर तथा 32 हेल्थ इंस्पेक्टर) हैं । इनमें से केवल 11 सेनेटरी इंस्पेक्टर 5 या 10 वर्ष की अवधि से उसी जिले में तैनात थे, जिनके स्थानान्तरण के आदेश वर्ष 1971 में दे दिये गये थे । इसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है कि इनमें से कितनों ने नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है । उक्त 11 सेनेटरी इंस्पेक्टरों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ 480 पर)

16--श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री सच्चिदानन्द--

[पहले शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत उत्तरित]

17--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[उरे गुरुवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

केन्द्रीयित सेवा नियमावली के अन्तर्गत शिक्षा अधीक्षक-पद पर नियुक्ति तथा सेवा समाप्ति

18--श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, देवरिया के अध्यक्ष को शासन ने दिनांक 14 जनवरी, 1971 को कोई आदेश शिक्षा अधीक्षक पद की नियुक्ति के लिये भेजा था ? यदि हां, तो क्या अध्यक्ष ने उसके अनुसार कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

अध्यक्ष नगरपालिका, देवरिया ने अपने पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 1970 द्वारा शासन को सूचित किया था कि उन्होंने केंद्रीयित सेवा नियमावली के नियम 31 के अन्तर्गत श्री रमाकांत को शिक्षा अधीक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया है तथा उन्होंने शासन की स्वीकृति मांगी थी। शासन की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 14 जनवरी, 1971 द्वारा जिलाधिकारी, देवरिया को भेजी गई परन्तु अपने पत्र दिनांक 15 फरवरी, 1971 द्वारा अध्यक्ष नगरपालिका ने शासन को यह सूचित किया कि श्री रमाकांत की सेवा समाप्त की जा चुकी है तथा सम्प्रति उन्हें शिक्षा अधीक्षक की आवश्यकता नहीं है ।

नगवा कल्यानपुर, राजकीय कृषि फार्म पैदावार तथा फार्म के कर्मचारी

19—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगवा कल्यानपुर, राजकीय कृषि फार्म पर सन् 1968–69 ई० को रबी फसल तथा खरीफ की फसल से कुल कितनी पैदावार हुई। सन् 1969–70 व 1970–71 की पूरी फसल की पैदावार और कितना धन कृषि फार्म पर खर्च हुआ प्रत्यक वर्ष का विवरण अलग-अलग वर्ष का सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे?

डाक्टर सीताराम—

कृषि फार्मों के आय-व्यय के आंकड़े कृषि वर्ष के अनुसार बनाये जाते हैं जो जून से मई तक की अवधि के होते हैं। वर्ष 1968–69, 1969–70 तथा 1970–71 में रबी तथा खरीफ की फसलों के उत्पादन तथा व्यय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं—

वर्ष	रबी तथी खरीफ की कुल उत्पादन (कुंतल में)			कुल व्यय (रुपये में)
	खरीफ	रबी	योग	
1968–69..	37.56	78.89	116.45	37,043
1969–70..	32.39	265.42	297.81	54,268
1970–71..	135.31	255.10	390.41	66,462

20—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

उपरोक्त फार्म पर कुल कितने कर्मचारी अस्थायी हैं और स्थायी हैं, उन पर कुल प्रत्येक कर्मचारी को कितना माहवार वेतन तथा भत्ता दिया जाता है?

डाक्टर सीताराम—

उपरोक्त फार्म पर स्थायी कर्मचारी कोई नहीं है। कुल पांच अस्थायी कर्मचारी हैं। उनमें से प्रत्येक की माहवार कुल वेतन तथा भत्ता निम्न प्रकार दिया जाता है:—

नाम कर्मचारी		कुल वेतन तथा भत्ता रु०
1—श्री योगेंद्र सिंह, अधीक्षक	..	283
2—श्री चुन्नी, हलवाहा	..	126
3—श्री काशी राम ,, ,,	..	123
4—श्री कृष्ण चन्द्र, चौकीदार	..	117
5—श्री राजेंद्र प्रसाद, ट्रैक्टर चालक	..	146

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 4 जनवरी, 1972 की बैठक में सदन के दिनांक 5,6 व 7 जनवरी, 1972 के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:—

(१) इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार आज 4 जनवरी को सायंकाल प्रारम्भ होकर कल दिनांक 5 जनवरी, 1973 को 3 बजे अपरान्ह तक उसे पारित किया जाय तथा कल 3 बजे के उपरान्त उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक 1971 पर विचार एवं उसका पारण हो।

(2) दिनांक 6 जनवरी, 1972 को उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार एवं उनका पारण हो ।

(3) दिनांक 7 जनवरी, 1972 को 2 बजे अपराह्न तक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार एवं उसका पारण हो ।

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के दिनांक 5,6 व 7 जनवरी, 1972 के कार्य-क्रम के संबंध में की गयी सिफारिशों को, जिसकी सूचना सदन को आज दी गयी है, स्वीकार करता है ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरा एक निवेदन सुन लें श्रीमन्, यह जो सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक है इसके लिये कम से कम ३ दिन का समय दिया जाना चाहिये । पिछली समिति में भी मैंने यह बात कही थी । मैं आज सदन से पुनः निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार के लिये पर्याप्त समय मिलना चाहिये और इसके लिये ३ दिन रखे जायं ।

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

श्रीमन्, आपको ज्ञात है कि कार्य-मंत्रणा समिति ने बड़ी गम्भीरता के साथ इस पर विचार किया और इस पर करीब-करीब पूरा दिन मिल जाता है क्योंकि एक्साइज (संशोधन) विधेयक एक सर्वमान्य विधेयक है, उस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह हाई कोर्ट के एक निर्णय के कारण लाना पड़ा है इसलिये सहकारिता वाले विधेयक के लिये एक दिन मिल जाता है ।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

यह खेद है कि बात है कि कार्य-मंत्रणा समिति में जो समय का आवंटन होता है वह ऊल-जलूल ढंग से होता है । एक ऐसे विधेयक पर, जिसका असर सारे प्रदेश पर पड़ने वाला है, विचार के लिये पूरा समय मिलना चाहिये । कार्य-मंत्रणा समिति में एक राय कर ली जाती है और उसे यहां पास करा लिया जाता है, यह ठीक नहीं है । जब यहां आपत्ति की जाती है तो आपकी तरफ से संकेत होता है कि यह परम्परा नहीं है। मैं कष्ट के साथ कहना चाहता हूं कि शासन में जो भी आता है वह पर्याप्त समय देना नहीं चाहता है । बद किस्मती से विरोध पक्ष भी वहां हां करके आ जाता है । प्राहिबिशन (मद्य-निषेध) वाले विधेयक के लिये मंत्री जी ने कहा कि उस पर विचार की आवश्यकता नहीं है, मैं कहता हूं कि जब हाई कोर्ट ने उसे अनियमित करार दिया है तो एसी हालत में तो और भी हमें विचार करना है क्योंकि हाईकोर्ट ने हमारे अधिकारों का हनन किया है। बहुत उस पर बल देते हैं और फिर उनको उस पर समय न दिया जाये तो हम किससे शिकायत करें । आपसे यदि न करें तो हम किससे शिकायत किया करें । आप पर्याप्त समय तो दिया करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं तो माननीय सदस्य बलिया से निवेदन करूंगा कि वह कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित सदन के कार्य में सहायक हों ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

हम लोगों को इस विधेयक पर विचार के लिये अधिक से अधिक समय दिया जाये, यह बड़ा महत्वपूर्ण है । यह तो देश में जन-आन्दोलन को एक नया मोड़ देने जा रहा है । तो ऐसे अधिनियम के लिये आवश्यक है कि आप स्वयं हम लोगों का संरक्षण करें और अधिक से अधिक समय दिलायें । इससे काम चलने वाला नहीं है, जो माननीय संसदीय मंत्री जी कह रहे हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप मुझे संशोधन प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बताइये कि आपको किस नियम में यह अधिकार है ? आपने अपने इस अधिकार का उपयोग समय पर नहीं किया है । संशोधन के अधिकार का इस्तेमाल न करते हुए कल तो आपने भाषण दे दिया । अब यह मौका आपके लिये कहां रहा ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैंने संशोधन उपस्थित करने की आपसे अनुज्ञा मांगी है, आप कृपया अनुज्ञा दें । नियम 226 के उपखंड (2) 'परन्तुक' के अन्तर्गत मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको संशोधन रखने की मैं इजाजत नहीं देता । संशोधन रख सकते थे जब आप खड़े हुए और मैंने आपको समय दिया था । यह आप बड़ी अनुचित परम्परा डालेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैंने उस समय अपील की थी संसदीय कार्य मंत्री जी से, मगर मेरी अपील ठुकराई गई थी । तो अब मेरा संशोधन रखने का अधिकार छिन कैसे जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप इजाजत दें या न दें यह आपका काम है और यह मानें या न मानें यह इनका काम है·· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

पहले आप हमको सन्तुष्ट करें, फिर बोलें । आप संशोधन यों नहीं रख सकते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

वही मैं कर रहा हूं । मुझे संशोधन रखने का अधिकार है । कार्य-मंत्रणा समिति के संबंध में जो नियम है, उसके अनुसार आप देखें "सदन को सूचित किये जाने के बाद यथा-संभव शीघ्र अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट समिति के किसी भी सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा:-- "कि यह सदन समिति द्वारा प्रस्थापित समय के बंटवारे को स्वीकार करता है ।" जब यह प्रस्ताव हुआ तो यह प्रस्तुत किया जा सकेगा । परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को पुनर्निर्दिष्ट कर दिया जाय ।"

श्री उपाध्यक्ष--

यह दूसरी चीज है। जब आप पहले खड़े हुए थे आप भाषण दे रहे थे। उस समय पहले आप संशोधन रखते कि यह मेरा संशोधन है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।

श्री कल्पनाथ सिंह---

इसमें यह कहां लिखा है कि हमको इजाजत नहीं मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं रखे देता हूं, आप गिरा दीजिये।

श्री कल्पनाथ सिंह---

इसी के भरोसे पर तो वह चल रहे हैं और आप भी उसी के अनुसार चलेंगे तो यहां काम कैसे चलेगा ? आप इनको रेजेक्ट करने दीजिये और मुझे रखने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के दिनांक 5,6 व 7 जनवरी के कार्यक्रम के संबंध में की गई सिफारिशों को, जिसकी सूचना आज सदन को दी गई स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, नहीं की संख्या अधिक है।

श्री उपाध्यक्ष---

विद्युत मंत्री।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैंने कहा कि "नहीं" की संख्या अधिक है, श्रीमान जी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ....

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैंने निवेदन किया कि "नहीं" की संख्या अधिक है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं फिर वोट ले लेता हूं।

श्री मैनेजर सिंह---

आपने सुना नहीं वह तो गाड़ी आगे बढ़ गयी।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं बढ़ गयी।

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 5,6 और 7 जनवरी, 1972 के कार्यक्रम के संबंध में की गयी सिफारिशों को जिसकी सूचना आज सदन को दी गयी है, स्वीकार करता है।

(श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा विभाजन की मांग करने पर घंटी बजाई गयी।)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मैं एक निवेदन करना चाहता था। माननीय कल्पनाथ सिंह सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। जिस प्रकार की बातचीत हुई है आपके और उनके बीच में बहुत शोभाजनक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

वह शोभा देती है। जब पहले मौका मिला तो उन्होंने संशोधन नहीं रखा। इस तरह से सदन का काम चलेगा? हर भाषण के बाद संशोधन आयेगा? भाषण आपने दिया, उसके बाद संशोधन का अधिकार हो, यह निर्णय हो जायगा तो कोई काम नहीं चल सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उनको रख लेने देते।

श्री उपाध्यक्ष--

संशोधन रखने की एक प्रक्रिया होती है। आप खड़े होकर संशोधन रख सकते हैं। आपने सरकार से अपील की, अपील नहीं सुनी गयी। इस परम्परा को डालें?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपध्यक्ष--

नियमानुसार निवेदन कीजिये। नियमानुसार उनको अधिकार था, वह संशोधन रख सकते थे। उन्होंने संशोधन रखने के अपने अधिकार का प्रयोग न करके, भाषण करके सरकार से अपील की, तब संशोधन का अधिकार नहीं रहता है। प्रश्न सिर्फ यह है।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

आपने व्यवस्था दे दिया, माननीय मंत्री को बुला लिया था।

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा माननीय कल्पनाथ सिंह और माननीय नित्यानन्द जी से कि पिछली यह परम्परा रही है कि कार्य-मंत्रणा समिति जो सिफारिश कर दे तो सदन उसको स्वीकार कर ले। कार्य-मंत्रणा समिति का कोई प्रस्ताव आये, उस पर विरोध हो, कार्य-मंत्रणा समिति को ही सदन तोड़ दे। इसकी आवश्यकता क्या है? अगर कोई संशोधन करना है तो कार्य-मंत्रणा समिति की फिर बैठक बुला लें वह फिर से विचार कर लेती कि यह संशोधन हो जाय। कार्य-मंत्रणा समिति में सभी दल के लोग मौजूद रहते हैं। सब की राय लेकर एक व्यवस्था बनती है कि यह काम होगा। वहां तय होने के बाद यहां आकर कोई संशोधन और परिवर्तन करने का आपको अधिकार हो, स्वास्थ्य परम्पराओं पर लोकतंत्र

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलता है, मेरा सुझाव है जिस व्यक्ति को संशोधन करना हो, वह आपसे मिले, कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक फिर बुला लीजिये, अगर सब की राय हो तो संशोधन कर दीजिये । इतना समय सदन का लेना बेकार हो जाता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री की भावनाओं का पूर्णतया आदर करता हूं और उससे सहमत हूं ।

मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह बात जरूर है और अपनी जगह सही भी है कि कार्य-मंत्रणा समिति में हमारे दल के प्रतिनिधित्व की बात भी नहीं आई और न अपनी बात को रखने का अवसर ही मिला । इसमें आप मेरी सहायता करें और मुख्य मंत्री जी मेरी सहायता करें । मैं इस बात से सहमत हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति में जो बात विचार विमर्श के उपरान्त निर्णीत होकर आये, जो बात वहां सर्वसम्मति से तय हो जायगी उस पर मुझे यहां विरोध करने की आवश्यकता नहीं होगी । न मैं, न मेरा दल इस बात का आदी है और न हम इसे मुनासिब समझते हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पुनः अपनी सहमति प्रकट करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब तो डिवीजन के लिये आपने मांग की है और घंटी बज गयी है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

हम कल्पनाथ सिंह जी से प्रार्थना करेंगे कि वह डिवीजन की मांग न करें लेकिन जो बात यहां कही गयी वह कार्य-मंत्रणा समिति की नीति के विरुद्ध नहीं जा रही है । यह अप्रिय घटना जो यहां घट गयी वह न घटती तो अच्छा था । कोई माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहता है तो आप उसे अवसर दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

डिवीजन की मांग की गयी तो मुझे उस मांग को स्वीकार करना चाहिये और उस पर जो मत है उसे देखना होगा ।

श्री मैनेजर सिंह---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अच्छा होगा कि मतदान वापस ले लिया जाय और कार्य-मंत्रणा समिति में बैठकर इसे पुनः तय कर लिया जाय या कल्पनाथ सिंह जी अपना विरोध वापस लेकर इसे पास हो जाने दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

कल्पनाथ सिंह जी इसे वापस ले रहे हैं ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

कार्य-मंत्रणा समिति में जिस प्रकार से चर्चा हुई.....

श्री उपाध्यक्ष---

अब इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं फिर इसे वोट के लिये रख रहा हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरे मित्रों की राय है कि और मुख्य मंत्री जी की जो भावना है उस सबको देखते हुए मैं अपना संशोधन विरोध का वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

फिर भी मुझे प्रश्न तो रखना ही होगा । प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 5,6 तथा 7 जनवरी, 1972 के कार्यक्रम के संबंध में किये गये निर्णयों को जिसकी सूचना आज सबको दी गयी है, स्वीकार करता है ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, 1972

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी "ध" आगे पृष्ठ 482 पर ।)

उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1972

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी)--

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस विधेयक में आप देखें कि उद्देश्य और कारण हैं, ज्ञापन-पत्र है लेकिन कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं दिया गया है जबकि यह धन विधेयक है और उसके लिए वित्तीय ज्ञापन का होना आवश्यक है । इस प्रकार यह विधेयक पेश नहीं हो सकता और अपने तर्क की पुष्टि में मैं यह तथ्य आपके सम्मुख रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 उपस्थित किया गया है उसमें स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वित्तीय ज्ञापन दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

ज्ञापन-पत्र उसमें लगा हुआ है.....

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप इसको देखें कि वित्तीय ज्ञापन उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 में लगा हुआ है जिसमें मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा है कि उसमें 2 लाख रुपये सालाना व्यय होने का अनुमान है। किन्तु इसमें कोई ज्ञापन-पत्र नहीं दिया गया है.....

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे पास तो इस समय उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

जो मेरे पास है उसमें नहीं दिया गया है। मेरा कहना है कि यह एक धन विधेयक है और धन विधेयक बिना उसके उपस्थित नहीं किया जा सकता है .... ।

श्री उपाध्यक्ष--

किन्तु व्यय उसमें सम्मिलित न हो....

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह भी मैं साबित करूंगा कि इसमें वह सम्मिलित नहीं है। यह जो कर विधि (संशोधन) विधेयक है उसमें पैरा 28 का संशोधन किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि जांच चौकियां या नाके की स्थापना और मार्गस्थ माल का निरीक्षण स्वाभाविक है। इस तरह से मेरे हाथ में ये दोनों विधेयक हैं और जो स्थिति गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 की है वही स्थिति इस उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 की है.....

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

श्रीमन्, आपने बिलकुल उचित ही ध्यान आकर्षित किया। इस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं है। नियमावली के नियम 118 में स्पष्ट दिया हुआ है कि "जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।" अब श्रीमन्, विधेयक को विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त होना चाहिये। इसके पारित होने के बाद की अवस्था में कोई अन्तर्ग्रस्त व्यय नहीं है। जो मशीनरी पहले से काम कर रही थी और जिसके लिये विधान सभा पहले से धन की व्यवस्था कर चुकी है वही मशीनरी इन करों की वसूली करेगी। कोई नया व्यय इस विधेयक के द्वारा अन्तर्ग्रस्त नहीं है इसलिये वित्तीय ज्ञापन इसमें नहीं रखा गया है। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, आप इस बिल को देखें। इसके पृष्ठ 4 पर जो पैरा 28 का संशोधन है जिनमें ये जांच चौकियों को मुकर्रर करने जा रहे हैं, क्या उसमें यह अन्तर्निहित नहीं है....

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इसके लिये पहले से प्राविधान है.....

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप इसकी शब्दावली पढ़ें। इस खंड के उद्देश्य को आप पढ़ें। ये कहते हैं कि पहले से कर्मचारी रखे हुए हैं तो इनको अब इन चौकियों के स्थापित करने की क्या जरूरत है। अपनी प्रादेशिक सीमाओं पर और सीमाओं के भीतर दोनों जगह वह चौकियां स्थापित की जा रही हैं। यह खंड केवल बढ़ाया जा रहा है। अगर पहले से यह खंड मौजूद होता तो दूसरी तरह से इसमें संशोधन होता और वह इसकी परिधि को टच नहीं करता। लेकिन इसमें वह धारा बढ़ाने से और इस धारा को इस तरह से लिखने से यह साबित हो जाता है कि इसमें नये खंड को बढ़ाया जा रहा है और एक नया खर्च अन्तर्गस्त किया जाने वाला है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिस व्यय को हम नहीं मांग रहे हैं और जिसको हम इस समय लेना नहीं चाहते हैं उसको माननीय सदस्य कहते हैं कि खर्च हो रहा है। मैं कहता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो पहले से वर्तमन स्टाफ है उससे ही हम काम चला लेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

जो आपत्ति कल्पनाथ सिंह जी ने उठाई है वह नियम के अन्तर्गत है। व्यय तो होगा चाहे वह तत्काल न हो। इस विधेयक के अनुसार वह व्यय होगा लेकिन उस बात को मंत्री जी ऐसे तोड़ मरोड़कर कह रहे हैं कि जो दूसरी तरह से मालूम होता है। चाहे कोई भी स्टाफ हो वह रहेगा तो है ही। इसलिये यह धन विधेयक है और इसमें खर्च जरूर होगा। इसलिये मेरा विचार है कि इसको मान लिया जाय।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

जो बात कही जा रही है उसके लिये दफ्तर तो रहेगा ही उसमें कागज, कलम, मेज, कुर्सी और चपरासी वगैरा तो रहेंगे ही। इसका मतलब यह है कि जो विधेयक आ रहा है उसके लिये इन सब चीजों की जरूरत होगी। इसमें लिखा है कि "यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में सड़क द्वारा माल आयात किये जाने के पश्चात् राज्य के भीतर माल की बिक्री के संबंध में या इस अधिनियम के अधीन देय कर तथा अन्य देयों के अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा अपनी प्रादेशिक सीमाओं के निकट राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर जो विज्ञप्ति में निर्देश किये जायं जांच चौकियां तथा नाके स्थापित करने का निदेश दे सकती है।" स्थान बतायेगी, जांच चौकियां बनायेगी तो उसके लिये पैसा कहां से आयेगा उसके लिये पैसा किसी आइटम में तो रखा ही जायगा। मैं समझता हूं इस तरह कहकर भुलावे में डालने की बात है। इसमें पैसा तो खर्च होगा ही। इस तरह से यह धन विधेयक है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस ऐक्ट में ऐसा प्राविधान है कि दि स्टेट गवर्नमेंट बाइ नोटिफिकेशन इन आफिशियल गजट सेट अप....

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आप यह किस भाषा में पढ़ने लगे, आप तो इसके बड़े विरोधी हैं। यह भाषा कहां से निकाल दी? कोई कोटेशन दे देते, लेकिन आप तो अंग्रजी का पढ़ रहे हैं?

श्री विश्वनाथ कपूर—

आपने कल कहा था कि मैं अंग्रेजी में नहीं पढ़ने दूंगा जब जायसवाल जी बोल रहे थे, लेकिन आप स्वयं पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल यह है कि जो अंग्रेजी में उसी ऐक्ट में दिया हुआ है वही पढ़ रहा हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस बिल में कोई भी शब्द अंग्रेजी का नहीं दिया गया है, वह हिन्दी में है, लिपि देवनागरी है और इस पर भी व्यवस्था हो चुकी है उसी आसन से कि जिस भाषा में बिल है उसी में उसका उद्धरण होगा। अगर यह अंग्रेजी में आया होता तो अंग्रेजी में ही माननीय हो सकता था, कोटेशन आप पढ़ सकते थे, लेकिन यह जो बिल है यह है हिन्दी का, जो पास होगा वह हिन्दी का।

श्री उपाध्यक्ष—

हिन्दी अंग्रेजी की कोई बात नहीं है। जो किताब है उसका उद्धरण है, उसको हिन्दी में किये देता हूं। जो मूल नियम है उसमें है, वह माननीय वित्त मंत्री जी देख लें धारा 28, यह लोकल ऐक्ट है, उसको देख लीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं वही निवेदन कर रहा था। मुझे अभी यह सूचना मिली है कि वर्तमान धारा 28 में भी चौकी, नाके स्थापित करने की व्यवस्था पहले से ही है, उसी को परिवर्तित करके इसमें रखा जा रहा है। चूंकि व्यवस्था पहले से मौजूद है, इसलिए स्टाफ मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष—

हिन्दी में पढ़े देता हूं—

"जांच चौकियों की स्थापना—(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, इस ऐक्ट के अधीन देय (payable) बिक्री-कर तथा अन्य आदेयों (dues) की अदायगी के अपवंचन (evasion) को रोकने के निमित्त राज्य के किसी भी स्थान में जांच चौकियां (check post) तथा नाके (barriers) स्थापित कर सकती हैं।"

यह प्राविधान पहले से है। इसलिए व्यय अन्तर्ग्रहत पूर्व से है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—

मैं उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "न" आगे पृष्ठ 485 पर)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972

कारागार उप मंत्री (श्री रामपूजन पटेल)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने के लिए अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामपूजन पटेल—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी "प" आगे पृष्ठ 508 पर)

नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव एक है । माननीय जायसवाल का तो समय के बाद का है, लेकिन नियम 56 में एक आया है माननीय नित्यानन्द स्वामी का—"प्रदेश में नक्सलपंथियों की गतिविधियों एवं महात्मा गांधी की मूर्ति का अपमानित किया जाना," मेरठ का है । यह नियम 56 में अस्वीकार हुआ है । कार्यवाही के लिए हम जरूर इसको भेज रहे हैं और वह वक्तव्य चाहेंगे तो वह भी हो जायगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं । महात्मा गांधी की इस मूर्ति के नीचे हम बैठे हैं । उनके मुंह पर कालिख पोती गई , मूर्ति भंग की गयी, माओत्सेतुंग के नारे लगाये गये । इस पर वक्तव्य करा दीजिये ।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह रूसीवादी हैं , मैं चीनीवादी कम्युनिस्टों के बारे में....

श्री छांगुर राम—

यह महात्मा गांधी की हत्या करने वाले थे । नक्सलवादियों से यह बहुत परेशान हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य दिला देंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, हमने भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव भेजा था ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह देर से मिला । समय से मिलता तो हम करते । इसलिये आप कल दें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप इसको सरकार के पास भेज दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज नहीं कल ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971

खंड 4 (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष—

अब आइटम नम्बर 13 चलेगा । कल जो संशोधन था उसका जवाब देना था । राजस्व मंत्री जी कहेंगे और लोग बोल चुके थे ।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

श्रीमन्, कल मैंने निवेदन किया था कि माननीय रामधारी शास्त्री जी का जो संशोधन है उस पर विचार होना बाकी रह गया था । मैंने निवेदन किया था कि मैं माननीय रामधारी शास्त्री तथा माधव प्रसाद त्रिपाठी और अन्य दलों के लोगों से बात करूंगा । मैंने अभी उनसे बात की और उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि वे लोग संतुष्ट हुये या नहीं । लेकिन जो बातचीत हुई उससे मुझे आभास हुआ कि यह आवश्यक नहीं है कि मैं संशोधन को मंजूर कर लूं । वह हमें मंजूर नहीं है । इसलिये आप राय लें ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

कल यह हुआ था कि आप पेश करेंगे । आज उन्होंने सूचना दे दी कि उनको यह मान्य नहीं है तो बहस क्यों खत्म की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर कल बहस हुई थी और एक ही मामला बाकी रह गया था । उसको पेश किया जायगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल इस पर कई लोग अपने विचार व्यक्त कर चुके थे और आज भी अपने विचार रखना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसीलिये कल हमने इसे स्थगित कर दिया था । अब मंत्री जी ने बातचीत की है । अब इस पर वोट लेना है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस पर बहस का मौका दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल स्थिति यह थी कि और सब स्वीकार हो गये थे । मैं वोट लेने जा रहा था लेकिन सार्वजनिक हित की बात रामधारी शास्त्री जी ने रखी थी तो मंत्री जी ने बात करने और रास्ता निकालने की बात कही थी तो मैंने स्थगित कर दिया था इतना ही हिस्सा ।

---

†3 जनवरी, 1972 की कार्यवाही से ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय राजस्व मंत्री जी को इस बिल के उद्देश्य को सदन के सामने रखना चाहिये। था जिससे सदन जान जाये कि यह बिल किस लिये आया।

श्री उपाध्यक्ष—

खण्ड 4 तक बहस हो गई थी।

श्री अनन्तराम जयसवाल—

लेकिन जो पर्टीकुलर संशोधन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? आखिर हम लोग बाहर रहते हैं, कहीं शिकायत नहीं आई कि यह बदलना है, वह बदलना है।

श्री उपाध्यक्ष—

कल आप नहीं थे। इस पर दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने कल कहा था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कल हम थे और इतना तय हुआ था कि राजस्व मंत्री जी हम लोगों से बातचीत करेंगे और जिस तरह से उन्होंने बातचीत की थी उससे यह हुआ था कि वे शायद सहमत हो जायेंगे और संशोधन मान लेंगे। लेकन आज आकर उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि वे इस संशोधन को मानने को तैयार नहीं हैं लेकिन फिर भी कितने ही सदस्य इस बात को रखना चाहते हैं। हो सकता है कि जब इस पर वोटिंग हो और यह पास न हो पाये। इसलिये माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का आप मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

स्थिति तो यह है कि इस पर वोट होने ही वाला था लेकिन उस पर यह संशोधन रख दिया गया और मुझे ऐसा लगा कि रामधारी जी का वह संशोधन शायद सरकार स्वीकार करने जा रही है और शायद विरोधी पक्ष से बातचीत करके कोई रास्ता निकल आवे, इसलिये मैंने उसको स्थगित कर दिया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय मंत्री जी ने जो बयान आज दिया है उससे माननीय सदस्य सहमत नहीं हो पाये, इसलिये उसके ऊपर अभी बहस की गुंजाइश है इसलिये आप इस पर बहस की इजाजत दे दें जिससे सदस्यगण अपनी राय जाहिर कर सकें। कल की जो कार्यवाही हुई थी वह तो उपनिवेशन के बिलकुल अन्तिम चरण में हुई थी और बहुत कम लोगों को बोलने का मौका मिल पाया था। जिन लोगों से शर्मा जी ने बातचीत की वे अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं इसलिये हर दृष्टि से यही उचित होगा कि आप उन लोगों को मौका दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मौका तो कल मैंने दे दिया था। इस तरह से अगर हर बात पर पीछे आगे चला जायगा तो ठीक नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

दोनों पक्षों की कल बातचीत हुई लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल सका। अतः उन लोगों को सदन में अपने विचारों को तो रखने का अधिकार है ही। केवल 15 मिनट ही आप दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

कल इस संशोधन पर श्री महीलाल, श्री गंगा प्रसाद, राजस्व मंत्री, श्री राजमंगल पांडेय, श्री लक्ष्मीरमण आचार्य तथा श्री भगवती सिंह विशारद बोले थे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

आपने मेरा नाम तो लिया नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले बोले थे। आपका नाम उसमें है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

मैंने कहा कि यह चीज किस तरह से क्राप-अप हो गयी, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। आखिर यह एक्सचेन्ज कर देने वाली बात किस प्रकार स पदा हुई।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने भी तो कल भाषण दिया था।

श्री रामकुमार शास्त्री—

लेकिन वह मसला पूरा कहां हुआ। सवाल तो असली यही है कि यह चीज पैदा कैसे हुई। असली बात तो गदरबूद की जा रही है। आखिर किसने रिप्रेजेन्टेशन किया अथवा कौन सी परिस्थिति आई जिसकी वजह से यह किया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर तो माननीय राजस्व मंत्री ने दिया था।

श्री रामकुमार शास्त्री—

उन्होंने उसको साफ नहीं किया, उसी के लिये उन्होंने समय लिया था। लेकिन आज उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया है, इसलिये हमें मौका मिलना चाहिये।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

यह 72 हजार पंचायतों की संपति का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार विनिमय करने के लिये आप और समय दे दें अन्यथा लाखों एकड़ जमीन जो गांव समाज की है और जो गांव समाज के सभापतियों के संरक्षण में है, वह नष्ट हो जायगी। इसलिये इस पर विचार करने का समय मिलना चाहिये।

श्री पन्नालाल गुप्त (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, हमको समय दिया जाय। हम बतायेंगे कि इसमें क्या-क्या कमियां हैं और कौन-कौन ऐसे आदमी हैं जो उससे फायदा उठाना चाहते हैं। इसमें कुछ इन्टरेस्टेड पार्टियों के स्वार्थ निहित हैं। मगर मौका दें चूंकि मैं उदाहरण दूंगा कि कौन-कौन सी चीजें सार्वजनिक हैं जो सरकारी अफसरों ने दबा रखी हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मालूम तो हो जाय कि उसके पीछे क्या काला उद्देश्य है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

विचार तो कल हो ही गया था लेकिन हमारे दल के भी कुछ लोग कहना चाहते हैं। तो मुझे कोई एतराज नहीं है, आप सुन लें।

*श्री पन्नालाल गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रामधारी जी ने संशोधन रखा है वह बहुत ही मौजूं इसलिये है कि मैं अपने ही जिले की बात बताता हूं। एक सार्वजनिक सड़क खजुहा से शिवराजपुर जाती है और एक छत्रसाल सिंह हैं, जो कानपुर में सिविल ऐंड सेशन्स जज थे, उन्होंने उस सड़क को अपने फार्म के बीच में दबा कर ढाई बीघे में ऊख बो ली और तिदवारी बना ली और चहारदीवारी बना ली। इस पर वहां के बहुत से लोगों ने राजेन्द्र कुमारी जी और उदित नारायण जी, सबको दरख्वास्त दी, लेकिन चूंकि जज साहब उदित नारायण जी के दोस्त हैं इसलिये उन दरख्वास्तों को फाड़कर फेंक दिया गया, कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। उसके बाद ही हमीरपुर में बहुत से लोगों ने इनके साले और लोगों के जमीनें दबा ली हैं। इसलिये सार्वजनिक रूप से नहीं मानना चाहते। सार्वजनिक रूप को मान लेने में क्या दिक्कत है? इसी तरह से एक साहब और हैं जो हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने 25 बीघा जमीन एक आदमी से लिखवा ली जो सार्वजनिक है। इस तरह से इसमें बहुत घपला है। उसमें 115—डी का मामला डी० एम० ने चलाया। उसको भी उन्होंने तहसीलदार से खारिज करा दिया। वह हमीरपुर में भी जज रह चुके हैं। अब भी वह यहां आकर रहते हैं। उसका ऐज एड-मिनिस्ट्रेटिव जज हाई कोर्ट ट्रांसफर करवा दिया। बराबर इनके यहां आता है। हमारे जिले में जाते हैं तो उसकी मोटर में घूमते हैं, उसके घर चाय पीते हैं।

*श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर व्यक्तिगत कहा जाता है। या तो उसके बाद उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये तब हाउस की मर्यादा रहेगी नहीं तो लोग व्यक्तिगत नाम लेकर बोलते हैं। तो या तो व्यक्तिगत नाम न लें और अगर लेते हैं तो उसकी इक्वायरी होनी चाहिये और वह हाउस के सामने आना चाहिये क्योंकि जब कोई चीज हाउस में आ जाती है तो वह हाउस की प्रापर्टी हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर ऐसा ही था तो और भी उपचार उसके इस विधेयक के संबंध में हो सकते थे लेकिन इस तरह से बदनियती का इलजाम लगाना उचित न होगा, जो भार साधक सदस्य हैं उनकी नीयत में यदि इस तरह से जायंगे तो वह उचित न होगा, उन्होंने समय मांगा था। जो कुछ श्री पन्ना लाल जी ने कहा उस पर घोर आपत्ति है, यह अवसर वह सारी बातें कहने का नहीं था..... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

वह तो अपनी बात कह कर मिसाल दे रहे थे।

श्री पन्ना लाल गुप्त—

मैंने जो कहा है वह ठीक कहा है। अगर गलत हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से यहां कहने का यह ढंग बिलकुल गलत है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामधारी शास्त्री जिला (देवरिया)—

आपके कहने का भी श्रीमन्, यह ढंग खराब है।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका वैयक्तिक झगड़ा हो सकता है लेकिन इस तरह से विधेयक पर विवाद के समय भार साधक सदस्य के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं है और यह एक गर्हित उपाय है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर यहां पर यह कहा जाय कि इस तरह से इस विधेयक का मिसयूज हो सकता है और उसके बारे में कोई तथ्य और उदाहरण दिये जायं तो क्या वह संगत नहीं होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

तथ्य और उदाहरण किसी विधेयक के संबंध में दिये जा सकते हैं लेकिन इस तरह से हमीरपुर की बात कहकर किसी पर आरोप लगाना कोई ईमानदारी है ? हर जिले के झगड़े होते हैं कोई बात न्याय संगत समय से कही जाय तो ठीक है लेकिन जो श्री पन्ना लाल जी का भाषण है क्या वह केवल न्याय को लेकर हुआ है ? क्या वह पारस्परिक कटुता को लेकर नहीं हुआ है ?

श्री पन्ना लाल गुप्त—

मैंने तो केवल उदाहरण स्वरूप ही कहा था और मैं फिर सदन के सामने कहता हूं कि मौके पर जाकर कोई भी देख ले और अगर मेरी बात गलत हो तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

उपाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि यह सदन है, यहां किसी को भी कुछ कहने की स्वतन्त्रता है और अधिकार प्राप्त है। परन्तु जिस प्रश्न पर श्री पन्ना लाल जी ने जो यह सब बातें कहीं यह उचित नहीं था। पहले उन्हें हमारा ध्यान उन बातों की ओर दिलाना चाहिये था और फिर यदि हम उन बातों की जांच-पड़ताल न करते और उनको फिर भी इस बात की शिकायत होती तो उनको अधिकार था कि वह दल में या यहां पर जो चाहें कह सकते थे लेकिन यह तरीका अनुचित है। एक विधेयक पेश हुआ है, सार्वजनिक दृष्टि से वह पेश हुआ है, उसमें किसी व्यक्ति की कोई बात उठाकर, के जबकि हम जानते हैं कि पन्ना लाल जी पंडित उदित नारायण जी से कुछ खुश नहीं रहते कुछ इस तरह से बातें कह दी जायं यह अनुचित बात है। जो बातें उन्होंने कहीं हैं मेरी प्रार्थना है कि उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाय और पन्ना लाल जी से मेरी प्रार्थना है कि वह मुझे दे दें और यदि उचित कार्यवाही और जांच-पड़ताल के बाद न कुछ किया जाय केवल तभी वह ऐसी बातें हाउस में उठा सकते हैं और सब बातें हो सकती हैं।

श्री पन्ना लाल गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आप से करबद्ध प्रार्थना है कि पंडित जी ने जो चीज कही है मैं उस सम्बन्ध में जरा सी सफाई दे दूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उसका यह ढंग नहीं है, अब आप बैठें।

श्री शिवराज सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस संशोधन को बहुत आवश्यक समझता हूं और मैं माल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने फैसले पर पुनः विचार कर लें अन्यथा जिस शक्ल में वह इस संशोधन विधेयक को पास कराना चाहते हैं उससे प्रदेश में जब अनहित होने की सम्भावना बनी रहेगी। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वे इस बात का मूल्यांकन करें कि इस संशोधन का प्रभाव किस आकार का है? श्रीमन्, इस संशोधन का सम्बन्ध प्रदेश के 72 हजार गांव समाजों से और उनकी लाखों एकड़ जमीन से है। इसके द्वारा हम लाखों एकड़ जमीन जो आज प्रदेश के छोटे-छोटे गांव समाजों में बिखरी हुयी है, उसकी अदला-बदली करने का अधिकार हम गांव सभावों को देने जा रहे हैं। जब विधान सभा में मूल अधिनियम पारित किया गया था उस समय ये अधिकार नहीं दिए गये थे। गांव सभावों पर यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि वह गांव सभाओं की भूमि को ठीक प्रकार से किसानों से विनियमन (अदला-बदली) करेंगी। उस समय विधान सभा में संभावना इस बात की देखी गयी थी कि गांव समाज की भूमि गांव सभाओं के प्रभावशाली व्यक्ति अदला-बदली करके लाभ उठा जायेंगे और गांव समाजों को नुकसान पहुंचेगा। जब हम गांव समाज की भूमि को किसानों की जमीन से अदला-बदली करने का प्राविधान इस अधिनियम के माध्यम से रखेंगे तो माननीय रामधारी शास्त्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन बहुत ही आवश्यक है क्योंकि उन अवस्थाओं में ही जबकि ऐसा करना जनहित में या गांव समाज के हित में होगा तभी इस प्रकार के ट्रांस्फर्स किए जा सकेंगे। गांव सभाओं, तहसीलदार पर या कलेक्टर पर एक दायित्व अवश्य डालना चाहिए कि वे इस बात की जांच करें कि इस प्रकार जो गांव समाज की जमीन और किसी किसान के बीच अदला-बदली की जा रही है, उसे गांव समाज के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है और जब यह साबित हो जाय कि गांव समाज के हितों को कोई आघात नहीं पहुंच रहा है उससे गांव सभाओं का भी फायदा है और उस किसानों को भी फायदा है तभी इस प्रकार से ट्रांस्फर करने की व्यवस्था होनी चाहिए अन्यथा गांव समाज के हितों की रक्षा नहीं हो सकेगी और गांव समाज की जो भूमि होगी उसको वहां के प्रभावशाली व्यक्ति हड़प लेंगें। मुझे भारी भय है कि जो भूमि अच्छी होगी चाहे नक्शे और मौके के कागज लिहाज से न भी हो उनकी अदला-बदली हो जायगी। इस प्रकार 72 हजार गांव समाजों की लाखों एकड़ भूमि प्रभावशाली व्यक्तियों के हाथों में चली जायेगी और उससे गांव समाजों का भारी नुकसान होगा।

मैं नहीं समझता कि इस संशोधन को स्वीकार करने में क्या हानि होगी? इस पर माल मंत्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला। इससे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है और मैं माननीय माल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करके इसको जनहित में स्वीकार कर लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शास्त्री जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं भी इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

पिछले जमाने का हमें तजुर्बा है कि किस प्रकार से गांव समाज की भूमि को धनी और जमींदार लोगों ने हथिया रखा है। सीलिंग के बारे में बोलते हुए सरकार की ओर से इस बात को तस्लीम किया गया है। अगर इस संशोधन को आप नहीं मानेंगे तो गांव समाज के ऊपर जो लोग हावी हैं, वे अपने हित में निहित स्वार्थों के लिए ट्रांस्फर करा लेंगे। जहां तक संशोधन का स्वरूप है, मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी को इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति होगी। अगर कम से कम सार्वजनिक हित का बन्धन लगा देते हैं तो इस प्रकार के ट्रांस्फर्स में रोक लग जायगी और उसका मिसयूज हो सकता है। मैं माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको देखें। आपका तजुर्बा है कि एक्सचेन्ज की भूमि का वितरण

किस ढंग से किया गया है। आपको विभाग का तजुर्बा है उस तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को स्वीकार कर लें ताकि आगे आने वाले जमाने में बंधन रह सके। मैं समझता हूं कि इस तरीके से गलत काम नहीं होगा। इस संशोधन के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, अभी तक कानून के अन्दर दो किस्म के तबादले का प्राविधान था। एक तो व्यक्तिगत तबादला जो दो काश्तकारों में जरूरी था या दूसरे काश्तकार से ग्राम सभा को करना चाहिये था। दफा 161 में था कि कोई भी आदमी अपनी प्राइवेट लैन्ड का एक्सचेन्ज नहीं कर सकता है जब तक कि एस० डी० ओ० उसके लिये परमीशन न दे। लेकिन दूसरी किस्म की जमीन के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है। वह सरकारी जमीन के बारे में था। यह सरकारी जमीन के बारे में जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है सरकारी जमीन भी अगर सरकार चाहे तो किसी इन्डीविजुअल काश्तकार से उसका तबादला कर सकती है किन्हीं परिस्थितियों में। प्रश्न यह था कि सार्वजनिक हित उसमें जोड़ दिया जाय। सार्वजनिक हित में उसमें केवल एक, दो दिक्कतें पड़ती हैं। एक चीज जो सरकार के लिये सार्वजनिक हो सकती है वह किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं हो सकती है मैंने कल भी बताया था और उसके लिये उदाहरण भी दिया था मान लीजिये कि एक सड़क है। सरकार एक सड़क निकालना चाहती है। एक काश्तकार के खेत में से और जो काश्तकार के बगल में पड़ती है उसको प्राइवेट काश्तकार से एक्सचेन्ज कर देते हैं तो उसमें एक्वीजीशन का समय भी बर्बाद नहीं होगा। उस इन्डीविजुअल काश्तकार से तबादला कर सकते हैं और पुरानी सड़क की जमीन को मौके पर अख्तियार कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से चकबन्दी में भी बताया था कि हजारों ग्राम समाज ऐसे मिलेंगे जहां 30 या 40 डैसीमल किसी तरीके से मिल कर कुछ लोगों ने ऐसी सम्पत्ति पैदा कर ली है जिसकी वजह से सारे गांवों के कारोबार में खुराफात पैदा हो सकती है इसके लिये प्राविधान किया था। सार्वजनिक हित का मतलब यह होगा कि उसमें प्रतिबन्ध होगा सार्वजनिक हित का। यानी तब तक लैन्ड का एक्सचेन्ज नहीं हो सकता है। जो परपज है उससे वह हल नहीं होगा जिसके लिये यह प्राविधान लाया गया है। सार्वजनिक हित के बारे में एक ही कन्डीशन होगी यानी उसके लिये सार्वजनिक हित साबित करना होगा। उसमें सभी कोर्ट्स के दरवाजे खुले रहेंगे जो आसानी से काम हो सकता है, जिसके लिये एस० डी० ओ० और कलेक्टर प्रेस्क्राइब्ड अथोरिटी है और पहले भी थी। प्राइवेट इन्डीविजुअल के लिये एक्सचेन्ज के लिये भी एस० डी० ओ० ही था। अगर इसमें कोई ज्यादा दिक्कत हो तो कलेक्टर को उसके लिये कर दिया जाय कि कलेक्टर की परमीशन के बिना एक्सचेन्ज नहीं हो सकता और सारे दरवाजे कचेहरियों के इसमें खुले रहेंगे। अगर सार्वजनिक हित जोड़ सकते हैं तो सारी परेशानी वही रहेगी और जो मंशा है वह हल नहीं हो सकेगी।

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, यह संशोधन जो माननीय शास्त्री जी ने पेश किया है इसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और शायद माननीय माल मंत्री का ध्यान इस संशोधन की ओर नहीं गया है। अगर वे गौर करेंगे तो इसको अवश्य मान लेंगे। अगर संशोधन नहीं किया गया तो हरिजन भूमिहीनों को नुकसान हो जायेगा। जो लैन्ड सीलिंग से निकलने वाली है वह आप प्राइवेट आदमी को एक्सचेन्ज करने जा रहे हैं। अगर सरकार की नियत अच्छी है और वह चाहती है कि भूमिहीन हरिजनों को लैन्ड मिले तो सार्वजनिक हित रख देने में सरकार को क्या आपत्ति है। अगर ऐसा न किया गया तो हरिजन और भूमिहीन वंचित रह जायंगे और जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

जमीन अच्छी क्वालिटी की है वह बड़े-बड़े काश्तकार या चालाक किस्म के लोग हैं, वे तबादिला करा लेंगे। इसलिये यह प्रतिबन्ध लगाना जरूरी है कि जो सार्वजनिक हित की बात हो उसी में एक्सचेन्ज किया जाय। ऐसे संशोधन को जो गवर्नमेंट की पालिसी है अगर उसको मान लेने में माननीय माल मंत्री जी को क्या आपत्ति है। लाखों एकड़ जमीन जो सीलिंग में वितरण करने के लिये है या जो कानून बनाया जाय उसमें ऐसा किया जाय कि सब जमीनों का प्रोटेक्शन हो जायेगा। अगर यह रिवाज नहीं रहेगा तो जमीन हरिजनों को नहीं मिल पायेगी। इसलिये यह संशोधन मान लिया जाय क्योंकि यह उनके हित में है। चकबंदी के बीच में कोई जमीन होती है तो उसका एक्सचेंज नहीं हो पाता। अगर उसको हरिजनों को दे देंगे तो प्राइवेट आदमियों से सेटिल कर लेंगे। सरकारी सार्वजनिक हित में जमीन ले। यहां ऐसा हुआ है कि बिना सार्वजनिक हित के तबादला हो रहा है। इस संशोधन को अगर मान लिया जायेगा तो यह सार्वजनिक हित में होगा। तो आप सभी से अपील है कि इसके पक्ष में वोट करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, कल मैंने निवेदन किया था कि कानून बनाने में या तो कोई जनता की मांग होती है और वह ऐसी जबर्दस्त बन जाती है कि विधायिका को उसे कानून की शक्ल देनी पड़ती है जैसा कि यह जमींदारी उन्मूलन कानून आया है या कभी-कभी हाई कोर्ट जजमेंट देकर सुझाव देती है कि इसको जोड़ दिया जाय या इसको घटा दिया जाय, तब उसकी आवश्यकता पड़ती है या किसी वक्त किसी कानून को लागू करने में कोई बाधा होती है, तब ऐसा किया जाता है। किन्तु जहां तक इस संशोधन का सवाल है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर जहां तक किसानों की अदला-बदली का सवाल है, तो यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो एक दूसरे से या गांव सभा की जमीन से तबादला हो सकता है। जब ये सारी चीजें पहले से ही मौजूद हैं, तो फिर यह कसे सवाल आ गया। हमारे शास्त्री जी ने जो बात कही, वह कैसे आ गयी। जो बातें हमारे पन्नालाल जी ने कहीं, उनका ध्यान नहीं रखा गया है,। जो हमारी समाज के सबल सेक्शन हैं, वे ही ऐसे कानून का फायदा उठा पाते हैं। हमारे राजस्व मंत्री जी इस विषय में सदन का अविश्वास दूर नहीं कर पाये हैं। अव्वल तो ऐसे संशोधन की आवश्यकता नहीं है और यदि है तो यह मामूली तरमीम के साथ पेश की गई है और उसको मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। कल जब राजस्व मंत्री जी बोल रहे थे तो करीब-करीब मान लिया गया था कि इस संशोधन को मान लेने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आज बातचीत का रुख बदल गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उनकी नियत···

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी योग्यता पर जाइये। श्री पन्नालाल जी ने कहा, वह आप भी कहें किन्तु व्यक्तिगत प्रहार ठीक नहीं। उससे बहस का पहलू बिखर जाता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसलिए, मान्यवर, बहुत विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि पूरे सदन को और यहां जो सदस्य हैं उनको गहरा अविश्वास है कानून के बारे में, इसकी मंशा के बारे में आशंका है कि इसका दुरुपयोग हुए बिना नहीं रहेगा। मान्यवर, अभी हाल की कुछ घटनाएं ली जांए तो कभी-कभी शक होता है कि उनको लीगलाइज किया जा सकता है ऐसा मालूम होता है कि यहां के बड़े-बड़े अधिकारियों ने यह किया है कि उनके किसी रिश्तेदार के पास काफी जमीन रही है और वह चाहता है कि किसी एक जगह पर इकट्ठा चक बना दें। इसलिए कोई व्यवस्था न होते हुए भी गांव सभा की जमीन से बदल कर 80–90 या 100 बीघे या एकड़ का एक पुख्ता चक बनवा लें। मान्यवर, राजस्व मंत्री जी की जानकारी में है,

ऐसी बातें, उन्हें शिकायतें मिली हैं, कागजात भी सील कर दिये गये हैं। उन्हीं चीजों को लीगलाइज करने के लिये यहां के सेक्रेटिएट के अफसर दबाव डाल रहे हैं शायद, नहीं तो जहां तक सार्वजनिक हित का प्रश्न है इससे जनता का कोई फायदा होने वाला नहीं हैं। इस तरह की कोई मंशा नहीं झलकती है और ऐसा मंतव्य भी जाहिर नहीं होता। यह चीज अनावश्यक है और असमय की है या तो इसको वापस ले लिया जाय अन्यथा अगर पास किया जाता है तो श्री रामधारी शास्त्री का संशोधन मान लिया जाय।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, कल तो कुछ ऐसा मालूम होता था कि माननीय मंत्री जी शास्त्री जी के संशोधन को स्वीकार करने जा रहे हैं। अब क्या माननीय मंत्री जी को उनके संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति है? संशोधन के विरोध में जो श्री राजमंगल पांडे ने दलीलें दी हैं वह दलीलें खुद ही अपनी जगह पर कमजोर हैं, उनको किसी तरह भी शास्त्री जी के संशोधन के विरोध नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के तौर पर माननीय राजमंगल पांडेय ने कहा कि इस अधिनियम में पहले से ही व्यवस्था है कि एक ही प्रकार के भूमि धर या सीरदार आपस में जमीन बदल सकते हैं और गांव सभा की जमीन भी बदल सकते हैं। अब केवल शासन की भूमि के बदलने की व्यवस्था होने जा रही है। श्री राजमंगल पांडे इस बात से सहमत होंगे कि बड़े-बड़े लोगों ने जो गांवों में प्राभावशाली थे उन्होंने गांव सभा की अच्छी जमीन को गांव सभा से ले लिया और गांव सभा के लिये ऐसी जमीन दी जो बेकार जमीन थी। उदाहरण के तौर पर गांव के करीब की जमीन जो आबादी के काम आ सकती थीं, जिनको गृह विहीन लोगों को दिया जा सकता था, गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों ने ग्राम सभा की जमीन से बदल ली और ग्राम सभा को जमीन मिली वह आबादी से दूर मिली। अब अगर ऐसी व्यवस्था हो जायगी तो गरीब लोगों के लिये और भी परेशानी होगी। जैसा श्री राजमंगल पांडेय ने कहा, इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय और शासन की जमीन को भी बदलने का अधिकार दे दिया जाय तो इसका दुरुपयोग हुये बिना नहीं रह सकता, जैसा कि गांव सभा की जमीनों का हुआ है। जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वह शासन के अधिकारियों से सांठगांठ करके शासन की जमीनों को प्राप्त कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर म माल मंत्री जी की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि मेरे यहां ठाकुर द्वारा में 11 हजार एकड़ जमीन गांव के बड़े लोगों ने एस० डी० एम० ने दे दी। जिलाधीश ने रिपोर्ट की कि एस० डी० एम० को मुअत्तिल कर दिया जाय, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। कहा गया कि एस० डी० एम० की अनुमति के बिना ऐसा न होगा, तो क्या आप समझते हैं कि एस० डी० एम० हो जाने से व्यक्ति दूध के धुले हो जाते हैं। उनके कुकर्म ऐसे-ऐसे होते हैं कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने बड़े-बड़े लोगों को गांव सभा की अच्छी-अच्छी जमीन दे दी हैं। इसलिये ऐसे निर्दोष संशोधन को माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें। कल तो वह अर्द्ध-सहमत हो गये थे और अब क्या हो गया। वास्तव में देखा जाय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके स्वीकार करने से बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। यदि नयी व्यवस्था कर दी तो और भी बड़ा भारी अनर्थ हो जायगा।

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)—

इस विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि यहां सार्वजनिक हित की डेफीनिशन नहीं दी गई है कि सार्वजनिक हित क्या चीज है जैसे पब्लिक वर्क्स में सार्वजनिक हित जैसे फलां-फलां डेस्क्राइब किया गया है यह अधूरा है।

श्री महीलाल—

वह नियमों में आयेगा।

श्री मेहरबान सिंह—

जब तक इसमें नहीं दिया जायगा, झगड़ा बढ़ सकता है ।

*श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, जब मैंने संशोधन रखा था तो मुझे पूरा यकीन था कि माननीय राजस्व मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं है । क्योंकि दो कारण थे । आखिर में कौन सी जरूरत पड़ गई, जनता की डिमान्ड थी ? या कोई सरकारी काम हर्ज हो रहा था जिसकी वजह से यह बिल लाया गया, यह संशोधन लाया गया । यह स्पष्ट नहीं है ।

दूसरे राजस्व मंत्री जी ने जब कुछ बातें कहीं तो कहा कि कई जगहें ऐसी हैं कि दो चकों के बीच में जमीन आ गई है वह सरकारी है उसे देना जरूरी है । मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिये चकबन्दी कानून में परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें संशोधन हो सकता है । लेकिन अगर दो चकों के बीच में जमीन है वह भूमिहीन को एलाट कर दी जाय और बड़े आदमी जो कानून बनाते हैं, वह आपस में विनिमय करने के लिये स्वतंत्र हैं । इसमें कोई दो राय नहीं हैं । हमारे लायक दोस्त राजमंगल पांडेय जी ने कहा और एक सड़क का उदाहरण दिया कि एक सड़क निकल रही है और वह पुरानी सड़क नहीं रहेगी । वह मानते हैं कि वह सार्वजनिक हो गई । ऐसी-ऐसी चीजे हैं जिन्हें मैं कहना चाहता हूं । दो तीन कानून पास हुये । सबसे पहले एक सिकमी कानून जमींदारी एबोलीशन के साथ पास हुआ । इसलिये गरीब आदमी, बड़े लोगों की जमींन का क्या होगा, उसका फायदा उनको होगा । कुछ को हुआ है और यह हुआ है बड़े लोगों को । बड़े लोगों ने कैफियत के खाने में अपना नाम लिखाया और हजारों की तादाद में गरीबों की भूमि उनके हाथ में आ गई । गांव सभा की जमीन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं और राजस्व मंत्री जी को नोट कराना चाहता हूं । हमारे जिले में एक गांव में माननीय श्री गेंदा सिंह जी कीकांस्टीट्युएंसी में गांव सभा की 400 एकड़ जमींन एस० डी० ओ० के रहते हुये बड़े लोगों के प्रभाव में गरीब आदमियों को नहीं मिल पायी । सरकार का पजेशन नहीं होता है ।

आपने जो अधिकार दिया है उसमें इस बात का खतरा है कि बड़े लोग प्रस्ताव पास करा कर गांव सभा से जमींन अपने और अपने बच्चों के नाम करा लेंगे । आखिर भूमिहीन की परिभाषा क्या है? एक या दो बीघा भूमि का काश्तकार भूमिहीन होगा जिसका नतीजा यह हुआ कि बटने वाली भूमि दो बीघा वालों में बंट गई । केवल छूट देने के नाते स्पेसिफिक कुछ नहीं कहा । बड़ा नुकसान हुआ । बड़े लोगों को जमींन मिली उसी तरह से गांव सभा की भूमि सीरदार या भूमिधर बदल सकते हैं । अब आप ने राज्य सरकार की जमींन को खाली छूट दी तो निश्चित रूप से गरीब आदमी उसका फायदा नहीं उठा सकता । यह बड़े लोग सरकारी जमीन को ले लेंगे और फायदा बड़े लोगों को होगा । सरकारी जमींन चली जायगी वह सार्वजनिक जमींन है । इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कह रहा हूं कि इस संशोधन से आप एक हथियार बड़े लोगों को न दें, बड़े आफिसर्स के हाथ में नंगी तलवार न दें जिससे जो जमींन मिलने वाली है वह उन्हें मिल जाय । अब कहा गया कि असिस्टेंट कलेक्टर्स को अधिकार है । असिस्टेंट कलेक्टर्स को पहले से ही है । माननीय राजस्व मंत्री जी ने 3 तारीख को कहा था पट्टे अगर करना है तो उस पर विचार किया जा रहा है । वह सारे पट्टे अधिकारी की सहमति से हुए थे । इस तरह से सारा काम एस० डी० ओ० का ही हुआ । हमारे राजस्व मंत्री जी स्वयं भी एक वकील है और जानते हैं कि बड़े-बड़े आर्डर्स बैठकर ही फाइलों में लीडर्स करवाया करते हैं । ऐसा करने से बड़ी बड़ी रिटें हुआ करेंगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा संशोधन माना जाय । उसको मानने में आपका नुकसान क्या है ? हमारी गवर्नमेंट की लैंड, पब्लिक लैंड है और उसका उपयोग जनहित में होना चाहिए । जब तक कि सरकार को कोई खास जरूरत न हो उसको

---

*पक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसी आदमी को न दिया जाय । अगर कोई जरूरत हो जाय तो सरकार के हाथ में बहुत से अधिकार हैं, वह उसका उपयोग उस समय कर सकती है । मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय । मंत्री जी ने जो कुछ कहा है मैं उससे बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हूं । इसलिए म आपके माध्यम से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि सार्वजनिक हित में रखने से क्या नुकसान है और इसमें आपका ही हित है । पब्लिक लैण्ड पर जितना भी प्रतिबन्ध रह वह हितकर होता है । सरकार अपने को समाजवादी कहती है, गरीबों की रहनुमा है, उसका भला करने वाली है । इसलिय गरीबों का हित देखते हुये इस सार्वजनिक हित में रखा जाय जिससे भूमि के विनिमय में रोक लग जाय । किसी भी ऐक्ट में अगर जमीन निकलती है तो वह सरकारी जमीन हो जायेगी । इसी तरह स सीलिंग में जो जमीन निकलेगी वह भी सरकारी हो जायेगी वह निकली हुई भूमि बड़े लोगों को मिल जायेगी और गरीबों को वह नहीं मिल पायेगी । एक आदेश निकला उद्योग विभाग से कि कोई भी सीलिंग से निकली हुई बंजर भूमि उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिये दी जायेगी । हर प्रकार से गरीबों का तो नुकसान होता है । इस कारण गरीबों के हित में और प्रदेश के हित में आप इस संशोधन को स्वीकार कर लें ।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, मैंने कल ही आरम्भ में यह निवेदन किया था कि माननीय रामधारी शास्त्री ने जो संशोधन रखा है वह जाहिरा रूप में तो यही मालूम होता है कि बहुत सही है और सही मंशा से रखा गया है । आज तक जो होता रहा है उसको देखते हुये इस प्रकार का संदेह का होना स्वाभाविक है । अगर कोई इस किस्म के अधिकार दिये जाते हैं तो कहीं उसका दुरुपयोग न हो जाय । मैं निवेदन करूं कि मैं इसको बहुत अधिक विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता हूं । यदि सभी लोगों के समझ में आये कि इसमें फायदा अधिक होगा और नुकसान नहीं होगा तो यह एक बात होती है । मैं निवेदन करूं कि एक समस्या हमारे सामने है जिस पर विचार कर लें । आप दो-चार आदमी की एक कमेटी बना दें जो इस पर विचार कर ले । प्रश्न यह है किसी लिंग की जो जमीन छूटी है उसमें प्रायः यह हुआ है कि किसी व्यक्ति की 1 ही बीघा और किसी की 15 डेसीमल ही छूटी । कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी 100 एकड़ भी छूटी । अब प्रश्न यह है कि वह सही तरीके से दी जा सके । जो पाकेट्स की जमीनें पड़ी हैं इस किस्म की । गवर्नमेंट की जो लैंड थी और जिस पर खेती होती थी और कुछ ऐसी जमीन मिली जो इस्तेमाल नहीं होती है । हम एक ऐक्ट बनाने जा रहे हैं उससे इस समस्या का निराकरण करने की चेष्टा करेंगे । पहले भी यह समस्या खड़ी हुई थी और आयन्दा भी खड़ी होगी । मान लीजिये कि हमारे पास 50 बीघा जमीन है जबकि हमको 48 या 49 बीघा रखने का अधिकार है और दो बीघा निकालना है । अब मैं जिस जमीन को सबसे ज्यादा खराब समझता हूं उसको छोड़ देता हूं । होता यह है कि वह दो बीघा का नम्बर, चार बीघा का नम्बर ऐसी जगह पर छूट जाता है जहां पर न हम सरकार के इस्तेमाल में ला सकते हैं और क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है, जैसा कि महीलाल जी ने भी कहा. . . .

एक सदस्य—

उद्योग विभाग का आदेश निकल गया ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं अभी परिषद् में यह कह कर आया हूं कि उस आदेश का वह अर्थ नहीं है और उसको दुरुस्त करने के लिए आज ही कल में दूसरे आदेश जाने वाले हैं । मुख्य मंत्री जी ने उसको देख लिया है और कह दिया है कि उसको दुरुस्त कर दिया जाय ।

तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपके सामने प्रश्न यह है कि अगर कहीं पर 2 बीघा, 5 बीघा या 7 बीघा जमीन छुटी पड़ी है, अगर किसी हरिजन को एलाट भी कर दें

[श्री उदित नारायण शर्मा]

एक जगह हो तो किसी को एलाट कर सकते ह, लेकिन एक जगह करने के लिये यह जरूरत होगी कि किसी से तब्दील करें। ज्यादातर यह एग्रीकल्चरल लैन्ड है जिस पर खेती हो रही है और उम्मीद है कि आयन्दा भी होगी। कोई आबादी के नजदीक मिलने वाली नहीं है। आबादी से बहुत दूर, मीलों दूर है। यह थोड़ी-थोड़ी मिला कर बहुत हो जाती है। यह एक नया फैनोमिना है जो सीलिंग से पैदा हुआ है। पहले इस तरह की लैन्ड नहीं हुआ करती थी। आज की मौजूदा दफा 161 है। इसमें तरमीम लायी जा रही है। यह इस प्रकार है—कोई भूमिधर या सीरदार किसी भी दूसरे भूमिधर या सीरदार से, उसके द्वारा अधिकतम भूमि अथवा किसी गांव सभा या स्थानिक अधिकारी से उक्त भूमि धारा 117—ग के अधीन देते समय, जो उसमें निहित हो, विनिमय कर सकेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि असिस्टेंट कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना कोई विनिमय नहीं होगा। तो आज भी यह अपनी जगह पर बना रहेगा। अगर अनुभव ने आपको यह बताया है कि जब असिस्टेंट कलेक्टर को यह काम दिया गया तो उसने जिम्मेदारी से नहीं निभायी। तो आप कलेक्टर के जिम्मे कर दीजिये या गवर्नमेंट के जिम्मे कर दीजिये। लेकिन इसे समाप्त तो मत कीजिये। आज परिणाम यह हो रहा है कि अगर कहीं पर एक या दो बीघा जमीन छूटी हुई है तो सीलिंग की जमीन जिससे निकली है वही उस पर काबिज है। आप मेरी बात सुनें और गौर करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अगर आप कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दें तो सदन का मकसद पूरा हो जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस पर और विचार हो सकता है। चाहे किसी कमेटी के सिपुर्द कर दें। जब गवर्नमेंट ने इस बात को महसूस किया कि यह जो पैचेजों में जमीन पड़ी हुई है····

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मंत्री जी खुद मान रहे हैं कि यह कानून ऐसा है कि जिस पर सदन की कमेटी की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सदन को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये कि एक कमेटी बना दी जाय। वह सारी चीजों को देख लें, उसके बाद कानून यहां आ जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं समझता हूं कि जायसवाल जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय। तीन-चार लोगों की कमेटी बन जाय जो इस पर विचार कर ले।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आप सुझाव दे दें, सदन मान जायगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री रामधारी शास्त्री जी को रख दें और जो पुराने शास्त्री हैं जिनके बाल पक गये हैं, उनको रख दिया जाये। इसके अतिरिक्त श्री महीलाल जी तथा श्री कल्पनाथ सिंह को रख दें। चार ये हो गये और पांचवें पंडित जी हो गये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो इस पर विचार स्थगित कर सकता हूं। नियमानुसार मैं स्थगित कर देता हूं। राजस्व मंत्री, मुख्य मंत्री तथा सबकी जो राय होगी वह हमारे सामने आयेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हम बन्द करने का प्रस्ताव करते हैं।

श्री उदित नारायण शर्मा--

विवाद तो समाप्त हो गया, अगर इजाजत दें तो मैं कुछ शब्द कहूं। पन्नालाल जी ने जो कुछ कहा है वह प्रोसीडिंग्स का हिस्सा न रखा जाये कि उसके संबंध में मुझे नहीं मालूम श्रीमन् ने क्या फैसला दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

उसको देखेंगे। सामान्यतया मैं अपना यह मत व्यक्त करता हूं कि यहां जो कुछ होता है वह कार्यवाही में रहे। जब अध्यक्ष जी आयेंगे तब वे उसको देख लेंगे।

श्री उदित नारायण शर्मा--

इसलिये मेरे लिये यह जरूरी हो जाता है कि उसके लिये मैं 2 शब्द कह दूं, अन्यथा इसका मतलब यह हो जायेगा कि बात कही गई और उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने जिन जज साहब का जिक्र किया उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं हमीरपुर में वकालत कर चुका हूं। यह मेरी मजबूरी है और मेरी यह भी मजबूरी है कि जिन जज साहब का उन्होंने जिक्र किया वे हमीरपुर में पोस्ट किये गये। यह बात मेरे काबू में नहीं है कि मैं पन्नालालजी सरीखे लोगों की बात मान लूं। यह मेरे लिये कभी भी संभव नहीं था न संभव है और न संभव होगा। किसी कीमत पर यह संभव नहीं होगा।

जज साहब के खिलाफ एक दरख्वास्त जरूर आयी थी और उस दरख्वास्त पर मैंने विशेषतौर पर लिखा था कि उसकी जांच करके कलेक्टर रिपोर्ट देंगे। यह तथ्य मैं प्रमाणित कर दूंगा उस कागजी सबूत से जो कि मेरे पास आया था। मैंने वह दरख्वास्त कलेक्टर को भेज दी थी। इसके अतिरिक्त और कोई दरख्वास्त नहीं आयी। उन्होंने जो कुछ कहा उससे अधिक गलत बात दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। हमीरपुर या किसी और जगह पर ऐसी कोई बात हुई हो, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अगर कहीं पर कोई जमीन है और कोई मेरे पास आ कर यह कहे कि वह जमीन मैं उसको दे दूं तो उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा करने का किसी का साहस हो ही नहीं सकता है। आप स्वयं समझ सकते हैं और सदन भी इस बात को देख सकता है। जो विषय था उस विषय से इसका कोई संबंध ही नहीं था। जो बात माननीय पन्ना लाल जी ने यहां पर उठाई उसके लिये मुझे बड़ा खेद है। ऐसी बातें सदन को माध्यम बना कर कहने से सदन की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी।

श्री महीलाल--

वह प्रसंग तो उपाध्यक्ष जी ने समाप्त कर दिया है।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया है। वे चले गये हैं यह मेरी मजबूरी है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972†

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम कार्य-सूची की मद संख्या 14 व 15 को लेते हैं।

---

†3 जनवरी, 1972 की कायवाही में छपा है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

मद संख्या 15 तो आज प्रस्तुत ही नहीं हो सकती है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान नियमावली क नियम 128-पुरःस्थापन के उपरान्त प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं, इसमें यह दिया हुआ है:--

"किन्तु उस समय समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों और सदस्यों द्वारा की गयी आपत्ति अभिभावी होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें।" अब मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करता हूं। अगर आप आज आज्ञा दे दत हैं तो हमारे अधिकारों का हनन होगा। इस संबंध में मैं आपसे कहता हूं कि आप नियमावली क नियम 139(1) को देख लें।

नियम 139(1) में है कि यदि विधेयक के किसी खंड या अनुसूची में किसी संशोधन की सूचना उस दिन से36 घंटे पूर्व न दी गयी हो जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेंग। इसका मतलब यह हुआ कि हमें 36 घंटे का समय अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिये मिलना चाहिय। यह विधेयक कल ही वितरित किया गया है। हम इसे अभी पढ़ भी नहीं सके हैं। इसलिये आप इसे प्रस्तुत होन का आदेश न दें।

श्री उपाध्यक्ष--

कल माननीय सदन ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है। कल सदन में यह सूचना दी गयी थी कि सदन की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी 30 दिसम्बर, 1971 की बैठक में सदन के दिनांक 4 जनवरी, 1972 के कार्यक्रम के संबंध में यह सिफारिश की है कि उस दिन सायंकाल 4 बज तक उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर एवं उसके उपरान्त इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार तथा उनका पारण हो। इसको सदन कल स्वीकार कर चुका है। इसलिये अब उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती और न ही इसमें मेरी व्यवस्था का कोई प्रश्न उठता है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

श्रीमन्, सदन ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है या प्रस्ताव पास नहीं किया है कि संबंधित नियम को इसके लिये निलम्बित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सदन सवशक्ति सम्पन्न है, अगर सदन ने कोई निश्चय किया है तो मैं उसको कैसे बदल सकता हूं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, काय-मंत्रणा समिति ने या इस सदन ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है कि इस काय क लिय प्रक्रिया नियमावली के इस नियम को निलम्बित कर दिया जाय। आप को याद होगा कि कार्य-मंत्रणा समिति में भी यह सवाल उठाया गया था कि विधेयक की प्रतियां नहीं मिली हैं इसलिये चूंकि वह नियम निलम्बित नहीं हुआ है। माननीय कपूर जी की आपत्ति पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

म यह आग्रह करूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति में इस पर विचार हो चुका है और यह तो एसा विधेयक है जिसमें किसी संशोधन आदि की आवश्यकता नहीं है और इसे सदन को एक

मत से स्वीकार कर लेना चाहिए। यह तो अध्यादेश की पूर्ति के लिए लाया गया है। फिर एक बार कार्य-मंत्रणा समिति जब विचार कर चुकी है और यह सदन भी उसे स्वीकार कर चुका है तो इस पर अब कोई आपत्ति उठाना उचित नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

अगर कार्य-मंत्रणा समिति जो पास कर दे उसी के अनुसार कार्य होगा, फिर नियमावली की आवश्यकता ही क्या है? इस नियमावली में हमें यह अधिकार मिला हुआ है कि 36 घंटे का समय हमें दिया जायगा। वह हमें मिलना चाहिए या नही ? वह अधिकार कहां है, मैं तो शाम तक खंडों पर संशोधन दे सकता हूं। पिछले सत्र में जब अध्यापकों के वेतन के विषय में आया था, तो श्रीमन् ने इन्हीं परिस्थितियों में निर्णय दिया था कि आज यह प्रस्तुत नहीं हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज खंडों पर तो आ ही नहीं सकता है, वह कल ही हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

किन्तु उस समय तक कोई ऐसा प्रसस्तव नहीं किया जायगा जब तक किसी संशोधन की सूचना उस दिन से 36 घंटे पूर्व न दी गयी हो जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन प्रस्तुत किये जाने पर आपति कर सकेंगे। तो अब इसमें अनुज्ञा सम्पूर्ण सदन ने दी है। इसलिए अब मेरी रूलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात अवश्य है कि यह बात आप उठा सकते थे, लेकिन अब नहीं। यही आपको उस समय कहना चाहिए था। क्योंकि जो सदन फैसला कर ले, उस पर हम क्या करें। यदि उस समय आपने कहा होता तो मैं जरूर आपकी बात को स्वीकार करता और.... (व्यवधान)
मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि 36 घंटे की जो शर्त है यह पूर्णतया अक्षुण्य रहेगी और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं.....

श्री विश्वनाथ कपूर—

लेकिन आज को छोड़ कर।

श्री उपाध्यक्ष—

आज तो हम आपके फैसले से बंधे हुए हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कार्य-मंत्रणा समिति ने जिन-जिन विधेयकों के नाम प्रस्तावित किये हैं, सम्मानित सदस्य उन सभी को देख लें। यह न हो कि कल और परसों कहा जाए कि हमको इनकी सूचना नहीं मिली है। 6 विधेयकों क बारे में श्रीमन् आप सूचना इन्हें दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। संशोधन जो आप देंखे ऐसी अवस्था में उसे हम स्वीकार करेंगे।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय। श्रीमन्, यह जो संशोधन विधेयक आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, इसमें ये दोनों अधिनियम— य0ती0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) तथा यू0पी0 गन्ना (क्रय कर की वसूली) अधिनियम समाविष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ धारायें जोड़ी गई हैं। इनकी मोटी-मोटी कुछ

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । एक तो यह कि आपको विदित ही है कि वर्षों से कई करोड़ रुपया गन्ने के मूल्य के रूप में काश्तकारों का बाकी रहा है फैक्टरियों पर । हालांकि जो हमारा पहले का ऐक्ट है उसमें यह प्राविजन है जैसे गन्ना फक्टरी लें उसके

(इस समय 1 बजकर 43 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी, पीठासीन हुए)

फौरन बाद उस गन्ने की कीमत का भुगतान गन्ना उत्पादकों को कर देना चाहिये । परन्तु इतना होते हुए भी यह निश्चित है कि 15 दिन के अन्दर वे गन्ने का मूल्य काश्तकारों को नहीं देते हैं, तो उस पर साढ़े सात प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता था । इतना होने पर भी मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि अब भी करोड़ों रुपया गन्ने के मूल्य का मिल मालिकों पर बकाया है । तो इसको दूर करने के लिये हमने इस विधेयक में यह प्राविजन किया था कि जो भी चीनी तैयार हो, उसका हम एक निश्चित प्रतिशत, उन्हें बैंक के जरिये से जो एडवांस मिले, उसमें से गन्ने के मूल्य का भुगतान करा दिया जाया करे । उस पैसे को मिल मालिकान जमा कर दें और उस गन्ने का मूल्य गन्ना उत्पादकों को दे दिया जाय ।

दूसरे इसमें जो और मोटी बात है वह यह है कि आपको यह भी विदित है कि करोड़ों रुपये पर्चेज टैक्स के रूप में सरकार का मिल मालिकों पर वाजिब रहा है, हमने संशोधन में प्राविजन किया है । जैसे ही गन्ना मूल्य दिया जायगा किस्तों के एडवांस मनी के रूप में, उसके बाद बोरी पर जो मार्जिनल मनी होगा, परचेज टैक्स भी उसके साथ ले लिया जायगा । जो बाद में पैसा वसूल किया जाता था, जो दिक्कत होती थी, इस प्राविजन के बाद हल हो जायगी ।

तीसरी एक मोटी सी बात है । जो इकाइयां क्रशर की या सल्फिटेशन प्लांट की थीं रिजर्व एरिया में उन पर टैक्स लगता था । हमने सरकार के संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टि में रख कर रिजर्व एरिया के बाहर जो इकाइयां हैं उन पर भी उसी दर से पर्चेज टैक्स लगा दिया है जिस दर से रिजर्व एरिया में इन इकाइयों पर लगता था । यह मोटी-मोटी तीन बातें हैं जो प्रोवाइड की गयी है । मेरा निवेदन है कि आप इस संबंध में विचार करेंगे और इसे पास करेंगे ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय जो इस संबंध में अपनी राय एक मास के अन्तर्गत भज दे ।

मान्यवर, इस संशोधन के प्रस्तुत करने का एक ही लक्ष्य है । उत्तर प्रदेश में करीब 35 जिले ऐसे हैं जिन में गन्ने की मिलें हैं जिनका सारा आर्थिक ढांचा इन गन्ना मिलों पर आधारित है बड़ा अहम मसला इस प्रदेश के लिये है । मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वह विधान सभा के सबसे पुराने सदस्य हैं । 1946 में इस विधान सभा में एक प्रस्ताव पास हुआ था सर्व सम्मति से । उसमें उत्पादन के सारे साधनों के समाजीकरण की बात थी और यह भी था वितरण भी समन्वित ढंग से हो । यह प्रस्ताव 1946 में पास हुआ था । उसके बाद 1960-61 की भुवनेश्वर कांग्रेस में यह निश्चय हुआ कि कंज्युमर इंडस्ट्रीज का भी समाजीकरण या राष्ट्रीयकरण किया जाय । उसके बाद बीच-बीच में यह निर्णय होता रहा है । नयी कांग्रेस ने समाजवाद का व्रत ही लिया । बम्बई में दो वर्ष पहले निश्चय किया, बराबर चर्चा रही कि इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा । लेकिन मुझे आश्चर्य है कि रह-रह कर एक स्थान पर दवा होती है, सारे शरीर की दवा नहीं होती है । माननीय गेंदा सिंह ने पांच सात वर्ष पहले मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात कही थी इस मामले में सभी लोग एकमत हो गये, भारतीय क्रांति दल, कांग्रेस सभी दलों ने मांग

की कि मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । मैं नेशनल हेराल्ड के एक एडिटोरियट की चर्चा करना चाहता हूं । वह संभवतः 1968 के अगस्त महीने का है । उसमें लिखा है कि मिलों का राष्ट्रीयकरण समाजवादी विचारधारा के अनुकूल हो या न भी हो, इसमें दो राय हो सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश के आर्थिक ढांचे के अनुरूप होगा कि इन मिलों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय । यह जो संशोधन विधेयक मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है इसमें तीन, चार बातों की ओर ध्यान दिया गया है । एक तो गन्ने के मूल्य के भुगतान के बारे में छोटा सा संशोधन है एक धारा में । दूसरा संशोधन क्रय-कर के बारे में ला रहे है । तीसरे खांडसारी पर यानी रिजर्व एरिया के बाहर जो इकाइयां हैं उन पर टैक्स लगाया जा रहा है जिससे 25 लाख रुपये की आय होगी ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि मिलों को पहले तो नियोजित ढंग से खड़ा कर दिया गया । देवरिया में 14 चीनी मिलें हैं । वहां कुछ भूमि भी ऐसी ही है जो गन्ने के अनुकूल है । देवरिया जिले के उत्तर में आधे क्षेत्रफल में दो तहसीलें ऐसी हैं जिसमें गन्ने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता और फसल कठिनाई से होगी । उत्तरी क्षेत्र में 14 में से 10 मिलें है और करोड़ों रुपया वहां के किसान का मिल मालिकों ने अभी तक नहीं दिया है । सारा जिला बाढ़ से आक्रान्त था और किसान अपने अपने बेचे हुये बेचे हुए गन्ने का पैसा नहीं पा रहा था। विधान में व्यवस्था है लिहाजा मिल मालिक हाई कोर्ट में जा कर यह व्यवस्था पा गया कि काश्तकारों के मूल्य का उसे एक साथ भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 18 लाख रुपया देवरिया मिल पर था और 12 लाख दूसरी मिल बेतालपुर पर था । उन्होंने एक लाख रुपये महीने की किस्त हासिल की । किसानों ने आन्दोलन चलाया कि गन्ना नहीं देंगे । मुख्य मंत्री जी के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण गन्ने दाम के भी बढ़ाये गये । 7.35 रु0 से साढ़े 8 हुए । कहीं पर 9 से 11 रुपये तक हो गये । मेरठ और बुलन्दशहर में 11 और 12 रुपये दिये जा रहे हैं । यह क्या बात है कि सरकार किसान की चीज के उचित दाम भी नहीं दिला सकती ? यह क्या समाजवादी सरकार है ? समाजवाद का नारा क्यों लगाया जाता है ?

इस प्रदेश की आबादी का 85 प्रतिशत किसान है । देवरिया में तो 92 प्रतिशत किसान और मजदूर हैं । 20 लाख से 25 लाख परिवार किसानों के गन्ने की खेती में लगे हुये हैं । अगर 5, 7 आदमी प्रति परिवार लगाया जाय तो दो करोड़ आदमी होते हैं यानी एक चौथाई किसान इस प्रदेश की आबादी में आज गन्ने की खेती पर आधारित है । यह संख्या मजदूरों को छोड़कर है । लेकिन इतने बड़े तथा महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में हमारी दृष्टि साफ नहीं हुई है । सालों में आप चर्चा कर रहे हैं, यहां तक कि आज हमारा साहस टूट चुका है । मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था कि शासन सूत्र हाथ में लेते ही वह राष्ट्रीयकरण गन्ने की मिलों का कर देंगे एक हफ्ते के अन्दर । उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र से आदेश ले कर कुछ अब तक करना चाहिये था लेकिन अभी तक किसानों का पिछला भुगतान नहीं हुआ ।

देवरिया जिले में 14 संरक्षित जोंस बना दिये गये हैं और इसके अन्तर्गत किसानों को बाध्य किया जाता है कि उनको इस मिल को गन्ना देना होगा लेकिन सरकार में दाम दिलाने की शक्ति नहीं है । ऐसी हालत में नैतिक तथा कानूनी क्या बल आपको प्राप्त है कि आप इन किसानों को मजबूर करें कि वह अपना गन्ना अमुक मिल को बेचें जहां से उनको पैसा नहीं मिल पाता है । ऐसी हालत में और रास्ते निकाले जायं सल्फर प्लान्ट्स के जरिये से जो कोआपरेटिव बेसिस पर लगाये जायं । लेकिन ऐसी क्रय करने वाली मिलों को गन्ना नहीं देना चाहिये जो गन्ने का पैसा नहीं देती है । मुझे दुख है, क्षोभ है कि यह क्या सेवा है, जनता और किसानों की आर्थिक स्थिति इस प्रकार कैसे सुधरेगी ? इन चीजों को आप नहीं आप नहीं देख पा रहे हैं । अब आपने 10 मील के फैसले पर खांडसारी इकाई बैठाने का

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

निश्चय किया है । मैंने इस संबंध में केन कमिश्नर से बातें की थीं तो मालूम हुआ कि 10 मील के फैसले पर क्रेशर प्लांट आप लगा सकते हैं । पारसाल मैं पश्चिमी पीलीभीत और शाहजहांपुर गया था वहां पर मैंने देखा कि हर दो-चार मील के फासले पर ये प्लांट्स लगे हुये हैं । ऐसा पूछने पर कि वहां पर इतने फासले पर क्यों हैं तो शासन की ओर से यह जवाब आता है कि वहां पर पहले से क्रशर लगी हुई हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह मांग करता हूं कि यह जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसको बदलें और हर 5 मील के दायरे के अन्दर अन्दर क्रशर प्लांट लगवाने की व्यवस्था करें । प्रदेश की कुल भूमि की 50 प्रतिशत भूमि में यह गन्ना बोया जाता है और वह इसलिये कि गन्ना सारे संसाधनों का अवलम्बन है । इसलिये, मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस विधेयक को उन संसाधनों के अन्तर्गत लाया जाता तो मैं अवश्य ही इसका समर्थन करता । आज छोटे-छोटे किसान भी क्रशर प्लांट लगाना चाहते हैं इसलिये इसे 10 मील के बजाय 5 मील के फैसले पर लगाया जायं ।

दूसरी बात सेल्स टैक्स के संबंध में है । इस समय तो युद्धकालीन स्थिति है । संसाधन अवश्य बढ़ने चाहिये किन्तु क्रशर पर सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिये । मैं ऐसा समझता हूं कि जब यह युद्ध की अवस्था समाप्त हो जाय तब पुनः इस पर विचार होना चाहिये या उसके लिये किसानों के हितार्थ कोई अन्य रास्ता निकालना चाहिये ।

गन्ने के मूल्य के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि मिल वाले किसानों को उनके गन्ने का पैसा नहीं देती है । उनसे गन्ना तो ले लेते हैं किन्तु लेने के बाद उसका पैसा अदा नहीं करते हैं । मान्यवर, मुझे एक गत वर्ष की मैगजीन मिली जिसमें किसानों के गन्ने के बकाये मूल्य के बारे में कुछ आंकड़े दिये हुये हैं । इसमें यह भी दिया हुआ है कि हमारे गन्ने के भुगतान में क्या-क्या दिक्कतें हैं । मान्यवर, इस प्रकार आप देखेंगे कि 1965–66 में 7.82 लाख रुपया, 1966–67 में 2.80 लाख रुपया, 1967–68 में 5.49 लाख रुपया, 1968–69 में 77.11 लाख रुपया, 1969–70 में 295.45 लाख रुपया तथा 1970–71 में 1355.43 लाख रुपया किसानों का इन गन्ना मिलों पर बकाया था । यह कम होने के बजाय दिनों-दिन बढ़ता ही गया । इसका क्या कारण है कि इस संबंध में नियम, आदि बनते जा रहे हैं और किसानों के पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी व्यवस्था में कई खामियां हैं । हमारी जानकारी के अनुसार जब हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो रिजर्व बैंक ने उन सभी बैंकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया फलस्वरूप मिलों को पैसा कम मिला । छोटे उद्योगों के लिये रिजर्व बैंक अधिक पैसा दे रहा है । तो यह जो बैंक लिमिट हो गई है उसमें दिक्कत यह है कि मिल वालों को एक बहाना मिल जाता है । तो उससे यह लाभ होगा कि उससे यह सब बातें पहले से निश्चित हो जायगीं । लिमिट भी बन जायगी तो उससे गन्ने की पेराई समय से होगी । इस तरह से राष्ट्रीयकरण से जो कठिनाई हैं वे सब दूर हो जायंगी । मैं समझता हूं इस तरह से जो कठिनाई पैदा होती है वह नहीं होगी ।

दूसरी बात यह है कि डी. 29 चीनी का भी प्रदेशों में अलग–अलग रेट दिया हुआ है । महाराष्ट्र में 117.60 है । मैसूर में 129.57 तामिलनाड में 135.09, पूर्वी यू0 पी0 में 126.40, पंजाब में 134.02, राजस्थान में 144.03, पश्चिमी यू0पी0 में 126.92, मध्य यू0पी0 में 125.34, उत्तरी बिहार में 128.67, दक्खिन बिहार में 147.86 और मध्य प्रदेश में वह 157.88 है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थिति क्यों है ? जब और जगह दाम काफी आ रहे हैं तो यहां पर ऐसा क्यों है । यहां पर गन्ने का दाम बढ़ाने में यह सरकार क्यों हिचकती है । जब केंद्रीय सरकार से तय है कि और मुख्य मंत्री सम्मेलन में भी पास किया है और मीटिंग की है तो इस पर अपना व्यक्तिगत प्रभाव डालकर इस बात को निश्चय क्यों नहीं कराया जाता है जिससे उनको उचित दाम मिले । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यह संशोधन लाई

है उससे इसका मन्शा पूरा नहीं होता है। इसका तो राष्ट्रीयकरण ही इलाज है। इस रोग का दूसरा इलाज नहीं है। मुख्य मंत्री जी इसका जवाब दें कि वह क्या करना चाहते हैं। बहुत दिनों से वे वादे कर रहे हैं लेकिन अब वह एक निश्चित तिथि बतला दें तो हमको संतोष हो जायगा।

सब से बड़ी बात यह है कि जो 10, 12 मिलों को अर्जित किया गया है उनमें 4, 5 मिल देवरिया में है उनकी दशा भी अच्छी नहीं है। करीब 17 मिलें ऐसी है जिनकी वैल्यू 80 प्रतिशत कम है। उनमें 11 मिलें ऐसी है जिनकी बुक वेल्यु 50 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक है। इतने दाम उनके नीचे हो गये हैं। साथ ही साथ 17 मिलें ऐसी हैं जिनकी वैल्यू 17 से कम है। इस तरह से यदि इन सारी मिलों को अर्जित किया जायगा तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन सब की बुक वैल्यु कम हो गई है। इसलिये जब आप राष्ट्रीयकरण करें तो वैल्यू कम देना होगा। इसलिये आप तिथि निश्चित कर दें कि कब तक उनका राष्ट्रीयकरण होगा। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं केवल यह कहता हूं कि यह प्रवर समिति में जायगा तो इस पर विस्तार से विचार होगा। उस के बाद जब यहां पर बिल आयेगा तो वह अच्छा बिल होगा। बैंक लिमिट भी सरकार निश्चित करे। उसमें पुराना रूल है। वह सरकार तय करेगी। मैं समझता हूं इसको विधान में ढील दिया जाय। पेज 14 पर नियम बनाने का अधिकार शासन को पहले से है, लेकिन अब तो मैं समझता हूं 80 फीसदी रुपया निकाल दीजिये आप किसान को मूल्य का भुगतान देने के लिये जिसमें बाद में कोई बकाया की बात न रह जाय। तो मैं इन सुझावों के साथ मुख्य मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े घोड़े दौड़ रहे हैं। अगर इस राष्ट्रीयकरण को कर दें तो हमारा प्रदेश इनका बड़ा ऋणी रहेगा और इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदल जायगी, ढांचा बदल जायगा और गन्ने की जो हमारी दुर्व्यवस्था है, उसमें बहुत सुधार हो जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो और जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दे।

अधिष्ठाता महोदय, आप यह बिल देखें तो इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार एक ऐसा प्रबन्ध करने जा रही है जिससे जो गन्ना किसानों का मूल्य बकाया जाय उसकी अदायगी का इन्तजाम हो जाय। इन्तजाम में पुराना जो ऐक्ट है उसमें कौनसी बात ऐसी है जो सरकार के क्रयकर की वसूली में बाधक है। गन्ने की कीमत के बारे में छोड़ दीजिये। कौन सी बाधा है ? इसका उत्तर नहीं है। आप समझा दीजिये, मैं मान लूंगा। दूसरी बात कही जाती है कि एक नियत प्रतिशत रखा जायगा। कितना प्रतिशत एक प्रतिशत, दो प्रतिशत, 4 प्रतिशत। दुर्भाग्य तो यह है कि चीनी की कीमत में गन्ने के काश्तकार के मूल्य का कोई प्रतिशत नहीं है। उपभोक्ता की लूट में तीन हिस्सेदार हो गये। एक मिलमालिक, एक सहकारी समिति और तीसरी सरकार। ये तीन लुटेरे हैं, जो उपभोक्ता और किसान दोनों की रीढ़ को तोड़ने का फैसला कर रहे हैं। अगर यह नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि नियत प्रतिशत के माने क्या ? निश्चित उत्तर आना चाहिये कि नियत प्रतिशत माने गन्ने के मूल्य का 10 दिन पहले तक का बकाया या 7 दिन पहले तक का या 3 दिन या 1 महीने पहले तक का बकाया। कुछ भी तो निश्चित रहेगा ? लेकि नहीं। पुराना बकाया अभी तक किसानों को मिल नहीं पाया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भोजन करने नहीं जाइयेगा ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं तो पहले ही कर आया। आपके राज्य मंत्री हैं, हमारी बात सुन लेंगे, आप भोजन कर आइये।

पुरानी बकाया तो अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने वसूल कराई नहीं है। कुछ बिगड़े हुए इन्तजाम के कारण और बकाया के कारण भी कुछ फैक्टरियों को भी लेने का फैसला किया। लेकिन इसमें जो बड़े-बड़े बकायेदार हैं उनको यह सरकार नहीं ले सकी। कैसे यह माना जाय कि नियत प्रतिशत से उनका तात्पर्य क्या है ? सरकार ने गोलमोल बात दिखाने के लिये कि गन्ना काश्तकार के लिये बहुत बड़ी चीज यह सरकार लाने वाली है नियत प्रतिशत से। एक कारण यह था संशोधन का और कि क्रय-कर का भुगतान शकर की बोरियां उठाते समय कर लिया जायेगा, यह बकाया न रहने पाये। अब आप देखिये कि 12 प्रतिशत की ब्याज लगाने की व्यवस्था रखे हुये हैं। यही नहीं, मूल अधिनियम में जुर्माने का भी प्राविधान है और अगर म भूलता नहीं हूं तो सजा का भी प्राविधान है लेकिन वह यह नहीं करेंगे। जो सरकार न जुर्माना कर पाये और न सजा कर पाये और बकाया ज्यों का त्यों बना रहे। वह सरकार इसी मूल्य में से जो शकर आयेगी उसमें क्या हिस्सा ये ले लेंगे और किसान का क्या प्रतिशत होगा, भगवान जाने ? ऐसा लगता है कि यह अपने स्वार्थ के आगे किसान के स्वार्थ को भूल जायेंगे। इसमें मिल मालिकों का भी स्वार्थ इनके मद्देनजर रहेगा। इसमें जो यह प्रतिशत बढ़ायेंगे तो उनसे कहेंगे कि कितना हिस्सा तुम्हारा रहे और कितना क्रय-कर का रहे। हर दम मिल मालिक उनके सामने बैठे रहे और चौबीसों घंटे दरबार लगाने की इनकी इच्छा है।

अधिष्ठाता महोदय, तीसरा कारण क्या कहते हैं कि यह संशोधन विधेयक इसलिये है कि खांडसारी की वे यूनिटें जो सुरक्षित क्षेत्र से बाहर है, उनको क्रय कर के अन्दर लाया जाय। खुदा के लिये उनको छोड़ दीजिये। गन्ना किसानों की कैश क्राप है।

श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, माननीय सदस्य भोजन के लिए गये हुये हैं, शायद ऐसी परम्परा है कि कुछ समय तक के लिये कोरम पर ध्यान नहीं दिया जाता। खाली इस बीच में वोटिंग नहीं हो सकती।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

खांडसारी यूनिट एक अरक्षित क्षेत्र में है उस पर किसी प्रकार का क्रय कर लगाना उस यूनिट को दिक्कत में डालना है। कारण ? जिन स्थानों पर कोई उद्योग धंधा नहीं है उन स्थानों पर अपने नये उद्योग धंधे लगाये जाने के लिये फैसला किया है और उसके लिये आपने बिक्रीकर और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में रियासत भी दी है। लेकिन जो शुद्ध देहाती क्षेत्र में खांडसारी की छोटी-छोटी यूनिटें लगती हैं और जो आजतक क्रय कर से मुक्त थीं, उन पर आप परचेज टैक्स क्यों लगा रहे हैं ? इससे सरकार का एक निश्चित उद्देश्य

मालूम पड़ता है वह यह कि किसानों के घर से किसी न किसी प्रकार से रुपया आना चाहिये। चाहे आप उसको खांडसारी यूनिटों से लें, वह जायगा तो उपभोक्ता और किसानों के सिर से ही।

जो मूल विधेयक है उसमें कुछ अन्य संशोधनों की भी आवश्यकता है इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय, वैसे मैं इस बिल के सिद्धांतों से सहमत हूं केवल प्रक्रिया में मेरा कुछ मतभेद है जो आपसी बातचीत से तय हो सकता है। मूल अधिनियम में कुछ ऐसी बातें छूटी हुई हैं जो सरकार को करनी चाहिये। जैसे सरकार ने खंड 17(3) के अधीन ब्याज लगाने का अधिकार ले रखा है, उसमें केन कमिश्नर को यह अधिकार दिया है कि वह पूर्णतया या अशंतया उसको छोड़ दे, यह खतरे की घंटी है। ऐसा अधिकार केन कमिश्नर को दिया जाना मुनासिब नहीं है। जो ब्याज निश्चित कर दी गयी इस अधिनियम के अनुसार उसको छोड़ने का अधिकार दिया जाना यह मुनासिब नहीं है।

दूसरा मैं मल अधिनियम के खंड 17(1) में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मिल का रिजर्व एरिया है। किसान बाध्य है कि वह मिल पर ही अपना गन्ना बेचे। वह किसी दूसरी फैक्टरी को अपना गन्ना नहीं बेच सकता और न मार्केट में वह जा सकता है। मिल वालों के ऊपर यह प्रतिबन्ध नहीं है कि उस एरिया में जितना गन्ना पैदा होगा वह उतना पेरेगी। गन्ने को जलाने की स्थिति सामने आती है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गन्ने को डाइवर्ट करने का अधिकार है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

डाइवर्ट करने का अधिकार तो है लेकिन होता तो यही है कि किसानों का गन्ना जलाया जाता है। मिल मालिकों के सामने कोई निश्चित आधार नहीं रहता कि उनका जोन कितना रहेगा। हर साल जोन तय होता है। यह भी बड़ी भयंकर स्थिति इस माने में है कि गन्ना अफसर और सहकारी समितियां दोनों मिल कर जोन तय करती हैं और जिस प्रकार का मिल मालिक हुआ उसी के मुताबिक उसको जोन मिलेगा, उसकी अक्ल का भाव ताव है, उसकी शक्ल सूरत कर भाव ताव है।

*खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

अक्ल का नहीं, उसकी फैक्टरी का भाव ताव है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अक्ल में फैक्टरी आ जाती है।

एक बात मैं और कहने का साहस करूंगा, शायद सरकार इसे कबूल करे। जब आप चाहते हैं कि उनसे वसूली हो और आप उनको जेल भेज सकते ह रिक्वरी सर्टिफिकेट जाने के बाद तो क्या सरकार ने किसी एक आदमी को भी इस इल्लत में जेल भिजवाने का कष्ट किया? जब इस प्रकार का कष्ट सरकार ने नहीं किया तो क्या स्थिति होगी? करोड़ों का बकाया। पंडितजी अभी कह रहे थे कि जितनी मिलें हमनें लीं उन सब का तुरन्त तुरन्त भुगतान करते चले जा रहे हैं। अगर उन्होंने तुरन्त-तुरन्त भुगतान किया है तो यहां से फुर्सत मिलने के बाद पहला काम यह करूंगा

[श्री कल्पनाथ सिंह]

कि आपने पड़ोस के जिले में जा कर फैक्टरी के किसानों से जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार का इन्तजाम पंडित जी का चल रहा है। पंडित जी इस विधेयक को आप वापस लीजिए और उसके बाद सारी फैक्टरियों को लेने का विधेयक ले आइए,हम दोनों हाथ उठा कर समर्थन करेंगे। पंडितजी,करोड़ों रुपये के बकाया वालो को आपने नहीं लिया और लाख के बकाया वालों को आपने ले लिया। क्या कारण है, मैं नहीं जानता। और उसमें भी किसी को ज्यादा मुआविजा दिया, किसी कों कम दिया। किसी को हाई कोर्ट जाना पड़ा और कोई चुप चाप आपका हुक्म ही माना गया। कारण मैं नहीं जानता लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को वापस ले लें और सब मिलों के अधिग्रहण का बिल ले आंयें वर्ना इस संशोधन को स्वीकार कर लें कि यह बिल प्रवर समिति में चला जाए। मैंने केवल 7 दिन की बात कही है, सात दिन में समिति अपनी रिपोर्ट दे दें जिस तरह से अभी मुख्य मंत्री जी ने अभी माल मंत्री जी के बिल पर मान लिया और कह दिया और उसके लिए कमेटी बन गई, आप जिसे चाहे कमेटी में रख दें उस पर हमें कोई एतराज नहीं है, कोई लम्बे समय का प्रश्न नहीं है 7 दिन के बाद आप इस विधेयक को पास करा लें लेकिन आप इसको प्रवर समिति में जाने दें। माननीय मणि जी ने प्रस्ताव रखा कि इस को जनमत के लिए घुमाया जाय और तर्क प्रवर समिति के लिए दिये। इस का आशय यही हुआ कि यह दोनों संशोधन एक ही प्रकार के हैं मैंने दोनों सदन की संयुक्त प्रवर समिति के लिए नहीं कहा है क्योंकि वहां देरी की सम्भवना है, मैं तो आपका रास्ता आसान करना चाहता हूं कि बहुत इत्मीनान से प्रवर समिति में बातचीत हो जाय और सर्वसम्मत से यह विधेयक सदन से पास हो जाय तो ज्यादा उचित होगा।

श्री अधिष्ठाता—

श्री शिवराजसिंह बोलें, उनका समय दस मिनट रहगा।

श्री शिवराज सिंह—

अधिष्ठता महोदय,प्रस्तुत संशोधन विधेयक को इस सदन में लाने के लिए निश्चित रूप से पदासीन सरकार प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की ओर से बधाई और कृतज्ञता का पात्र है। इस सम्बन्ध में 2 राय नहीं हो सकतीं। इस संबंध में स्वयं सरकार न विधयक क उद्देश्य और कारणों में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का तथा सरकार के गन्ना कर की ओर सहकारी समितियों के कमीशन की भारी रकम बकाया चली आती है। यह प्रश्न लोकसभा में और विधान सभा में समय-समय पर उपस्थित होता रहा है। गत सत्र में इस सदन में सरकार ने सूचना में दी थी कि 12 चीनी मिलों पर जिनका अधिग्रहण किया गया था उन पर 25 लाख किसानों का 10.2 करोड़ रुपया शेष है और प्रदेश की समस्त मिलों पर 16 करोड़ रुपया किसानों का शेष था। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि हमार गन्नापूर्त्ति तथा खरीद विनियमन कानून के जो प्राविधान है व पूर्णतया प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुए लोकसभा में भी इस बात का आश्वासन दिया गया था कि किस प्रकार के कदम उठाये जायेंगे कि जिन से इस बकाया की वसूली हो सके। सरकार ने एक विधायी सक्रिय कदम उठाया है जिसका नतीजा अवश्य अच्छा होगा। यह मिलों की परिपाटी है कि जो चीनी वहां पैदा होती है उसके ऊपर मिलें काफी बड़ी धनराशि बैंकों से एडवान्स के रूप में प्राप्त करती हैं। इस बिल के माध्यम से यह चेष्टा की जा रही है कि वह सारी एडवान्स की रकम मिल के चलाने में या अपने उद्योग के बढ़ाने में मिल मालिक खर्च न करें बल्कि उसका एक निश्चित भाग वे गन्ने की कीमत की बकाया की अदायगी में खर्च करें। एक यह अच्छी स्कीम है जिसका हमें स्वागत करना चाहिये। इसी प्रकार जो गन्ना-कर सरकार का शेष है उसकी वसूलयाबी क सम्बन्ध में एक अच्छी विधि अपनाई गई है कि ज्यों ही चीनी मिलों से चीनी का कोई

बोरा मिल्स से निकले उसके उठाये जाने से पहले आवश्यक हो कि वह चीनी मिल सरकार गन्ना कर का मुतालबा बेबाक कर दे। इस योजना का भी मैं समर्थन करता हूं कि इसके नतीजे व्यवहारिक रूप से अच्छे निकलेंगे।

मान्यवर, नान रिजवर्ड एरियाज में जो शुगर ओपिनयैन प्लान्टस लगे हुए थे उन पर गन्ना कर नहीं लगा हुआ था। यह एक डिफरेंशियेशन था। एक ही प्रकार के 2 युनिट्स में इस प्रकार के डिफरेन्स का रखना किसी प्रकार से संवैधानिक दृष्टि से औचित्य पूर्ण नहीं था। अब सरकार को इन पर गन्ना कर लगाने से सरकार को 25 लाख रुपये की धनराशि भी मिलेगी और एक सी अवस्था में जो विभिन्न युनिट्स हैं, उनके साथ समान वर्ताव भी हो सकेगा।

इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि यह अधिनियम 30 दिसम्बर, 1971 से ही लागू हो जायगा। हम जानते हैं कि प्रदेश के अन्दर गन्ने की कीमत की बकाया की बहुत धनराशि गन्ना उत्पादकों का, चीनी मिलों पर है और यह समस्या आज ऐसा उग्र रूप धारण कर गयी है कि गन्ने के उत्पादक परेशान हैं तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सक्रीय कदम उठाने की आवश्यकता तो है ही। सरकार ने अगर कोई कदम उठाकर इस बात की चेष्टा की है कि इसको तुरन्त लागू किया जाय तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई सदस्य बाधक बनना चाहेगा। अतः यह आवश्यक है कि इस विधेयक को हम अविलम्ब पास करें ताकि इस योजना को तुरन्त कार्यान्वित किया जा सके।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अभी मुझे अपर हाउस में भी जाना है। इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो 2 मिनट में कह कर चला जाऊं।

एक बात तो यह थी कि यहां पर राष्ट्रीयकरण की बात कही गयी। इस सदन में अनेक बार मैं निवेदन कर चुका हूं कि चीनी मिलों के निजी प्रभुत्व को समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार अपनी नीति घोषित कर चुकी है और इस आदरणीय सदन को यह मालूम भी है कि इस विषय में हमनें बिल और आर्डिनेंन्स बनाकर भारत सरकार के पास आज से 6–7 महीने पहले भेज दिया था। उसमें एक बहुत बड़ी रकम मुआविजे के रूप में इन्वाल्व थी क्योंकि उस समय तक संविधान में भी संशोधन नहीं हुआ था। मुआविजे की इतनी बड़ी रकम के लिए उसने भारत से भी मांग की थी। सदन में मैं पहले भी कह चुका हूं कि उस समय शर्णार्थियों का बड़ा भारी बोझ आ जाने के कारण इतनी बड़ी रकम भारत सरकार से हमको मिल सकेगी इसके लिए भारत सरकार ने ही संदेह प्रकट किया था और साथ ही यह बात भी हुयी कि संविधान में संशोधन होने वाला है और जब वह हो जायेगा तो संभव है कि उसमें कुछ सुविधा प्राप्त हो सकेगी। हमारी वह डिमांड अभी उनके यहां पड़ी हुयी है। मैं सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि उस दिशा में उनका निजी प्रभुत्व समाप्त करनेमें हमारा प्रयास जारी है क्योंकि उससे हम पूरी तरह से बचनबद्ध हैं, यह हमारी नीति में है, और समयानुसार सदन के सम्मुख कोई न कोई प्रक्रिया उसकी आयेगी।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि यह जो विधेयक आपके सामने आया यह बड़ी कठिनाईयों के बाद–आया। इसे और अधिक दिन तक टालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें बैंक के ऊपर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की बात थी और जब बैंक के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने हैं तो भारत सरकार की रजामंदी के बिना नहीं लगाये जा सकते हैं क्योंकि वे ही बैंकों को डायरेक्शन दे सकते हैं। नियमों के अनुसार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कम से कम 4–5 महीने से हमारा यह आर्डिनेंन्स भारत सरकार के यहां पर पड़ा रहा। अनेकों बार वहां पर विचार विमर्श हुआ बैंक वाले इसे स्वीकार नहीं करते थे कि इस तरह प्रतिबन्ध और डायरेक्शन हमको प्रदेश सरका

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

या भारत सरकार दे, यह मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल उनसे बहुत मीटिंग हुई ला डिपार्टमेंन्ट, होम डिपार्टमेंन्ट और फिर बैंक वाले बुलाये गये। अन्ततः उन्होंने कुछ मंजूरी दी और उसके बाद अभी दिसम्बर में हमारे पास मंजूर होकर आया जिससे हमने जारी किये और उसके तत्काल बाद विधेयक आपके सामने पेश किया। अब जनमत संग्रह में भेज दिया जाय यह प्रस्ताव है उसके अनुसार यह महीने टलता है, प्रवर समिति में भी विलम्ब होगा। हमने तो तीस को लिखा है क्योंकि पैसा की अदायगी होने लगी है। इसमें विलम्ब न होने पाये इस ख्याल से उसे लागू कर दिया है डिटेल में जो प्रश्न है कि पैसा किस अनुपात से कटेगा। मेरा अन्दाज है कि दस परसेन्ट कटे और बैंक वालों से मैं यह कह सकता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है रिजर्व बैंक ने अपने बैंक्स को इसके लिये डायरेक्शन्स दे दिये हैं। अब यह जरूरी है कि उसमें कीमत घटती बढ़ती भी है, उसके हिसाब से चीनी की भी। कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि उसका परसेन्टेज फिक्स कर दे।

हमारे पर्चेज टैक्स की आपत्ति थी। वह यह थी कि एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की लगती है। जैसे बोरा उठाते हैं बिना दिये हुए बोरा बाहर नहीं जाता है। वसूली होती रही है। यह सदन को मालूम होगा कि पिछली बार 22–23 करोड़ रुपये गन्ने की कीमत बाकी थी तो आठ करोड़ रुपये गवर्नमेन्ट के भी बाकी थे और फिर जहां की शिकायत हुई उसके लिये वहां हाई कोर्ट मौजूद है। अब हमारा काफी पैसा वसूल हुआ है और किसानों का भी है। जहां तक सूचना है। जो केसेज हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं और जिनमें स्टे हो गया है या इन्स्टालमेन्ट हो गये हैं ज्यादातर वही हैं। बाकी अढ़ाई या तीन करोड़ रुपये रह गये होंगे। किसानों का पैसा अदा हुआ है। कुछ मिलें ऐसी हैं जिनमें देवरिया की भी मिल है और खड्डा की भी है, उनपर नब्बे और अस्सी-अस्सी लाख रुपया बाकी है। वह किस तरह से वहां से वसूल हो, यह विचाराधीन है। वे बन्द हैं। हम चेष्टा में हैं कि कोई मिल बन्द न पड़ी रहे। जिन मिलों को लिया है उसको गरीब सोचकर नहीं लिया है। वे निरन्तर के डिफाल्टर रहे हैं। वे पांच वर्षों तक डिफाल्ट करते रहे हैं। गरीब का पैसा नुक्सान में चला जायेगा। उनके चलाने के लिये सरकार कोशिश कर रही है। जो केन की प्राइस और चीनी की प्राइस में नीचे ऊपर हो रहा है। उसमें सरकार दिक्कत में पड़ सकती है। चीनी का डिक्कंन्ट्रोल जब तक रहेगा दिक्कत पड़ सकती है। घाटा और फायदा भी हो सकता है। इस सम्बन्ध में चार पांच केसेज हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं। जनमत में भेज दिया जाय तो टल जाय। इतने निदश उपलब्ध हैं कि न प्रवर समिति में और न जनमत में जाने की आवश्यकता है। आप जो कुछ मूल अधिनियम में करना चाहें उसके लिये हमें सुझाव दें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि मूल अधिनियम में भी कोई संशोधन करने के लिये कोई न कोई तरीका आपके सामने पेश कर दें। इस समय जसा मैंने कहा राष्ट्रीयकरण वाली बात है वह हमने नहीं किया है। यह ध्यान होता कि शायद चलता खाता बना दिया है। आपके सामने इतनी घोषणा करने के बाद चलता खाता बनाने की हमारी हिम्मत भी नहीं है। चाहें भी तो भी उसको किसी न किसी कदर से ले आना है। उसके बारे में हाई कोट में भी प्रश्न उठा हुआ है। इसके बारे में काम्पीटन्स का भी प्रश्न उठाया गया है। प्रदेश की सरकार काम्पीटेन्ट है भी। इसका भी सवाल उठा हुआ है और इस बात को देखते हुए जो दिक्कतें हैं जो बहुत भारी काम होगा उनको भी देखने के लिये सरकार प्रयास में लगी हुई है। इससे यह साफ हो जाता है कि गन्ना की कीमत इस प्रकार से नहीं रुकने पायेगी। बाइस-चौबीस करोड़ रह जांय। हमारे हाथ में एक हथियार आता है जिससे हम बैंक से जो मार्जिन मिलता है उसी से गन्ने की कीमत दे सकें और पर्चेज भी ले लेने से जो मार्जिन बचे वह बैंक दे। ऐसा बैंक देते हैं। किसी को सत्तर फीसदी, 80 या पचासी फीसदी तक व मार्जिन देते हैं शुगर के ऊपर। इसमें कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह कीमतों को देखे और जो किसानों को पैसा जाना है और जो बैंक को जाना है, उसका हिसाब लगाकर उसे रोक

ले और जो पैसा ले जाने वाले हैं, ले जांय। इस आशय से वह बिल है। हमारे विरोधी दलों का केवल यह कर्तव्य नहीं होना चाहिये कि यदि सरकार कोई अच्छा काम भी करे, तो वे उसका विरोध करें। विरोधी दलों का यह काम है कि जहां गलत काम हो रहा है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें लेकिन जहां ठीक काम हो रहा है, वहां उसकी सहायता करें। अब संशोधन श्री राज मंगल जी पेश कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि इसको आज ही पास कर दें। देखें हमको कहां तक सफलता मिलती है। इससे किसानों को लाभ होगा और सरकार के लिये पैसा इकट्ठा होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, इसमें हमें नियत के ऊपर कोई सन्देह नहीं है। लेकिन एक सस्पेन्स हो रहा है कि न मिल-मालिकों को कोई फायदा होगा और न किसानों को और न जनता को। पंडित जी, इसका यह परिणाम है कि आज चीनी 2.80 रु० प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। पंडित जी, मैंने आज सुबह चाय इसीलिये नहीं पी है कि यह जो चीनी का भाव है, इसके ऊपर आपका नियन्त्रण नहीं है। तो कम से कम यह व्यवस्था तो करें कि जो चीनी का भाव बढ़ रहा है, उसको देखें। यह सरकार की ढुलमुल नीति के कारण है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस वर्ष गन्ने की पैदावार कम हुई। चीनी की कीमत बढ़ने के कई कारण हैं। उनका इस बिल से कोई संबंध नहीं है। आप जब चाहें इस पर बहस स्पीकर से मांग लें। इस समय जो बिल है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इससे हम किसानों को पैसा दिला सकेंगे और परचेज टैक्स ले सकेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मैंने यह कहा है कि यह जो सस्पेंस है, उसकी वजह से हो रहा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सस्पेंसन से हमारा फायदा भी है और नुक्सान कम।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

नुक्सान ज्यादा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सदन के समक्ष हमने अपनी कठिनाइयां भी रख दी हैं और उन कठिनाइयों से हम पूरी तरह से लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम उन पर पूर्ण विजय प्राप्त करेंगे।

*श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन आया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यहां जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यदि हम उसे पढ़ें, जैसा मैंने देखा, इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि कुछ धन की बैंकों से व्यवस्था की जायेगी और उस धन से सरकार अपना परचेज टैक्स ले लेगी और बाकी पैसा किसानों को दिया जायगा। लेकिन इस विधेयक में यह नहीं है, जैसा मुख्य मंत्री जी ने बताया कि किसानों का 23 करोड़ रुपया मिल मालिकों पर बकाया है और सरकार का भी 7–8 करोड़ रुपया बकाया है, तो उसकी क्या व्यवस्था इस विधेयक में की गई है? मैं यह चाहता हूं कि बकाया धन की भी इसमें व्यवस्था की जाय। दूसरे, हमारी जो सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जंगबहादुर यादव]

है वह समाजवाद का बड़ा दावा भरती है और वह चाहती है कि गरीबी मिटे, लेकिन एक तरफ तो सरकार ने सुरक्षित क्षेत्र के लिये क्रय-कर लगाया है और इसलिये लगाया है कि उस सुरक्षित क्षेत्र में वह ऐसा प्रबन्ध करें जिसे पर्याप्त मात्रा में मिलों को साल भर चलने के लिये गन्ना प्राप्त हो सके लेकिन सरकार की यह भी नीति है कि छोटे-छोटे उद्योग खोले जायं और वह प्रगति करें। यह जो खांडसारी की छोटी-छोटी इकाई बनी हुई है, जिन किसानों का गन्ना सुरक्षित क्षेत्र से बाहर था, वह अपना गन्ना इन तक पहुंचाया करते थे। लेकिन जब गुड़ का भाव अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षित क्षेत्र के लिए अपना गन्ना मिलों को नहीं देते। इस प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन सरकार ने उनपर परचेज टैक्स लगाकर कर के जो 12 प्रतिशत की व्यवस्था की है उससे छोटे-छोटे उद्योग धंधों को बड़ा धक्का लगेगा और समाजवाद लानेके लिये जो धन का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है, जिससे गरीबी मिटे, वह नहीं हो पायेगा और मिल-मालिकों के पास सारा पैसा इकट्ठा हो जायेगा।

जैसा अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा, इस वर्ष गन्ने का उत्पादन कम हुआ है। अगर आप इनके कारणों पर दृष्टि डालें तो—चाहे जो भी सरकार रही हो, चाहे माननीय गुप्ता जी की सरकार रही हो, चाहे चौधरीसाहब की सरकार रही हो, किसानों के हित पर सदा कुठाराघात हुआ है और ऐसी स्थिति में जो सरकार का सहयोग किसानों को मिलना चाहिये था, वह सरकार से नहीं मिला। उनके सामने नाना प्रकार की कठिनाइयां थीं, उनको अपने गन्ने का समय से मूल्य नहीं मिलता था और गन्ने के लिये समय से पर्चियां नहीं मिलती थीं। ऐसा होता है कि पर्चियां वहां बिकती हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वह उन पर्चियों को ले लेते हैं और गाड़ियों के हिसाब से उनको गन्ना बेच दिया जाता है और पर्चियों से रुपया वसूल लिया जाता है। तो इस प्रकार की सारी कठिनाइयां देखने को मिलती थीं। इसका परिणाम यह हुआ है कि किसानों के अन्दर निराशा की भावना पैदा हुई और उनकी पैदावार कम होने लगी। मान्यवर, आज बाजार में जलाने वाली सूखी लकड़ी का भाव 5–6 रुपये मन है, लेकिन जो गन्ना किसान पैदा करता है उसकी कीमत सूखी लकड़ी के बराबर भी नहीं है। आज गन्ने की कीमत पूर्वी जिलों में 8 रु० कुछ पैसे है और पश्चिमी जिलों में वह 12 रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से है। हमारे प्रदेश के दो भागों में इतनी बड़ी असमानता है। यदि हम देखें तो संविद की सरकार में एक बार 18 रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से गन्ने की कीमत मिलती थी। लेकिन आज कीमत बहुत कम है। आज चीनी भी बाजार में नहीं मिल रही है और जैसा स्वामी जी ने बताया उन्होंने आज चाय भी नहीं पी है.....

एक सदस्य—

उनके लिये चीनी की व्यवस्था करा दी जाय.....

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

एक-एक किलो सभी देंगे तो बहुत हो जायेगी।

श्री जंगबहादुर यादव—

अगर आप उनके कारणों पर विचार करें तो मालूम होगा कि आज की सरकार मिल-मालिकों से चन्दा लेने के लिये है और वे मिल-मालिक मनमाने ढंग से रुपया पैदा कर रहे हैं। आज गन्ने की कीमत बहुत कम है। मैं समझता हूं कि कम से कम 15 रु० प्रति क्विन्टल मिनीमम प्राइज रखी जानी चाहिये और जो पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों में जो असमानता है, उसको दूर किया जाना चाहिये। यह भी देखा गया है कि हमारी मिलें पूरे समय तक काम नहीं करतीं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि खेत में हजारों मन गन्ना सूख गया और उनको जलाना पड़ा। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे मिलें बराबर वर्ष भर चलती रहें और किसानों के गन्ने का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके। और इस विधेयक को देखने से ऐसा लगता है कि सरकार

को अपने पैसे की चिन्ता पहले है। जो गन्ना मिलों में लाया जा रहा है उसमें से सुरक्षा कोष के लिये पैसा पहले ले लिया जाता है। हमारा सारा पैसा कैसे मिल मालिकों से वसूल होगा, इसकी सरकार को ज्यादा चिन्ता नहीं है। सरकार अपनी आय को बढ़ाने के लिये छोटे-छोटे उद्योगों व खण्डसारी की इकाइयों पर परचेज टैक्स लगा कर अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहती है लेकिन किसानों की उपज कैसे बढ़े, कैसे उनको अधिक मूल्य मिले, कैसे उनकी गरीबी दूर हो, इस तरफ सरकार उपेक्षा कर रही है। अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि वह संशोधन स्वीकार किया जाय जिससे किसानों का हित हो सके।

श्री राजमंगल पाण्डेय---

अधिष्ठाता महोदय, सरकारी पक्ष की तरफ से जो संशोधन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पेश किया है उसकी प्रतिपक्ष के लोग अगर ध्यान से देखें तो जो कुछ बातें यहां कही गई हैं वह बातें यहां नहीं कहीं जातीं। इसमें केवल तीन धारायें रखी गई हैं और उन तीनों का ही विशेष प्रयोजन है। पहली यह कि चीनी मिलें जितनी चीनी तैयार करती हैं, वह उनके बोरों को बैंक को प्लेज करती हैं, उसका एक सर्टेन पर्सेन्टेज गन्ने की कीमत के रूप में रिजर्व रखा जायगा। अब रह गया कितना हो? जैसा मुख्य मन्त्री जी ने बताया यह कितना क्रान्तिकारी कदम होगा। उसके बाद अगर प्रतिपक्ष की तरफ से ऐसी बातें कही जायें, तो बड़ी तकलीफ होती है। नियत परसेंटेज का मतलब यह है कि चीनी की कीमत बाजार में मुश्तकिल नहीं हो सकती, न एक साल मुश्तकिल रह सकती है। इसलिये यह (अधिकार) डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट के लिये रखा गया है कि गन्ने की कीमत के बराबर 100 फीसदी अग्रिम धनराशि के रूप में रिजर्व कर देंगे। लेकिन मूल अधिनियम में यह चीज आ रही है तो खुद अधिकार हो जायगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कि उस चीज को करे, उसे अधिकार दे दिया गया है कि गन्ने की कीमत जो होगी, वह अग्रिम के रूप में 100 फीसदी के बराबर करके पेमेंट कर दिया जाय।

श्री दीप नारायणमणि त्रिपाठी---

जिलाधीशों को अधिकार था कि वह किसानों का पैसा दिलाते लेकिन कितने जिलाधीशों ने मिलों को अटैच करके किसानों का पैसा दिलाया? इसलिये मैं मांग कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता---

आपको उत्तर का समय मिलेगा।

श्री राजमंगल पाण्डेय---

पहले इसका प्रावीजन नहीं था। पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गन्ना काश्तकार और मिल में मिल और बैंक के बीच में यह अन्डरस्टेंडिंग थी कि इतना परसेंटेज कीमत के रूप में काश्तकार को दिया जायगा। जो अधिकार कलेक्टर्स को दिया गया था वह पहले कभी नहीं था। इसलिये कलेक्टर के करने का कोई सवाल नहीं है। इतनी चीजें बिल के माध्यम से लाई जा रही हैं।

परचेज टैक्स के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है 22-23 करोड़ रुपया बकाया था गन्ने की कास्ट का, उसमें से 10 करोड़ रुपया परचेज टैक्स का बकाया था। उसको लैंड रिवेन्यू की तरह वसूल कर सकें इसका प्राविजन नहीं था। इसलिए नया प्राविधान आ रहा है। जो चीनी बनेगी उसको उठाने के पहले परचेज टैक्स लगाया जायगा और उसके बाद ही चीनी को उठाने दिया जायगा। तीसरी बात, जो मैं कह रहा था, वह है रिजर्व एरिया के बारे में। हम जो परचेज टैक्स लेते थे उसके बाहर भी लेंगे। हमने देखा कि छोटे-छोटे पावर क्रशर्स लगे हैं खंडसारी के लिये। हमने खंडसारी की डेफीनीशन भी चेंज कर दी है। इससे जो आय सरकार की हो सकती थी, वह अब सरकार की न हो कर काश्तकारों की होगी। क्रशरवाले कोई गरीब काश्तकार तो होते नहीं हैं वह 30, 40 हजार या एक लाख रुपया तक खर्च कर सकते हैं, इसलिये

[श्री राजमंगल पांडेय]

बड़े आदमी हैं। इसलिये किसी गरीब आदमी के ऊपर इसका भार नहीं लादा जा रहा है और यह तो उन्हीं पर होगा जो इसको आसानी के साथ दे सकते हैं।

यहां पर दो तीन चीजें कही गईं। तो एक तो यह कहा गया कि इसको नेशनलाइजेशन करने के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने अभी कहा है कि सरकार का इरादा इसको करने का है। इसके लिये बिल भी भेज दिया गया है। इसमें कम्पेन्शेसन का जो सवाल था, वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के देने की बात थी। हमारा 24वां अमेन्डमेंट हुआ जिसमें कम्पेन्शेसन को डिटरमिन करने के बारे में दिया हुआ है। कितना मुनाफा उन्होंने कमाया है, उन्होंने कितना एक्सपेन्शन किया है, यह सब देखा जायगा। इसके लिये कि सेन्ट्रल कमेटी भी बनाई गई जो सारी चीजों को देख कर जितने फैक्ट्स ऐन्ड फीगर्स हैं उनको देखकर, उनके एक्सपेन्शन और रिकवरी आदि को देखकर सभी प्वाइन्ट्स पर विचार कर रही है और उसको इक्जामिन कर रही है। ज्योंही वह चीज आ जायेगी सरकार उसको लागू कर देगी। सरकार ने 12 चीनी मिलों को लिया था। उन पर 6,7 साल का बकाया चल रहा था उन्हीं को लिया गया। 6,7 को तो हाई कोर्ट ने रिलीज कर दिया है लेकिन अभी भी 6, 7 बाकी हैं। आप देखें कि उनका एक-एक पैसा काश्तकार का अदा कर दिया गया है। जहां पर 28, 30 करोड़ रुपये का बकाया था, वहां पर मौजूदा क्रशिंग सीजन में किसी भी काश्तकार का एक पैसा भी बकाया नहीं रह गया है। हम प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन क्रांतिकारी संशोधनों के कारण ही यह सम्भव हुआ है। उन कार्यों को जिन को हम पहले नहीं कर सके थे या कर सकते थे आज हम उनमें प्रगति कर रहे हैं। यह विधेयक काश्तकारों के हित में है।

हम सर्किल क्षेत्र तो रख लेते हैं लेकिन जो उत्पादक का गन्ना है हम उसको पेरने के लिये कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाते हैं। क्षेत्र तो कन्फाइन्ड है, निश्चित है लेकिन काश्तकार का गन्ना होगा या वह कितना गन्ना पैदा करेगा, यह निश्चित नहीं रहता है। साथ ही मिलों की क्रशिंग कैपिसिटी भी लिमिटेड है कि कौन सी मिल कितना गन्ना पेरेगी। उनकी यह टेन्डेंसी होती है कि गन्ने की कीमत को देखकर वह इसको करें। गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी देखकर वह इसको कम कर देती है और जब गन्ना ज्यादा दाम पर जाता है तो काश्तकार यह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा गन्ना बोये। जब कम कीमत मिलती है तो एवरेज कम हो जाता है। 4, 5 साल के बाद इसमें परिवर्तन आया करता है और इसकी इस तरह से साइकिल चलती है।

हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हम किसी को इसके लिये दबाव नहीं डाल सकते हैं और बहुत अधिक फैक्ट्री की कपेसिटी से ज्यादा पेरने के लिये भी नहीं कह सकते हैं। डिमान्ड और सप्लाई के कारण ही किसी चीज का भाव नियत होता है। आज हमारे यहां इतने क्रशर्स हैं कि गन्ने की कीमत बढ़ गई। हम छोटे-छोटे कोल्हू को लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह भी चीज है, जो 7 रु0 37 पैसे गन्ने की कीमत तय की है, आज साढ़े आठ और नौ रुपया मिल मालिक देने को तयार हैं। जिस तरह से आज किसान जागरूक है, मुझे उम्मीद है कि पूर्वी क्षेत्र में भी नौ, साढ़े नौ रुपया मिलने की सम्भावना है। तो मेरा यह निवेदन है कि इसी रूप में इसको पास कर दें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह ठीक है कि इसमें कोई इनकी नियत पर तो मैं सन्देह नहीं करता, जो घोषित उद्देश्य लिखे हैं वह ठीक हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसी शक्ल में अगर इस विधेयक को पारित कर दिया गया तो किसानों का बड़ा भारी नुक्सान होगा। इसलिये जो यथेष्ट संशोधन दिये गए हैं उन पर सरकार विचार करे।

श्रीमन्, 17 सितम्बर, 1971 के स्वतंत्र भारत में और भी तमाम अखबारों में यह बात छपी थी कि मुख्य मन्त्री ने यह वादा किया था इस प्रदेश के गन्ना किसानों से और यह कहा था कि 10 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भाव तय किया जाय जबकि चीनी की रिकवरी

9 प्रतिशत हो। साथ ही यह भी मांग की थी कि अगर 0.1 रिकवरी बढ़ जाय तो 7 पैसा प्रति क्विन्टल दाम बढ़ा दिया जाय। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि इस प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में 11 और साढ़े 11 रुपए क्विंटल गन्ना बिक रहा है और आप इस बात की इजाजत दिये बैठे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिल मालिक किसानों का शोषण करें और साढ़े आठ रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का दाम दें। यह कहा गया कि सप्लाई और डिमान्ड की थ्योरी है, लाचारी है। फिर आप किसान को भी छोड़ दें कि सप्लाई और डिमान्ड की थ्योरी लागू करें। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार प्रत्येक फैक्टरी के लिए एक एरिया रिजर्व करके किसान को रोकती है कि वह सप्लाई और डिमान्ड की थ्योरी पर न चल सके। मिल मालिक के लिए छूट है। अगर सप्लाई और डिमांड पर ही चलना है तो सरकार की जरूरत ही क्या है? एक तरफ पश्चिमी जिलों का किसान अगर क्रशर लगा ले तो ज्यादा दाम ले ले और दूसरी तरफ पूर्वी जिले का किसान आप की अपील के मुताबिक—आपने बराबर कहा कि गन्ने की उपज बढ़ाओ और प्लान में चीनी के उत्पादन का लक्ष्य भी निर्धारित किया—तो किसान अगर उसके मुताबिक क्रिस्टल शुगर के लिए गन्ना पैदा करता है तो आप कहते हैं कि आपके यहां क्रशर नहीं लगे हैं। श्रीमन्, रिजर्व एरिया में कोई क्रशर लग ही नहीं सकता। 26-8-71 का केबिनेट का फैसला है जो अखबारों में छपा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन क्रशर को मिल के 16 किलोमीटर के रेडियस में लगाना रोक दिया है। पिछले वर्ष इसी सरकार ने बराबर आश्वासन दिया कि जो चाहे केन क्रशर लगाए, सरकार बढ़ावा देगी। लोगों ने केनक्रशर लगाए लेकिन सभी के केनक्रशर सीलड हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। तो जो आपकी गन्ना नीति है वह इसमें प्रतिबिम्बित नहीं होती और इसका परिणाम यह है कि मिल मालिक मुनाफे में रहे और गन्ना किसान मारा जाय। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में गन्ने के दाम में पश्चिमी जिलों और पूर्वी जिलों के बीच 2.50 रु० प्रति क्विंटल से अधिक का फर्क नहीं रहा होगा, केवल 10 आने 8 आने, 4 आने व 2 आने का ही फर्क रहा है। मौजूदा सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती है, है कि नहीं, खुद ही जांच कर लें। यह सरकार पूरब और पश्चिम में भेदभाव की बात करती है।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मैं शास्त्री जी को याद दिलाऊं। सन् 1968-69 में पश्चिमी जिलों में गन्ने का दाम 17 रु० प्रति क्विंटल था जबकि पूर्वी जिलों में 11.50 रु० प्रति क्विंटल था।

श्री रामधारी शास्त्री—

मुझे याद है 12 रु० प्रति क्विंटल से अधिक था। आप करेंगे क्या,आपकी मजबूरी है। सरकार की भी बड़ी मजबूरी है। 24-11-71 को लोक सभा में राज्य मंत्री कृषि और खाद्य मंत्री श्री शेर सिंह साहब ने भावों की घोषणा की थी,—वेस्ट बंगाल में 8.50 रु०, सेण्टर में 8 रु०, पंजाब में 9 रु०, हरियाणा में 8.50 रु०, महाराष्ट्र में 11.50 रु०, आन्ध्र में 9 रु०, तमिल नाडू में 7.50 रु० और मसूर में 9.50 रु० से 11 रु० तक रखा। तो यह घोषणा श्री शेर सिंह साहब ने 24-11-71 को लोक सभा में की थी। आप भी तो उसी के पुर्जे हैं। उसी भेदभाव की नीति से काम लेंगे, वह आप की मजबूरी है, परन्तु यह भेदभाव होना नहीं चाहिए।

बकाया के बारे में आप संशोधन ले आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपने ऐक्ट में चालू पिराई सीजन रख दिया जिसका नतीजा यह होगा कि पिछले बकाया दाम की कोई गारन्टी नहीं होगी। इसी साल के लिये सारा प्रतिबन्ध होगा। आपने चीनी मिलों का तथा कथित राष्ट्रीयकरण या सरकारीकरण किया है। इसका जो नतीजा हुआ वह पाण्डे जी जानते हैं। देवरिया जिले में खड्डा शूगर फैक्टरी में 2 साल पहले 40 लाख रु० बकाया था। सरकार

[श्री रामधारी शास्त्री]

ने किसानों का गन्ना जबरदस्ती दिलाया। यही हाल बाराबंकी जिले का भी है। वहां पर 46 लाख रुपया बकाया है। आपने पुराने दाम दिलाने की क्या व्यवस्था की? यह तो केवल इसी सीजन के लिये करेंगे। यह भी मिल मालिकों के साथ पूरी-पूरी हमदर्दी का नमूना है। ये पुराने गन्ने के दाम के लिये कोई प्रतिशत मुकर्रर नहीं करेंगे उस चीनी के दाम में से जो कि मौजूद है, या जो बनेगी। आप कोई प्रतिशत निश्चित करते---70 प्रतिशत, 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत। कुछ तो निश्चित कर देते। यह न करके आपने कर दिया कि चालू सीजन के लिए हिसाब रखेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि पुराने दाम को देने के लिये मिल मालिक कतई तैयार नहीं होंगे। क्योंकि वे कहेंगे कि सारी चीनी पर सरकार का कब्जा है और हम कहां से ला कर दें। पुराने दाम के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आप ने लिख दिया कि 31 दिसम्बर, 1971 से यह लागू होगा। इसका मतलब यह होगा कि जो चीनी 31 दिसम्बर, 1971 के बाद बनेगी उसके दाम के संबंध में ही बैंक से एग्रीमेन्ट होगा और 31 दिसम्बर, 1971 के पहले की चीनी जो है उसके बारे में आपने मिल मालिक को पूरी आजादी दे दी है। वे जैसा चाहें करें, जो लूटपाट करना चाहें करें। आपको फिर से विचार करना पड़ेगा।

जो संशोधन आये हुये हैं और जो आएंगे, उन पर तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 2 बातें साफ होनी चाहिएं। आपकी गन्ना नीति क्या है। मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यदि आपने पूर्वी जिलों को सताने की कोशिश की और गन्ने का दाम नहीं बढ़वा पाए पूर्वी जिलों में 20 रु० प्रति क्विंटल और पश्चिमी जिलों में 11 रु0 प्रति क्विंटल और उनको तत्काल मदद दिलाने का बन्दोबस्त नहीं किया तो यह आपकी एमरजेंसी भले ही लगी रहे, लेकिन पूर्वी जिलों के किसान मजबूर हो जाएगा कि वह अपनी हड़ताल करे और मिलों को गन्ने की सप्लाई बन्द कर दे। अगर आपका दावा है कि यह सरकार किसानों की है, उनके हित की बात सोचती है, तो सरकार को फौरन अपने उस नाम की रक्षा के लिए, लोग उसे किसानों का रहनुमा कह सकें, वह किसान को पूरा मूल्य दिलाए। सुरक्षा कोष में आज धन कौन दे रहा है? सुरक्षा कोष में आज सबसे बड़ी धनराशि गन्ने के काश्तकार दे रहे हैं। गन्ना आयुक्त का काश्तकारों को एक परिपत्र चला गया कि गन्ने का काश्तकार 10 पैसा फी क्वींटल सुरक्षा कोष में देगा और वह काश्तकार वह धन खुशी-खुशी सुरक्षा कोष में दे रहा है। किसान को अपने गन्ने का पूरा मूल्य न मिले, उसका करोड़ों रुपये का बकाया न मिले, वह सुरक्षा कोष में भी रुपया दे और तीन रुपये किलो खरीदकर वह चीनी भी खाए---ये सब बातें साथ-साथ नहीं चल सकती हैं। मैं नहीं समझ पाता हूं कि यह सरकार कैसे अपने को किसानों की सरकार कहती है। आप तो खुली वकालत चीनी मिल मालिकों की कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः चेतावनी देता हूं कि आने वाली किसानों की जो सम्भावित हड़ताल है, उसको ध्यान में रखकर आप इसमें सुधार करें और संशोधन लाएं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत समय से किसानों के गन्ने की कीमत के बकाये की अदायगी का प्रश्न सरकार के सामने, किसानों के सामने निरन्तर खड़ा रहता रहा है। गन्ने के इस कार्य में मेरी भी दिलचस्पी रही है और इसके लिए मैं लड़ता भी रहा हूं। पिछले वर्ष जून के महीने में यही सुझाव, जो मुख्य मंत्री की ओर से बिल के रूप में पेश हुआ है, मैंने मुख्य मंत्री जी को लिखकर भेजा था। और चूंकि इंडियन शुगर केन डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष मैं रहा हूं, इसलिये उस कमेटी से भी मैंने ऐसी ही सिफारिशें भारत सरकार को की थीं कि मिल मालिकों को बैंक की तरफ से मिलने वाले एडवांस में से सीधे कटौती करके किसानों के बकाये का भुगतान कर दिया जाया करे। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार किया है। चाहे जितनी भी कोशिश प्रदेश सरकार ने गन्ने के दामों की अदायगी की की हो फिर भी अब तक

किसानों का साढ़े सात करोड़ रुपया मिल मालिकों पर पड़ा हुआ है। यदि तनिक भी कड़ाई की जाती थी तो मिल मालिक तुरन्त अपनी सहायता के लिए हाई कोर्ट में पहुंच जाया करते थे और गरीब किसानों की बदकिस्मती से हाई कोर्ट भी उन्हीं की मिल मालिकों की मदद कर दिया करता था। बीसों मिलें प्रदेश में आज भी इस प्रकार की हैं कि जब उनके ऊपर वसूलयाबी में कड़ाई की गई तो वे हाई कोर्ट में चले गये और जिस हिसाब से वे पहले गन्ने की कीमत अदा कर रहे थे, हाई कोर्ट ने मिल मालिकों पर कृपा करके उससे भी आसान किस्त उनकी अदायगी की कर दी मुझे मालूम नहीं कि हमारा गन्ना विभाग और प्रदेश सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के ऐसे निर्णयों के खिलाफ लड़ भी रही है या नहीं। लेकिन उसे लड़ना चाहिये था कड़ाई के साथ, जिससे कि भविष्य में हाई कोर्ट इस प्रकार से एक तरफा कदम न उठा सके।

इसी प्रकार से गन्ने के क्रय-कर की भी बात है। मुझे मालूम है 8 करोड़ 94 लाख रुपया पिछले दो वर्षों का क्रय-कर का मिल मालिकों पर बाकी है। करोड़ों रुपया कमीशन का गन्ना सोसाइटियों का मिल-मालिकों पर बकाया है। इस प्रकार से 18–20 करोड़ रुपया उन पर अभी बाकी है। उन्हें जरूरत भी क्या थी, मजबूरी भी क्या थी उसकी अदायगी की? अपने फैक्टरी के काम को चलाने के लिए। अगर सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए मिल मालिकान बाजार में जाते थे तो 16–19 फीसदी पर कर्जा मिलता था। लेकिन केन कमिश्नर साहब ने अगर कोशिश की तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा साढ़े सात प्रतिशत का सूद दिया जाता था। वह साढ़े सात फीसदी का सूद भी व्यक्तिगत रूप से किसानों को कभी मिला नहीं, बल्कि वह भी सोसाइटी के सार्वजनिक कामों में खर्च कर दिया गया। किसान अपना काम चलाने के लिये ऊंचे सूद पर कर्जा लेता था, मिल मालिकान कम सूद की अदायगी पर उस समय से अपना काम चलाते थे। अगर सरकार सख्ती करती तो हाई कोर्ट भी मिल मालिकान की इमदाद करता था और नतीजा यह था कि किसान बेचारा बेबस अपने गन्ने की कीमत की अदायगी में उसकी प्राप्ति में, असहाय सा रहता था। लिहाजा इस प्रकार का सरकार न कदम उठाया है जिसके लिये हम लोग निरन्तर प्रयास कर रहे थे। इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन इस रुपये का क्या होगा? जो 7–8 करोड़ रुपया पिछले वर्षों का अब भी बकाया है? आपकी पुरानी कोशिश द्वारा वह वसूल नहीं हो रहा है। आगे के लिए आपने इन्तजाम कर लिया मैं स्वीकार करता हूं। कोशिश यह होनी चाहिए कि जितनी गन्ने की कीमत है जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने कहा शत प्रतिशत गन्ने की कीमत आप अग्रिम ऐडवांस मिलों को जो चीनी के स्टाक पर मिलेगा उससे अदायगी करा सकेंगे लेकिन पुराना तजुरबा यह जरूर बताता रहा कि प्रदेश की सरकार, जिले का अधिकारी मिल मालिकों पर कड़ाई कर न सका। काश्तकार को मजबूर होकर आन्दोलन करना पड़ता था। अनेकों बहाने इस प्रकार के लिये किये जाते थे कि चीनी का हमारा स्टाक नहीं उठा। संसार में कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होगी जहां रा मैटीरियल की सप्लाई की जाय और 6–6, 8–8 महीने साल-साल भर तक उस रा मैटीरियल की कीमत काश्तकार को प्राप्त न हो सके। गन्ने के अलावा आपके देश में शायद ही कोई दूसरी इंडस्ट्री हो जो इतने दिनों तक रामैटीरियल की कीमत रोके रखे। भविष्य के लिए इसका इन्तजाम हो जायगा। इसके लिए मैं पुनः आपको मुबारकबाद देता हूं।

लेकिन जो 7.50 करोड़ रुपया गन्ने की कीमत पिछले वर्षों का बकाया है और 9 करोड़ क्रय कर का सरकार का बकाया है और सोसाइटी का कमीशन बकाया पड़ा है इसमें जितनी कड़ाई कर सकें, करें, पुरानी कड़ाई नहीं। वह बेकार है। नयी कड़ाई काश्तकार पर 50 रुपये बाकी हों तो वह हवालात में जा सकता है। क्यों नहीं ऐक्ट में ऐसा प्राविधान रखा जाता कि जो भी प्रोप्राइटर हो, या मैनेजिंग डाइरेक्टर, मैनेजिंग ऐजन्ट या मैनेजर हो, अगर गन्ने की कीमत नहीं देता है तो उसको क्यों नहीं प्रासीक्यूट करते हैं। उसको भी आप जेल में बन्द कीजिये। जिस दिन पुलिस हथकड़ी लेकर पहुंचेगी वह गरीब काश्तकार का कभी पैसा नहीं रोकेगा। कड़ाई के साथ पुराने बकाया को भी वसूल करने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में रामधारी

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

शास्त्री जी ने कहा यह सही है कि साढ़े ग्यारह रुपये पश्चिमी यू० पी० के मिल मालिकान गन्ने की कीमत दे रहे हैं। आपने कोशिश किया साढ़े आठ रुपये प्रति क्विंटल पूर्वी यू० पी० में गन्ने की कीमत मिल मालिकों से दिलाने की। यह बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि अगर पश्चिमी यू० पी० के मिल मालिक जहां रिकवरी कम है साढ़े 11 रुपये क्विंटल गन्ने की कीमत देकर मुनाफा कमा सकत हैं तो पूर्वी यू० पी० के किसानों को साढ़े 11 रुपये क्विंटल गन्ने की कीमत दिलाना क्या मुश्किल है। पश्चिमी यू० पी० में तो मिल मालिक को साढ़े 11 रुपये क्विंटल पर भी किसान से गन्ना नहीं मिलता, 12 व 13 रुपये क्विंटल पर क्रशर किसान से गन्ना खरीद रहा है और फिर भी क्रशर इतनी क मत देकर मुनाफा कमा सकता है तो फिर सरकार पूर्वी यू० पी० के किसानों से वहां के मिल मालिकों को साढ़े 11 रुपये क्विंटल पर गन्ना दिलाने में क्यों असमर्थ है? सरकार तथा मुख्य मंत्री जी इधर ध्यान देंगे। पाबन्दियां लगाने से काम नहीं चलेगा। अनेक पाबन्दियां लगाई जाती हैं।

पिछले वर्ष जब हमारी सरकार थी आप लोगों के साथ तब किसानों को यह सहूलियत दी थी कि किसान अपना गन्ना पेरने के लिये जहां चाहे क्रशर लगा सकता है। 5 मील के बाहर वह कामर्शियल बेसिस पर भी क्रशर लगा सकता है। इस वर्ष वह प्रतिबन्ध 16 किलोमीटर यानी 10 मील कर दिया गया है ताकि मिल मालिकों को कम कीमत पर गन्ना मिल सके। किसान गरीब हैं। अगर चीनी आपको ज्यादा चाहिये तो सरकार की नीति भी इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे कि नित्य प्रति गन्ने का क्षेत्रफल जो बदलता रहता है उसे रोका जा सके। भारत सरकार की दोषपूर्ण नीति गन्ने के मामले में रही है और इसीलिये गन्ने का क्षेत्रफल कभी बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है और कभी घटता है तो घटता ही चला जाता ह। भारत सरकार की इस दोष पूर्ण नीति का नतीजा यह है कि कभी गन्ने का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है और कभी बहुत घट जाता है। नीति इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे क्षेत्रफल में बहुत बड़ा अन्तर न हो सके। गलत तरीके से किसानों के ऊपर जो गुड़ के उत्पादन पर क्रशर लगाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं वे प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाने चाहिये गुड़ निर्माण हमारा सबसे अच्छा कुटीर उद्योग है, क्रशर हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्री है। उसमें कहीं ज्यादा रोजगार मिलता है बनिस्बत मिलों के और कम्पीटीशन चलता है तो हमारे किसानों को ज्यादा मुनाफा जाना चाहिये।

जहां तक मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है हमारी सरकार साढ़े 7 महीने आप ही के साथ इस प्रदेश में रही। पहली जून को हमने रिपोर्ट दी। जून, जुलाई, अगस्त,तथा सितम्बर चार महीने उसके बाद हमारी सरकार चली और 9 महीने इस प्रदेश में नई कांग्रेस की सरकार को भी हो चुके हैं रिपोर्ट पहले से मौजद है, भारत सरकार भी स्वीकार करती है, प्रदेश सरकार भी स्वीकार करती है राष्ट्रीयकरण के औचित्य को तो फिर उसे रोके किसने रखा है? रुकावटें क्या हैं? माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ बतलाया है, अगर राज्य मंत्री जी भी अपने उत्तर में कुछ प्रकाश डाल सकें तो प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। कई कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज प्रदेश में हैं। बागपत, बाजपुर, मझोला, सरसवां तथा अन्य शुगर फक्टरीज कोआपरेटिव सेक्टर में हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर के मिल-मालिकान साढ़े ग्यारह रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों के गन्ने की कीमत दे सकते हैं तो यह कोशिश की जानी चाहिए कि कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी भी किसानों को उनके गन्ने की वही कीमत दे जो कि प्राइवेट सेक्टर के मिल मालिकान दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि चीनी का उत्पादन बढ़े तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि किसानों के गन्ने की और कीमत ला देने के लिये मिल-मालिकों को बाध्य किया जाय। मान्यवर, 40 फीसदी 'चीनी' तो फ्री में है। दिनों प्रति दिन 10 रुपया प्रति क्विंटल चीनी की कीमत बढ़ती जाती है। शुरू में पौने दो सौ रुपये क्विंटल (एक बोरी) चीनी का भाव था और आज पौने तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

भाव हो गया है यानी 100 रुपये प्रति बोरी की कीमत बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में सारा मुनाफा 40 फीसदी पर मिल-मालिक खा जाय, यह प्रदेश का किसान कैसे बर्दाशत करेगा। बांट-चूंट कर खा लें तो अच्छा है। 60 फीसदी कन्ज्यूमर को कंट्रोल रेट पर चीनी मिल रही है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितना भी आप गन्ने की कीमत बढ़वाने की कोशिश करेंगे उतना ही प्रदेश के काश्तकार और मजदूर के हित में होगा। इन शब्दों के साथ मे पुनः एक बार माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं उनको इस बात के लिये कि आज किसानों के गन्ने के बकाये की अदायगी के संबंध में जो समस्या थी उसको हल करने के लिये आपने यह एक ठोस कदम उठाया है। आप बता रहे थे कि आपने इसे लागू भी कर दिया है पुनः मैं यह आग्रह करूंगा कि आप कड़ाई के साथ उनके पुराने बकाये की वसूली में भी ध्यान देंगे।

(माननीय मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, इस पर तो विचार 5 बजे तक होना है। धारायें कम हैं इसलिये कुछ और लोग जो बोलना चाहते हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

आप खड़े नहीं हुये इसलिये मैंने मंत्री जी को बुला दिया था।

*श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्ताव किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी गन्ने के दाम के सम्बन्ध में पिछली विधान सभा के सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उठकर यह ऐलान किया था कि 10 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम देने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास लिखकर भेज रहे हैं किन्तु अभी तक 10 रुपये क्विंटल नहीं मिला बल्कि पहले 8 रुपये क्विंटल का दाम निश्चित हुआ। अभी हाल ही में हमारे गोरखपुर में एक रिजर्वेशन कान्फ्रेन्स हुई जिसमें कि गन्ना विभाग के डाइरेक्टर साहब भी गये थे और वहां के किसानों ने उस कान्फ्रेन्स को दो दिन तक बायकाट किया। वहां पर जो नागर साहब थे। उनकी मिल-मालिकों से साठगांठ हुई। टालमटोल करके उन्होंने गन्ने का दाम मिलमालिकों से साढ़े आठ रुपये कर दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 रुपये क्विंटल और पूर्व में साढ़े आठ का दाम किया है। यह रिकवरी के आधार पर उन्होंने नहीं किया है बल्कि मिल-मालिकों से भेदभाव और साठ-गांठ करके ऐसा किया है भारतीय शुगर संस्थान जो है जिसके चेयरमैन बंशीधर जी हैं, उन्होंने 12-9-71 को स्वतंत्र भारत में एक बयान दिया है। कि सरकार 150 रुपया चीनी का दाम दे सकती है तो 9 रुपया क्विंटल गन्ने का दाम होना चाहिये। जब चीनी का दाम आज यह है कि 250 रुपया वह बिक रही है तो गन्ने का दाम पूर्वी उत्तर प्रदेश में या सारे प्रदेश में 15 रुपया क्विंटल गन्ने का दाम होना चाहिये। इससे कम नहीं होना चाहिये। मैं जानता हूं कि सारे सामान का दाम जो मिलों में बनता है कपड़े का दाम, नमक का दाम, लोहे का दाम, जो किसान खरीदता है उसको दूना दाम देना पड़ता है। जो किसान पैदा करता है उसका दाम दूना नहीं हुआ है। उसका दाम घटता जा रहा है। उसका दाम 8 1/2 रु0 क्विंटल हो रहा है। हमारे पूर्वी जिलों के किसान अब आन्दोलन करने वाले हैं। उससे आपकी फैक्टरी बन्द हो जायेगी। अगर फैक्टरी बन्द हो गई तो उससे चीनी के उद्योग को भारी धक्का लगेगा। उससे किसानों के ऊपर भी असर पड़ेगा। जिससे किसान गन्ना नहीं बोयगा। न बोने से उनकी जो कशकाप है उस पर असर पड़ेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिवंश सहाय]

मैं चाहता हूं कि जो हमारे पूर्व के मुख्य मंत्री जी ने 10 रुपये की बात कही थी, उसमें संशोधन करके 15 रु0 क्विंटल गन्ने का दाम तय करें तभी जाकर गन्ने के किसानों का भला हो सकता है। नहीं तो पूंजीपतियों की रहनुमाई यह सरकार करेगी अगर इस बात को नहीं माना जायगा। यह बात नहीं करती है तो यह सरकार गरीब किसानों की बात नहीं करती है। यह जबरदस्त भेदभाव सरकार कर रही है।

हमारे पूर्व में अगर एक क्विंटल से गुड़ बनाया जाय तो 12 1/2, 13, 14 रुपये क्विंटल गन्ने में पैसा जाता है। इसके अतिरिक्त उनको अन्य सामान मुफ्त में मिलता है। मैं समझता हूं कि गन्ने का दाम बढ़ाने के लिये वर्तमान सरकार को प्रयास करना चाहिये कि कम से कम 15 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम निश्चित हो वरना पूरब के किसान जबरदस्त आन्दोलन करने वाले हैं जिससे सारी मिलें बन्द हो जायंगी। इससे सरकारी आय भी बन्द हो जायगी और सरकार पर भी उसका असर पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे और गन्ने का दाम बढ़ाने की बात सोचे।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बिल के लाने के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस 24 वर्ष के इतिहास में आज यह पहला अवसर है कि जब किसानों को उनके गन्ने की कीमत में संरक्षण देने के लिये किसी सरकार ने पहला कदम उठाया है। मैं सन् 1967 से इस सदन में कई सरकारों को बदलते देखा। बी० के० डी० की सरकार आई और इसके पहले भी मिली जुली सरकार भी आई लेकिन उन्होंने आश्वासन तो दिये परन्तु किसी ने कोई कदम उठाया हो ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। अगर कोई दूसरी बात रही हो तो यहां पर पुराने सदस्य बैठे हुये हैं वह इस सदन के माध्यम से हम सब को अवगत करा दें। ऐसा कदम किसी सरकार ने पहले नहीं उठाया है। यह बिल्कुल कटु सत्य है। इस बिल का उद्देश्य जो मुख्य मंत्री जी ने उपस्थित किया है केवल दो हैं। एक तो यह है कि किसानों को आज तक कीमत सही नहीं मिलती थी उसको ठीक करना है और उनको सही कीमत दिलानी है। हमारे यहां भी बहुत सी फैक्टरीज हैं। मझोला, बरेली, रजा, न्यौली आदि अनेक फैक्टरीज हैं जहां पर 4, 4 और 6, 6 साल से आज बकाया रकम पड़ी है। हमारे जिले बरेली में चार फैक्टरी पर लाखों रुपया बकाया का पड़ा हुआ है जिसने अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है। मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन आज जो यह बिल आया है इससे मिलमालिकों के लिये यह हो गया है कि उनको अपनी शुगर के लिये बैंकों को गारन्टी देना पड़ेगा और तभी वह गन्ने को खरीद सकते हैं जब वह अपना एक गारंटीयर प्रस्तुत कर दें और एक बोरे के एवज में ९५ रुपया बैंक पेमेन्ट कर देगा। इसमें परेशानी यह है कि कीमत गन्ने की कम तो है ही। आज तीन प्रकार के रेट्स हैं। एक तो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में साढ़े सात आठ दे रहे हैं। हमारे बीज के इलाके में, बरेली, साढ़े आठ रुपया और मेरठ में ९ रुपया दे रहे हैं। तो एक तो यह है कि सारे प्रदेश में एक जैसे रेट्स होने चाहिए थे, जैसे कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट करती है। तो यह सौतेलेपन का बरताव क्यों हो रहा है? मेरठ वालों को क्यों ज्यादा दे दिया? क्या रिकवरी ज्यादा होती है, क्या वहज है? ईस्टर्न वालों को क्यों कम कर दिया। सारे प्रदेश में एक जैसे रेट्स न होने से उचित नहीं मालूम होता। इस पर मुख्य मंत्री जी विचार करें। थोड़े से नुक्सान की बात इसमें यह है कि चीनी के दाम कहीं ज्यादा होते हैं, ९५ रुपये की जो वक की गारंटी है वह बहुत कम है। अब्बल तो १५ दिसम्बर से बाद में जो गन्ना खरीदा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है उसका पेमेन्ट नहीं हो रहा है। केन सप्लायर होने के नातें में कहता हूं कि मेरे पास १५ दिसम्बर से बाद की पर्चियां रखी हुई हैं, पेमेन्ट नहीं हुआ है। तो बाद में संग्रह स्थान बन जाने के बाद क्या फैक्टरियां पेमेन्ट करती रहेंगी और आपका यह कानून प्रभावी हो पायेगा ? हां, शासन सजग रहा तो हो सकता है कि पेमेन्ट कर दें, लेकिन मुझे तो कानून बनने से भी नहीं लगता। तो ९५ रुपया जो बक वाली बात है वह बहुत कम है। जब कि चीनी के रेट आजकल ढाई, तीन रुपया है तो कम से कम दो सौ, डेढ़ सौ रुपया गारंटी उनसे ली जाय। यह मेरा थोड़ा सा निवेदन है।

एक बात और है। इस बिल से तो उसका कोई संबंध नहीं है लेकिन जब यह प्रस्तुत कर दिया गया है तो यह जरूर कहना चाहूंगा कि विरोधी पक्ष ने यह कैसे कह दिया, मेरी समझ में नहीं आया कि क्रशर नहीं लगा सकते हैं। खुले रूप से क्रशर लगा रहे हैं, चाहे जो लोग लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बरेली के इलाके में आज लग रहे हैं। क्रशर पर वहां भाव है गन्ने का साढ़े आठ रुपये और फैक्टरीज के सेन्टर पर जबकि रेड ८.१५ पैसे है वहां आठ ही दे रहे है, १५ पैसे का तो वैसे ही घपला है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी केन कमिश्नर को हिदायत भजें और उनसे पूछें कि १५ पैसा क्यों कम मिल रहे हैं। क्रशर तो गन्ने को ९-१० रुपये क्विन्टल तक में खरीद रहे हैं और फैक्टरीज का रेट ८ रुपये के हिसाब से होता है और कटौती देते हैं वह अलग, कि बंगला देश है, स्कूल है, खरंज का निर्माण है, रास्ते का मामला है। तो जो अच्छा आदमी है, हृष्ट-पुस्ट है, जो बिजनेसमैन है, बनिये किस्म का आदमी है, जो अपने काम नौकरों से करा सकता है वह अपना गन्ना फैक्टरियों को नहीं दे रहा है। जो सर्विस में है, उनके घर वाले जिनके जवान बेटे सीमाओं पर लड़ रहे हैं वही लोग फैक्टरियों को गन्ना सप्लाई करने पर मजबूर हैं। वह ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से या जिस्मानी दृष्टि से अपाहिज ह, कमजोर लूले लंगड़े हैं, जो अपना पूल नहीं बना सकते और क्रशर पर गन्ना नहीं ले जा सकते। वह फैक्टरीज की तरफ अपना गन्ना ले जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस संबंध में कोई ऐसा आदेश प्रसारित करें या ऐसी कोई विनय करें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से जिससे सारे प्रदेश में किसानों को एक रेट मिल सके और जो गरीब और यतीम लोग हैं, खासतौर से गरीब किसान हैं, जो अपना गन्ना फैक्टरी में डाल रहा है उसको उसका उचित दाम मिल जाय। यह एक सुझाव है।

दूसरी बात यह है कि इस बिल के आने से आप देखें कि पहले ३२ लाख रुपया ऐसा था क्रय कर का था, जो चीनी का उत्पादन हुआ है फक्टरी पर वह कर का बकाया रुपया था और किसान का देय अलग था। लेकिन गवर्नमेन्ट का ८ करोड़ रुपया था। उसको वसूल करने के लिए सरकार इस बिल को लायी। कई मुख्य मंत्री बदल गये और वे इसका हल खोजते रहे लेकिन नहीं मिला। यह ८ करोड़ रुपया वसूल हो जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वसूल हो जायगा। अन्त में मैं एक बार मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल को लाकर के किसानों को उनके भुगतान के लिये गारंटी दी है और सरकार की आमदनी में इजाफा कियाहै। इससे सरकार को बकाया रुपया भी वसूल होने में मदद मिलेगी।

श्री महीलाल—

अभी तो श्रीमन्, बहुत बोलने वाले हैं।

(इस समय ३ बजकर ४७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय बहुत कम रह गया है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

यह बात हो गई थी कि अगर ज्यादा बोलने वाले होंगे तो यह ५ बजे तक हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर 5/5 मिनट बोलना चाहें तो आप लोग बोल लें ।

श्री महीलाल—

श्रीमन्, मैं नई बात कहूंगा, मुझे दस मिनट बोलने दीजिए । जो संशोधन विधेयक सरकार लाई है उसकी बहुत आवश्यकता थी । उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं । लेकिन जो स्थिति आज गन्ने के क्षेत्र में सरकार की नीति की बदौलत हुई है वह ऐसी नीति रही है जिसे अगर मैं दूषित नीति कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

इस सरकार ने जिसने गन्ने की कीमत के निर्माण में जो नीति अपनाई वह दोषपूर्ण थी । इसलिए कि सरकार के सामने यह आंकड़े मौजूद थे कि गन्ने की फसल इस साल कम है । सरकार के अधिकारी जानते थे कि 25 प्रतिशत गन्ने का क्षेत्र कम हो गया है और प्रति एकड़ पैदावार भी कम हो गई है जिसका नतीजा होगा कि चीनी का उत्पादन कम होगा और जब चीनी का उत्पादन कम होगा तो निश्चित रूप से चीनी के दाम ऊंचे जायेंगे । तमाम किसान नेताओं और अर्थ शास्त्रियों की यह राय थी कि गन्ने की कीमत ऊंची होनी चाहिए जिससे गन्ना काश्तकार को प्रोत्साहन मिले । लेकिन सरकार ने गन्ने की वही कीमत रखी और दलील यह दी कि अगर ज्यादा कीमत रखेंगे तो मुद्रा स्फीति हो जायेगी । अर्थ शास्त्रियों का कहना है कि उत्पादन से संबंधित चीजों के दाम बढ़ने से मुद्रा स्फीति नहीं होती है । अन्न उत्पादन क्रियाओं के दाम ज्यादा हो जाते हैं तो मुद्रा स्फीति होती है । इसलिए इस दलील पर गन्ने की कीमत न बढ़ाना दोष पूर्ण नीति थी । इसमें प्रदेशीय सरकार की जिम्मेदारी में कम नहीं मानता हूं क्योंकि एक ही दल की सरकार दोनों जगहों पर है और यह सरकार केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल सकती थी कि गन्ने की पैदावार कम है इसलिये दाम बढ़ाए जाएं । नतीजा यह हुआ कि सरकार ने 7 रुपये 37 पैसे जो मिनीमम प्राइस निश्चित की थी उससे गन्ना मिल वालों को नहीं मिल सकता बल्कि स्थिति यह आयी है कि पश्चिमी जिलों में क्रशर के कम्पीटीशन में आने से आज मिल वाले मजबूर हैं 10 रुपया और 10 1/2 रुपया देने के लिये और मुजफ्फरनगर में वीरेन्द्र वर्मा जी ने बताया कि साढ़े 11 रुपये पर गन्ना खरीदा जा रहा है और क्रशरों के मालिक 12 पर खरीद रहे हैं क्योंकि चीनी के दाम 175 से 275 हो गये हैं । यह सरकार की नीति का दोष है कि उसने शुरू में गन्ने के दाम कम निर्धारित किये, अगर वह पहले ही बढ़ा दिये गये होते तो न तो चीनी के दाम ही बढ़ते और किसानों का भी भला हो जाता और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं की जेबों पर भी डकैती न पड़ती । समाजवाद की तरफ जाने वाले लोगों की गलती है, समाजवाद के बजाय पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है ।

दूसरी बात यह है कि हम और सरकार इस मामले में एकमत हैं कि कृषि के साथ-साथ उद्योगों का भी विकास होना चाहिये । और उद्योगों के विकास के लिये यह आवश्यक है कि कारखानों में जो माल तैयार हो, बाजार में उसकी खपत हो जाय । लेकिन आज स्थिति यह है कि बाजार में दूकानदार बैठे हैं चाहे साइकिल बेचने वाला हो अथवा और कोई दूसरी चीज बेचने वाला हो, सब हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं । क्यों ? क्योंकि किसान को गन्ने की कीमत कम मिल रही है । नतीजा यह है कि उनकी परचेजिंग पावर घट गयी है । इसमें सरकार अपनी घोषित नीति के विरोध में चली गयी है । इसका स्थायी हल मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यह रखना चाहता हूं कि गन्ने की कीमत तय करने से पहले एक समिति किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों की बना दी जाय जो गन्ने की कीमत को तय करे । जो देश, प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था आदि को देखकर गन्ने की कीमत को तय किया करे ।

तीसरी बात यह है कि क्रशरों के संबंध में जो सरकार की नीयत है उसके कारण किसानों को आज बड़ा घाटा हुआ है । अगर सरकार ने 10 कि० मी० की पाबन्दी न लगायी होती तो कम्पीटीशन में किसानों को उनके गन्ने की कीमत अधिक मिल जाती क्योंकि उससे बहुत से

क्रशर लग जाते। इसके अलावा मैं एक बात भूल रहा था, जिसको चौधरी साहब ने मुझे याद दिलाया, वह यह कि सरकार ने सारे वायदे के सौदों को बन्द कर दिया, जिसके कारण किसानों को उनके गन्नों के दाम पूरे नहीं मिले और इससे जो हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वह प्रत्यक्ष है।

सुरक्षा फण्ड के बारे में मेरा कहना है कि हमें उसको देना चाहिए लेकिन उसके बारे में ज्यादती का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि नायब तहसीलदार ने एक छोटे से किसान को पकड़ कर उसको मजबूर किया कि वह अपनी लड़की गिरवी रखे और फण्ड के लिये रुपया दे। यह जरूरी है कि सुरक्षा फण्ड में रुपया दिया जाय लेकिन इस प्रकार की स्थिति शोचनीय है। इस प्रकार से गरीबों को परेशान किया जाना उचित नहीं है और इसके बारे में जो सरकार की नीति है उसमें परिवर्तन होने की आशा है और हमारे सामने जो नये समाजवाद का नक्शा है उसी के अनुसार उस ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए। हर वह कदम आगे बढ़ना चाहिये जिससे उत्पादन और उपभोक्ता की कीमतों में जो अन्तर है वह कम होता जाय, बीच के आदमी की जेब में अधिक न जाय। हमारा हर वह कदम आगे बढ़ना चाहिए जिससे खेती के साथ-साथ उद्योगों को प्रोत्साहन मिले।

क्रशर्स के सिलसिले में मैं निवेदन यह कर रहा था कि लाइसेन्स देने में आपने उदारता नहीं बरती। लाइसेन्स के लिये जो प्रार्थना-पत्र रेकमेन्ड होते हैं उसमें तरह-तरह की बातें होती हैं। जो आदमी शुरू में डिस्ट्रिक्ट लेविल पर इन्स्पेक्टर को टिप कर देता है उसकी दूरी कम लिख दी जाती है और जो नहीं करता है उसकी दूरी ज्यादा लिख दी जाती है। आप दरख्वास्त कैंसिल करते हैं। सरकार में अपील होती है। 6—6 महीने तक अपीलें तय नहीं होती हैं। नतीजा यह होता है कि किसान परेशान हो जाता है, सीजन खत्म हो जाता है और अपील तय नहीं हो पाती है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्रशर्स की देख-रेख में कुछ शिथिलता रहती है, वहां से कुछ ज्यादा टैक्स वसूल हो सकता है, उसकी तरफ सरकार को तवज्जह देनी चाहिए और जो छोटे-छोटे लोगों पर टैक्स पड़ता है उसको कम कर के इस तरह के लोगों से टैक्स लेना चाहिए और चन्दा देने के लिये भी मजबूर करना चाहिये जो दे सकते हैं।

मुझे यह बताया गया है, हालांकि यकीन तो नहीं हो रहा है, बात सही होगी कि 23 करोड़ रुपया जो गन्ने की कीमत का बकाया था, सरकारकी कोशिशों से उसमें से बहुत काफी वसूल हो गया है, केवल 7 करोड़ रुपया बाकी रह गया है, 70-71 का 5 करोड़ और 2 करोड़ इधर का। यकीन तो नहीं होता, मुझे बताया गया है, लेकिन अगर यह बात सही है तो सरकार के इस प्रयास की सराहना की जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार सचेत होगी अपनी नीतियों के प्रति और अपनी नीतियों में इस प्रकार से परिवर्तन करेगी जिससे उत्पादक को पूरे दाम मिल सकें और बीच के लोग मोटे होते न चले जाएं।

*श्री मोहनलाल कपूर—

उपाध्यक्ष महोदय, चीनी उद्योग अपने प्रदेश का प्रमुख उद्योग है और चीनी का कच्चा माल गन्ना है जो सर्वविदित है और सरकार ने भी माना है। हमारे प्रदेश और देश में जितने उद्योग चल रहे ह उनके कच्चे माल को जो लोग सप्लाई करते हैं उनको नकद पैसा मिलता है। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता अगर वह यह बात विधेयक में लाती कि किसान से जिस समय गन्ना लिया जायगा उसी समय उसको पैसा दिया जायगा। मैं मेरठ जिले का हूं। वैसे तो सारे प्रदेश में गन्ना उगता है परन्तु मेरठ जिले की स्थित को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन लाल कपूर]

किसान आज तीनों तरफ से मर रहा है, यानी चाहे निजी क्षेत्र में मिल हो वहां पर भी, चाहे सहकारी क्षेत्र में हो वहां पर भी और चाहे राजकीय क्षेत्र में हो वहां पर भी। हमारे क्षेत्र में मोहदीनपुर और सखौती, दो राजकीय मिलें हैं, बाकी निजी मिलें हैं, लेकिन किसान को पैसा नहीं मिलता, बीच में गन्ना सहकारी समितियां आ जाती हैं। वह परची ले लेते हैं और पैसा वसूल कर लेते हैं।

आज दौराला समिति जिसने लाखों रुपये मिल से तो ले लिये परन्तु किसानों को नहीं दिया। परन्तु किसानों को नहीं देखा। यह बहुत बड़ी समस्या है कि किसानों को अपना कच्चा माल बेचने के बाद फौरन पैसा नहीं मिलता है यह कहां का न्याय है कि किसानों को बाजार में कपड़े के दाम नगद देना पड़े, उसको सीमेन्ट नकद पैसा देकर मिले, ईंट का पैसा वह नकद दे। यहां पर आप यह व्यवस्था जरूर लाए हैं लेकिन आप धन्यवाद के पात्र तब होते कि जब आप यहां यह व्यवस्था करते कि किसानों को उसके गन्ने का नकद पैसा मिलेगा। उधर उसका गन्ना तौल कर गिराया जाय और दूसरी तरफ उसी वक्त उसकी नकद पेमेन्ट होता चले, आगे के लिये आप ऐसा नियम बनाते। अगर ऐसा होगा कि कुल धनराशि का एक नियत प्रतिशत अलग रखा जायगा और वह गन्ने का मूल्य और कमीशन देने के लिये उपलब्ध होगा, ऐसा अधिकार तो पहले भी जिलाधीश को था और वह मालगुजारी की तरह वसूल कर सकता था। लेकिन जो करोड़ों रुपया मिल-मालिकों पर बकाया है और राज्य की मिलों पर भी बकाया है और किसानों को उन का पैसा नहीं मिलता, मैं सरकार की उस समय ही बधाई दूंगा जब सरकार किसानों को उनका गन्ने का नकद मूल्य उसी समय दिलायेगी।

दूसरी बात यह कहना है कि यह जो गन्ने का मूल्य है वह आप कितनी बातों को देखकर तय करते हैं। भारत सरकार और यह सरकार जितना चीनी मिल-मलिकों का ध्यान रखती है उतना वह किसानों का नहीं रखती। यदि ऐसा होता तो किसानों का जो गन्ने के उत्पादन में व्यय होता है उसकी ओर भी सरकार ध्यान देती। यह तो मिलवालों से बात कर के मूल्य तय करते हैं लेकिन किसान जो खाद, बीज, पानी पर पैसा खर्च करता है और उस का कास्ट आफ प्रोडक्शन इनडेक्स के हिसब से कितना बढ़ गया है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं चाहता हूं कि जब भी गन्ने के दाम मुकर्रर किये जाएं तो किसानों के प्रतिनिधियों से बात होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया जाता और यही कारण है कि हमारे प्रदेश में 15 रुपया क्विन्टल गन्ने के दामों की मांग है। हम भी चाहते हैं कि यह रेट हमारे सूबे में रहे केवल इस बात पर ही बहुत हर्षित हो रही है कि पश्चिम में साढ़े 11 रुपये का रेट चल रहा है और पूर्व में कुछ मिल रहा है। लेकिन मुझे यह बताया जाय कि पहले सरकार ने एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया था और क्रशर वहां नहीं लग सकते और जब वहां इजाजत दी तो उन्होंने परचेज टैक्स लगाया लेकिन उस क्षेत्र के बाहर वह परचेज टैक्स नहीं लगता। आज कौन सी बात आ गई आप पूर्व में पैसा ज्यादा दिलाये लेकिन ऐसा तो न करें कि बराबर गन्ने का परचेज टैक्स लगा दें जिसके कारण जो क्रशरों का छोटा उद्योग है वह समाप्त हो जाय। कम्पटीशन के आधार पर किसानों को जो साढ़े 11 रु0 का मूल्य मिल रहा है उसकी जगह साढ़े सात मिलेगा, अभी बराबर नीचे मिल रहा है। आप उनको साढ़े सात और आठ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको साढ़े ग्यारह, 12 और 15 जो मिलना चाहिये वह मिले। मैं निवेदन करूंगा कि यह परचेज टैक्स लगाकर आप वास्तव में किसानों का हित नहीं कर रहे हैं बल्कि आप 50 लाख रुपये की जो बात कहते हैं उसमें से आप 2 लाख रुपया स्टेबिलिशमेन्ट पर खर्च करने को कहते हैं, आपको केवल 48 करोड़ रुपया मिलेगी। उसके बाद किसान का क्या हाल होगा क्रशर बन्द हो जायेंगे और कम्पीटीशन न होकर किसानों को कम पसा मिलेगा और गन्ना पैदा करने की उनकी प्रेरणा समाप्त हो जायेगी और गन्ने के अभाव में चीनी का उत्पादन भी कम हो जायगा और फिर 300 रुपया जो चीनी आज बिकती है वह न जानें कहां पहुंचेगी उसका हिसाब नहीं

किया जा सकता। मेरा आपसे यही निवेदन है कि सुरक्षित क्षेत्र से बाहर जो आपने परचेज टैक्स लगाया है, वह गलत है। दूसरे जो आपने 10 मील की सीमा बांधी है कि उसके अन्दर कोई क्रशर नहीं लगेगा, उसको आप समाप्त करने की घोषणा करें।

इस विधेयक में मैं जो देख पाया हूं, वह यह है कि पुरानी राशि को चुकता करने के लिए कोई प्राविधान नहीं है। आपका जो उद्देश्य है वह यह है कि इस समय से अनुबन्ध यह होगा कि मिल-मालिक द्वारा उसमें से एक नियत प्रतिशत नकद नहीं दिया जायगा बल्कि इकट्ठा कर लिया जायगा। लेकिन जो पिछली करोड़ों रुपये की रकम मिलों पर बकाया पड़ी हुई है, वह किसानों को कब और कैसे दिया जायगा। मैंने ही एक बार यहां पर एक प्रश्न उठाया था और हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सखौती और मोहिद्दीनपुर के मिलों में जो बकाया है वह दिलाया जायगा लेकिन मैं नहीं समझता कि जिलाधीश जिस प्रकार से लाखों रुपया जो उत्पादकों का इन मिलों पर बकाया है, और सरकार का भी बकाया है, दिलवायेगा। वे स्वयं नहीं अदा करते हैं। इस प्रकार की स्थिति आज इन मिलों की है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस प्रकार से वे पिछला रुपया इन मिल-मालिकों से निकलवा सकेंगे? मैं चाहूंगा कि यह जो कोष जमा हो, उससे पिछली राशि को चुकता किया जाय और आप किसानों को यह धनराशि नकद दिलाने की व्यवस्था करें।

अन्त में एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार पर टालती है कि वे राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और भारत सरकार कह देती है कि यह सरकार करेगी। हर तरह से हमारा उद्योग समाप्ति पर जा रहा है। यदि राष्ट्रीयकरण करना है तो यथाशीघ्र करें और अगर नहीं करना है तो इस बात को टाल दें। नहीं तो इसका समाजीकरण करें। यह जो ससपेन्स क्रिएट हुआ है इससे उद्योग को हानि हो रही है। मैं चाहूंगा कि इन चीनी मिलों का समाजीकरण किया जाय और हमारे गन्ने की जो समुचित नीति बन सकती है, उसे बनावें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं सदन के माननीय सदस्यों का बड़ा उपकार मानता हूं कि मेरे इस संशोधन का समर्थन किया। मुझे प्रसन्नता है कि शासन की ओर बैठे हुए भी माननीय सदस्यों ने मेरे इस संशोधन का समर्थन किया और अपनी इच्छा जाहिर की कि इसको प्रवर समिति में जाना चाहिए। जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से उत्तर आए, वे इस बात के द्योतक हैं कि यह विधयक आंशिक रूप से अधूरा है। एक संशोधन आ रहा है। मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे मौलिक संशोधन आ जाते जिनमें किसानों का लाभ हो सके। 2–3 जगहों से विधान सभा के निश्चित प्रस्ताव का हवाला दिया। 1946 में इस विधान सभा ने मान्यवर निश्चय किया था कि जो हमारी उत्पादन और वितरण के जरिय हैं, उनका समाजीकरण करेंगे। उसके बाद बम्बई में कांग्रेस में 2 हिस्से हुए। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भी 2 वर्ष पहले यह बात कही थी। अब श्रीमन्, मैं आपके समक्ष 17 तारीख के नेशनल हेराल्ड की संपादकीय टिप्पणी को पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप आशय बता दीजिए।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

उन्होंने कहा है कि समाजवाद की आवश्यकता को पूरा करने के लिये राष्ट्रीयकरण नहीं भी जरूरी हो तो आर्थिक ढांचा ठीक करने के लिए राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। मैं निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक में किसानों को मदद करने का लक्ष्य नहीं है और जो मिल वाले

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

पूंजीपति हैं उनके पूंजीवाद का लिक्विडेशन नहीं हुआ है। गत वर्ष जो चर्चा आई थी उसमें कहा गया था कि पांच लाख रुपये लेकर राष्ट्रीयकरण नहीं किया है और सत्तारुढ़ कांग्रेस सरकार राष्ट्रीयकरण कर रही है। क्या बात हो गई फिर। इसीलिए मैंने संशोधन रक्खा था कि यह प्रवर समिति में जाय और सारे पहलू पर विचार हो जाय। अब मैं जो पुरानी धाराएं हैं उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति खरीद विनियमन 1953 उसकी धारा 17 में--फैक्टरी का उद्देश्य अपने द्वारा खरीदे गये गन्ने के मूल्य की शीघ्र भुगतान की ऐसी व्यवस्था करेगा जो नियत की जाय। यहां पहले से प्राविधान है। दूसरी धारा है उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय कर अधिनियम 1961 की। यह है आखिरी पेज पर आंठवीं है। उसमें लिखा हुआ है केन क्रशर के बारे में। कोई अगर इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा और पांच हजार रुपये तक जुर्माना है। क्या कभी मिलवालों पर इस तरह का प्रतिबन्ध लगा है। और क्रशर वालों पर ही यह कड़ाई है। मिलवालों के साथ, यह जो विधेयक है पूंजीवादी प्रवृत्ति का पोषक है और समाजवाद के नारे को खोखला बनाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रस्ताव को जो प्रवर समिति में भेजने का है उसको स्वीकार कर लें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया सभी सदस्यों ने प्रायः इस बात के लिये तो कहा कि ठीक है सरकार ने जो कदम उठाया गन्ने के मूल्य अदायगी के सिलसिले में वह ठीक ही थी। वह हमारा और उनका भी कहना है उस विचार में तो कोई अन्तर है ही नहीं लेकिन एक बात जरूर है जो मैंने पहले भी कहा था कि नियत प्रतिशत वाली बात अगर सरकार यह कह दे कि गन्ने के किसानों को भी शत प्रतिशत मूल्य दिया जायेगा तो इसकी आवश्यकता क्या रह जायेगी। बात समाप्त हो जाती है। शत प्रतिशत से क्या होगा। ऐसा आभास होता है कि इस बात की सफाई सरकारी विभाग से नहीं की गई। श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी अपनी बहस में इस बात का उत्तर दें तथा इस बात की सफाई करें कि क्या वे गन्ना के किसानों के मूल्यों के शत प्रतिशत भुगतान की जिम्मेदारी इस बिल के माध्यम से लेते हैं। अगर लेते हैं तो इस सवाल पर बहस नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो खाण्डसारी के मुताल्लिक पढ़ी उसका सवाल यह है कि जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा यह तर्क तो सबने कहा कि खाण्डसारी की यूनिट पर जो अनुरक्षित क्षेत्र में यूनिटें लगायी गयी हैं उन पर परचेज टैक्स न लगाया जाय। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह यह दिया कि जैसा केन्द्रीय सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है और चीनी से वसूल हो जाती है उसी प्रकार वह क्रय कर को भी वसूल करना चाहती है। मेरी जानकारी नहीं है श्रीमन् कि एक्साइज ड्यूटी कोई खाण्डसारी यूनिट पर लगती है। अगर खाण्डसारी यूनिट पर लगती हो और उसकी वसूली का सवाल सरकार के सामने हो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अपनी बात वापिस लेता हूं कि अगर खाण्डसारी यूनिट पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है तो उसकी तुलना क्रय कर से करना उस पर टैक्स लगाकर और गन्ने की खरीदारी मोटे तौर पर जो खाण्डसारी यूनिट करेगी और रिजर्व्ड जोन में नहीं असुरक्षित क्षेत्र में जो क्षेत्र मिल-मालिकों के लिये सुरक्षित नहीं है उस क्षेत्रों में अगर कोई आदमी जैसा मान लें अपका प्रतापगढ़ जिले में कोई असुरक्षित क्षेत्र है और वहां कोई आदमी खाण्डसारी की यूनिट लगाता है गन्ना पेरने के लिये यूनिट लगाता है तो इस ऐक्ट के मातहत वह क्रय कर के देने का अधिकारी होगा या नहीं। अगर होगा तो उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में गन्ना बोने का विकास नहीं होगा उन क्षेत्रों में विकास रुक जायगा और क्रय कर का जो इन्डायरेक्ट बोझा पड़ेगा जिसको कहते हैं कैश-क्राप के लिये इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और खासतौर पर मैं श्रीमन्, आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि सरकार उधर से जवाब दे। मैं यह समझता हूं कि कि पश्चिम के जिलों में खाण्डसारी की यूनिटों और यह सरकार की बदौलत नहीं बल्कि खाण्डसारी यूनिटों की बदौलत उनको जो गन्ने की कीमत ज्यादा मिल रही है बनिस्बत पूर्वी

क्षेत्रों के जहां खाण्डसारी के यूनिट नहीं हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या इन्डायरेक्ट तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से यह पूर्वी जिले के मिल-मालिकों की मदद सरकार करने जा रही है या नहीं। जहां एक तरफ यह होता है वहां दूसरी तरफ यह भी होता है कि पूर्वी जिलों की विकास में इस बिल से बाधा पहुंची होगी। मैं चाहता हूं कि सरकार के तरफ से इस बात का जवाब आये। श्रीमन् मैंने एक निवेदन और किया था और वह यह किया था कि क्या सरकार इस बात को मुनासिब नहीं समझती की जो ब्याज वाले मामले उसके बचते हैं और केन-क्रय का बचता है इस सिलसिले में अगर खान्डसारी से वसूली का सवाल पैदा होगा—एक तो मिल-मालिक हैं और दूसरे खाण्डसारी यूनिट का मालिक है। मिल से तो वसूल हो जाय, बावजूद इसके कि इसके हाथ में जो मौजूदा कानून का संशोधन हो रहा है उसी अधिनियम में इनको जेल में भेजने का खतरा था जहां लिखा हुआ है मालगुजारी की तरह वसूली होगी। किसान ही अब तक पाल गया होगा मिल-मालिक कभी नहीं गया। अगर इनके मन में किसानों के लिए सहानुभूति है मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि खाण्डसारी यूनिटों से जो वसूली होगी वह वसूली किस प्रकार होगी। क्या अगर खाण्डसारी यूनिटों के ऊपर भी उसी प्रकार से वसूली का कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखते हैं और उसी प्रकार से बैंक के जो ऐडवान्स आयेंगे उनको दिलाने का कोई बन्दोबस्त करने आप जा रहे हैं या कौन सी रूपरेखा इनके सामने है। वह सामने आए तो इस पर विचार किया जा सकता है। श्रीमन् इस बात की कोई सफाई उधर से नहीं की गई और मैं यह चाहता हूं कि इस बात की सफाई हो। मैंने यह इसलिए कहा कि जो मूल अधिनियम में एक को छूट है वही छूट उसके दूसरे अंग केन क्रशर को भी इस बात की छूट रहनी चाहिए कि उसको इस क्रय कर के संबंध में छूट या माफी देने का अधिकार किसी प्रकार प्राप्त हो। मैं चाहता हूं कि कैटेगरिकली मेरी बातों का जवाब दे दिया जाय। अगर दे दिया जायेगा तो उससे सदन और आप संतुष्ट हो सकेंगे। तो उस समय मैं अविलम्ब अपने प्रस्ताव को वापिस ले लूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं नहीं समझता कि मुख्य मंत्री ने कहा कि मैं तो राष्ट्रीयकरण करने वाला हूं मैंने तो केन्द्र के पास जवाब भेज दिया। जब हम उधर बैठते थे तो आप कहते थे कि राष्ट्रीयकरण तो प्रदेशीय सरकार नहीं कर रही है और आप उधर बैठे तो कहते थे ऐसा ही। जब आप यह मानते हैं कि आपको हक है तो आप करें। अगर आप यह समझते हैं कि केन्द्र की सरकार को हक है तो हमें खुशकिस्मत या बदकिस्मत जो भी मान लें यहां भी उनका शासन और वहां पर भी इनका शासन है। 8 या 6 महीने का बताया है। इतने दिनों से रिकमेन्ड करके भेज रक्खा है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार ने अब तक क्यों नहीं चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया। अगर राष्ट्रीयकरण होता है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अधिनियम जो संशोधन होने जा रहा है फिर यह बेकार होगा क्योंकि इस प्रदेश में कोई मिल-मालिक नहीं रह जायेगा। अगर सरकार स्वयं मिल-मालिक हो जायेगी तो सभी खण्डों का संशोधन करना पड़ेगा और फिर हमको सोच विचार कर ऐसी एक प्रक्रिया इस्तेमाल करनी चाहिये थी जिस प्रक्रिया के लिये भी इनसे कहा कि आप मेहरबानी करके ज्यादा नहीं तो सात दिन के लिये—सात दिन तो यह असेम्बली बैठने वाली है श्रीमन् चार तारीख से जोड़ा जाय तो 12 तारीख तक का प्रोग्राम है। उसके अन्दर सारा काम हो जायगा। इस सत्र में यह बिल पास हो जायेगा। लेकिन अगर सरकार समझती है कि अच्छी बात कहनी भी बुरी है और यही नहीं अगर इस विधेयक के प्रारूप सही हैं तो श्री राजमंगल जी उतावले हैं संशोधन पेश करने के लिये वे करें, हम विरोध करेंगे उस संशोधन को अगर कर देंगे। अगर सरकार कबूल करती है तो इसका मतलब है कि सरकार का दिमाग साफ नहीं है इस बात के लिये कि वह इस बिल में प्रतिनिहित आपकी सारी मंशा का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार की अनेक त्रुटियां और गलतियां निकलेंगी और उनके परिमार्जन के लिए आवश्यक है कि इस बिल को सात दिन के लिये सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन को अनुरोध करूंगा कि वे इस बिल को स्वीकार करें।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। माननीय सदस्यों की राय सुनने के पश्चात् मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई कि सदन के अधिकांश सदस्यों ने जो इस विधेयक में प्राविधान किए गए हैं, उनके संबध में सरकार की प्रशन्सा की है और उनका समर्थन किया है। अभी जो 1 दिसम्बर, 1971 की फीगर्स है, उसमें 7,45,36,000 रु० किसानों के गन्ने के मूल्य के रूप में बताये गये हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इससे पहले 1 जुलाई, 1971 को किसानों का गन्ना मूल्य मिलों पर 16,26,53,000 रु० बताया गया था। हमने प्रयत्न इसको वसूल करने के लिए किए और जो भी प्रक्रियाएं संभव थीं इस संबंध में उनका उपयोग किया गया। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यह सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है कि जो पिछले वर्षों का बकाया है, वह वसूल किया जाय। आपको यह भी पता होगा कि एक मिल-मालिक को गिरिफ्तार भी किया गया और रिकवरी सार्टीफिकेट ईश्यू किए गए। जो भी विधियां किसानों को गन्ने का मूल्य दिलाने के संबंध में सरकार की तरफ से अपनाई जा सकती हैं, उनको अपनाया गया। कुछ मिल-मालिक उन प्रक्रियाओं के विरुद्ध हाई कोर्ट में गये और स्टे ले आए। हमारी सरकार ने उन कई मामलों को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है और बहुत से मामलों पर हाई कोर्ट से फिश्त भी हो गई है। इस तरह से कई मजबूरियां पिछली किश्तों को वसूल कराने की आई हैं। अब यह रकम घटकर 1 दिसम्बर, 1971 को 7,45,360 रु० की रह गयी है। किन्तु हम इससे संतुष्ट नहीं हैं और बकाया भी वसूल करना चाहते हैं और जो भी किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है, उन्हें दिलाना चाहते हैं। आपसे निवेदन करूं कि परचेज टैक्स के रूप में भी 8,94,92,000 रु० बकाया है। इन सारी बातों को देखते हुए ही हमने इस विधेयक में कुछ धाराएं ऐसी जोड़ी हैं कि जिससे हम गन्ने की कीमत किसानों को दिला सकें। प्रति बोरी गन्ने की जो कीमत आयेगी उतनी कीमत निश्चित की जायेगी और वह रुपया बैंक के खाते में जमा कर दिया जायेगा और उस खाते से किसानों को गन्ने की कीमत दे दी जायेगी। यह भी होता था कि निश्चित तिथि या दिन के अन्दर पैसा नहीं दिया जाता था तो साढ़े 7 प्रतिशत व्याज भी देना होता था। इतने पर भी पेमेन्ट नहीं होता था तो रिकबरी सर्टीफिकेट इश्यू किये जाते और लैंड रेवेन्यू की तरह भी वसूल किय जाता था। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद भी वह रुपया वसूल नहीं हो पाता था। जो नया प्राविधान है—17वीं धारा उसमें 5वीं उप-धारा जोड़ी गई है कि सरटेन एमाउन्ट निश्चित हो जाने के बाद जब वह खाते में जमा कर दिया जायेगा और किसानों को गन्ने की कीमत उसमें से दे दी जायेगी, इससे बहुत कुछ हमारी समस्या हल हो जायेगी। इसके अलावा किसानों का जो कई करोड़ रुपया बकाया है उसके लिये भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि नियम बन जाने के बाद बाकी नहीं रहना चाहिए।

इसी तरह से परचेज टैक्स के संबंध में है। जैसा मैंने बताया कि करीब 8 करोड़ 94 लाख, 72 हजार रुपया बाकी है। जो मार्जिन तय किया गया है वह रुपया जमा हो जायेगा तब कारखाने से शक्कर की बोरी निकालने की परमीशन दी जायेगी। जैसा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट एक्साइज वसूल करती है जैसा परचेज टैक्स वसूल किया जायेगा। परचेज टैक्स और केन प्राइस कायदे के अन्दर से जल्दी से जल्दी समय में मिल-मालिकों से ले ली जायेगी और इस प्रकार से बकाया नहीं रहेगा।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न यह उठाया है कि रिजर्व एरिया के बाहर भी परचेज टैक्स लगाया गया। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमें अपने प्रदेश के लिये कुछ संशाधनों की जरूरत है। हमारे संशाधन बढ़े जिससे हम अपने प्रदेश का नव-निर्माण कर सकें। इसको भी दृष्टि में रखकर भी हमने यह परचेज टैक्स रिजर्व एरिया के बाहर लगाया है। इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। मैं एक और बात भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि रिजर्व एरिया में फैक्ट्रियों में कम्पटीशन है और वह उस कम्पटीशन में खरी उतर रही हैं। उनको

कोई घाटा नहीं हो रहा है। वह रिजर्व एरिया के बाहर भी गन्ना खरीद रही हैं किसानों से। जहां तक मेरा ख्याल है इन्होंने 4 रु० से शुरुआत की थी रिजर्व एरिया के बाहर और अन्दर भी मुझे ध्यान पड़ता है कि 4 रु० से लेकर खरीद की थी और आज रिजर्व एरिया के बाहर 8 रु० और 9 रु० और 10 रु० प्रति क्विन्टल तक यह खाण्डसारी इकाइयां गन्ना खरीद रही हैं। तो उनको इस सम्बन्ध में कोई किसी तरह का घाटा भी नहीं है। यह जो पर्चेज टैक्स है वह पूर्णतया देने में सक्षम है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और यह भी शंका नहीं होनी चाहिए कि इससे भी लघु उद्योग-धन्धों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह टैक्स तो उन पर यानी किसानों पर नहीं पड़ता है। यह तो मिल-मालिकों पर जिन्होंने 5 लाख–6 लाख अथवा कई लाख की हैसियत है, उन पर पड़ता है। इस तरह से और भी संशोधम हैं मैं उनकी डिटेल्स पर नहीं जाऊंगा। माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं कि क्रशर लगे हुये हैं और इनके सम्बन्ध में अपीलों में बड़ा समय लगता है, सीजन निकल जाता है। माननीय महीलाल जी ने सही बात कही है। ये अपीलें निश्चित समय में जल्दी से तय हो जानी जाहिये। मैं विभाग का ध्यान इस ओर क्रमशः दिलाऊंगा कि एक निश्चित समय के अन्दर जो साधारणतः सीजन शुरू होता है पिराई का उसके एक महीने के अन्दर तय हो जाय यह मैं विभाग से कहना चाहता हूं। पिछली खाण्डसारी इकाइयों के सम्बन्ध में क्रशर के सम्बन्ध में जो शासन की नीति है उसके संबंध में मैं बतलाना चाहता हूं, जो पिछले वर्ष हमारे यहां क्रशर्स लगे थे हमने उनको बन्द नहीं किया, उनके लाइसेन्स को खत्म नहीं किया उन्हें बराबर लाइसेन्स दिये हैं। जो नये लाइसेन्स इश्यू होने वाले हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाया है इस साल गन्ने की कमी को देखते हुए, मिल को गन्ना मिल जाय, पुरानों का रिन्यूवल हुआ है। जो नए लाइसेन्स दिये जायंगे वह दस मील के बाहर दिये जायंगे यानी 16 किलो मीटर के बाहर दिए जायेंगे।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

कम्पटीशन के कारण किसान को नहीं मिलता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

गन्ने की कमी है। उसको देखते हुए और चीनी अधिक बने इसलिए यह प्रतिबन्ध चीनी उद्योग के हित में लगाया है। जहां तक क्रशर्स की बात है, मैं आपकी सूचनार्थ यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष क्रशर्स के लाइसेन्स करीब 3 हजार थे और इस वर्ष 4 हजार लाइसेन्स दिये गये हैं और गन्ना कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार से किसानों को अपना गन्ना पेरने के लिये जहां पिछली साल 3 हजार कोल्हू आदि थे वहां इस साल 5,900 लाइसेन्स दिये गए हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपठी—

माननीय मंत्री जी कृपया बताएं कि मेरे देवरिया जिले में कितने लाइसेन्स दिए गए हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मेरे पास देवरिया की फिगर्स नहीं हैं। मैं अलग से बतला दूंगा। अगर आपने एप्लाई किया होगा तो वहां कोल्हू का लाइसेन्स जरूर मिलेगा। जैसा मैंने निवेदन किया सभी को लाइसेन्स दिये गये हैं, जो पिछले साल लाइसेन्स थे उनका रिन्यूवल किया गया है। जिन्होंने एप्लाई किया है उनको नियमों के मुताबिक लाइसेन्स दिये गये हैं। इन शब्दों के साथ जैसा आप सब साथियों ने जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, और अपने भाई, श्री कल्पनाथ सिंह, श्री दीपनारायण मणि जी और शास्त्री जी आदि सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जैसा भाई, वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है यह किसानों के हित के लिये एक बहुत अच्छा कदम है। इसलिए इसके संबंध में जिन माननीय सदस्यों के हृदय में इस बिल के प्रति जो शंकाएं हैं, उन्हें दूर करें और जैसे माननीय महीलाल जी व माननीय राज मंगल पांडे जी ने विचार प्रकट किये हैं और

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

विधेयक का समर्थन किया है, मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने संशोधन वापस लेकर विधेयक को समर्थन प्रदान करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी व मणि जी से अपने संशोधन के बारे में कहने को कहूंगा ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

जो दिक्कतें हमने बताई थी उनको दूर करने का माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन दे दें ।

एक सदस्य—

अभी तो खण्डों में संशोधन बाकी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह संशोधन है माननीय दीपनारायण मणि जी और कल्पनाथ सिंह जी का वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूं । प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय जो इस सम्बन्ध में अपनी राय एक मास के अन्तर्गत भेज दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो और जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद अधिनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2

(2) यह दिनांक 30 दिसम्बर, 1971 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में धारा 17 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 ई० की धारा 17 का संशोधन

"(5) (क) पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि फैक्टरी का स्वामी या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसका फैक्टरी के कार्य-कलापों पर नियंत्रण हो अथवा तदर्थ सक्षम कोई अन्य व्यक्ति किसी बैंक के साथ कोई ऐसा अनुबन्ध करे जिसके अन्तर्गत बैंक उस फैक्टरी में उत्पादित या उत्पादित की जाने वाली शक्कर की प्रतिभूति पर अग्रिम धनराशि देने के लिए सहमत हो, तो उक्त स्वामी या अन्य व्यक्ति

उस अनुबन्ध में यह व्यवस्था करेगा कि ऐसे अग्रिम की कुल धनराशि का एक नियत प्रतिशत अलग रख दिया जायेगा और वह केवल गन्ना उत्पादकों अथवा उनकी सहकारी समितियों को फैक्टरी के लिये चालू पेराई के मौसम में उन गन्ना उत्पादकों से या उनकी सहकारी समितियों से अथवा उनके माध्यम से क्रय किये गये अथवा क्रय किये जाने वाले गन्ने के मूल्य और उस पर ब्याज और उसके संबंध में ऐसी समितियों की कमीशन के प्रतिदान के लिये उपलब्ध रहेगा ।

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक ऐसा स्वामी या अन्य व्यक्ति प्रत्येक ऐसे अनुबन्ध की एक प्रति उस दिनांक से जब वह किया जाय, एक सप्ताह के भीतर कलेक्टर को भेजेगा ।"

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

खण्ड 2 के उप-खण्ड 5 (क) की 7वीं पंक्ति में "एक नियत प्रतिशत" के स्थान पर "80 प्रतिशत" रख दिया जाय।

यह जो विधेयक है उसमें (5) (क) के सातवीं पंक्ति में "एक नियत प्रतिशत" के स्थान पर "80 प्रतिशत" रख दिया जाय, इसमें लिखा हुआ है कि एक नियत प्रतिशत अलग रख दिया जायगा और वह केवल गन्ना उत्पादकों अथवा उनकी सहकारी समितियों का फैक्टरी के लिए चालू पेराई के मौसम में उन गन्ना उत्पादकों से या उनकी सहकारी समितियों से अथवा उनके माध्यम से क्रय किये गये अथवा क्रय किये जाने वाले गन्ने के मूल्य और उस पर ब्याज और उनके संबंध में ऐसी समितियों की कमीशन के प्रतिदान के लिये उपलब्ध रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियत प्रतिशत के स्थान पर आपने 80 प्रतिशत रखा है ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

नियत प्रतिशत का तो पहले से ही नियम बना हुआ है । अधिनियम 1953 और फिर 1961 में यह तो पहले से ही है । 1953 में यह दिया हुआ है कि अध्यासी द्वारा देय गन्ने के मूल्य की बकाया प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की वसूली कार्यवाही उसी प्रकार करेगा मानों यह धनराशि मालगुजारी की बकाया हो । अधिनियम 1961 की 15वीं धारा है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है । पहले से ही हमारे पास विधान था और उसमें सारी व्यवस्था थी, उस समय भी किसानों का बकाया रह गया और कोई भी फैक्टरी निलम्बित नहीं हुई । इसी के साथ ही साथ आठवीं धारा है जिसमें क्रशर लाइसेन्सी को 5 हजार रुपया जुर्माना और 1 साल की जेल है । किसी बड़े मिल-मालिक के ऊपर ऐसा नहीं किया गया और छोटे-छोटे जो लोग हैं उनके ऊपर कड़ाई की गई । बड़े उद्योगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें 80 प्रतिशत रख दिया जाय जिससे बहुत अधिक लाभ होगा । डी० एम० को तो हमेशा ही अटैच करने का अधिकार है । मैं अर्ज करूं कि इसमें 80 प्रतिशत रख दिया जाय तो इससे गन्ने का मूल्य देने में च्वायस नहीं रहेगी और उससे किसानों का निश्चित रूप से लाभ होगा । इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इसमें 80 प्रतिशत जोड़ दिया जाय ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जैसा कि माननीय मणि जी ने संशोधन रखा है कि बैंक से जो अग्रिम धन दिया जाय उसका कम से कम 80 प्रतिशत गन्ने के भुगतान के लिए सुरक्षित कर दिया जाय, यदि सरकारी पक्ष ईमानदारी से और नेकनियती से किसानों का भुगतान करना चाहता है तो संशोधन स्वीकार करें ।

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। सदन के कार्य-संचालन के लिये यह हितकर होगा कि एक खण्ड में जितने भी संशोधन हैं उन सबको प्रस्तुत कर दिया जाय और उसके बाद सदस्यगण बोलें। इससे समय की बचत होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मैनेजर सिंह को मैं इसलिए समय दे रहा हूं कि वह इसी संशोधन का समर्थन कर रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि यदि शासक दल ईमानदारी से किसानों का भुगतान कराना चाहता है तो उसे इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिए। यदि वह इसके लिए तैयार नहीं हैं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि किसानों के लिये घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकार पिछली सरकार की ही तरह चीनी मिल-मालिकों की चेरी है, गुलाम है और किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है। चाहिए तो यह था कि अग्रिम का कुल धन तब तक सुरक्षित रहता जब तक कि किसान का एक-एक पैसा न मिल जाय। फिर, क्या यह संभव नहीं था कि सारे चीनी मिलों में जो उत्पादन होता है वह एफ० सी० आई० को दिया जाय और एफ० सी० आई० के माध्यम से किसानों के गन्ने का भुगतान तत्काल जिस दिन गन्ना लिया जाय उसी दिन कर दिया जाय। यह सरकार कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाना चाहती है। केवल नारा क्रान्तिकारी का देती है किसानों को धोखा देने के लिए और बरगलाने के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मणि जी का जो सुझाव है कि 80 प्रतिशत पैसा गन्ने के भुगतान के लिये सुरक्षित रखा जाय, इसको आप मानिए। वरना किसान को धोखा देकर आप दो-चार साल ही मजा कर सकते हैं, ज्यादा दिन यह चलने वाला नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि खण्ड 2 में मूल अधिनियम की धारा 17 में बढ़ाई जाने वाली प्रस्तावित उपधारा (5) (क) की आठवीं पंक्ति में शब्द "फैक्टरी के लिये" के बाद शब्द "चालू पेराई के मौसम में" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, कोई इसी साल गन्ने का दाम बकाया नहीं रह गया है। बहुत सी फैक्टरी ऐसी हैं जिनके जिम्मे पिछले साल का भी बकाया है और जब हम कोई नियम बनाते हैं इस सम्बन्ध में तो हमें यह व्यवस्था भी उसमें रखनी चाहिए कि हम पुराना पैसा भी देने के लिए मिल-मालिकों को बाध्य कर सकें। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है। अगर ये शब्द निकाल दिये जायं जैसा कि मेरा संशोधन है तो सरकार को यह अधिकार मिल जाएगा। मैं सरकार का अधिकार कोई छीनना नहीं चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि सरकार और मजबूती से इस काम को कर सके। अगर यह कर दिया जाय तो सरकार को अधिकार मिल जाएगा पुराने गन्ने का बकाया दाम दिलाने में वह समर्थ हो सकेगी। और इस तरह के नियम अगर वह चाहे तो बना सकेगी और उनसे वसूल कर सकेगी नहीं तो फिर चालू पेराई सीजन के लिए करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने एक बार कहा भी है और फिर दुहरा देना चाहता हूं। 2 मिलों पर—खड्डा चीनी मिल पर 41 लाख रुपया बकाया है और बाराबंकी जिले की शुगर फैक्टरी पर 46 लाख रुपया बकाया है। अब पुराने के बारे में आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इससे तो सरकार को और पावर मिलती है। इस पर जो लिमिटेशन है उसको हटा देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। यह धारा उनको पावर देती है। उसका इस्तेमाल करें या न करें यह तो सरकार के विवेक पर होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं, खंड 2 में एक और संशोधन है माननीय शिवराज सिंह का।

श्री शिवराज सिंह—

खंड 2 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 17 में प्रस्तावित उपधारा (5) के खंड (क) की पंक्ति 7 में शब्द "एक नियत प्रतिशत" के स्थान पर "एक भाग, जो सरकार सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा निर्धारित करे" रख दिये जायें तथा पंक्ति 8 में शब्द "चालू पेराई के मौसम में" निकाल दि जायें।

मान्यवर, प्रस्तुत विधेयक पर विचार करते समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन्टरवीन करते हुए किसानों के गन्ना मूल्य की बकाया दिलाने के लिए एक योजना बताई थी। जो भाषा इस धारा की है उससे वह योजना पूरी नहीं हो सकती। वह योजना तो श्रीमन्, उस संशोधन से जो कि मैंने प्रस्तुत किया है पूरी हो सकती है। नियत शब्द इस अधिनियम के अन्दर डिफाइन्ड है। नियत के माने हैं जो नियम द्वारा निर्धारित किया जाये। सरकार इस भाषा के अनुसार यह प्रतिनिहित विधायन का अधिकार लेना चाहती है, लेकिन प्रतिनिहित विधायन अधिकार से नहीं कार्यकारी अधिकारी से ही यह योजना पूरी हो सकती है, वर्तमान भाषानुसार है। नियम में एक नियत प्रतिशत तय कर देंगे चाहे वह कोई भी प्रतिशत हो 1 से 100 तक। हर वर्ष और हर फैक्टरी के लिए उसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। वह व्यावहारिक नहीं होगा। एक वर्ष विशेष में विभिन्न फक्टरियों पर विभिन्न मात्रा में गन्ने का मूल्य शेष रहेगा। विभिन्न वर्षों में एक मिल विशेष पर गन्ने का मूल्य विभिन्न मात्रा में शेष रहेगा। इसलिये एक नियत प्रतिशत से कार्य नहीं चलेगा। इसको तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के विवेक पर ही छोड़ना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही अपना विवेक इस्तेमाल करके प्रतिशत निश्चित करे। श्रीमन्, अगर नियम में कोई नियत प्रतिशत कर दी गई तो वह तो नियम सदैव के लिए बन जाएंगे जब तक कि उनमें कोई परिवर्तन न किया जाए। आप प्रतिनिहित विधायन सम्बन्धी ज्ञापन-पत्र को देखें जिसकी धारा 3 में लिखा है :

"ऐसे नियम राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के सामने रखे जायेंगे और दोनों सदनों द्वारा किए गए परिष्कारों और अभिशून्यनों के अधीन होंगे।"

तो समय-समय पर हर मिल के संबंध में और हर वर्ष के लिए प्रतिशत को बदलना सम्भव नहीं होगा और यहां बैठकर सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा कि किस मिल में यह प्रतिशत क्या हो। इसलिए जिलाधीश पर ही छोड़ना ठीक है। तो श्रीमन्, "एक नियत प्रतिशत" की भाषा उचित नहीं रहेगी बल्कि जो भाषा मैंने तजवीज की है वही उस योजना की पूर्ति के लिए उपयुक्त रहेगी। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस संशोधन को अपनी योजना के कार्यान्वियन के लिए स्वीकार कर लें।

दूसरी बात मुझे किसानों के बकाया गन्ने के मूल्य के बारे में कहनी है। इसी वर्ष ही का नहीं गत वर्षों का भी बहुत सा रुपया बकाया है। यदि यह योजना केवल इस वर्ष के गन्ने के मूल्य के दिलाने के लिए ही है तो श्रीमन् इसका उद्देश्य बहुत ही सीमित है। मैं अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इसको विस्तत बनाएं। गत वर्षों का मूल्य भी इस योजना के माध्यम से दिलाने की चेष्टा करें इसी से पूरी समस्या का समाधान होगा अन्यथा इससे कोई विशेष लाभ किसानों को पहुंचने वाला नहीं है। यदि ये शब्द—"चालू पेराई के मौसम में" निकाल दिए जाएं तो यह मामला हल हो जाएगा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इन दोनों संशोधनों को कृपया आप स्वीकार कर लें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करूंगा क्योंकि यह मानते तो हैं नहीं।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय मणि जी ने जो संशोधन दिया है, उसके संबंध में मुझे यह निवेदन करना है सरकार तो यह चाहती है कि जो बैंकों के द्वारा मूल्य---उन्हें अग्रिम धन मिले उससे किसानों के बकाये की अदायगी हो सके। अब यह 80 प्रतिशत हो यह निर्धारित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह 80 प्रतिशत से अधिक भी हो सकता है। इसलिए यह बाइंडिग लगाना ठीक नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

दूसरा शास्त्री जी का भी है। शास्त्री जी ने इस संबंध में कहा है, इसको भी मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें जो हमने समावेश किया है जिसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूं, वह पर्याप्त है। मैं शास्त्री जी के दोनों संशोधन स्वीकार नहीं कर रहा हूं। आशा है कि आप अपने संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री---

"चालू पेराई के मौसम में" निकालने से आपको ही ज्यादा अधिकार मिल जाता है। तो इसके बारे में आपने नहीं बताया कि इसको निकालने में आपको क्या आपत्ति है?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैंने जैसा निवेदन किया, पुराने पैसे को दिलाने में हम पूरी तरह से तत्पर हैं, दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं और दिलाएंगे। यह 1 दिसम्बर, 1971 को 7 करोड़ कुछ लाख था। पिछला जो 16 करोड़ 56 लाख 53 हजार था उसमें से अब यह रह गया है। इसकी भी वसूली का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री शिवराज सिंह---

श्रीमन् यदि इन्हें मेरा संशोधन स्वीकार नहीं है, तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामधारी शास्त्री---

मैं अपने संशोधन को वापस नहीं लेता हूं मैं उसे पश करता हूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि यदि मैं उसे वापस लूंगा तो अपने कर्तव्य से च्युत हूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 2 में मूल अधिनियम की धारा 17 में बढ़ाई जाने वाली प्रस्तावित उपधारा (5) (क) की आठवीं पंक्ति में शब्द "फैक्टरी के लिये" के बाद शब्द "चालू पेराई के मौसम में" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 2 के उपखंड 5 (क) की सातवीं पंक्ति में "एक नियत प्रतिशत" के स्थान पर "80 प्रतिशत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 3

3—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 में जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 2 का संशोधन

"(ग) 'इकाई' या 'गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई' का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने अथवा उसके उत्पादन में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हो और जो यंत्र-शक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो;"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 4

4—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (5) में— धारा 3 का संशोधन

(1) शब्द "शक्कर उप-आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सहायक शक्कर आयुक्त" रख दिया जाय;

(2) उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "प्रतिबन्ध यह है कि" के पश्चात् शब्द "धारा 3—क के अनुसार वसूल होने योग्य कर की दशा को छोड़कर" रख दिये जायें।

(3) उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी इकाई के स्वामी द्वारा अपील किये जाने की दशा में, शक्कर आयुक्त किसी ऐसी अपील को, जो उसके पास विचाराधीन हो, किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी को संक्रमित कर सकता है और किसी ऐसी अपील को वापस भी ले सकता है और उसका निस्तारण या तो स्वयं करेगा अथवा उसे किसी अन्य अपीलीय प्राधिकारी को संक्रमित कर सकता है।"

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं...

श्री उपाध्यक्ष—

अब बहस का समय नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री—

बहस नहीं करूंगा पढ़ तो दूं। मेरा संशोधन यह है—"खंड 4 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 के प्रस्तावित नये प्रतिबन्धात्मक खंड की अन्तिम पंक्ति में शब्द "सकता है" के बाद पूर्ण विराम हटा कर उसके बाद निम्न जोड़ दिया जाय—

"जिसका निर्णय तीन मास के भीतर आवश्यक होगा।"

[श्री रामधारी शास्त्री]

इस सम्बन्ध में बहस नहीं करूंगा केवल इतना आपके माध्यम से कहूंगा कि पुराना अनुभव यह कहता है कि जो मुकदमें निर्णय के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं उनका तीन-तीन वर्ष तक फैसला नहीं होता, कितनी दर से वसूल हो कैसे वसूल हो। मिल मालिक शक्कर कमिश्नर के यहां अपील कर सकता है। वहां जब अपील जाय तो तीन महीने के अन्दर फैसला हो जाय। केवल इतना मतलब था। उसके लिए सीमा आप बांध दें। पूरी छूट देने से 2–2, 3–3 साल तक मामले को लटकाये रखते हैं मिल मालिकों के हक में। सीमा बांधने से त्वरित निर्णय हो जायगा और आप को ही आसानी होगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, यह सरकार हर प्रयत्न कर रही है कि अपीलें जल्द से जल्द तय हो जायं। सीमा लगाना सम्भव नहीं हो सकेगा क्योंकि अपीलों में पेपर्स वगैरह जल्दी नहीं आ पाते हैं। इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 के प्रस्तावित नये प्रतिबन्धात्मक खंड की अन्तिम पंक्ति में शब्द "सकता है" के बाद पूर्ण विराम हटा कर उसके बाद निम्न जोड़ दिया जाय—

"जिसका निर्णय तीन मास के भीतर आवश्यक होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 5

नई धारा 3-क का बढ़ाया जाना और वर्तमान धारा 3-क को 3-कक के रूप में पुनः संख्यांकन

5—मूल अधिनियम की धारा 3–क की संख्या बदल कर 3 कक कर दी जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित धारा 3-कक के पहले निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

फैक्टरी से शक्कर हटाने के पूर्व कर का भुगतान

"3–क (1)—किसी फैक्टरी का कोई स्वामी दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 को अथवा उसके पश्चात् जिसे आगे 'उक्त दिनांक' कहा गया है फैक्टरी में उत्पादित किसी शक्कर को उपभोग के लिए अथवा बिक्री के लिए या फैक्टरी के भीतर अथवा उसके बाहर कोई अन्य पदार्थ निर्मित करने के लिए तब तक न हटायेगा और न उसे हटवायेगा जब तक कि उसने धारा 3 के अधीन लगाये गये कर का जो, यथास्थिति, उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट धनराशि होगी, भुगतान न कर दिया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी शक्कर ऐसी किसी धनराशि का भुगतान किये बिना कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी गोदाम अथवा अन्य संग्रह स्थान में जमा की जा सकती है, और जहां पर वह इस प्रकार जमा की जाय वहां से वह तब तक न हटायी जायगी जब तक कि उपयुक्त धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इससे फैक्टरी में उत्पादित या उत्पादित की

जाने वाली शक्कर की प्रतिभूति पर फैक्टरी के स्वामी को दी गई किसी अग्रिम धनराशि के सम्बन्ध में, उस शक्कर की, किसी बैंक के पण्यमदार के रूप में अपने अधिकारों के प्रयोग में, उसके अनुप्रेरण पर बिक्री की दायिता पर कोई प्रभाव पड़ता है।

(2) प्रत्येक पेराई के मौसम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् यथाशीघ्र (और उक्त दिनांक को प्रारम्भ होने वाले पेराई के मौसम की दशा में इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र) कर निर्धारण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्रति बोरी शक्कर के लिए देय अस्थायी दर को पूर्ववर्ती पेराई के ऐसे मौसम के दौरान, जिसमें फैक्टरी में उत्पादन हुआ हो, फैक्टरी के लिए क्रय किये गये गन्ने की मात्रा को फैक्टरी में उत्पादित शक्कर से सहसम्बद्ध करके निकालेगा और निर्दिष्ट करेगा।

स्पष्टीकरण :—यदि किसी ऐसी पूर्ववर्ती पेराई के मौसम के केवल किसी एक भाग में ही फैक्टरी में उत्पादन हुआ हो, तो पेराई के मौसम के उतने ही भाग पर विचार किया जाना पर्याप्त होगा जिसके दौरान फैक्टरी में वस्तुतः उत्पादन किया गया।

स्पष्टीकरण 2 :—यदि फैक्टरी ने उस पेराई को मौसम के पूर्व, जिसके लिए अस्थायी कर निर्धारण किया जाय, उत्पादन प्रारम्भ न किया हो, तो कर-निर्धारण प्राधिकारी उसी क्षेत्र की अन्य फैक्टरियों से, यदि कोई हो, सम्बन्धित तुलनीय आधार-सामग्री अथवा किसी अन्य संगत कारण के आधार पर प्रति बोरी शक्कर के भुगतान की अस्थायी दर निर्दिष्ट कर सकता है।

(3) पेराई के मौसम के अन्त में कर-निर्धारण प्राधिकारी, चालू पेराई के मौसम के दौरान फैक्टरी के लिए क्रय किये गये गन्ने की मात्रा और फैक्टरी में उत्पादित शक्कर को ध्यान में रख कर शक्कर की प्रति बोरी के भुगतान के लिए पुनरीक्षित दर निकाल कर उसे निर्दिष्ट करेगा, और यदि ऐसे पुनरीक्षण पर दर घट या बढ़ जाय तो, यथास्थिति, अधिक या कम भुगतान की गयी धनराशि उक्त शक्कर के शेष स्टाक पर लगायी जायगी और शक्कर की प्रत्येक ऐसी शेष बोरी को हटाने के पूर्व दी जाने वाली धनराशि तदनुसार पुनः निश्चित की जायगी और यदि स्टाक में ऐसी शक्कर न रहे तो स्वामी, यथास्थिति, धनराशि की वापसी पाने का हकदार होगा अथवा शेष धनराशि का भुगतान करेगा।

(4) यदि कर-निर्धारण प्राधिकारी को किसी समय यह प्रतीत हो कि उक्त शक्कर के स्टाक का कोई भाग हटा दिया गया है अथवा किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं है और इस धारा के अधीन ऐसे भाग के प्रति देय कर का भुगतान नहीं किया गया है तो कर-निर्धारण प्राधिकारी यह निदेश दे सकता है कि ऐसी कमी को उस समय के स्टाक की शक्कर पर लगा कर वसूल किया जायगा।

(5) इस धारा के उपबन्ध धारा 3 की उपधारा (6) या उपधारा (8) में निहित किसी बात के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे, किन्तु उक्त धारा की उपधारा (2), (3), (4) और

(9) की कोई बात किसी ऐसे कर के संबंध में लागू न होगी जिसके संग्रहण और वसूली के लिये इस धारा द्वारा व्यवस्था की गई है।"

श्री रामधारी शास्त्री—

आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि खंड 5 द्वारा मूल अधिनियम की प्रस्तावित नयी धारा 3 (क) (1) की प्रथम पंक्ति में "1971" के स्थान पर "1970" कर दिया जाय।

श्रीमन्, यह संशोधन है कि 1971 के स्थान पर 1970 कर दिया जाय। इसकी वजह यह है।

श्री उपाध्यक्ष—

समय नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री—

इसकी आवश्यकता इसके लिए है कि अक्तूबर के पहले अगर उनके गोदाम में चीनी है तो प्रतिबन्ध आप लगा नहीं सकते। इसलिए 1970 रख दें तो अक्तूबर 1971 के पहले की भी जो चीनी होगी उस पर भी आपको प्रतिबन्ध लगाने का पूरा हक होगा। इससे आपको अधिकार मिलेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, शास्त्री जी का मंशा इससे पूरा नहीं होता। 1970 में चीनी बिक चुकी है। उसको पीछे से लागू करना उचित नहीं होगा। इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 5 द्वारा मूल अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा 3 (क) (1) की प्रथम पंक्ति में "1971" के स्थान पर "1970" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाओं के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियमावली में 1 घंटा नियम 51, 52 की सूचनाओं पर फैसला करने के लिये है। मैंने एक नोटिस दिया था बुलन्दशहर के बारे में। उसके बारे में आपने बतलाया नहीं न आपने वक्त ही बढ़ाया है।

श्री उपाध्यक्ष—

कल आखिर में बतलाया था और आज भी आखिर में बतला दूंगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

5 बजे समय समाप्त हो जायगा फिर आप कैसे बतलायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

यह नियमानुसार बात है। नियम में सबसे आखिर में यह है 29 नम्बर पर।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

तब आप समय बढ़ा दीजिये।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव के अनुसार यह तय हुआ था कि शिक्षा मंत्री इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1971 प्रस्तुत करके अपना प्रारम्भिक वक्तव्य दे देंगे। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय 15 मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

15 मिनट में सदन का समय बढ़ाये देता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरी बात सुन लीजिये। पुलिस निरन्तर इस प्रदेश में ज्यादती कर रही है। बुलन्दशहर में, मिश्रिख थाने में जो घटना हुई है उसकी सूचना मैंने दी और सुरेन्द्र विक्रम जी ने भी सूचना दी गोरखपुर में जो और ज्यादती हुई। अगर नियम 51 की सूचनाओं को आप पर्याप्त नहीं समझते हैं तो मैं नियम 56 के अन्तर्गत काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाजत चाहूंगा। हमने सरकार के साथ रियायत बरती है कि केवल नियम 51 की सूचना दी, नियम 56 की नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

आज के कार्य के उपरान्त नियम 51 की सूचनाओं पर मैं निर्णय दूंगा।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 खंड 5 (क्रमागत)

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 में नई रखी जाने वाली धारा 3-क की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्.....

श्री उपाध्यक्ष—

इसे पूरा पढ़ा हुआ मान लिया जाय। आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अगर सरकार इसे कबूल करती है तो हम इसका विरोध करेंगे।

श्री राजमंगल पांडेय—

इसमें कोई नया संशोधन नहीं है। केवल शाब्दिक संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या संशोधन है?

श्री राजमंगल पांडेय—

जैसे 6, 7 तथा 8 है तो यह "तथा" 8 के उपरान्त होगा। आगे जो यह लिखा है "जब तक जारी नहीं किया जायगा" इसमें जब तक स्थान पर "तब" होगा। कोई नया संशोधन नहीं है। गलती को शुद्ध किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

तब आप को इसे शुद्ध करके मुझे भेजना चाहिये था। अशुद्ध था उसकी सूचना मुझे देनी चाहिये थी। अब आप इसको शुरू से पूरा पढ़ दें।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री राजमंगल पांडेय से) आप पूरा संशोधन दुबारा पढ़ दें।)

श्री राज मंगल पांडेय—

मैं फिर से पूरा पढ़ देता हूं। खण्ड 5 द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 में नई रखी जानी वाली धारा 3—क की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्

(5) उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् क्रय किये गये गन्ने के विषय में धारा 3 के अधीन आरोपित कर के सम्बन्ध में :—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) तथा (3) लागू नहीं होगी तथा कर गन्ने के क्रय के दिनांक को अथवा इस धारा के आरम्भ के दिनांक को, जो भी पश्चात्वर्ती हो, देय समझा जायेगा;

(ख) उस धारा की उपधारा (4) इस परिष्कार के साथ लागू होगी कि जहां कर-निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि फैक्टरी के स्वामी ने इस धारा का उल्लंघन करके शक्कर को हटाया या हटवाया है अथवा फैक्टरी में उत्पादित या उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन उसके द्वारा जमा की हुई शक्कर का पूर्ण लेखा देने में असफल रहा है, तो कर का देनदार व्यक्ति हटाई गयी या हटवाई गयी अथवा लेखाविरत शक्कर की मात्रा के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि के अतिरिक्त इस प्रकार देय धनराशि के एक सौ प्रतिशत से अनधिक अग्रेतर धनराशि का शास्ति के रूप में देनदार होगा;

(ग) इस धारा के उपबन्ध उस धारा के (उपर्युक्त परिणकृत) उपधारा (4) तथा उपधारा (6), (7), (8) तथा (9) के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे: तथापि उस धारा की उपधारा (8) के अधीन प्रमाण-पत्र ऐसे आपवादिक एवं पर्याप्त कारणों के सिवाय जो अभिलिखित किये जायेंगे तब तक जारी नहीं किया जायगा जब तक कि उस उपधारा में अभिदिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी की राय में खण्ड (ख) में अभिदिष्ट कोई परिस्थिति विद्यमान है;

(घ) धारा 7 के उपबन्ध उसमें शक्कर आयुक्त के अभिदेशों के स्थान पर कर-निर्धारण प्राधिकारी के अभिदेशों को प्रतिस्थापित करते हुये, लागू होंगे।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय पांडेय जी ने जो संशोधन रखा है उसके सम्बन्ध में पहले आपने कहा कि यह पढ़ा हुआ मान लिया जाय और उसके बाद वे बठ गये। इसका मतलब यह हुआ कि वह मान लिया गया। फिर उन्होंने दुबारा उसे पेश किया है। उन्होंने अपने संशोधन के ऊपर संशोधन पेश किया है। तो हम किसे मान लें ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो सदन ने स्वीकार नहीं किया था और मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि आप उसे शुद्ध कर लें।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्यों कि इसमें मिल-मालिक जो कि इर्रेगुलर कार्य करेंगे उनके लिये इसमें पिनाल्टी का प्रावीजन है। इस लिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 में नयी रखी जाने वाली धारा 3–क की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:

(5) उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् क्रय किये गये गन्ने के विषय में धारा 3 के अधीन आरोपित कर के सम्बन्ध में—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) तथा (3) लागू नहीं होंगी तथा कर गन्ने के क्रय के दिनांक को अथवा इस धारा के आरम्भ के दिनांक को, जो भी पश्चात्वर्ती हो, देय समझा जायेगा,

(ख) उस धारा की उपधारा (4) इस परिष्कार के साथ लागू होगी कि जहां कर-निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि फक्टरी के स्वामी ने इस धारा का उल्लंघन करके शक्कर को हटाया या हटवाया है अथवा फैक्टरी में उत्पादित या उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन उसके द्वारा जमा की हुई शक्कर का पूर्ण लेखा देने में असफल रहा है,तो कर का देनदार व्यक्ति हटाई गयी या हटवाई गयी अथवा लेखाविरत शक्कर की मात्रा के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि के अतिरिक्त इस प्रकार देय धनराशि के एक सौ प्रतिशत से अनधिक अग्रेतर धनराशि का शास्ति के रूप में देनदार होगा;

(ग) इस धारा के उपबन्ध उस धारा के (उपर्युक्त परिष्कृत) उपधारा (4) तथा उपधारा (6), (7), (8) तथा (9) के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे, तथापि उस धारा की उपधारा (8) के अधीन प्रमाण-पत्र ऐसे आपवादिक एवं पर्याप्त कारणों के सिवाय जो अभिलिखित किये जायेंगे तब तक जारी नहीं किया जायगा जब तक कि उस उपधारा में अभिदिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी की राय में खंड (ख) में अभिदिष्ट कोई परिस्थिति विद्यमान है:

(घ) धारा 7 के उपबंध उसमें शक्कर आयुक्त के अभिदेशों के स्थान पर कर निर्धारण प्राधिकारी के अभिदेशों को प्रतिस्थापित करते हुए, लागू होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 5 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 6, 7, 8, 9, 10, 1, प्रस्तावना व शीर्षक

धारा 3–ख का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 3–ख में, शब्द "शक्कर उप आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सहायक शक्कर आयुक्त" रख दिया जाय।

धारा 4 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3–क) में शब्द "शक्कर उप आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सहायक शक्कर आयुक्त" रख दिये जायं।

धारा 8 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 8 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "प्रतिबन्ध यह है कि" के पश्चात् शब्द "धारा 3—क के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी मात्रा में शक्कर हटाने अथवा हटवाने के लिये या," बढ़ा दिये जायें।

धारा 15 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (2) में—

(1) खण्ड (ड.) में सेमीकोलन के पश्चात् आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय;

(2) खण्ड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:—

"(च) फैक्टरी में या किसी अन्य संग्रह स्थान पर शक्कर की बोरियों का संग्रहण और वहां से ऐसी बोरियों का हटाना;

(छ) धारा 3—क के अधीन प्रति बोरी शक्कर के लिये देय कर की धनराशि की गणना करने और देय कर के लिये इस प्रकार दी गयी धनराशि का समायोजन करने की रीति;

(ज) कोई अन्य विषय जिसके लिये धारा 3—क में वर्तमान उपबन्ध अपर्याप्त हों और उप धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उपबन्ध आवश्यक समझे जांये; और." तथा

(3) वर्तमान खंड (च) को पुनाक्षरित खण्ड (झ) कर दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 20, 1971 का का निरसन

10—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय कर की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, 1971, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गण राज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 6, 7, 8, 9, 10, 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक 1972, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1971

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस विधेयक में हमारे बहुत थोड़े से संशोधन हैं जिनमें कुछ शाब्दिक हैं। इसमें कुछ क्रमांक का संशोधन है। जो खास संशोधन है वह यह है कि बराबर शासन के पास यह शिकायत आती रहती है कि विद्यालयों मे कितनी कमेटी हो गई हैं और उनके मैनेजमेंट में झगड़ा होता है और वह आपस में झगड़ती रहती हैं। हिसाब में भी गड़बड़ी होती हैं। इसके लिये प्रशासन एक साधिकार नियन्त्रक नियुक्त करती है। अभी तक इसके लिये कोई समय नहीं था। केवल एक वर्ष की बात कहकर छोड़ दी गयी थी। अब इसमें प्राविधान एक एक वर्ष करके 5 वर्ष तक नियन्त्रक की अवधि बढ़ा रहे हैं। इसमें यह भी समझा जा रहा है कि 5 वर्ष लगातार इसकी अवधि है। हमने एक वर्ष एक नियन्त्रक को दिया। यदि वहां के प्रबन्धक व्यवस्था ठीक कर लेते हैं और सम्भाल लेते हैं तो उसको एक वर्ष के बाद वापस ले लिया जायगा। यदि वे अपनी व्यवस्था 6 महीने के बाद भी ठीक कर लेते हैं तो उसको 6 महीने के बाद वापस कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैनेजमेंट कमेटी एक दूसरे के खिलाफ अदालत में चली जाती है और इस तरह से काफी वर्ष लग जाते हैं उनको निपट निपटारा करने में। इसलिये हमारा यह भी प्रस्ताव है कि इससे भी आगे जरूरत पड़े और किसी वजह से कमेटी इस लायक न हो कि वह संस्था न व्यवस्था ला सके तो और भी समय बढ़ा सकते हैं।

एक प्रस्ताव यह भी है कि हमारे यहां परीक्षार्थियों की संख्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है लगभग 10 लाख विद्यार्थी हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट परीक्षाओं में बैठते हैं। इतनी बड़ी संख्या को परीक्षा लेना और उसके परीक्षा फल निकालना बड़ा अजीब सा काम हो गया है जिसको सम्भाल नहीं पा रहे हैं। तो हमारा विचार है, यहां मांग भी की गयी कि हम बोर्ड आफ हाई स्कूल का विकेन्द्रीकरण कर दें। अभी उसमें देर होने की बात है, विचाराधीन है। तो यह विचार किया गया है कि हम कुछ काम को बांटें और अगर क्षेत्रों में बांट सकें तो हमें सुविधा हो जायगी। इसलिये इसमें एक संशोधन यह भी लाया गया है कि परीक्षा समिति, मान्यता समिति जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिन पर काम ज्यादा होता है उनको क्षेत्रों में बांट सकें, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये समितियां घटित कर सकें इसका भी इसके द्वारा ,अधिकार लिया गया है। ये थोड़े से सुझाव हैं और मेरा निवेदन है कि इन पर विचार किया जायगा।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

जो माननीय मंत्री जी ने दूसरा संशोधन रखा है वह तो हमारे पास है नहीं तो अभी यह कैसे मान लिया जायगा ? या तो इसे अलग से आना चाहिए या उन्हीं संशोधनों को रखना चाहिए जो हमारी फाइल में हैं। यह एक दम से कैसे बढ़ गया ?

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

यह जो आप ने कहा है इसको हम कैसे समझें ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

संशोधनों को अभी हमने दाखिल कर दिया है, वह कार्य-सूची में कल आ जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

विधेयक के बारे में जो कह रहे हैं उसके संबंध में आप बात करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

जब यह कल आयेगा तो कल ही चर्चा हो जाय।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

संशोधन का प्लान बना लिया पहले से ही, और विधेयक अभी पेश भी नहीं किया ? यह कितना मजाक है। संशोधन पहले ही कंसीव हो गया ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

विधेयक तो आयेगा ,उसी में यह संशोधन है, वह कल आ जायंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह कल ही कहते हैं कि किसी के द्वारा आ गया है, मैं उसको मान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इस पर कल चर्चा चलेगी।

विविध विषय

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

नोटिस दे रखी है वहां लोगों ने कि हम गोपनीयता भंग कर देंगे, फाइल जला देंगे। हमारी आवाज की सुनवाई नहीं होती। आप कम से कम मंत्री जी का ध्यान तो आकर्षित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

समझ में आप की बात नहीं आ रही है, पहले मैं एक सूचना दे दूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

पहले समझ लीजिये वरना निर्णय क्या देंगे ? निर्णय तो विपरीत देंगे।

अपराध निरोध समिति की केन्द्रीय समिति तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के लिये सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

यह सूचना दे रहा हूं। सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश अपराध निरोध समिति की केन्द्रीय समिति के लिये 4 सदस्यों तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के लिए 3 सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य भी होंगी के निर्वाचनार्थ तथा नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा नियत समय पर की गयी और सब नामांकन-पत्र (उम्मीदवारों की सूची संलग्न) ठीक पाये गये हैं। नामों की वापसी के लिये 7 जनवरी, 1972 के अपराह्न 3 बजे तक का समय नियत है। अतः यदि उक्त दोनों निकायों में उम्मीदवारों के जो नाम अतिरिक्त हैं, वे उक्त समय तक वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन संबंधी मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 11 जनवरी, 1972 को दिन के 12 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

और नाम मैं पढ़े देता ।

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति, स्थान संख्या 4 के लिए--

माननीय मुंशी लाल चमार, मा० महमूद हसन खां, मा० शान्तिचरण पिडारा, मा० केदार नाथ अग्रवाल, मा० जगदीश गांधी , मा० नैन सिंह, मा० फिरंगी प्रसाद विशारद, मा० बैजनाथ, मा० तिरमल सिंह, मा० गंगा प्रसाद वर्मा, मा० त्रिवेणी सहाय, मा० राम प्रसाद देशमुख, मा० रामकरन, मा० दीपनारायण मणि, मा० महावीर सिंह चौहान, मा० रामधारी शास्त्री, मा० सच्चिदानन्द, मा० श्यामलाल रावत, मा० हरवंशप्रसाद पांडेय, और माननीय जगन्नाथ राव।

दूसरा सुन लीजिये, उत्तर प्रदेश महिला संस्था.....

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

यह मेरी समझ में नहीं आया कि क्या था। बड़ी भारी तालिका है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह नामजदगी हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष---

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के लिये तीन स्थानों के लिये सदस्यों को नामजद करना है जिनमें एक महिला होगी। अपराध निरोधक केन्द्रीय समिति के लिये चार सदस्यों को नामजद करना है। जिन माननीय सदस्यों के नाम आये हैं उनको मैंने पढ़ दिया है। सात जनवरी तक नाम वापस ले सकते हैं। अपराध निरोधक केन्द्रीय समिति के लिये 20 नाम आये हैं और चार का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के लिये तीन स्थान हैं जिनके लिये 12 नाम आये हैं। वे इस प्रकार हैं कि:---

1---श्रीमती शकुन्तलादेवी (सहारनपुर), 2---श्री हुकुमसिंह परिहार (आगरा) 3---श्री जगदीश गांधी (अलीगढ़), 4---श्रीमती शान्तिदेवी (बदायूं), 5---श्री बंशगोपाल शुक्ल, (लखनऊ) 6---श्री रामवचन यादव (आजमगढ़), भा० का० दल, 7---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (बस्ती), 8---श्री त्रिवेणी सहाय (गोंडा) 9---राम प्रसाद देशमुख, 10---श्री रामकरन (गाजीपुर), 11---श्री महावीर सिंह चौहान (अलीगढ़), 12---श्री रामसागर (जौनपुर)।

नियम 51 के अतर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

अब आज नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं और दुर्भाग्य से सभी अस्वीकार की गई हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि प्रदेश में जो पुलिस अभिसूचना विभाग है उसके कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों को नोटिस दे दिया है कि अगर हमारे आवास वगैरा की व्यवस्था नहीं की जायेगी, वे 15-15 साल से इंस्पेक्टर हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---

इसका महत्व आप समझा दीजिये, मैं विचार कर लूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, मैंने उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के ऊपर दिया था और मैं आप के कमरे में भी गया था। इस पर ढ़ाई घंटे की चर्चा हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर कार्यवाही जारी है। विभाग को भेजा गया है जब वह तैयार हो जायंगे तो इसको ले लिया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उस समय तक तो सदन उठ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जो सवाल पूछा है उसके लिये तैयारी की आवश्यकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

चीनी तथा गन्ने की कीमत के सवाल के ऊपर आपने 21 तारीख को स्वीकार किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आज उस पर बहस हुई है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

उस पर बहस नहीं हुई। न चीनी की कीमत पर और न गन्ने की कीमत पर बहस हुई। आपने कहा था कि 3-4 तारीख तक वक्तव्य दिला देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो 6 तारीख को है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मुझे सूचना नहीं मिल सकी। दूसरी बात यह है कि आज मैंने बुनकरों के सवाल को लेकर नोटिस दिया था.....

श्री उपाध्यक्ष--

इसके लिये आप बात कर लीजिये। अब हम उठते हैं और कल 11 बजे दिन में फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
4 जनवरी, 1972।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 321 पर)

दिनांक २२–११–७१ को निगोहा स्टेशन पर बारात के साथ जाती हुई एक लड़की के साथ किये गये अभद्र व्यवहार की घटना का विवरण ।

22 नवम्बर, 1971 को ट्रेन नं0 377 अप पैसेन्जर गाड़ी की तृतीय श्रेणी की बोगी नं0 9066 में एक बारात इलाहाबाद से लखनऊ के लिये यात्रा कर रही थी । जब प्रातः 8 बजकर 3 मिनट पर ट्रेन निगोहां, (जिला लखनऊ) स्टेशन पर पहुंची तो प्लेटफार्म पर खड़े दो तीन लड़कों ने बारात में से एक लड़की के प्रति आपस में कुछ अभद्र मजाक किया और ज्योंहीं ट्रेन वहां से चली तो उन लड़कों में से एक ने, जिसका नाम इनायतअली खां था, लड़की से अत्यन्त अभद्र व्यवहार किया और उसके प्रति अभद्र शब्द कहे । किसी लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं किया गया ।

अगले स्टेशन (कनकहा) पर लड़की के पिता और उसके भाइयों ने इनायत अली से, जो बगल के ही डिब्बे में बैठा था, माफी मंगवाई । उसके बाद जब गाड़ी वहां से चली तो कुछ दूर बाद उसे चैन खींच कर रोका गया और इनायत अली और उसके साथियों ने बारात वालों को गालियां दीं और उन पर पत्थर बरसाये । जिस पर उन्होंने डिब्बे के दरवाजे व खिड़कियां बन्द कर लीं । उस स्थान पर गाड़ी 9 मिनट तक खड़ी रही । उक्त घटनाओं के समय कोई पुलिस कर्मचारी उपस्थित नहीं था ।

लड़की के पिता (कटनी निवासी. श्री नरोत्तमलाल खन्ना) दिल की बीमारी के पुराने मरीज थे और उन्हें इससे पूर्व भी दो बार दिल का दौरा पड़ चुका था जैसाकि उनकी पत्नी तथा कटनी के उस डाक्टर से ज्ञात हुआ, जिनके इलाज में श्री खन्ना थे । उस दिन भी उन्हें मोहन लालगंज स्टेशन से आगे दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण लखनऊ पहुंचने तक उनकी मृत्यु हो गयी ।

उपरोक्त घटना के बारे में पुलिस में किसी की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गयी और न ट्रेन के गार्ड द्वारा ही कोई सूचना रेलवे अधिकारियों को दी गयी । श्री नरोत्तमलाल के पुत्रों ने भी जो रिपोर्ट जी० आर० पी०, लखनऊ में दी उसमें उन्होंने अपने पिता की मृत्यु हार्ट फेल होने की ही बात कही और शव मांगा था । उन्होंने उक्त घटना का कोई जिक्र नहीं किया था ।

बाद में समाचार पत्रों द्वारा जानकारी होने पर इस घटना के संबंध में थाना जी0 आर0 पी0 चारबाग, लखनऊ में दिनांक 30–11–1971 को मुकदमा अपराध संख्या 1207 धारा 108/120 रेलवे ऐक्ट तथा 147/323 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अंकित करके इसकी विवेचना की जा रही है । विवेचना से अभी तक निम्नलिखित अभियुक्तगण प्रकाश में आये हैं :

(1) राजकुमार खरे, छात्र, जी0 आई0 टी0 आई, लखनऊ ।
(2) इनायत अली, पुत्र जहीर अली कुरेशी, निवासी बेरीसालपुर, थाना मोहनलालगंज, जिला लखनऊ
(3) अशोक कुमार, पुत्र रामाधार यादव
(4) विजय बहादुर, पुत्र बैजू
(5) शेर बहादुर, पुत्र श्याम लाल यादव

} ये तीनों अभियुक्तगण ग्राम पतौना, थाना नगराम, जिला लखनऊ के निवासी हैं ।

अभियुक्त राजकुमार खरे गिरफ्तार हो चुका है तथा अभियुक्त इनायत अली, अशोक कुमार तथा विजय बहादुर न्यायालय में आत्म समर्पण कर चुके हैं । अभियुक्त शेर बहादुर अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिये यथा संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं, तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 87/88 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है ।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम 38 (2) तारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 340 पर]

परिगणित जाति के अभ्यर्थियों की सूची

क्रम सं0 नाम

1—सर्वश्री जय नाथ राम

2—गोविन्द राम

3—मनजीत राम

4—धनेसर राम

5—मुन्नी लाल

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 342पर]

तालिका

जिले का नाम	एलोपैथिक	आयुर्वेदिक	होम्योपैथिक
बरेली डिवीजन—			
1—मुरादाबाद	..	माधपुर	..
2—पीलीभीत	..	..	सनका उचसिया

जिले का नाम	एलोपैथिक	आयुर्वेदिक	होम्योपैथिक
मेरठ डिवीजन—			
1—मुजफ्फरनगर	बाबरी (महिला)	..	गन्दौड़
2—सहारनपुर	..	..	अलीपुर मंगूवाला
3—देहरादून	..	..	हरश वाला
4—बुलन्दशहर	..	मांछड़ी	..

संसद सदस्य सूचना

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 346 पर]

केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1969–70 में चूहा नियंत्रण कार्य हेतु निःशुल्क प्राप्त अल्यूमिनियम फासफाइड के वितरण एवं उपयोग का जिलेवार विवरणः—

क्रम सं0	जनपद का नाम	दी गई दवा की मात्रा (किलोग्राम)	अनुमानित मूल्य (रु0 पसे)	उपयोग का विवरण		अवशेष मात्रा किलो ग्राम	अनुमानित मूल्य (रु0 पैसे)	विवरण
				निःशुल्क चूहा नियंत्रण में प्रयुक्त हुई मात्रा (कि0 ग्राम)	भंडारण कीट नियंत्रण में शुल्क लेकर प्रयुक्त हुई मात्रा (कि0 ग्राम)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—आगरा	.. ..	25.200	2558.77	13.320	—	11.880	1206.20	
2—एटा	.. ..	28.800	2924.31	—	—	28.800	2924.30	
3—मथुरा	.. ..	3.600	365.55	0.780	—	2.820	286.36	
4—अलीगढ़	.. ..	28.800	2924.31	28.800	—	—	—	
5—लखनऊ	.. ..	144.600	14682.48	88.080	31.680	24.840	2522.21	
6—रायबरेली	.. ..	81.300	8255.10	50.400	—	30.900	3137.54	
7—हरदोई	.. ..	28.800	2924.31	20.280	0.840	7.680	779.81	
8—लखीमपुर खीरी	.. ..	36.900	3746.79	14.400	2.340	20.160	2047.02	
9—उन्नाव	.. ..	28.800	2924.31	0.120	25.560	3.120	316.84	

10—सीतापुर	..	..	28.800	2924.31	18.780	3.660	6.360	645.78
11—मेरठ	..	..	43.500	4416.95	38.400	—	5.100	517.85
12—मुजफ्फरनगर	..	..	37.800	3838.15	37.800	—	—	—
13—सहारनपुर	..	..	57.600	5848.61	3.180	—	54.420	5525.75
14—बुलन्दशहर	..	..	27.600	2802.45	26.520	—	1.080	109.67
15—देहरादून	..	..	22.500	2284.61	7.800	—	14.700	1492.61
16—बरेली	..	..	44.100	4477.85	44.100	—	—	—
17—बदायूं	..	..	57.600	5848.61	47.560	0.780	9.260	940.25
18—पीलीभीत	..	..	13.500	1370.77	12.600	—	0.900	91.38
19—शाहजहांपुर	..	..	57.600	5848.61	14.760	27.180	15.660	1590.09
20—मुरादाबाद	..	..	28.800	2925.31	21.840	4.380	2.580	261.96
21—रामपुर	..	..	57.600	5848.61	54.000	—	3.300	335.08
22—बिजनौर	..	..	57.600	5848.61	56.100	—	1.500	152.32
23—गोरखपुर	..	..	57.600	5848.61	55.380	—	2.220	225.41
24—आजमगढ़	..	..	82.800	8407.39	80.220	2.580	—	—
25—देवरिया	..	..	70.200	7128.00	40.860	23.640	5.700	578.76
26—बस्ती	..	..	144.000	14621.55	100.800	—	43.200	4386.48
27—इलाहाबाद	..	..	230.400	23394.50	172.800	—	57.600	5848.62
28—कानपुर	..	..	75.400	7656.00	22.120	—	53.280	5409.97
29—इटावा	..	..	39.800	4041.25	29.000	10.260	0.540	54.83
30—झांसी	..	..	49.500	5026.16	14.760	—	34.740	3527.45
31—जालौन	..	..	28.800	2924.31	20.520	—	8.280	840.73
32—बांदा	..	..	8.100	822.47	0.180	—	7.920	804.18
33—फैजाबाद	..	..	57.600	5848.61	57.480	0.060	0.060	6.09
34—गोण्डा	..	..	93.600	9504.00	44.640	—	48.960	4971.32
35—बहराइच	..	..	50.400	5117.55	50.400	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36—प्रतापगढ़	.. ..	28.800	2924.30	7.380	—	21.420	2174.95	
37—सुल्तानपुर	.. ..	28.800	2924.30	3.660	—	25.140	2552.67	
38—बाराबंकी	.. ..	57.600	5848.61	51.060	5.700	0.840	85.29	
39—वाराणसी	.. ..	192.600	19556.33	41.640	—	150.960	15328.25	
40—मिर्जापुर	.. ..	57.600	5848.61	50.820	3.420	3.360	341.17	
41—जौनपुर	.. ..	28.800	2924.31	23.040	—	5.760	584.86	
42—गाजीपुर	.. ..	9.000	913.85	4.500	4.500	—	—	
43—नैनीताल	.. ..	114.300	11605.85	0.064	45.000	69.240	7030.52	
44—पिथौरागढ़	.. ..	0.900	91.38	—	0.900	—	—	
योग	..	2448.000	2,48,556·32	1471.240	192.480	784.280	79634.65	
अनुमानित मूल्य	..		2,48,556.32	1,49,387.54	19,544.13	..	79634.65	

अनुमान सभा

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 348 पर]

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लिपिक सेवा संघ, लखनऊ द्वारा 21-7-71 को प्रस्तुत की गई मांगें और उस पर कार्यवाही की स्थिति :—

मांगें	स्थिति
(1) सर्व श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रेम पाल सिंह, एवं नरेन्द्र कुमार शर्मा को निदेशालय के संवर्ग में सन् 1962 से ज्येष्ठता देने के आदेश को रद्द करना।	(1) सर्व श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रेम पाल सिंह एवं नरेन्द्र कुमार शर्मा को निदेशालय के संवर्ग में सन् 1962 में ज्येष्ठता देने के आदेश कृषि निदेशक द्वारा रद्द कर दिये गये हैं।
(2) श्री मुरारी लाल मित्तल को निदेशालय में नोटर ऐन्ड ड्राफ्टर के पद पर नियुक्त करने के आदेश को रद्द करना।	(2) श्री मुरारी लाल मित्तल को उ0 प्र0 कृषि उद्योग निगम ने कृषि विभाग को प्रत्यावर्तित कर दिया था। इनको कृषि निदेशालय में नोटर एन्ड ड्राफ्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति को रद्द करने का मामला विचाराधीन है।
(3) निदेशालय के लिए स्वीकृत प्रशासनिक अधिकारियों के दो पदों पर निदेशालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करना।	(3) प्रशासनिक अधिकारियों के दो पदों पर नियुक्तियां सचिवालय के कर्मचारियों से अर्हता तथा योग्यता के आधार पर की जाती है।
(4) हेड असिस्टेंट, सीनियर नोटर ऐण्ड ड्राफ्टर, जूनियर नोटर एण्ड ड्राफ्टर तथा लेखाकार के रिक्त पदों पर प्रोन्नति कर के भर्ती करना।	(4) हेड असिस्टेन्ट, सीनियर नोटर ऐण्ड ड्राफ्टर तथा जूनियर नोटर एण्ड ड्राफ्टर के सभी रिक्त पदों पर कृषि निदेशक द्वारा प्रोन्नति कर दी गयी। लेखाकार के पदों पर नियुक्ति हेतु कृषि निदेशक को एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा आयोजित करने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

नत्थी 'च'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 58–59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 351 पर]

नैनी क्षेत्र सलेजफार्म, नगरमहापालिका इलाहाबाद के काश्तकारान की सूची मौजावार—

मौजा महेवा पट्टी उपरवार

1—श्री फजल अहमद वल्द तुफल अहमद
2—,, फजल अहमद वल्द तुफेल अहमद
,, मोहम्मद हनीफ वल्द जमील उद्दीन
3—,, फजल अहमद वल्द तुफैल अहमद
,, मोहम्मद हनीफ वल्द जमील उद्दीन
4—,, फजल अहमद वल्द तुफेल
5—,, महादेव वल्द नोटर
6—,, मुसम्मात जोहदा खातून बेवा अब्दुल अजीज
7—,, अब्दुल हमीद वल्द दिलदार हुसैन
8—,, सुमेश्वर काछी पुत्र कल्लू काछी
9—श्रीमती कमेला काछी पुत्री शिवनाथ प्रसाद
10—सर्वश्री रघुनाथ, श्रीनाथ पुत्रगण रामदास सा० अरैल।
11—श्री सभी उल्ला मुहीब उल्ला पिसरान हफीज उल्ला
12—,, छित्तू वल्द शफी उल्ला
13—,, रफी उल्ला वल्द नजीर उद्दीन
फरीद उद्दीन, सदरे उद्दीन, मकसूद, मनसूर, महमूद, पिसरान कद्र उद्दीन
14—,, अमीर उल्ला वल्द कुदरत उल्ला, मुसम्मात सलीमन
बेवा मो0 अहमद वल्द मो0 मुस्ताक
15—,, विंध्याचल राय
16—,, तुफैल अहमद वल्द अब्दुल मजीद

मौजा महेवा पट्टी कछार

17—श्री फजल अहमद वल्द तुफैल अहमद
18—मुसम्मात फातमा बीबी
19— ,, जोहदा खातून
20—श्री अब्दुल हमीद पिसरान दिलदार हुसैन
21—,, अब्दुल हमीद वल्द दिलदार हुसैन
22—,, तुफैल अहमद वल्द अब्दुल मजीद

मौजा जहांगीरा बाद उपरवार

23—मुसम्मात अली मुबजिसां जी मो० अहमद
बरकत उल्ला, अमीर उल्ला
24—मुसम्मात अली मुबनिसां मो अहमद
बरकत उल्ला, अमीर उल्ला
25—श्री अब्दुल रहमान सज्जाद हुसेन
बरकत उल्ला

26—मुसम्मात शरीफुन निसां बेवा जुम्मन
27—श्री परसू, प्रोषोत्तम पुत्र गण भगत
28—,, बद्री प्रसाद मोती लाल पुत्रगण बुद्धूलाल
29—,, सज्जाद हुसैन, मो0 इसमाइल वल्द अजमत उल्ला
30—,, पुचुन्नी वल्द तुल्ला श्री बरकत उल्ला वल्द अजमद उल्ला, लाल मोहम्मद वल्द शाह मोहम्मद।
31—,, अब्दुल अजीज शुक्रुउद्दीन बशीर उद्दीन
कमील उद्दीन पिसरान बच्चू
32—,, लाल मोहम्मद वल्द शाह मोहम्मद
33—,, हुसैन अली वल्द अजमत अली
34—,, लियाकत अली फिदा अली खिलाफत अली
पिसरान बाउल श्री नबाव हुसैन वल्द मो0 इसमाइल।
35—,, जमील उद्दीन वल्द बहादुर
36—,, अब्दुल अजीम वल्द शेख बच्चू
37—,, लाला बशीर पिसरान इसमाइल
38—श्रीमती महरुनिसां जौजे असफाक साकिन जहांगीराबाद
39—मुसम्मात अजीमुन बीबी जौजे भूली
श्री बदलू वल्द मो0 अली
40—श्री नवाब हुसैन, सज्जाद हुसैन पिसरान मोहम्मद इसमाइल
41—,, खिन्नीलाल, सम्पत पुत्रगण शिवभगत
42—,, कदार, बरकत उल्ला
43—,, मिठाई लाल, महानरायण, जय नारायण श्री राम पुत्रगण बाउल
44—,, कल्लू नाबालिग वल्द जुम्मन
45—,, रफी उल्ला वल्द अमीर उल्ला
46—,, बरकत उल्ला वल्द अजमत उल्ला
47—,, मो0 अहमद बाविलायत मुसम्मात जिलाई बेवा मुश्ताक
48—श्रीमती सुखदेई पत्नी दुकरवां
49—श्री अब्दुल खालिक वल्द अब्बास अली
50—,, रघुबीर प्रसाद राम जियावन पुत्रगण सुखरानी
51—मुसम्मात बशीरन बेवा कुतुब अली
52—श्री बरकत उल्ला वल्द अजमत उल्ला
53—,, दिलदार हुसैन, अब्दुल सत्तार महमूद हुसैन पिसरान मो0 उसमान मो0 हुसैन, मो0 हसन पिसरान अब्दुल गफूर
54—,, इसलाम उद्दीन उफ घासी कल्लू
55—,, लाला पुत्र बच्चा
56—,, रफी उल्ला वल्द अमीर उल्ला
57—,, जमील उद्दीन वल्द बहादुर
58—,, राम लाल, सुन्दर लाल पुत्रगण लक्षमण काछी
59—,, अर्जुन, ननका, पंचम, अमरनाथ पुत्रगण राम लाल, सन्त लाल, पुत्रगण रामदास
60—मुसम्मात सुब्बा निसां बेवा अब्दुल मजीद
61—,, अब्दुल रहमान वल्द शाह मोहम्मद, बरकत उल्ला वल्द अजमत उल्ला
62—,, रफी उल्ला वल्द अमीर उल्ला
63—मुसम्मात अजीमुन बेवा बदलू
64—श्री इकबाल अहमद, मकूब अहमद महबूब अहमद, निसार अहमद पिसरान साद उल्ला

65—अब्दुल रहमान वल्द शाह मोहम्मद
66—हशमत उल्ला, समी उल्ला
67—अब्दुल अजीज वल्द गनी
68—तजम्मुल वल्द तफज्जुल हुसैन
69—सुद्धू वल्द अमीर अली
70—मुसम्मात अजीमुन बेवा भूली श्री बदलू वल्द मो० अली
71—जमील उद्दीन वल्द बहादुर
72—अब्दुल अजीज बशीर उद्दीन, कमाल उद्दीन, शुक्रउद्दीन पिसरान बच्चू
73—जमील उद्दीन वल्द बहादुर
74—सुमेश्वर पुत्र कल्लू काछी
75—श्री निसार अहमद नाबालिग श्री इसमाइल बालिग, मो० इसा० मो० मूसा मो० इब्राहीम पिसरान इसमाइल
76—जुम्मन वल्द करीमबख्श
77—अब्दुल रशीद वल्द अब्दुल अजीज
78—दिलदार हुसैन वल्द मो० उसमान
79—नबाव हुसैन वल्द मो० इसमाइल
80—खिन्नी वल्द सम्पत
81—विलायत हुसैन वल्द दिलदार हुसैन
82—लाल मोहम्मद वल्द शाह मोहम्मद
83—दिलदार हुसैन वल्द मो० उसमान, नबाव हुसैन वल्द मो० इसमाइल श्री बरकत उल्ला वल्द अजमत उल्ला वल्द मो० अली
84—बशीर उद्दीन वल्द शेख बच्चू
85—अब्दुल सत्तार वल्द मो० उसमान, मसीह उद्दीन वल्द शाह मुहम्मद
86—दिलदार हुसैन वल्द मो० उसमान श्री नवाब वल्द मो० उसमान बदलू वल्द मो० अली श्री बरकत उल्ला वल्द अजमत उल्ला
87—सूरज दीन पुत्र बाबू लाल
88—सुमेश्वर पुत्र कल्लू
89—मसीह उद्दीन वल्द शाह मोहम्मद
90—मुहीत उद्दीन वल्द छेदी
91—लियाकत अली खिलाफत अली फिदा अली पिसरान बाउल
92—सुलेमान वल्द शाह मोहम्मद
93—अब्दुल रज्जाक वल्द अख्तर अली
94—सज्जाद हुसन वल्द मो० इसमाइल
95—जमील उद्दीन वल्द बहादुर
96—अब्दुल अजीज कमाल उद्दीन पिसरान शेख बच्चू
97—समी उल्ला मुहीबउल्ला पिसरान हफीज उल्ला
98—नवाब हुसैन वल्द मो० इसमाईल
99—मो० हुसेन वल्द अब्दुल गफूर
100—बरकत उल्ला वल्द अजमत उल्ला
101—हुसैन अली वल्द अजमत अली
102—बरकत उल्ला वल्द अजमत उल्ला
103—जमील उद्दीन वल्द बहादुर
104—बशीर उद्दीन वल्द शेरा बच्चू
105—मसीह उद्दीन वल्द शाह मोहम्मद
106—सुमेश्वर काछी पुत्र कल्लू काछी

107—बरकत उल्ला वल्द अजमत उल्ला
108—बरकत उल्ला वल्द अजमत उल्ला
109—दिलदार हुसैन नवाब हुसैन

जहांगीराबाद कछार

110—इकबाल अहमद, मकबूल अहमद, महबूब अहमद, निसार अहमद पिसरान साद उल्ला
111—अब्दुल गफूर अब्दुर कादिर नवाब हुसैन सज्जाद हुसैन पिसरान मो0 इसमाइल
112—दिलदार हुसैन वल्द अब्दुल कादिर श्री नवाब हुसैन सज्जाद हुसैन पिसरान मो0 उसमान
113—इकबाल अहमद, मकबूल अहमद, महबूब अहमद निसार अहमद पिसरान साद उल्ला नवाब हुसैन, सज्जाद हुसैन पिसरान मो0 इसमाइल

चक खाने आलम

114—सर्वश्री मुहीब उल्ला पिसरान हफीज उल्ला, सर्वश्री मोइन उद्दीन फरीद उद्दीन पिसरान सदर उद्दीन, सर्व श्री मकसूद मंसूर महमूद पिसरान बदरुउद्दीन श्री रहीम उद्दीन वल्द नजीर उद्दीन, हयात उल्ला वल्द इकराम उल्ला
115—छन्नू वल्द इकराम उद्दीन
116—हशमत उल्ला, समी उल्ला पिसरान अली उल्ला
117—समीह उल्ला वल्द बरकत उल्ला
118—श्री मो0 हुसैन वल्द अब्दुल गफूर
119—फरमाइश अली वल्द शेख वल्दन
120—फरमाइश अली वल्द शेख वल्दन
121—अब्दुल रशीद अब्दुल अजीज

माधोपुर

122—सुलेमान वल्द शाह मोहम्मद
123—राम लाल पुत्र ठाकुरदीन
124—अमीन उद्दीन वल्द छेदी नजीर उद्दीन वल्द रहमत उल्ला
125—शुक्रउ द्दीन वल्द बच्चू
126—राम जियावन वल्द महादेव
127—जगन पुत्र टिटोहन
128—टलाला पुत्र बच्चा
129—मुहीव वल्द छेदी
130—राम सहाय वल्द शिव प्रसाद

मौजा अरैल उपरवार

131—लाला पुत्र बच्चा काछी
132—लाला पुत्र बच्चा काछी
133—छोटे लाल पुत्र बच्चा
134—छोटे लाल पुत्र बच्चा
135—अमीन उद्दीन वल्द छेदी, नजीर उद्दीन वल्द रहमत उल्ला
136—सुमेश्वर पुत्र कल्लू काछी
137—सुमेश्वर पुत्र कल्लू काछी
138—सुमेश्वर पुत्र कल्लू
139—कल्लू पुत्र अलगू अहिर
140—मोहम्मद अली वल्द नियाज अली
141—मोहम्मद अली वल्द नियाज अली

142--सुद्धू पुत्र गयादीन कुम्हार
143--दीन मोहम्मद वल्द नजीब उल्ला
144--संकठा पुत्र राम औतार
145--बाउल पुत्र कंधई
146--मथुरा पुत्र छब्बू राम नरेश पुत्र संधई
147--बाबू पुत्र शिवव्यम्भर
148--संकठा पुत्र राम औतार
लोकपुर
149--सुलेमान वल्द शाह मोहम्मद
150--अब्दुल रहमान वल्द शाह मोहम्मद
151--मोहम्मद जहीर वल्द छेदी बविलायत जैतून बीबी
152--बाबू लाल वल्द शिव अम्बर
चकरघुनाथ
153--मथुरा पुत्र छब्बु श्री राम नरेश पुत्र कंधई
देव रख उपरवार
154--बउल पुत्र कंधई अहिर
देव रख कछार
155--बाउल पुत्र कंधई
मवैदा उपरवार
156-- दुक्खी पुत्र जोहर
157--कौशल्या पुत्री राम सुन्दर
मवैदा कछार
158--संकठा अहिर

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'छ'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 351 पर]

देवरिया शहर अस्पताल में तैनात ऐसे डाक्टरों की सूची जो देवरिया जिले के रहने वाले हैं :—

क्र0 सं0	डाक्टर का नाम (पुरुष एवं स्त्री)	देवरिया में तैनाती की तिथि	कितने वर्षों से अस्पताल में रहे हैं	लगातार इस सेवा कर
1	2	3	4	
1	डा0 गजेन्द्र सिंह, पी0 एम0 एस0 (पुरुष) रिजर्व डियूटी जिला अस्पताल देवरिया	17-3-71	9 माह से इस अस्पताल में कार्य कर रहे हैं।	
2	डा0 एस0 पी0 गुप्ता, पी0 एम0 एस0 (पुरुष) सबचार्ज, जिला अस्पताल देवरिया	14-2-70	1 साल 10 माह से इस अस्पताल में कार्य कर रहे हैं।	
3	डा0 गिरजा शंकर श्रीवास्तव, पी0 एम0 एस0 (पुरुष) सर्जन जिला अस्पताल, देवरिया	23-6-69	2 साल 6 माह से इस अस्पताल में कार्य कर रहे हैं।	
4	डा0 महेश्वर सिंह, डेन्टल सर्जन, जिला अस्पताल, देवरिया	3-9-69	2 वर्ष 3 माह से कार्य रहे हैं।	
5	डा0 (श्रीमती) शशिप्रभा, पी0 एम0 एस0 (महिला) कम्बाइन्ड अस्पताल, देवरिया	18-7-69	2 वर्ष 5 माह हुये हैं।	
6	डा0 (श्रीमती) रागनी श्रीवास्तव, पी0 एम0 एस0 (महिला), कम्बाइन्ड अस्पताल, देवरिया	19-8-69	2 वर्ष 4 माह हुये हैं।	

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 357 पर)

सड़कें	लम्बाई		विवरण
1--वर्तमान पक्की सड़कें:--			
1--अतरौली-कासगंज रोड	9.60	38 00	इन सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होता है।
2--कालागढ़-अतरौली-राज घाट रोड	22.40	----------	
3--अतरौली-रामपुर रोड	9.00	19 00	इन सड़कों का रखरखाव जिला परिषद द्वारा होता है।
4--दादों-साकरा रोड	1 .80	----------	
	51.80 कि0मी0		
2--चतुर्थ योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें:--			
1-अतरौली-पालामुदीमपुर हरदोई-आलमपुर रोड	21.68	89 68	सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग रोड द्वारा बनेगी
2-बिजौली-पालीमुदीमपुर	8.00	----------	
	29.68		

सड़कों की लम्बाई विधान सभा क्षेत्र सासनी

1--वर्तमान पक्की सड़कें:--			
1-अलीगढ़-आगरा रोड	18.40		इन सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होती है।
2-बरेली-मथुरा रोड	14.40	32.00	
	32.80		
2--चतुर्थ योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें:--			
1-सासनी-विजयगढ़ बकरा बाद रोड	24.00	24.00	यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनेगी

2-योजना बिभाग अलीगढ़ द्वारा पी0 एल0 ए0 फन्ड के अन्तर्गत निर्माणाधीन

जिला परिषद की सड़कें:--

1-कैलोरा-बरमाना रोड	5.60	5.60	यह क्षेत्र समिति हाथरस द्वारा निर्माण हो रही है। सड़क की कुल लम्बाई 15.57 कि0 मी0 पक्की बनी है।

नन्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 358 पर)

मिर्जापुर के प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हेल्थ विजिटर्स की तैनाती का विवरण

क्रम संख्या	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम	हेल्थ विजिटर्स की तैनाती की तिथि
1	गुरसन्डी (दो पद)	8-11-66 19-2-71
2	पन्डरी	7-7-69
3	चुनार (नारायणपुर) (दो पद)	30-7-69 18-2-71
4	जमालपुर	20-2-71
5	सीसाड़	23-12-69
6	कछवा	10-1-69
7	बीलह (कोन)	5-12-69
8	मरिहान (पटेरा) (दो पद)	19-2-71 19-12-69
9	धोरावल	,जून 1970
10	राजगढ़	24-7-70
11	रावर्टसगंज	1-8-70
12	चतरा (रामगढ़)	17-12-69
13	चोपन	18-9-69
14	दुद्धी	26-7-70
15	म्योरपुर	26-8-70
16	लालगंज	14-7-70
17	हलिया	20-7-70
18	विजयपुर	30-3-70
19	नगवा	रिक्त है ।
20	बमनी	रिक्त है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'अ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 361 पर)

बस्ती जनपद में नौगढ़ तहसील में धान की फसल पर हुए कृषि रक्षा कार्यों का विस्तृत विवरण

क्रम0 संख्या	तहसील का नाम	ग्राम		क्षेत्रफल (हेक्टर में)	विवरण
1	नौगढ़	बगुलगहा	..	3	
2	,,	रमवापुर		23	
3	,,	बाग गंगा फार्म	..	6	
4	,,	पियरी		15	
5	,,	टिकहा	..	14	
6	,,	नौगढ़	..	26	
7	,,	सोहरतगढ़	..	15.5	
8	,,	सोतरा	..	5	
9	,,	तेतरी	..	1	
10	,,	शोही	..	3	
11	,,	झकुलटिया	..	20.5	
12	,,	बढ़या	..	5	
13	,,	चेतिया	..	3	
14	,,	विनयका	..	0.8	
15	,,	बटेरवा	..	3.6	
16	,,	कैथवलिया	..	0.8	
17	,,	देवलहा ग्राम	..	4.5	
18	,,	गनेटा	..	3.3	
19	,,	मदनपुर	..	2	
20	,,	दईनालिया	..	5.6	
21	,,	सरवई	..	4	
22	,,	पटनी	..	7.05	
23	,,	महलानी	..	7.25	
24	,,	नैनवार	..	12.00	
25	,,	पौखरा	..	6.00	
26	,,	मधुवनी	..	6	
27	,,	नावा	..	6	
28	,,	लाल परसा	..	2	
29	,,	नटवर	..	2	
30	,,	वहिजवली	..	1.25	
31	,,	देवखड़ा	..	42	
32	,,	मडवा फार्म	..	28	
33	,,	भगवानपुर	..	39	
34	,,	उरना	..	3	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	तहसील का नाम का नाम	ग्राम		क्षेत्रफल (हेक्टर में)	विवरण
35	,,	बभनी	..	1	
36	,,	मधुवानिया	..	2	
37	,,	मोहनजोत	..	1.5	
38	,,	पाकड़ जोत	..	10	
39	,,	कंचनपुर	..	67	
40	,,	धनगढ़ता	..	5	
41	,,	बैजनाथपुर	..	2	
42	,,	मंडहवा फार्म	..	7	
		योग	..	411.65	

विधान सभा प्रदेश उत्तर

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 362 पर)

संलग्नक तालिका—क

सड़कों के नाम	वर्ष जब से कार्य प्रारम्भ हुआ
1—बढ़वा गोपीगंज	1967
2—बैकटा जैतपुर	1967
3—सेवई महुआ हायर	1967
4—कुसम्डी मोतीराम अड्डा अमहा	1965
5—रुस्तमपुर मलौनी बंध	1967
6—नौकी बाजार ब्रह्मपुर	1967
7—रामधानी मटियारा	1967

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 363 पर)

तालिका

क्रम संख्या	फर्म का नाम		धनराशि जो बाकी पड़ी रही
1	मेसर्स स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, लखनऊ	..	13,455.00
2	इंडियन आक्सीजन ऐंड एसेटैलीन लखनऊ	..	5,453.11
3	मेसर्स श्याम नारायन प्रेमचन्द कन्ट्रैक्टर, लखनऊ	..	29,783.10
4	मेसर्स विजय इंजीनियरिंग कारपोरेशन, बिजनौर	..	943.32
5	मेसर्स मेक फील्ड, लखनऊ	..	20,182.38
6	मेसर्स माडर्न एप्लाएंस सप्लाई कम्पनी, लखनऊ	..	00.10
7	मेसर्स अग्रवाल आटोमोबाइल्स, इलाहाबाद	..	83,461.24
8	मेसर्स रामनन्द्र अजनन्दन, आगरा	..	2,17,895.26
9	मेसर्स भारत स्टार ट्रेडिंग कारपोरेशन, अलीगढ़	..	1,04,828.95
10	मेसर्स क्राउन इंटर प्राइजेस, कानपुर	..	38,956.15
11	मेसर्स अग्रवाल आटोमोबाइल्स, मेरठ	..	42,123.22
12	मेसर्स प्रागा मोटर्स, मेरठ	..	93,265.95
13	मेसर्स ब्रेंट फोर्ड जैम्स ऐंड कम्पनी, बरेली	..	63,462.36
14	मेसर्स अरोरा सेहगल प्रा० लि०, कलकत्ता	..	5,25,000.00
		योग ..	12,40,810.14

विधान सभा सचिवालय पुस्तकालय

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 367 पर)

तालिका

अराजपत्रित पदों का नाम	पदों की संख्या जिन पर स्थायी करण के लिये समिति ने संस्तुति की थी	स्थायी किये गये कर्मचारियों की संख्या	बाकी पदों के बारे में स्थिति
1—अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1	6	..	इन पदों पर स्थायीकरण के लिये लोक सेवा आयोग को लिखा गया था। उन्होंने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी और कहा है कि बिना नियमित चयन के संबंधित कर्मचारियों का स्थायीकरण संभव नहीं होगा। अतः इन सदस्यों के वर्ग 2 में स्थायीकरण हो जाने के उपरान्त वर्ग 1 में इनकी स्थायी प्रोन्नति के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।
2—अधीनस्थ कृषिसेवा वर्ग—2	18	..	इनके लिये भी लोक सेवा आयोग को लिखा गया था। चूंकि इनमें से दो कर्मचारी ऐसे थे जो पंतनगर फार्म पर सीधे बाहर से नियुक्त किये गये थे, अतः उनके स्थायीकरण पर आयोग ने असमर्थता व्यक्त की थी। बाकी के लिये आयोग ने नियमित चयन द्वारा कार्यवाही करने को कहा है। इन 16 में 11 का नाम वर्ग 3 की संवर्गीय ज्येष्ठता सूची में नहीं है। यह अधिकारी निस्संवर्गीय वर्ग 3 के पदों पर अस्थायी है। अतः इन्हें संवर्गीय पदों पर स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता। बाकी 5 कर्मचारियों का वर्ग 2 में गहन (लियन) है और उनके बारे लोक सेवा आयोग को लिखा जा रहा है।
3—अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग—3	39	38	समिति ने 39 कर्मचारियों के स्थायीकरण की संस्तुति की थी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			परन्तु केवल 38 स्थायी पदों के संबंध में शासकीय आदेश उपलब्ध होने के कारण 38 पदों पर ही स्थायीकरण किया जा सका ।
4—लेखाकार	7	7	..
5—लिपिक वर्ग	39	26	समिति द्वारा संस्तुत 39 कर्मचारियों में से 3 त्याग-पत्र देकर चले गये और 26 का स्थायीकरण कर दिया गया है । शेष 10 में से 6 को 20—1961 को ही विश्वविद्यालय ने अपनी सेवा में ले लिया था । श्री एम0 आर0 खां के विरुद्ध विश्वविद्यालय ने अनुशासनिक कार्यवाही की और उनकी सेवायें समाप्त कर दी है । बाकी 3 के मामले में कार्यवाही की जा रही है
6—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	115	2	समिति द्वारा संस्तुत शेष 113 कर्मचारियों की सेवायें दिनांक 20—9—61 को ही एक माह का नोटिस देकर समाप्त कर दी गई थी और वे तब से विश्वविद्यालय की सेवा में हैं ।

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 372 पर)

महोदय,

स्वायत्त शासन(क) विभाग की समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित शासनादेश संख्या 1347-एन/9—क—44-एन/70, दिनांक 21 मार्च, 1970 की प्रतिलिपि ।

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि 2 मार्च, 1970 के बाद जब तक शासन द्वारा अन्य आदेश न दिये जायें तब तक स्थानीय निकायों, जिलाधिकारियों अथवा मंडलायुक्तों द्वारा नजूल भूमि का कोई पट्टा किसी व्यक्ति अथवा संस्था को न दिया जाय । अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपने जिले के समस्त स्थानीय निकायों को तदनुसार तुरन्त सूचित कर दें ।

2—मुझे आपसे यह भी कहना है कि आप कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें तथा शासन को इस बात की भी पुष्टि कर दें कि आपने समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निदेश प्राप्त करा दिये हैं ।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 375 पर ।)

परिशिष्ट 'क'

प्रमुख शिकायतों का संक्षिप्त विवरण

(1) प्रिंसिपल ने आई० सी० एम० आर० की मीटिंग में तृतीय श्रेणी में तीन यात्रायें कीं और प्रथम श्रेणी का किराया टी०ए० बिल बना कर लिया ।

(2) बिरादरी के एक श्री कुंवरसिंह को "लैब असिस्टेंट" के पद पर अनियमित रूप से नियुक्ति की ।

(3) स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों की एक वर्ष की हड़ताल की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की है ।

(4) थोड़े ही समय में प्रिंसिपल ने लाखों रुपया गलत ढंग से एकत्रित कर लिया है ।

(5) संस्था में प्रिंसिपल द्वारा मनमानी की जाती है ।

विधान सभा सचिवालय

परिशिष्ट 'ख'

जांच रिपोर्ट का सार

(1) कतिपय अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण श्री बी०के० शर्मा, प्रिंसिपल आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के विरुद्ध कुछ आरोप पूर्णतया सिद्ध न किये जा सके परन्तु स्थिति से उनके आचरण पर प्रतिकूल प्रभाव प्रतिबिम्बित होता है।

(2) श्री शर्मा ने 23 अगस्त 1967 को लखनऊ से बम्बई की यात्रा प्रथम श्रेणी के बजाय तृतीय श्रेणी में की तथा यात्रा भत्ता प्रथम श्रेणी के लिये प्राप्त किया (यह यात्रा इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च की आयुर्वेदिक सब-कमेटी की मीटिंग में भाग लेने के लिये की गई थी।)

(3) श्री शर्मा ने 24/25 अप्रैल, 1967 को लखनऊ से पीलीभीत तथा 25/26 अप्रैल, 1967 को पीलीभीत से हरिद्वार की यात्रायें भी तृतीय श्रेणी में कीं और यात्रा भत्ता प्रथम श्रेणी का प्राप्त किया। (यह यात्राएं भारतीय चिकित्सा परिषद् की परीक्षायें लेने के संबंध में की गई थीं।)

(4) एक शिक्षा संस्था के प्रधान होने के नाते, इस स्तर के राजकीय कर्मचारी के लिए यह अशोभनीय था कि अपने आर्थिक लाभ के लिये इस प्रकार के भ्रष्ट कार्य करता। झूठ यात्रा भत्ता प्राप्त करके श्री शर्मा ने इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश को धोखा दिया।

(5) आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए शासन इस मामले की जांच के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल को सौंपने की वांछनीयता पर विचार कर ले।

संसद सदस्य सदेश

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 377 पर)

जनपद शाहजहांपुर में कृषकों को देने हेतु गेहूं, मक्का, प्रजातिवार कितना-कितना और कहां-कहां से खरीदा गया उसका ब्योरा निम्न प्रकार है :

स्थान का नाम	गेहूं आर0 आर 2	गेहूं के0 68	गेहूं एस0 307	गेहूं एस0 273	गेहूं कल्यान सोना	गेहूं एस0 308	गेहूं ए0 डी0 एम0 1593	गेहूं एस0 27	गेहूं 1553	किसान मक्का	गंगा 5 मक्का	गेहूं कुन्दन
धीमरपुरा ..	14.444	1.616	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नारायणपुर ..	—	—	0.900	0.750	5.00	—	—	—	—	—	—	—
निगोही	—	—	3.100	—	7.00	20.354	—	—	—	—	—	—
डेरी फार्म अलीगढ़ ..	48.279 800	—	—	—	—	1.70	—	—	—	—	—	—
नवाबगंज, बरेली ..	—	0.575	0.202	—	—	0.302	—	—	—	—	—	—
ए० ए० आई मुरादाबाद ..	—	—	—	—	15.00	—	—	—	—	—	—	—
ए० ए० आई लखनऊ ..	—	—	—	—	—	—	6.626	3.444	—	—	—	—
ए० ए० आई०, बरेली ..	—	—	—	—	7.600	—	—	—	—	—	—	—
एम० एस० सी०, बरेली ..	—	—	—	—	—	—	00.200	—	0.200	—	—	—
ए० ए० आई, गजरौला ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.710	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फार्म अधीक्षक, ढकुन्नी ..	—	—	—	—	—	—	10.070	—	—	—	—	—
जि० पू० अ०,, पीलीभीत ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.607	—
,, बदायूं ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.512	—
,, पन्तनगर ..	—	—	—	—	—	—	:—:	—	—	3.102	—	—
,, धीमरपुर ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.225	—	—
एस० एस०, नवाबगंज, बरेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.145
योग ..	62.723.800	2.191	4.202	0.750	34.600	022.356	16. 896	3.444	0.200	3.327	5.829	0.145

योग, गेहूं 147.507.800 मक्का 9.156

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 379 पर)

15 जून, 1971 तक फलपट्टी योजना के अन्तर्गत पौड़ी-गढ़वाल में हुई प्रगति

क्रम-संख्या	योजना का नाम	प्रारम्भ करने का वर्ष	उपयुक्त क्षेत्र (हेक्टर में)	15जून, 1971 तक स्थापित उद्यानों का क्षेत्र (हेक्टर में)	15 जून, 71 तक दिया गया धन
1	पौड़ी-देवप्रयाग ..	1965–66	380.69	97.67	48,415
2	कोठा-भरसार-गगनौखाल	1970–71	155.81	2.32	..
3	पीपलीपानी पेडूल-श्रीनगर	1969–70	253.75	5.95	17,750
4	बुलाखाल-गडोली	1968–69	72.84	15.24	10,980
	योग ..		863.09	120.78	77,145

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'द'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 381 पर।)

सेनेटरी इन्सपेक्टर का नाम	नियुक्ति का स्थान तथा तिथि	स्थानान्तरण स्थान का नाम	आदेश की तिथि
1—श्री जैनुलआब्दीन सिद्दीकी	पी० एच० सी० कनैली, जिला इलाहाबाद, 8-8-46	पी० एच० सी० छेलीसेन, जिला पौड़ी गढ़वाल	4-6-71
2—श्री मोहम्मद अमीन ..	पी० एच० सी० कोरीहर, जिला इलाहाबाद, 1-5-48	पी० एच० सी० साहेब गंज, जिला वाराणसी	3-7-71
3—श्री खैरखाह अहमद ..	पी० एच० सी० उरवा, जिला इलाहाबाद, 19-4-48	पी० एच० सी० राबर्टसगंज, जिला मिर्जापुर	3-7-71
4—श्री हौसिला प्रसाद श्रीवास्तव	पी० एच० सी० जेसरा, जिला इलाहाबाद, 13-10-52	पी० एच० सी० रामपुर, जिला जौनपुर	3-7-71
5—श्री आर० एस० राम ..	पी० एच० सी० मांडा, जिला इलाहाबाद, 21-5-66	पी० एच० सी० प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़	1-7-71
6—श्री एम० एस० सिन्हा ..	पी० एच० सी० कड़ा, जिला इलाहाबाद, 9-7-66	पी० एच० सी० थानापुर, जिला वाराणसी	3-7-71
7—श्री एम० सी० पांडे ..	पी० एच० सी० बहादुरपुर, मजा, जिला इलाहाबाद, 12-7-66	पी० एच० सी० भदोई, जिला वाराणसी	3-7-71
8—श्री जी० सी० श्रीवास्तव ..	पी० एच० सी० मूरतगंज, जिला इलाहाबाद, 24-2-63	पी० एच० सी० सकलादीह, जिला वाराणसी	31-7-71

सेनेटरी इन्सपेक्टर का नाम	नियुक्ति का स्थान तथा तिथि	स्थानान्तरण स्थान का नाम	आदेश की तिथि
9—श्री बी० एन० श्रीवास्तव ..	पी० एच० सी० सोरोन, जिला इलाहाबाद, 15–10–58	पी० एच० सी० धोरावल, जिला मिर्जापुर।	3–7–71
10—श्री रा० के० द्विवेदी ..	पी० एच० सी० प्रतापनगर, जिला इलाहाबाद, 8–8–66	पी० एच० सी० बदलापुर, जिला जौनपुर।	3–7–71
11—श्री एस० एस० पांडे ..	पी० एच० सी० मेजा, जिला इलाहाबाद, 1–6–66	पी० एच० सी० छतरा, जिला मिर्जापुर।	2–8–71

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 388 पर)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1952

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने के लिये,

विधेयक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) यह 1 जनवरी, 1972 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1952 की धारा 3 में संशोधन।

2—उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (2) में शब्द "चालीस पसे" जहां भी आय हों, के स्थान पर शब्द "पचास पैसे" रख दिय जायें।

विधान सभा सचिवालय

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38, 1952) की धारा 3 के प्रतिबन्ध में यह प्राविधान है कि 'वन पार्ट टैरिफ' की दशा में, यदि इकाई मूल्य प्रति यूनिट चालीस पैसे से अधिक हो तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकेगी और न ही इकाई मूल्य के साथ जोड़ देने पर वह कुल मिलाकर प्रति यूनिट चालीस पैसे से अधिक होगी तथा इसके अधीन रहते हुए यह ड्यूटी एक पैसे से कम या प्रति यूनिट 6 पैसे से अधिक न होगी।

2—उपर्युक्त प्रतिबन्ध का एक परिणाम यह है कि प्रदेश के सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं से विद्युत् शुल्क चार्ज किया जा रहा है परन्तु रोशनी तथा पंखे के उन उपभोक्ताओं से विद्युत् शुल्क नहीं लिया जा रहा है जहां सम्भरणकर्ता द्वारा चार्ज की दर 40 पैसे प्रति यूनिट से अधिक है। इसके कारण विद्युत् शुल्क का भार केवल एक ही श्रेणी के उन उपभोक्ताओं पर पड़ता है जहां उपभोक्ताओं से चार्ज की दर 40 पैसे प्रति यूनिट से कम है। इस असमानता को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 की धारा 3 में संशोधन कर दिया जाय। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
विद्युत् मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मूल अधिनियम की उस धारा का उद्धरण जिसमें संशोधन प्रस्तावित है

इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का लगाया जाना

3—(1) आगे दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए:

(क) किसी लाइसेंसी, बोर्ड, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता को बेची गयी एनर्जी, या

(ख) किसी लाइसेंसी या बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक या आवासिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने वाले भू-गृहादि में, अथवा किसी अन्य भू-गृहादि में, अपने वर्क्स के निर्माण, बनाये रखने या चलाने से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपभुक्त एनर्जी, या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत् जनन के अपने स्रोत से उपभुक्त एनर्जी,

पर एक ड्यूटी (जिसे आगे "इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी" कहा गया है) लगायी जायगी और जिसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा और जो ऐसी दर या दरों पर निर्धारित की जायगी जिसे राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा, निश्चित करे और ऐसी दर या तो चार्ज की दर के निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में या प्रति यूनिट निर्दिष्ट धनराशि के रूप में निश्चित की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के सम्बन्ध में, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज की दर के पचीस प्रतिशत से अधिक न होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वन पार्ट टैरिफ की दशा में, यदि इकाई मूल्य प्रति चालीस पैसे से अधिक हो तो एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगायी जा सकेगी और न ही इकाई मूल्य के साथ जोड़ देने पर वह कुल मिलाकर प्रति यूनिट चालीस पैसे से अधिक होगी, तथा इसके अधीन रहते हुये, यह ड्यूटी एक पैसे से कम या प्रति यूनिट छः पैसे से अधिक न होगी।

नत्थी 'न'

(देखिये पीछे पृष्ठ 391 पर)

उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1972

शरणार्थी सहायता तथा अन्य प्रयोजनों के लिये संसाधन जुटाने के उद्देश्य से कतिपय कर विधियों का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ।

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) धारा 2, 3, 4, 5, तथा धारा 6 के खंड (क) तथा (ग), धारा 8 9, धारा 11 के खंड (क) तथा (घ), धारा 13, 14, 16, 17 और 18 के उपबन्ध 15 नवम्बर, 1971 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे तथा शेष उपबन्ध, अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

अध्याय 2

यूनाइटेड प्राविंसेज इन्टरटेनमेन्टस एन्ड बैटिंग टैक्स ऐक्ट, 1937 का संशोधन

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 8, 1937 की धारा 3 का संशोधन

2—यूनाइटेड प्राविंसेज इंटरटेनमेंटस ऐंड बैटिंग टैक्स ऐक्ट, 1937 में, जिसे आगे इस समय अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(1—क) किसी आमोद में प्रवेश के निमित्त सभी प्रवेश शुल्कों पर दस पैसे प्रति प्रवेश शुल्क की दर से एक अधिभार भी लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त ऐसा अधिभार आमोद-कर का अंग समझा जायेगा।"

धारा 11 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(3) योगमापी में प्राप्त प्रत्येक दांव अथवा पण के निमित्त स्टयुअर्ड टिकट जारी करेंगे तथा प्रत्येक टिकट पर दस पैसे प्रति टिकट की दर से अधिभार लिया जायेगा और आदेय होगा, तथा ऐसा अधिभार इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त योगमापी कर का अंग समझा जायेगा।"

धारा 14 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(3) लाइसेंस प्राप्त पणांकक उसके पास प्रस्तुत प्रत्येक पण के निमित्त एक कार्ड जारी करेगा जिसमें पण की धनराशि उल्लिखित होगी तथा

प्रत्येक कार्ड पर दस पैसे की दर से अधिभार लिया जायेगा और आदेय होगा, तथा ऐसा अधिभार इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त कर का अंग समझा जायेगा।"

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० का संशोधन

5—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई0 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3-क में,— संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० 15, 1948 ई० की धारा 3—क का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, खंड (क) में, शब्द "दस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बारह प्रतिशत" रख दिये जायं ;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "तीन प्रतिशत", जहां भी आये हों, के स्थान पर शब्द "साढ़े तीन प्रतिशत" रख दिये जायं।

6—मूल अधिनियम की धारा 3-घ में, धारा 3—घ का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) सिवाय उस दशा में जिसकी व्यवस्था उपधारा (2) में है, प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उस भाग के लिये व्यापारी द्वारा (चाहे अपने लेखे अथवा किसी अन्य के लेखे), या ऐसे व्यापारी के माध्यम से जो क्रय-एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा हो, उत्तर प्रदेश के अन्दर किये गये—

(क) खाद्यान्नों (जिसके अन्तर्गत अनाज तथा दालें भी हैं) के क्रय के संबंध में ऐसी दर से जो दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

(ख) किसी ऐसे अन्य माल के प्रथम क्रय के संबंध में, ऐसी दर से, जो—

1956 का ऐक्ट 74

(1) सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1956 की धारा 14 द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के घोषित माल के संबंध में, उक्त ऐक्ट की धारा 15 में तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर, तथा

(2) अन्य माल के संबंध में पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

ऐसे क्रय धन पर जो निर्धारित रीति से अवधारित किया जायेगा, और ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, कर लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा।"

(ख) उपधारा (2) तथा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारायें रख दी जायं, अर्थात्:—

"(2) यदि उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित किसी माल के संबंध में क्रयकर्त्ता तथा अथवा यथास्थिति, प्रथम क्रय-कर्त्ता, चाहे अपने लेखे अथवा किसी अन्य के लेखे, रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति हो, तो प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके

भाग के लिये उस व्यापारी के, जो ऐसे क्रयकर्त्ता को ऐसा माल बेच-रहा हो अथवा जिसके माध्यम से ऐसे माल की बिक्री की जा रही हो, ऐसे माल के विक्रय धन पर जो निर्धारित रीति से अवधारित किया जायेगा, कर लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा, और कर की दर वही होगी जो उप-धारा (1) में विज्ञापित की गयी हो।

(3) जब कमीशन एजेन्ट द्वारा अपने निर्देष्टा की ओर से किसी विक्रय-धन अथवा क्रय-धन पर, यथा स्थिति, उप-धारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन कर देय हो, और उसका भुगतान कर दिया गया हो, तो निर्देष्टा उसी विक्रय धन अथवा क्रय धन पर कर का देनदार न होगा।

(3—क) कोई व्यापारी इस धारा के अधीन कर का देनदार नहीं होगा यदि कर-निर्धारण वर्ष का उसका विक्रय-धन अथवा क्रय-धन अथवा दोनों, जैसी भी दशा हो, बाहर हजार रुपये से, अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा या तो किसी माल के समस्त व्यापारियों के संबंध में या किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के संबंध में तदर्थ निर्दिष्ट करे, कम हो, सिवाय उस दशा के जब कि उसने—

1956 का ऐक्ट 74

(क) सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1956 की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया हो, या

(ख) उपधारा (7) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र अथवा घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया हो,

और ऐसी दशा में वह, अपने विक्रय-धन या क्रय-धन का या दोनों के उक्त न्यूनतम से कम होते हुए भी, ऐसे विक्रय-धन या क्रय-धन पर उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित दर से कर का देनदार होगा।"

(ग) उप-धारा (5), में शब्द 'तीन प्रतिशत' जहां भी आये हों, के स्थान पर शब्द 'साढ़े तीन प्रतिशत' रख दिये जायं; और

(घ) उप-धारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(7) (क) जब तक कि व्यापारी विक्रेता व्यापारी से प्राप्त किया हुआ ऐसा घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि में, जो निर्धारित की जाय, प्रस्तुत करने के बाद कर-निर्धारण अधिकारी के संतोषानुसार अन्यथा प्रमाणित न कर दे, किसी व्यापारी द्वारा, स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से, अपने लेखे या किसी अन्य के लेखे उत्तर प्रदेश में किया गया प्रत्येक क्रय, उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजनार्थ प्रथम क्रय माना जायेगा।

(ख) जब तक कि माल बेचने वाला व्यापारी ऐसे माल के क्रेता से प्राप्त किया हुआ ऐसा घोषणा-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि में, जो निर्धारित की

जाय, प्रस्तुत करने के बाद कर-निर्धारण अधिकारी के संतोषानुसार अन्यथा प्रमाणित न कर दे, किसी व्यापारी द्वारा, स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से, अपने लेखे या किसी अन्य के लेखे, उत्तर प्रदेश में की गयी प्रत्येक बिक्री, उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ, रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न व्यक्ति को की गयी बिक्री मानी जायेगी।"

7—मूल अधिनियम की धारा 3—ङ निकाल दी जाय। धारा 3—ङ का निकाला जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 3—च में— धारा 3—च का संशोधन

(क) शब्द "पच्चीस पैसे प्रति सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "आधा प्रतिशत" रख दिये जायं;

(ख) स्पष्टीकरण में; शब्द तथा अंक "ऐसे माल के संबंध में जो धारा 4 के अधीन कर से मुक्त हों" के स्थान पर शब्द "ऐसे माल के संबंध में जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के प्रभाव से कर के भुगतान के लिये दायी न हों" रख दिये जायं तथा सदैव से रखे गये समझे जायं।

9—मूल अधिनियम की धारा 8—क में, उपधारा (3) और (3—क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं, अर्थात्:— धारा 3—क का संशोधन

"(3) किसी रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किसी क्रेता से कर वसूल करने के प्रयोजनार्थ व्यापारी द्वारा बेचे गये माल के मूल्य की गणना निकटतम रुपये में की जायेगी, अर्थात् पचास पैसे या उससे अधिक का एक रुपया गिना जायेगा और पचास पैसे से कम को छोड़ दिया जायेगा। यदि वसूल किये जाने वाले कर की धनराशि पैसे की भिन्न में हो तथा भिन्न आधा पैसा या उससे अधिक हो तो उसकी गणना अगले उच्चतर पैसे में की जायेगी और आधा पैसा से कम की भिन्न को छोड़ दिया जायेगा।

(4) धारा 12 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित दशाओं में कोई व्यापारी जो माल बेचता है, क्रेता को यथास्थिति कैश मेमो या बिल देगा जिस पर उसका या उसके सेवक, मैनेजर या ऐजेन्ट का दिनांक सहित हस्ताक्षर होगा और वह उसकी कारबन प्रति को उस कर-निर्धारण वर्ष की, जिसमें वह जारी किया जाय, समाप्ति से पांच वर्ष की अवधि के लिये रखेगा, अर्थात्:—

(क) यदि व्यापारी चाहे वह रजिस्टर्ड हो या नहीं, ऐसा हो—

(1) जिसका ठीक पिछले कर-निर्धारण वर्ष में विक्रय-धन अड़तालिस हजार रुपये से कम न रहा हो, या

(2) उस दशा में जब व्यापारी ने ठीक पिछले कर-निर्धारण वर्ष के केवल एक भाग में कारोबार किया हो, जिसका उस भाग में मासिक औसत विक्रय-धन चार हजार रुपये से कम न रहा हो, या

(3) उस दशा में जब व्यापारी ने केवल कर-निर्धारण वर्ष के दौरान कारोबार प्रारम्भ किया हो, जिसका मासिक औसत विक्रय-धन चार हजार रुपये से कम न रहा हो, और बेचे गये माल का मूल्य पांच रुपये से अधिक है ;

(ख) यदि व्यापारी कोई रजिस्टर्ड व्यापारी है, और वह ऐसे माल की बिक्री पर क्रय या विक्रय कर वसूल करता है, और ऐसी दशा में कैश मीमो या बिल न बेचे गये माल का मूल्य और कर के रूप में वसूल की गयी धनराशि अलग-अलग दिखायी जायेगी ।

स्पष्टीकरण:—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये व्यापारी का ऐसे माल के संबंध में, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के प्रभाव से कर के भुगतान के लिये दायी न हो, विक्रय-धन भी सम्मिलित किया जायेगा ।

(5) धारा 13 में अभिदिष्ट कोई अधिकारी उपधारा (4) में अभिदिष्ट किसी कैश मीमो या बिल पर देय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, के अपवंचन को रोकने के प्रयोजनों के लिये भी उक्त धारा के अधीन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है ।"

धारा 28 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

जांच चौकियों या नाके की स्थापना और मार्गस्थ माल का निरीक्षण

"28—(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में सड़क द्वारा माल आयात किये जाने के पश्चात् राज्य के भीतर माल की बिक्री के संबंध में इस अधिनियम के अधीन देय कर तथा अन्य देयों के अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है तो वह, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, अपनी प्रादेशिक सीमाओं के निकट, राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायं, जांच चौकियां तथा नाके स्थापित करने का निदेश दे सकती है ।

(2) प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यापारी, जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर सड़क द्वारा ऐसा माल आयात करना चाहता हो, जो ऐसे परिमाण, माप या मूल्य से, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करें, अधिक हो, विक्रेता व्यापारी को एक घोषणा-पत्र दो प्रतियों में, यथाविधि भरा हुआ और उसके द्वारा हस्ताक्षरित, देगा जिसमें निर्धारित प्रपत्र में जो निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, ऐसे कर निर्धारित अधिकारी से जिसका उस क्षेत्र पर, जहां वह कारोबार करता हो, अभिक्षेत्र हो, प्राप्त किया जा सकता है, निर्धारित ब्योरे दिये जायंगे ।

(3) उपर्युक्त माल ले जाने वाली गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति उपधारा (2) में अभिदिष्ट घोषणा-पत्र की प्रतियां तथा ऐसे अन्य लेखपत्र भी, जिसमें ऐसे ब्योरे दिये गये हों, जो निर्धारित किये जायं अपने साथ ले जायगा, और उप-धारा (1) के अधीन स्थापित किसी जांच-चौकी या नाके को पार करने के पहले उसको प्रभारी अधिकारी को उक्त घोषणा-पत्र की एक प्रति देगा और माल सहित दूसरी प्रति तथा शेष लेखपत्र माल पाने वाले को देगा । जांच चौकी या नाके

का प्रभारी अधिकारी, जिसे घोषणा-पत्र की एक प्रति दी जाय, उसके लिये एक रसीद देगा, और गाड़ी के ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति को किसी अन्य जांच-चौकी या नाके पर, जिसे वह पार करे, घोषणा-पत्र की प्रति देना आवश्यक न होगा यदि वह उसके प्रभारी अधिकारी को ऐसी रसीद दिखला दे।

(4) प्रत्येक ऐसी जांच-चौकी या नाके पर, किसी ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी को रोकेगा और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक उस जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और ऐसे अधिकारी को माल तथा उप-धारा (3) में अभिदिष्ट सभी लेख-पत्रों का निरीक्षण करने देगा, और यदि अपेक्षित हो, अपना नाम तथा पता और गाड़ी के स्वामी और माल भेजने वाले तथा माल पाने वाले का नाम तथा पता देगा।

(5) जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को गाड़ी के ऐसे माल को, जो उप धारा (2) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हो, और—

(1) जो उपधारा (3) में अभिदिष्ट लेख-पत्रों में दिखाया न गया हो, या

(2) जिसके संबंध में उक्त लेख-पत्र मिथ्या हों अथवा जिनके मिथ्या होने का समुचित संदेह हो,

रोकने या अभिगृहीत करने की शक्ति होगी और वह उक्त किसी लेख-पत्र को भी रोक या अभिगृहीत कर सकता है।

(6) इस धारा के अधीन किसी तलाशी या निरीक्षण के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102 तथा 103 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता के अधीन किसी तलाशी या निरीक्षण पर लागू होते हैं। 1898 का अधिनियम 5

(7) ऐसे माल और लेख-पत्रों का अभिगृहण किये जाने के संबंधमें धारा 13-क और धारा 13 की उप-धारा (3) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(8) उपर्युक्त माल का आयात करने वाला रजिस्टर्ड व्यापारी उपधारा (3) के अधीन उसे दिये गये घोषणा-पत्र तथा अन्य लेख-पत्रों की प्रति ऐसी अवधि के लिये रखेगा जो निर्धारित की जाय, और जब कभी उक्त अवधि में कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा मांगी जाय तो उन्हें उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, और यदि व्यापारी यह दलील दे कि उसने माल आयात किये जाने के पश्चात् उसे राज्य के भीतर नहीं बेचा किन्तु या तो वह उसके द्वारा उपभुक्त कर लिया गया या अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान बेचा गया था तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसी अन्य सूचना तथा लेख-पत्र मांग सकता है जिसे वह उचित समझे।"

प्रथम अनुसूची का संशोधन

11—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में—

(क) दूसरे स्तम्भ में क्रम-संख्या 1, 32, 68, 89 तथा 97 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायं, अर्थात्:—

"1—मनुष्य अथवा पशु-श्रम द्वारा चालित उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण, जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब को छोड़ कर उनके भाग और सम्बद्ध सामान भी हैं।

32—समस्त बिजली का सामान, यंत्र, उपकरण, साधित्र तथा समस्त ऐसी वस्तुयें जिनका प्रयोग विद्युत् शक्ति के बिना नहीं हो सकता है और जिसके अन्तर्गत पंखे, प्रकाश वाले बल्ब, प्रतिदीप्त ट्यूब (जिनके अन्तर्गत इनके स्टार्टर, चोक, फिक्चसर तथा फिटिंग्स और सम्बद्ध सामान भी हैं), बिजली के मृत्तिका-पात्र तथा पोर्सिलेन एवं अन्य सम्बद्ध सामान तथा सहयोगी भाग, जो चाहे पूर्णतः अथवा भागतः बेचे जाते हैं, किन्तु विद्युत्-शक्ति के जनन, वितरण अथवा पारेषण के निमित्त अपेक्षित बिजली की सज्जा, संयंत्र तथा उनके सम्बद्ध सामान और इलेक्ट्रिक मोटर तथा उसके भाग इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

68—सभी प्रकार का कागज जिसमें हाथ का बना कागज भी सम्मिलित है, चाहे वह लिखने, छापने, नकल करने, पैक करने अथवा किसी अन्य उपयोग के लिये अभिप्रेत हो।

89—देशी शराब से भिन्न सभी प्रकार की स्पिरिट और शराब, जिसके अन्तर्गत शोधित स्पिरिट, विकृत स्पिरिट, मैथाइल एल्कोहल तथा परिशुद्ध एल्कोहल भी है।

97—सभी प्रकार के और सभी पेड़ों के, चाहे वे किसी भी जाति के हों, काष्ठ और इमारती लकड़ी, जिसके अन्तर्गत बल्लियां तथा बांस भी हैं, चाहे वह उगाई जा रही हो या काट दी गयी हो या चीरी गयी हो, किन्तु जिसके अन्तर्गत उनके उत्पाद और जलाने की लकड़ी नहीं है।"

(ख) दूसरे स्तम्भ में क्रम-संख्या 82 तथा 99 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायं, अर्थात्:—

"82 इत्र और सुगंधियां जिनके अन्तर्गत अगरबत्ती और धूपबत्ती नहीं हैं।

99—टायर और ट्यूब जिसके अन्तर्गत रबड़ के रिंग्स तथा मोटर साइकिलों, मोटर स्कूटरों, मोटरेट्स तथा मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब नहीं हैं।"

(ग) क्रम-संख्या 89 के पश्चात् निम्नलिखित मद 89—क बढ़ा दी जाय तथा 22 अगस्त, 1971 से बढ़ाई गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

"

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
89-क	इस्पात के तार	नि० अथवा आ०

(घ) क्रम-संख्या 108 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायं, आर्थात्:—

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
109	ट्रैक्टर्स तथा टायर और ट्यूब के अतिरिक्त, उनके भाग, सम्बद्ध सामान तथा संलग्न वस्तुयें	नि० अथवा आ०
110	बरफ	नि० अथवा आ०
111	चावल का चूर्ण, चावल की कनी तथा चावल की भूसी	नि० अथवा आ०

"

(ङ) इस प्रकार बढ़ाये गये क्रम संख्या 111 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
112	इलेक्ट्रानिक सामान, सज्जा, उपकरण तथा साधित्र और उनके भाग तथा सम्बद्ध सामान	नि० अथवा आ०

"

द्वितीयअनुसूची का संशोधन

12—मूल अधिनियम की द्वितीय सूची में, —

(क) क्रम-संख्या 16 के सामने स्तम्भ 3 में अंक "31" के स्थान पर अंक "13" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं ;

(ख) क्रम-संख्या 19 के सामने स्तम्भ 2 में अंक "1973" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "1973—ए" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं ; तथा

(ग) क्रम-संख्या 28 के सामने स्तम्भ 2 में अंक "3237" के स्थान पर अंक "3227" रख दिये जायं और सदव से रखे गये समझे जायं ।

अध्याय 4

यूनाइटेड प्राविन्सेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, 1935 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट सं० 5, 1935 की धारा 4 का संशोधन

13—युनाइटेड प्राविंसेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, 1935, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, कि धारा 4 में, स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(3) उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 1, 2, 3 और अनुच्छेद 4 के खंड (1), (2) और (3) में अभिदिष्ट गाड़ियों क संबंध में उपर्युक्त प्रकार से देय कर की धनराशि पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार दिया जायगा, और ऐसा अधिभार इस अधिनियम की धारा 11 तथा अन्य उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये अतिरिक्त कर समझा जायगा ।"

धारा 5 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 5 में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन 15 नवम्बर, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के लिये देय अतिरिक्त कर का भुगतान 15 जनवरी, 1972 को या उससे पूर्व किया जायेगा ।"

15—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,— प्रथम अनुसूची का संशोधन

(क) भाग बी (परिवहन गाड़ियां), अनुच्छेद संख्या 4 (यात्रियों तथा यात्रियों के हल्के वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिये भाड़े पर चलने वाली गाड़ियां) के संबंध में द्वितीय तथा तृतीय स्तम्भ में प्रविष्टि (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां 1 जनवरी, 1972 से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात् :—

"स्तम्भ—2		स्तम्भ—3
(2) ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली		400
(3) ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली	(क) तीन पहियों वाली	400
	(ख) अन्य	500

(ख) भाग बी के पश्चात् निम्नलिखित भाग "सी" बढ़ा दिया जाये और उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के अध्याय 5 के प्रारम्भ होने के दिनांक से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात् :—

भाग 'सी'

स्पष्टीकरण

1—जब किसी मोटर गाड़ी का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये किया जाय या ऐसी रीति से प्रयोग किया जाय जिससे कि उस पर इस अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेद के अधीन कर लगाया जा सके, तो ऐसा कर उच्चतम समुपयुक्त दर पर देय होगा।

2—"भार विहीन वजन" का तात्पर्य गाड़ी के उस समय के वजन से है जब वह भार-विहीन हो और इसमें ऐसे समस्त पुर्जे, सज्जा, समान, ईंधन, जल और संचायक सम्मिलित हैं, जो गाड़ी के लिए, जब वह चलती हो, आवश्यक हों और साधारणतया गाड़ी के साथ प्रयोग में आते हों।

3—"प्राधिकृत भार" का तात्पर्य माल के उस अधिकतम भार से है जिसे गाड़ी में वहन करने की अनुमति हो और जिसे गाड़ी के रजिस्ट्रीकृत भारयुक्त वजन में से भार-विहीन वजन को घटाकर निकाला जा सके।

4—"वायवीय (न्यूमैटिक) टायर" का तात्पर्य उस टायर से है जिसमें यांत्रिक दबाव से हवा भरी गयी हो।

5—"लचीले टायर (रजीलियेंट टायर)" का तात्पर्य उस टायर से है जो भारत-निर्मित रबड़ से बना हो, किन्तु वायवीय टायर न हो और जिसकी मोटाई इतनी हो कि वह पहिये कि रिम से उन्नीस मिलीमीटर से कम बाहर न निकली रहे।

6—"लचीलापन-रहित टायर" का तात्पर्य उस टायर से जो न तो वायवीय टायर हो और न लचीला टायर हो।

7—यदि कोई मोटरगाड़ी शायिका (स्लीपिंग बर्थ) से सज्जित हो तो प्रत्येक शायिका, अनुच्छेद 4, 5 और 7 के प्रयोजनार्थ, दो यात्रियों के बैठने के स्थान के बराबर समझी जायेगी।

8—किसी ऐसी मोटरगाड़ी से, जिस पर अनुच्छेद 4 से 7 में से किसी के अधीन कर लगाया जा सकता हो, समबद्ध या उसके द्वारा खींचे जाने वाले प्रत्येक ट्रेलर को ऐसी पृथक मोटरगाड़ी समझा जायेगा जिस पर उक्त अनुच्छेदों द्वारा विहित समुपयुक्त कर लगाया जा कता है।"

अध्याय 5

इण्डियन स्टैम्प ऐक्ट, 1899 का संशोधन

16—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित इण्डियन स्टैम्प ऐक्ट, 1899 में जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3-ए के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

अतिरिक्त कर से भारतीय अन्य संलेख पत्र

"3-एए—(1) अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 17, 17-ए, 17 बी, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 34-ए, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 (बी) या (सी) 63, 64 या 65 के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क भारणीय प्रत्येक संलेख-पत्र पर ऐसे शुल्क के अतिरिक्त 10 पैसे शुल्क होगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध, यथा सम्भव, उपधारा (1) के अधीन भारणीय अतिरिक्त शुल्क पर उसमें अभिदिष्ट संलेख-पत्रों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उन संलेख-पत्रों ले संबंध में धारा 3 के अधीन भारणीय शुल्क के संबंध में लागू होते हों :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त धारा ९ के खण्ड (ए) के अधीन कोई ऐसा नियम या आदेश, जिसमें किसी संलेख-पत्र या किसी वर्ग के संलेख-पत्रों पर देय शुल्क को कम किया जाय अथवा छूट दी जाय, उस संलेख-पत्र पर उपधारा (1) के अधीन भारणीय अतिरिक्त शुल्क के सम्बन्ध में लागू न होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उप-धारा (1) के अधीन भारणीय अतिरिक्त शुल्क धारा ३ के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ शुल्क की कुल धनराशि में शामिल नहीं किया जायेगा ।"

अनुसूची बी का संशोधन

17—मूल अधिनियम की अनुसूची 1-बी में—

(क) वर्तमान अनुच्छेद २5—ए की संख्या बदलकर 34—ए कर दी जाय ;

(ख) अनुच्छेद 25 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"25—ए—माल के क्रय या विक्रय पर कर से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखने के लिये अपेक्षित पांच रुपये से अधिक धनराशि के लिये किसी बिल या कैश मीमो का प्रतिरूप या द्वितीय प्रति (जिसके अन्तर्गत प्रति-पर्ण या कार्बन प्रति भी है)—दस पैसे ।

टिप्पणी : इस अनुच्छेद में नियत शुल्क के सम्बन्ध में धारा 3 का स्पष्टीकरण लागू नहीं होगा ।"

अध्याय 6

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1962 की धारा 3 का संशोधन

18—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें और स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :—

"(3) इस उपधारा के प्रवर्तन के दिनांक से और उसके पश्चात् ऐसी यात्री गाड़ी द्वारा, जो केवल नगर या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर चलाई जाने वाली यात्री गाड़ी न हो, ले जाये जाने वाले प्रत्येक यात्री के लिये किराये पर दस पैसे का दर से अतिरिक्त कर (यदि ऐसी यात्रा के लिये साधारण किराया एक रुपये से कम न हो) लगाया जायेगा जो इस यात्री द्वारा राज्य में प्रत्येक यात्रा के सम्बन्ध में यात्री गाड़ी के परिचालक को देय होगा ।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के अधीन अतिरिक्त कर, ठेका गाड़ी की दशा में, उन यात्रियों की संख्या के सम्बन्ध में, जिनके सम्बन्ध में उसमें स्थान की व्यवस्था है, लगाया जायेगा, चाहे वास्तव में ले जाने जाये वाले यात्रियों की संख्या कुछ भी हो ।

(4) इस अधिनियम के उपबन्ध, यथासम्भव उपधारा (3) के अधीन भारणीय अतिरिक्त कर के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उपधारा (1) के अधीन कर के संबंध में लागू होते हों, किन्तु धारा ५ की उपधारा (1) का द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड उक्त अतिरिक्त कर के सम्बन्ध में ऐसे परिवर्धन या परिष्कार के साथ लागू होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद "नगर" और "नगरपालिका" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और युनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में उनके लिये दिये गये हों ।"

19—उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19, 1971 का निरसन

विधान परिषद सचिवालय

उद्देश्य और कारण

बंगला देश से विस्थापित शरणार्थियों की सहायता के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के निमित्त केन्द्रीय सरकार ने 22 अक्टूबर, 1971 को कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किये थे । साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से भी इसी निमित अतिरिक्त वित्तीय संसाधन एकत्र करने के लिये कुछ उपाय करने के सुझाव दिये थे ।

2—केन्द्रीय सरकार की संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19, 1971) प्रख्यापित किया गया, जो 15 नवम्बर, 1971 से प्रवृत्ति हुआ । उक्त अध्यादेश द्वारा शरणार्थियों की सहायतार्थ करारोपण के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3—क, 3—घ, 3—च तथा प्रथम अनुसूची में भी कुछ संशोधन अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने तथा विधिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के उद्देश्य से किये गये । उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत शरणार्थी सहायता के सम्बन्ध में निम्नलिखित कर/अधिभार/शुल्क लगाये गये हैं:—

(1) मनोरंजन तथा बाजी लगाने वाले टिकटों पर 10 पैसा प्रति टिकट की दर से अधिभार लगाया गया ।

(2) प्रदेश के प्रत्येक ऐसे व्यापारी के लिये, जिसका वार्षिक विक्रय-धन 48,000 रु० से कम न हो, पांच रुपये या उससे अधिक के प्रत्येक विक्रय के लिये कैश-मीमो या बिल देना अनिवार्य कर दिया गया ।

(3) यात्री गाड़ियों तथा स्कूटर्स आदि पर देय रोड टैक्स पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया गया ।

(4) इंडियन स्टैम्प एक्ट के अन्तर्गत विभिन्न दस्तावेजों पर 10 पैसा का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया । साथ ही पांच रुपय से अधिक के बिल या कैश-मीमो के प्रति पर्ण या द्वितीय प्रति पर 10 पैस का शुल्क लगाया गया ।

(5) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 में संशोधन करके केवल नगर या नगर-पालिका की सीमाओं के भीतर चलाई जाने वाली यात्री-गाड़ियों से भिन्न यात्री गाड़ियों द्वारा ले जाये जाने वाले प्रत्येक यात्री के लिये किराये पर (यदि साधारण किराया एक रुपये से कम न हो) दस पैसे की दर से अतिरिक्त कर लगाया गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 में जो अन्य संशोधन किये गये उनमें बहु-सूत्री कर की साधारण दर को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े तीन प्रतिशत करना, एक-सूत्री कर की अधिकतम दर को दस प्रतिशत से बढ़ाकर बारह प्रतिशत करना, बड़े व्यापारियों पर लगाये गये अतिरिक्त कर की दर पच्चीस पैसे से बढ़ाकर पचास पैसे प्रति सौ रुपये करना तथा खाद्यान्नों पर प्रथम-सूत्री क्रय-कर के स्थान पर बहु-सूत्री क्रय-कर की व्यवस्था करना प्रमुख है।

3—यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है । इस अवसर का उपयोग उपरोक्त अधिनियमों में कतिपय अन्य आवश्यक संशोधन करने के लिये किया जा रहा है, जो संक्षेपतः निम्न प्रकार हैं:—

(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 में संशोधन:—

(क) वर्तमान धारा 3—घ की कतिपय न्यूनताओं के कारण हो रहे करापवंचन को रोकने के लिये उसे संशोधित करके ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि यदि कोई बिक्री रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति को की जाती है तो उस पर विक्रेता को उसी दर से बिक्री-कर देना होगा जिस दर पर क्रेता द्वारा (यदि वह रजिस्टर्ड व्यापारी होता) क्रय-कर देय होता ।

(ख) धारा 28 को प्रतिस्थापित करके प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच-चौकियां स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे प्रदेश के बाहर से अप्रकट रूप से आयात किये गये माल के सम्बन्ध में होने वाले करापवंचन को प्रभावकारी ढंग से रोका जा सके ।

(ग) प्रथम अनुसूची में संशोधन करके अगरबत्तियों एवं धूपबत्तियों तथा रबड़ रिंग्स को एक सूत्री-कर योग्य वस्तुओं की सूची से निकाल दिया जा रहा है। साथ ही, इस्पात के तार तथा इलेक्ट्रानिक सामान, सज्जा आदि को एक-सूत्री कर-योग्य वस्तुओं में सम्मिलित किया जा रहा है।

(2) विधिक स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से युनाइटेड प्राविंसेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, 1935 की धारा 5 का द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड प्रतिस्थापित किया जा रहा है तथा अनुसूची में कतिपय स्पष्टीकरण पुनः जोड़े जा रहे हैं ।

(3) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 3 की प्रस्तावित उप-धारा (3) में विधिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य से एक स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है।

4—तदनुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

नारायणदत्त तिवारी,
वित्त मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 में प्रतिनिहित विधायन के संबंध में ज्ञापन-पत्र

इस संशोधन विधेयक द्वारा राज्य सरकार को कतिपय नियम बनाने तथा कुछ बातों की व्यवस्था करने के निमित्त विज्ञप्तियां जारी करने की शक्ति दी जा रही है । जिन विषयों के संबंध में नियम बनाने अथवा विज्ञप्तियां जारी करने की शक्ति दी जा रही है, वे निम्नलिखित हैं:—

(1) विधेयक के खंड 6 में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर, ऐक्ट, 1948 की धारा 3—घ की प्रस्तावित उपधारा (1) में राज्य सरकार को विज्ञप्ति द्वारा खाद्यान्नों पर 2 प्रतिशत तक बहुसूत्री क्रय-कर, तथा अन्य वस्तुओं पर 5 प्रतिशत तक प्रथम-सूत्री क्रय-कर लगाने की शक्ति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित उपधारा (1) में क्रय-धन तथा उपधारा (2) में विक्रय-धन निर्धारित करने की प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने की शक्ति भी दी जा रही है । उप-धारा (3) में विज्ञप्ति द्वारा न्यूनतम कर-योग्य क्रय-धन को बढ़ाने की शक्ति दी जा रही है । उप-धारा (7) में कतिपय प्रमाण-पत्रों एवं घोषणा पत्रों के प्रारूप, तथा उनके प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं अवधि, निर्धारित करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है। यह सभी शक्तियां सामान्य प्रकार की हैं।

(2) विधेयक के खंड 10 में उपरोक्त अधिनियम की प्रस्तावित धारा 28 की—

(क) उप-धारा (2) में रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा विक्रेता-व्यापारी को दिये जाने वाले घोषणा-पत्र का प्रारूप एवं उसमें दिये जाने वाले विवरण तथा उसे प्राप्त करने के लिये शुल्क निर्धारित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है,

(ख) उप-धारा (3) में वाहन के चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा साथ ले जाने वाले अन्य लेख-पत्रों एवं उनके विवरणों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है ;

(ग) उप-धारा 8 में रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा लेख-पत्रों और घोषणा-पत्रों के सुरक्षित रखने की अवधि के संबंध में नियम बनाने की शक्ति दी जा रही है । ये सभी शक्तियां सामान्य प्रकार की हैं।

(3) विधेयक के खंड 16 में उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 3 की प्रस्तावित उप-धारा (4) में राज्य सरकार को विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश देने की शक्ति दी जा रही है कि धारा 5 की उप-धारा (1) का द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड 3 की उपधारा (3) द्वारा लगाये गये अतिरिक्त कर के संबंध में किन परिवर्धनों या परिष्कारों के साथ लागू होगा । यह शक्ति सामान्य प्रकार की है।

नारायणदत्त तिवारी,
वित्त मंत्री ।

ज्ञापन-पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 के उपबन्धों में उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 के उपबन्धों से रूप-भेदों को स्पष्ट किया गया है।

बंगला देश से विस्थापित शरणार्थियों की सहायतार्थ एवं अन्य प्रयोजनों के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये राज्यपाल द्वारा 13 नवम्बर, 1971 को उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 प्रख्यापित किया गया था। प्रस्तुत विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये है। अध्यादेश जारी होने के बाद उसके कुछ उपबन्धों के संबंध में पुनर्विचार के फलस्वरूप, तथा इस अवसर का उपयोग कुछ अन्य आवश्यक संशोधन करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित परिवर्तन विधेयक में किये गये हैं:—

(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3—घ की उप-धारा (1) तथा (2) में कुछ संशोधन करने की बजाय उप-धारा (1) से (3) तथा उप-धारा (7) के स्थान पर नई उप-धारायें रखी गई हैं। इसका उद्देश्य वर्तमान उपबन्धों की न्यूनता के कारण हो रहे करापवंचन को रोकना तथा व्यापारियों द्वारा अपने क्रय अथवा विक्रय के संबंध में कर का देनदार न होना सिद्ध करने के लिये आवश्यक प्रमाण-पत्र आदि निर्धारित करने की व्यवस्था करना है।

(2) धारा 3-घ के उपरोक्त संशोधनों के फलस्वरूप धारा 3-ङ अनावश्यक हो जायेगी अतः इसे निकाला जा रहा है।

(3) उक्त अधिनियम की धारा 8-क की उप-धारा (3) में वसूल किये जाने वाले कर की धनराशि के एक पैसे की भिन्न में होने की दशा में यदि भिन्न आधा पैसा या उससे अधिक हो तो उसकी गणना अगले उच्चतर पैसे में करने तथा आधा पैसे से कम की भिन्न को छोड़ देने की व्यवस्था की जा रही है। इसका उद्देश्य व्यावहारिक कठिनाई दूर करना है।

(4) उक्त अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर नई धारा रखी जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के सीमावर्ती स्थानों पर जांच चौकियां स्थापित करके करापवंचन की प्रभावकारी ढंग से रोक-थाम करना है।

(5) उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में अगरबत्तियों एवं धूपबत्तियों, तथा रबड़ के रिंग्स को एक सूत्री कर योग्य वस्तुओं की सूची से निकाल दिया जा रहा है। 'इस्पात के तार' को उक्त अनुसूची में शामिल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक सामान, सज्जा आदि पर एक-सूत्री कर की व्यवस्था करने के लिये इन्हें उक्त अनुसूची में शामिल किया गया है।

(6) उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में मुद्रण की अशुद्धियों को दूर करने के उद्देश्य से संशोधन किया जा रहा है।

(7) युनाइटेड प्राविंसेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, 1935 में धारा 5 के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड को प्रतिस्थापित करके यह व्यवस्था की जा रही है कि 15 नवम्बर से 31 दिसम्बर, 1971 की अवधि के लिये धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन देय कर का भुगतान 15 जनवरी, 1972 तक किया जायेगा। साथ ही, अनुसूची में पूर्वगामी प्रभाव से भाग 'ग' जोड़ कर कतिपय बातों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा रही है।

अध्यादेश

(8) इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, 1899 की प्रस्तावित नई धारा 3-कक में एक और प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़कर, तथा अनुसूची 1-बी के प्रस्तावित अनुच्छेद 25-ए में टिप्पणी जोड़कर, यह व्यवस्था की जा रही है कि उक्त धारा एवं अनुच्छेद के अन्तर्गत लगाये गये शुल्क की गणना धारा 3 के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ शुल्क की कुल धनराशि में नहीं की जायेगी ।

(9) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 3 की प्रस्तावित उप-धारा (3) में एक स्पष्टीकरण जोड़ कर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि ठेका गाड़ी की दशा में कर का अवधारण यात्री-गाड़ी में यात्रियों की कुल नियत संख्या के अनुसार किया जायेगा ।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

संबंधित अधिनियमों की ऐसी संगत धाराओं के उद्धरण जिनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है।

1—युनाइटेड प्राविन्सेज इन्टरटेन्मेंट्स एण्ड बेटिंग टेक्स ऐक्ट, 1937

3. (1) There shall be levied and paid on all payments for admission to any entertainment, a tax (hereinafter referred to as entertainment tax) at a rate not exceeding,75 per cent of the payment for admission where such payment does not exceed one rupee and cent per cent thereof in any other case as the Government may from time to time specify by notification in this behalf and the tax shall be collected by the proprietor and paid to the Government in the manner prescribed.

* * *

11. (1) There shall be charged, levied and paid to Government out of all moneys paid into any totalizator by way of stakes or bets, a tax, hereinafter referred to as the totalizator tax, at the prescribed percentage, not exceeding ten per cent of every sum so paid.

(2) The totalizator tax shall be received by the stewards of the race meeting on behalf of the Government and on such payment, the payment shall be deemed to have been made to Government.

* * *

14. (1) There shall be charged, levied and paid to Government on all moneys paid or agreed to be paid as a bet to a licensed book maker by a backer, in any enclosure set apart on any race, a tax on backers (hereinafter refer to betting tax) at a prescribed percentage not exceeding for ten per cent of all moneys paid or agreed to be paidby backer to licensed book maker on account of a bet laid by the backer in each race with the book-maker.

(2) The betting tax shall be collected by the licensed book-maker with the money laid by the backer with the licensed book-maker at the time when the bet is laid and in case of credit bets at such time as may be prescribed.

2—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट 1948 ई०

3—क—कर की दर—(1) (क) प्रथम अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में निर्दिष्ट माल के संबंध में विक्रय-धन पर, अनुसूची के स्पतम्भ 3 में निर्दिष्ट स्थल पर, ऐसी दर पर, जो दस प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, कर लगाया जायगा।

* * *

(2) ऐसे समस्त माल, जो तत्समय प्रथम अनुसूची में या धारा 3—कक अथवा 3—घ के अधीन किसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट न हों, के संबंध में विक्रय-धन पर तीन प्रतिशत की दर से कर लगाया जायेगा: प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी माल के संबंध में विक्रय-धन पर कर की दर कम कर सकती है:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे माल के संबंध में, जिसके विक्रय-धन पर कर की दर किसी समय तीन प्रतिशत से कम हो, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, कर की दर बढ़ाकर तीन प्रतिशत तक कर सकती है।

* * *

कतिपय माल पर क्रय-कर या विक्रय-कर का लगाया जाना

3—घ—(1) सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था उपधारा (2) में है, प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, व्यापारी द्वारा या ऐसे व्यापारी के माध्यम से जो क्रय एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो, किये गये प्रथम क्रय के उस क्रय-धन पर जो ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अवधारित किया जाय, ऐसे माल या माल के वर्गों के संबंध में तथा ऐसी दर से, जो खाद्यान्नों की दशा में, जिसके अन्तर्गत अनाज तथा दालें भी हैं, दो पैसे प्रति रुपये से अधिक न हो तथा अन्य माल की दशा में पांच पैसे प्रति रुपये से अधिक न हो तथा ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ समय-समय पर विज्ञापित किया जाय, कर लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा ।

स्पष्टीकरण (1) लाइसेंस प्राप्त व्यापारी की एजेंसी के माध्यम से रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा किये गये क्रय की दशा में रजिस्टर्ड व्यापारी प्रथम क्रेता समझा जायगा, और व्यापारी की एजेंसी के माध्यम से किये गये प्रथम क्रय की प्रत्येक अन्य दशा में व्यापारी जो एजेंट है, प्रथम क्रेता समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण (2) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये विखंडित या संसाधित अनाज जैसे कि दाल के रूप में ऐसे अनाज से, जो अविखंडित या असंसाधित हों, भिन्न समझे जायेंगे और तदनुसार इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विखंडित या संसाधित अनाज के प्रथम क्रय के संबंध में केवल इस कारण कर आरोपित करने, लगाने या वसूल करने पर रोक है कि अविखंडित या असंसाधित रूप में उन अनाजों के प्रथम क्रय के संबंध में पहले ही कर आरोपित लगाया या वसूल किया जा चुका था ।

(2) यदि उपधारा (1) में विज्ञापित माल के संबंध में प्रथम क्रय रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यापारी से भिन्न माध्यम से किया जाय जो क्रय एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो और ऐसे व्यक्ति को बिक्री उस व्यापारी के माध्यम से की जाय जो बिक्री एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो तो उस व्यापारी के, जो बिक्री एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो, माध्यम से की गई बिक्री के उस विक्रय-धन पर जो ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अवधारित किया जाय, कर उक्त माल के संबंध में प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, उक्त रूप से विज्ञापित दर से लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा ।

(3) कोई व्यापारी इस धारा के अधीन कर देने का भागी नहीं होगा यदि उसका विक्रय धन कर-निर्धारण वर्ष की अवधि में उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित किसी माल अथवा माल के वर्ग के संबंध में कर का भुगतान करने के दायित्व के प्रयोजनार्थ, 12,000 रुपये से अथवा अपेक्षाकृत ऐसी अधिक धनराशि से, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विज्ञापित की जाय, कम हो ।

* * *

(5) धारा 3 की उपधारा (4), धारा 3-क की उप-धारा (2) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड और द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड (इसमें प्रथम बार आने वाले शब्द "तीन प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "खाद्यान्नों की दशा में दो प्रतिशत व अन्य माल की दशा में पांच प्रतिशत", व दूसरी बार आने वाले शब्द "तीन प्रतिशत" के स्थान पर "दो प्रतिशत या पांच प्रतिशत, जैसी भी दशा हो, रख कर" रख दिये जायें ।

* * *

(7) जब तक कि व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी के संतोषानुसार, अन्यथा प्रमाणित न कर दे, किसी व्यापारी द्वारा या उसके माध्यम से किया गया प्रत्येक क्रय, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यापारी द्वारा किया गया प्रथम क्रय माना जायगा और किसी व्यापारी के माध्यम से की गई प्रत्येक बिक्री, उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, प्रथम-क्रेता को की गई बिक्री मानी जायगी ।

3–ड–(1) राज्य सरकार, समय-समय पर, गजट में विज्ञाप्ति आदेश द्वारा, ऐसे व्यापारियों को जो व्यापारिक अभिकर्ता (me cantile agents) हैं, लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है, जो अपने निर्देष्टाओं (principals) की ओर से धारा 3-घ की उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित माल खरीदने या बेंचने का व्यापार करते हों अथवा जिनके माध्यम से ऐसा माल बेचा या खरीदा जाता हो, चाहे वे कमीशन एजेन्ट कहलाते हों या आढ़तिया अथवा उनका कोई भी अन्य नाम हो ।

धारा 3-घ के प्रयोजनों के लिए व्यापारियों को लाइसेंस का दिया जाना ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा जा सकती है—

(क) इस धारा के अधीन लाइसेन्स जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति और उनका क्षेत्राधिकार;

(ख) लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित किये जाने वाले विवरण;

(ग) लाइसेंस स्वीकृत करने की रीति और उसकी शर्तें, जिसके अन्तर्गत ऐसे लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना भी है जो किसी एक कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिए 100 रुपये से अधिक न हों;

(घ) लाइसेंस का प्रतिसहरण (revocation), निलम्बन या संशोधन करने के अधिकार का प्रयोग करने की रीति और शर्तें, ; और

(ङ) अन्य आनुषंगिक या सहायक विषय ।

(3) इस धारा के अधीन जारी किया गया लाइसेंस, उपधारा (2) या उपधारा (4) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो नियत की जाय ।

(4) लाइसेंस प्राप्त व्यापारी—

(क) धारा 3–घ की उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित मालों की बिक्री और क्रय के लेन-देन का प्रतिदिन का यथार्थ और ठीक ठीक लेखा बोध्य रूप में ऐसी रीति से, यदि कोई हो, जो नियत की जाय, रखने के लिये बाध्य होगा ।

(ख) कर-निर्धारक अधिकारी को उपर्युक्त लेन-देन के ब्योरे जिसके साथ क्रेता का नाम और विवरण तथा धारा 8-क के अधीन क्रेता द्वारा धृत रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र की संख्या तथा दिनांक भी हो, प्रस्तुत करने और नियमों के अधीन रहते हुए, लेन-देन के संबंध में ऐसी अन्य सूचना, यदि कोई हो, जो तदर्थ अपेक्षित हो, देने के लिये बाध्य होगा ।

धारा 3-च

कतिपय व्यापारियों पर अतिरिक्त कर--प्रत्येक व्यापारी जो धारा 3, धारा 3-क, धारा 3-क क धारा 3-घ के अधीन कर का देनदार हो, और जिसका किसी कर-निर्धारण वर्ष में क्रय या विक्रय अथवा दोनों का कुल विक्रय-धन दो लाख रुपये से अधिक हो, उक्त कर के अतिरिक्त , उस कर-निर्धारण वर्ष के लिये अपने कर-योग्य विक्रय-धन पर पच्चीस पैसे प्रति सौ रुपये की दर से अतिरिक्त कर देगा:

* * *

स्पष्टीकरण—यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ कि व्यापारी इस धारा के अधीन अतिरिक्त कर का देनदार है या नहीं, उसका ऐसे माल के संबंध में जो धारा 4 के अधीन कर से मुक्त हो, विक्रय-धन भी सम्मिलित किया जायगा ।

* * *

धारा 8-क

(3) धारा 12 में किसी बात के होते हुये भी प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यापारी, जो कोई माल बेचते समय कर के रूप में कोई धनराशि क्रेता से लेता या आदेय करता है, क्रेता को एक नकदी पर्चा (कैशमेमो) या उधार पर्चा, जैसी भी दशा हो, देगा, जिस पर व्यापारी या उसके नौकर, मैनेजर अथवा एजेंट के हस्ताक्षर

होंगे और जिसमें बेचे गये माल का मूल्य तथा क्रेता से कर के रूप में ली या आदेय की गई रकम अलग-अलग दिखलाई जायगी और वह उस पर्चे (कैशमेमो) का प्रतिरूप हस्ताक्षर सहित अपने पास रक्खेगा और ऐसी सब रकमों का, जिन्हें उसने लिया या आदेय किया हो, निर्धारित ढंग से सही और ठीक लेखा भी रक्खेगा ।

(3-क) उपधारा (3) के अधीन किसी क्रेता (purchaser) से कर वसूल करने के प्रयोजनों के लिये कोई रजिस्टर्ड व्यापारी मूल्य में पचास नये पैसे तक रुपये की भिन्न (fraction of rupee) की गणना नहीं करेगा और पचास पैसे से, अधिक भिन्न को एक रुपया मान कर गणना करेगा ।

* * * *

धारा 28 जांच चौकियों की स्थापना (1) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, इस ऐक्ट के अधीन देय (payable) बिक्री-कर तथा अन्य आदेयों (dues) की अदायगी के अपवंचन (evasion) को रोकने के निमित्त राज्य के किसी भी स्थान में जांच चौकियां (check posts) तथा नाके (barreiers) स्थापित कर सकती है ।

(2) ऐसे माल का, जो विज्ञापित किया जाय, लाने ले जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट जांच चौकी या नाके पर, राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष, ऐसे आकार में और रीति से घोषणा प्रस्तुत करेगा जो नियत की जाय ।

(3) उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी, जो एतदर्थ प्राधिकृत किया जाय, अपने इस बात के समाधान के निमित्त कि उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है तथा ऐसे निरोधों (restrictions) के अधीन रहते हुए जो नियत किये जायें, ऐसे किसी भी वाहन को रोक सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है, जिसके संबंध में यह सन्देह किया जाय कि उससे उक्त उपबन्धों का उल्लंघन हो रहा है ।

* * * *

प्रथम अनुसूची

"नि०" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में निर्माता द्वारा बिक्री से है ।

"आ०" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में आयातकर्ता द्वारा बिक्री से है।

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
1	मनुष्य अथवा पशु-श्रम द्वारा चालित उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण तथा ट्रैक्टर्स जिस में उनके भाग और सम्बद्ध सामान, टायर और ट्यूब के अतिरिक्त, भी सम्मिलित है	नि० अथवा आ०
32	विद्युत् शक्ति के जनन, वितरण तथा पारेषण के लिये अपेक्षित सज्जा, संयत्रों तथा उनके भागों एवं इलेक्ट्रिक मोटर और उनके भागों से भिन्न बिजली के सामान	.. नि० अथवा आ०
68	हाथ के बने कागज से भिन्न कागज ..	.. नि० अथवा आ०
82	इत्र और सुगंधियां	.. नि० अथवा आ०
89	देशी शराब से भिन्न सभी प्रकार की शराब और स्प्रिट	.. नि० अथवा आ०

97	इमारती लकड़ी (अर्थात् शीशम, सागौन, साल, साखू, हल्दू, तुन, आम, जामुन, नीम, गूलर, सीरस, देवदार, चीड़ और महुआ के वृक्ष की लकड़ी, चाहे वह उगायी जा रही हो या काट दी गई हो) जिसमें कटी हुई इमारती लकड़ी भी सम्मिलित है, किन्तु जिसमें उनसे बनी हुई वस्तुयें सम्मिलित नहीं हैं	वन विभाग अथवा वनों के निजी स्वामियों द्वारा अथवा आयात-कर्ता द्वारा बिक्री
99	टायर और ट्यूब जिसके अन्तर्गत मोटर साइकिलों, मोटर स्कूटर्स, मोटर-रेट्स तथा मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब नहीं है।	नि० अथवा आ०

द्वितीय अनुसूची

क्रम-संख्या	विज्ञप्ति संख्या	दिनांक
16	एस० टी० 1417/10–902(20-क)-56 ..	.. 31 जनवरी, 1958
19	एस० टी० 1973/10-902(7-एम)-57 ..	.. 30 जून, 1959
28	एस० टी० 3237/10-902-(8-सी एफ)-59 ..	.. 1 सितम्बर, 1961

3—यूनाइटेड प्राविंसेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, 1935

Section 4—*Imposition of tax*—(1) Save as otherwise provided by this Act or by any other rule made thereunder or by any other law for the time being in force, no motor vehicle shall be used in any public place in Uttar Pradesh unless the owner thereof has paid in respect of it a tax at the appropriate rate specified in the First Schedule to this Act within the time allowed by section 5, and save as hereinafter specified, such tax shall thereafter be payable annually, notwithstanding that the motor vehicle may from time to time cease to be used.

(2) For the purpose of determining the amount of the tax payable in respect of transport vehicles under Articles IV to VII or IX of the First Schedule to this Act, all routes in Uttar Pradesh shall be classified by the prescribed authority as special routes or ordinary routes, and every ordinary route shall be further classified as an A Class route, or a B Class route. or a C Class route.

Explanation—In this section and in section 5-A 'the First Schedule' means,—

(*a*) for the purposes of determination of the tax payable in respect of any period prior to the commencement of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Sanshodhan) Adhiniyam, 1962, hereinafter referred to as the Act of 1962, the First Schedule as it stood immediately before the commencement of the Act of 1962 ;

(*b*) for the purposes of determination of the tax payable in respect of any period from and after the commencement of the Act of 1962, but prior to the commencement of Chapter V of the Uttar Pradesh Taxation Laws Amendment Act, 1969, the First Schedule as substituted by the Act of 1962 ; and

(*c*) for the purposes of determination of the tax payable in respect of any period from and after the commencement of Chapter V of Uttar Pradesh Taxation Laws Amendment Act, 1969, the First Schedule as amended by the said Act.

प्रतिबन्ध यह भी है कि धारा 4 के अधीन किसी अवधि के लिये देय कर और उत्तरप्रदेश कर विधि संशोधन अधिनियम, 1969 द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व के इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उस अवधि के लिये पहले ही भुगतान किये गये कर की धनराशि के अन्तर का भुगतान उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के प्रारम्भ होने के दिनांक से चार महीने के भीतर किया जाय।

* * *

FIRST SCHEDULE

(*See* section 4)

Article Number	Description of vehicle	Annual rate of tax
1	2	3
	* * *	
	PART 'B'	
	Transport vehicles	
IV	Vehicles plying for hire for the conveyance of passengers and light personal luggage of passengers—	Rs.
	(1) with seating capacity for not more than three persons exclusive of the driver	200
	(2) with seating capacity for four persons exclusive of the driver	300
	(3) with seating capacity for more than four but not more than six persons exclusive of the driver ..	400

4—इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899

3-A. (1) Every instrument chargeable with duty under section read with Article Nos. 13, 14, 27, 37, 47, 49, 52, 53 or 62(*a*) of Schedule I shall, in addition to such duty, be chargable with a duty of ten paise.

(2) The additional duty with which any instrument is chargeable under sub-section (1) shall be paid and such payment shall be indicated on such instrument by means of adhesive stamps bearing the inscription 'refugee relief' whether with or without any other design, picture or inscription.

(3) Except as otherwise provided in sub-section (2), the provisions of this Act shall, so far as may be, apply in relation to the additional duties chargeable under sub-section (1) in respect of the instruments referred to therein as they apply in relation to the duty chargeable under section in respect of those instruments.

* * *

Schedule I-B

Description of instrument	*Proper stamp duty*
25. Counterpart or duplicate of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid—	
(*a*) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed four rupees and fifty naye paise ;	The same duty as is payable on the original.

(*b*) in any other case not falling within the provisions of section 6-A.	Four rupees and fifty naye paise.

Exemption

Counterpart of any lease granted to a cultivator when such lease is exempted from duty—

25-A. Instrument correcting a purely clerical error in any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid—

(*a*) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed five rupees ;	One-half of the duty payable on the original.
(*b*) in any other case	Three rupees.

* * *

5—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962

यात्री गाड़ियों द्वारा ले जाये जाने वाले यात्रियों पर कर का लगाया जाना।

8—(1) इस धारा के प्रचलित होने के दिनांक से और उसके पश्चात् यात्री गाड़ी द्वारा ले जाये जाने वाले प्रत्येक यात्री पर उस दर से कर लगाया जायेगा जो उस यात्री द्वारा राज्य में अपनी यात्रा के संबंध में यात्री-गाड़ी के परिचालक को देय किराये के पंद्रह प्रतिशत के बराबर हो और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) केवल नगर या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर चलने वाली यात्री-गाड़ी की दशा में कर की धनराशि को आवश्यकतानुसार गणना निकटतम पैसे में की जायगी (अर्थात् आधे पैसे और उससे अधिक को पूरा पैसा गिना जायगा और आधे पैसे से कम को छोड़ दिया जायगा) ; और

(ख) अन्य यात्री गाड़ियों की दशा में कर की धनराशि की आवश्यकतानुसार गणना निकटतम पांच पैसे के गुणक में की जायगी अर्थात् ढाई पैसा और उससे अधिक को पूरे पांच पैसे गिना जायगा और ढाई पैसे से कम छोड़ दिया जायगा ।

स्पष्टीकरण—1—यदि यात्री गाड़ी किसी यात्री को रियायती दर पर या बिना किराये के ले जाये तो इस धारा के प्रयोजनार्थ यात्रा के लिये सामान्य रूप से देय किराया ही ऐसे यात्री द्वारा देय किराया समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण—2—ठेका गाड़ी की दशा में पूरी गाड़ी के लिये देय किराये को उस गाड़ी के यात्रियों की संख्या से विभाजित करने पर जो राशि प्राप्त हो, वही ऐसे प्रत्येक यात्री द्वारा देय किराया समझी जायगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि गाड़ी के लिये देय किराया मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के उपबन्धों के अनुसरण में ठेका गाड़ियों के लिये नियत अधिकतम दरों से, यदि कोई हो, निकाले गये किराये के पचहत्तर प्रतिशत से कम हो तो उक्त पचहत्तर प्रतिशत ही गाड़ी के लिये देय किराया समझा जायगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उस उपधारा के अधीन लगने वाले कर की दर बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वह उक्त किराये के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो जाय ।

नत्थी 'प'

(देखिये पीछे पृष्ठ 392 पर)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972

संविधान के अनुच्छेद 47 में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अनुसरण में मद्य-निषेध के प्रसार तथा प्रवर्तन को सुकर बनाने के उद्देश्य से युनाइटेड प्राविंसेज एक्साइज ऐक्ट, 1910 का अग्रेतर संशोधन करने, तथा उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

धारा 4 का निकाला जाना

2—यूनाइटेड प्राविंसेज एक्साइज ऐक्ट, 1910, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 14 निकाल दी जाय ।

धारा 20 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (4) निकाल दी जाय ।

धारा 20-ए और 20-बी का निकाला जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 20-ए और 20-बी निकाल दी जाय ।

नये अध्याय छ-क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम के अध्याय 6 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"अध्याय 6-क—मद्य-निषेध के संबंध में विशेष उपबन्ध

मादक वस्तुओं का आयात, निर्यात, परिवहन करने या कब्जे में रखने का निषेध

37 क(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा—

(क) उत्तर प्रदेश या उसके किसी भाग में अथवा वहां से किसी मादक वस्तु के आयात या निर्यात को निषिद्ध कर सकती है, या

(ख) किसी मादक वस्तु के परिवहन को निषिद्ध कर सकती है ।

(2) धारा 20 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश या उसके किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष द्वारा या ऐसे अपवादों, यदि कोई हों, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किये जायं, के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों द्वारा किसी मादक वस्तु को या तो अप्रतिबद्ध रूप में या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जायं, कब्जे में रखने का निषेध कर सकती है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात या परिवहन को निषिद्ध करने की राज्य सरकार की शक्ति का और उपधारा (2) के अधीन किसी मादक वस्तु को कब्जे में रखने को निषिद्ध करने की उसकी शक्ति का प्रयोग में राज्य में मद्य-निषेध का क्रमिक प्रसार करने की नीति के अनुसरण में किया जा सकता है, और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों का तदर्थ चयन किया जा सकता है :—

(क) तीर्थ स्थान, विद्या केंद्र या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की विशेषता,

(ख) स्थानीय निवासियों की सामान्य आर्थिक स्थिति, जिसके अन्तर्गत उनके आहार पुष्टि तल और जीवन स्तर भी है,

(ग) स्थानीय जन-मत, और

(घ) कोई अन्य संगत तथ्य जो राज्य सरकार की राय में लोक हित में सारवान हो,

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा जिससे राज्य सरकार को अपने आदेश में उन तथ्यों को जिनके आधार पर कोई विशिष्ट क्षेत्र मद्य-निषेध लागू करने के लिये किसी समय चुना जाय, उल्लिखित करना अपेक्षित हो ।

(4) यदि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश या उसके किसी भाग (जिसे आगे इस धारा में मद्य-निषेध क्षेत्र कहा गया है) के संबंध में उक्त नीति के अनुसरण में उपधारा (2) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाय तो मद्य-निषेध क्षेत्र के संबंध में उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या तो अप्रतिबद्ध रूप में अथवा ऐसे अपवादों या शर्तों के अधीन रहते हुये जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाय, जारी की जा सकती है।

(5) किसी मद्य-निषेध क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा अथवा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित मादक वस्तुओं को या ऐसी मादक वस्तुओं में से किसी को निम्नलिखित द्वारा या उनके प्रयोजनों के लिए कब्जे में रखने, उनका आयात, निर्यात या परिवहन करने के संबंध में कोई छूट दे सकती है या शिथिलीकरण कर सकती है:—

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य,

(ख) मद्य-निषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी,

(ग) मद्य-निषेध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री,

(घ) व्यसनी (केवल गांजा की दशा में) और अन्य व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य के आधार पर कोई मादक वस्तु अपेक्षित हो,

(ङ) धारा 17, 18, 21 और 24 के अधीन लाइसेंस ग्रहण करने वाले व्यक्ति,

(च) रेल, सड़क या वायुयान द्वारा मद्य-निषेध क्षेत्र से, को या होकर गुजरने वाले परेषण,

(छ) औद्योगिक, वैज्ञानिक शैक्षिक औषधीय या धार्मिक प्रयोजन ।

(6) किसी ऐसी छूट या शिथिलीकरण के संबंध में जो उपधारा (5) के अधीन दी जाय राज्य सरकार या तो नियमों अथवा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो निर्दिष्ट किया जाय पास या परमिट दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है।

(7) उपधारा (4) में अभिदिष्ट अधिसूचना जारी कर दिये जाने पर इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी, लाइसेंस को जहां तक उसका संबंध मद्य-निषेध क्षेत्र से है, बिना नोटिस तुरन्त निरस्त कर सकता है और वह तदुपरान्त लाइसेंस की असमाप्त अवधि के संबंध में देय शुल्क की धनराशि के बराबर धनराशि की छूट देगा और उसके संबंध में लाइसेंस-धारी द्वारा अग्रिम रूप से दिये गये किसी शुल्क या जमा की गई धनराशि को, उसमें से राज्य सरकार को देय धनराशि को यदि कोई हो, घटा कर लौटा देगा किन्तु लाइसेंसधारी को ऐसे निरसन के संबंध में धारा 35 में दी गई किसी बात के होते हुये भी कोई प्रतिकर देय न होगा ।

(8) जब उपधारा (7) के अधीन कोई लाइसेंस निरस्त किया जाय तो लाइसेंसधारी अपने कब्जे की मादक वस्तुओं का निस्तारण उस प्रकार करेगा जैसा राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त (एक्साइज कमिश्नर) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे ।

6—उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21, 1971 का निरसन

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910 की धारा 14 और धारा 20(4), राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्र में या ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, किसी मादक वस्तु का आयात, निर्यात, परिवहन तथा कब्जे में रखने को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति देती है । उक्त धाराओं में मद्य-निषेध के प्रसारण के लिये विशिष्ट क्षेत्र के चयन के लिये कोई मार्ग-दर्शक तत्व नहीं दिये गये थे और न ही उक्त धाराओं में मद्य-निषेध के प्रतिबन्धों के संबंध में छूट देने के लिये कोई सिद्धांत निर्धारित किये गये थे । उक्त मार्ग-दर्शक तत्वों के अभाव में सभवतः यह कहा जा सकता था कि ये धारायें अत्यधिक प्रतिनिधान के दोष से ग्रसित हैं । इस कमी को दूर करने के लिये यू० पी० एक्साइज (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1970 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 4,1971) अधिनियमित किया गया था और उसके द्वारा मूल अधिनियम में धारा 20-ए व 20-बी जोड़ी गयी थी । परन्तु उच्च न्यायालय ने हाल ही में मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) को प्रारम्भ से ही अवैध घोषित कर दिया और उक्त संशोधन अधिनियम, 1970 द्वारा जोड़ी गई धारा 20-ए और 20-बी को इस कारण निष्प्रभावी करार कर दिया है । इससे उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिये, वर्तमान धारा 14 व धारा 20 की उपधारा (4) एवं धारायें 20–ए और 20-बी को हटाने का तथा मद्य-निषेध के बारे में एक नये स्वतः पूर्ण अध्याय 6-क जोड़ने का निर्णय लिया गया । इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक था और विधान मंडल सत्र में नहीं था, अतः यू०पी० एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, 1971 प्रख्यापित किया गया । उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये यह विधेयक तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है ।

स्वामी प्रसाद सिंह,
आबकारी मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

प्रतिनिहित विधान सम्बन्धी ज्ञापन-पत्र

इस विधेयक द्वारा यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910 में बढ़ाई जाने के लिये प्रस्तावित अध्याय 6-क की धारा 37-क की उपधारा (5) में उक्त धारा 37-क की उपधारा (1) व (2) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित मादक वस्तुओं को कब्जे में रखने उनका आयात, निर्यात या परिवहन करने के संबंध में कोई छूट देने या शिथिलीकरण के लिये तथा उसकी उपधारा (6) में ऐसी छूट अथवा शिथिलीकरण के संबंध में ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो निर्दिष्ट किया जाय, राज्य सरकार को सामान्य या विशेष आदेश देने के अतिरिक्त नियम बनाने का भी वैकल्पिक अधिकार दिया जा रहा है। यह नियम बनाने का अधिकार सामान्य प्रकार का है।

स्वामीप्रसाद सिंह,
आबकारी मंत्री।

उत्तर प्रदेश एक्साइज संशोधन अध्यादेश, 1971 के उपबन्धों से उत्तर प्रदेश एक्साइज संशोधन विधेयक, 1972 के उपबन्ध में रूप भेदों को स्पष्ट करने का ज्ञापन-पत्र

उपरोक्त अध्यादेश में उल्लिखित अध्याय 6-क में धारा 38-क की संख्या को उक्त विधेयक में 37-क कर दिया गया है, क्योंकि धारा 38 अध्याय 7 से आरम्भ होती है।

स्वामीप्रसाद सिंह,
आबकारी मंत्री।

विधान परिषद सचिवालय

मूल अधिनियम की उन धाराओं का उद्धरण जिनका संशोधन प्रस्तावित है :

धारा	वर्तमान उपबन्ध
1	2

14. Power of State Government to prohibit import, export and transport of intoxicants.

The State Government may by notification—

(*a*) Prohibit the import or export of any intoxicant into or from the Uttar Pradesh or any part thereof ;

(*b*) Prohibit the transport of any intoxicant.

(20) A Prohibition and restriction of possession of intoxicants in certain cases.

Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the State Government may, by notification, prohibit the possession by any person or class of persons or subject to such exceptions, if any, as may be specified in the notification by all persons in Uttar Pradesh or in any specified area or areas thereof, of any intoxicant either absolutely or subject to such conditions as it may prescribe.

Option to in force prohibition gradually.

"20 A. The power of the State Government under section 14 to prohibit the import, export, or transport of any intoxicant and the power under sub-section (4) of section 20 prohibit the possession of any intoxicant may be exercised in Pursuance of the policy of gradual extension of prohibition in the State, and different areas may from time to time be selected in that behalf after taking into account —

(*a*) the character of an area as a place of pilgrimage, a seat of learning or an industrial area ;

(*b*) the general economic condition of the local population including their level of nutrition and standard of living ;

(*c*) the local public opinion; and

(*d*) any other relevant factor which in the opinion of the State Government is material in the public interest :

Provided that nothing in this sub-section shall be construed to require the State Government to recite in its order the considerations on the basis of which a particular area is selected at any time for the enforcement of prohibition.

Exception, etc. in respect of prohibition.

20-B. (1) Where a notification is issued under sub-section (4) of section 20 in pursuance of the said policy in respect of the whole or a part of the State (herein after in this section referred to as the prohibition area, a notification under section 14 in respect of the prohibition area may be issued either absolutely or subject to such exceptions or conditions as may be specified in the notification.

(7) In relation to any prohibition area, the State Government may either by rules or by general or special order make any exemption or relaxation in respect of the possession, import, export or transport of the intoxicants mentioned in the notification under section 14 or under sub-section (4) of section 21. or any of such intoxicants by or for purposes of—

(*a*) members of the defence services ;

(*b*) foreigners visiting or residing in the prohibition area ;

(*c*) travellers through the probition area ;

(*d*) addicts (in the case of *ganja* only) and other requiring the intoxcant on grounds of health ;

(*e*) persons holding licences under sections 17, 18, 21 and 24;

(*f*) consignments from, to or passing through the prohibiting area by rail, road or air ;

(*g*) industrial, scientific, educational, medicinal or religious purposes.

(3) In relation to any exemption or relaxation that may be made under sub-section (2), the State Government may, either by rules or by general or special order, provide for the grant of pass or permit by such authority as may be specified.

(4) Upon the issue of a notification referred to in sub-section (1), the authority granting a licence under this Act may, in so far as it relates to a prohibition area cancel it forthwith without notice, and it shall there upon remit a sum equal to the amount of the fee payable in respect of the unexpired period of the licence and may, refund any fee paid in advance or deposit made by the license in respect there of, less the amount if any [due to the State Government] but no compensation shall in respect of such cancellation be payable to the licensee, anything contained in section 35 notwithstanding.

(5) Where any licence is cancelled under sub-section (4) the licensee shall dispose of the intoxicants in his posession in such manner as the State Government or the Excise Commissioner may by general or special order direct.

बी०एस०यू०पी०—ए०पी० 249 एल०ए०—1972—845 ।